

वार्षिक रिपोर्ट 2020-21



राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

(यह संस्थान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के तत्वावधान में कार्यरत एक स्वायत्तशासी निकाय है)

वार्षिक रिपोर्ट

2020-21



राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
(महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के आधीन एक स्वायत्तशासी संस्थान)
5, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज़ खास, नई दिल्ली - 110016



विषय - सूची

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	निदेशक की कलम से	xii
2.	कार्यकारी सारांश 2020-21	1
3.	प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण	
	1. अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी सेवा योजना के कार्यकर्ताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम	11
	2. बाल संरक्षण सेवा (सीपीएस) योजना/मिशन वात्सल्य	33
	3. महिला विकास एवं अधिकारिता	51
	4. बाल विकास	71
	5. कोविड-19 विशिष्ट कार्यक्रम	83
4.	अनुसंधान, मूल्यांकन अध्ययन एवं अनुपालन	101
5.	फील्ड प्रदर्शन एवं परामर्श सेवाएं	
	1. बाल निर्देशन केन्द्र	109
	2. किशोर निर्देशन सेवा केन्द्र	110
6.	बाल निर्देशन और परामर्श में उन्नत डिप्लोमा	113
7.	निपसिड के संकाय सदस्यों की भागीदारी और सहयोग	117
8.	महिला एवं बाल प्रलेखन केन्द्र	123
9.	अनुलग्नक	
	1. संस्थान का संगठनात्मक चार्ट	127
	2. दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व	128
	3. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौनिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेधता एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सूचना	129
10.	लेखापरीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक लेखें	133



राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

विजन

बाल अधिकार, बाल संरक्षण एवं बाल विकास के क्षेत्र में वैश्विक रूप से प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में खुद को स्थापित करना।

मिशन

बाल विकास कार्यकर्ताओं के क्षमता निर्माण, शोध एवं मूल्यांकन, नेटवर्किंग, परामर्श एवं सलाह सेवाओं के माध्यम से बाल विकास, बाल संरक्षण और बाल विकास कार्यक्रम के विचारक, उत्प्रेरक और अन्वेषक के रूप में काम करना और अंतर-विषयक टीमों के जरिये विशेषीकृत सेवाएं उपलब्ध कराना।



उद्देश्य

- सामाजिक विकास में स्वैच्छिक कार्यवाही को विकसित व प्रोत्साहित करना।
- बच्चों हेतु राष्ट्रीय नीति के अनुसरण में बाल विकास के बारे में व्यापक दृष्टिकोण रखना, कार्यक्रमों को विकसित व बढ़ावा देना।
- सामाजिक विकास में सरकारी व स्वैच्छिक कार्यवाही के समन्वय हेतु उपाय विकसित करना एवं
- सरकारी व स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से बच्चों के कार्यक्रमों के आयोजन हेतु रूपरेखा एवं परिप्रेक्ष्य विकसित करना।



संक्षेपाक्षर

ADHD	अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिस्ऑर्डर
AES	एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम
AGSC	किशोर निर्देशन सेवा केन्द्र
ANM	सहायक नर्स दाई
APIP	वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना
ASHA	प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता
AWS	आंगनवाड़ी सेवा योजना
AWCs	आंगनवाड़ी केन्द्र
AWWs	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
BBBP	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
CCIs	बाल देखभाल संस्था
CCL	विधि का उल्लंघन करने वाला बालक
CDPO	बाल विकास परियोजना अधिकारी
CGC	बाल निर्देशन केन्द्र
CNCP	देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत वाले बच्चे
CPS	बाल संरक्षण योजना
CSO	नागरिक समाज संगठन
CWC	बाल कल्याण समिति
DCPU	जिला बाल संरक्षण एकक
DCWC	महिला एवं बाल प्रलेखन केन्द्र
DELNET	पुस्तकालय नेटवर्क का विकास
DIET	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
DLSA	जिला विधायी सेवा प्राधिकरण
DPOs	जिला कार्यक्रम अधिकारी
DTF	जिला कार्य बल
DWCD	महिला एवं बाल विकास विभाग
ECCD	बचपन की देखभाल एवं विकास
ECCE	बचपन की देखभाल एवं शिक्षा
ECS	बचपन प्रोत्साहन
EWRs	निर्वाचित महिला प्रतिनिधि



FCCs	परिवार परामर्श केन्द्र
GGSIU	गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय
GoI	भारत सरकार
GOs	सरकारी संगठन
ICDS	समेकित बाल विकास सेवाएं
ICPS	समेकित बाल संरक्षण योजना
ISRO	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
IEC	सूचना शिक्षा एवं संचार
ITPA	अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम
IYCF	नवजात एवं शिशु स्तपान
IYCN	नवजात एवं शिशु पोषण
JE	जापानी मस्तिष्क शोध
JJ	किशोर न्याय
JJB	किशोर न्याय बोर्ड
MAM	मध्यम तीव्र कुपोषण
MCP	मातृ एवं शिशु संरक्षण कार्ड
MPUAT	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
MWCD	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
NCPCR	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
NDRF	राष्ट्रीय आपदा राहत कोष
NGOs	गैर-सरकारी संगठन
NHED	पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा
NHM	राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना
NIPCCD	राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
NSS	राष्ट्रीय सेवा योजना
OSC	वन स्टॉप सेंटर
PIO	जन सूचना अधिकारी
POCSO	लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण
POSHAN	संपूर्ण पोषण के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना
PWDVA	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम
RTI	सूचना का अधिकार
SAA	विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण



SAM	गंभीर तीव्र कुपोषण
SARA	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण
SBCC	सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संवाद
SCPCR	राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
SCPS	राज्य बाल संरक्षण सोसायटी
SHGs	स्वयं सहायता समूह
SJPU	विशेष किशोर पुलिस एकक
SSA	सर्व शिक्षा अभियान
SLSA	राज्य विधायी सेवा प्राधिकरण
THR	राशन घर ले जाएं
TLM	शिक्षण एवं अधिगम सामग्री
ToTs	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण
UT	केन्द्र शासित प्रदेश
VHSND	ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस
WCD	महिला एवं बाल विकास



निदेशक की कलम से....



निदेशक की कलम से.....

निदेशक के रूप में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड) की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना मेरे लिए अत्यंत गर्व का विषय है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा संस्थान प्रशिक्षण, परामर्श सेवाओं में गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम देने और महिला एवं बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों में शोध सेवाएं मुहैया कराने वाला प्रमुख संस्थान है।

2020 के प्रारंभ में कोविड-19 महामारी के चलते निपसिड को क्लासरूम प्रशिक्षण के स्थान पर ऑनलाइन प्रशिक्षण को अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उस समय ऐसी प्रभावी वर्चुअल प्रशिक्षण प्रणालियों को तैयार करना और कार्यान्वित करना एक भारी चुनौती भरा काम था जो आमने-सामने के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के वास्तविक लक्ष्यों को समझौता न करते हों। कोविड-19 महामारी के बावजूद, निपसिड ने (1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक) सफलतापूर्वक रिकॉर्ड 929 ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें सरकारी संगठनों एवं समाजिक संगठनों के 93496 पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

2020-21 के दौरान, कोविड-19 महामारी के बीच बच्चों के लिए निपसिड मुख्यालय एवं क्षेत्रीय केन्द्रों में कार्यरत बाल निर्देशन केन्द्रों ने कुल 409 मामले दर्ज किए; विभिन्न हस्तक्षेपों के लिए 2818 बाल फॉलोअप किए और कुल 2095 परामर्श सत्र आयोजित किए, जिसमें बाल क्षमताओं, सामाजिक अनुकूलन, व्यवहार, कौशल, प्रतिभा, रुचि, शैक्षिक लर्निंग और व्यक्तित्व विशेषताओं का विस्तृत नैदानिक मूल्यांकन शामिल है। निपसिड में किशोर निर्देशन सेवा केन्द्र किशोरों में सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के मकसद से काम करता है, इस केन्द्र ने वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न मूल्यांकन एवं चिकित्सा के लिए किशोरों के 100 नए मामले, 250 फॉलो अप मामले और 900 परामर्श मामले दर्ज किए।

संस्थान गुरु गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से संबद्ध एक पूर्णकालिक एक-वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम यथा बाल निर्देशन एवं परामर्श में उन्नत डिप्लोमा चलाता है। 2020-21 का शैक्षणिक सत्र और पाठ्यक्रम पूरा हो गया है और छात्रों के लिए इन्टर्नशिप का कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है।

निपसिड ने 2020-21 के दौरान, विभिन्न परियोजनाओं के लिए कई प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे राष्ट्रीय पोषण संस्थान (एनआईएन), राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं स्नायु विज्ञान संस्थान (एनआईएमएचएएनएस), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (एनसीईआरटी), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान आदि से सहयोग किया है। मैं संस्थान के कार्यक्रमों एवं गतिविधियों को आयोजित करने में तकनीकी संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों के पेशेवरों, विशेषज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रतिनिधियों को उनकी सहायता एवं सहयोग के लिए आभार व्यक्त करती हूँ।

अंत में, जहां एक ओर वर्ष 2020-21 चुनौती भरा था, दूसरी ओर संस्थान के लिए उल्लेखनीय वर्ष भी रहा, जिसमें संस्थान ने खुद के लिए महिला एवं बाल विकास हेतु 'प्रतिष्ठित संस्थान' के रूप में जगह बनाई। देश में बहु-विषयक शिक्षण, प्रशिक्षण, मूल्यांकन, शोध गतिविधियों में अहम योगदान देना हमारे लिए गर्व की बात है। निपसिड में हम संस्थान से जुड़े सभी को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम जोश एवं जुनून के साथ हमारे मिशन को पूरा करने के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे।

(तृप्ति गुरहा)

संयुक्त सचिव, एमडब्ल्यूसीडी व
निदेशक, निपसिड



कार्यकारी सारांश



कार्यकारी सारांश

राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान, महिला एवं बाल विकास के समग्र क्षेत्र में स्वैच्छिक शोध, प्रशिक्षण और प्रलेखन के कार्य को बढ़ावा देने के लिए समर्पित अग्रणी संस्थान है। संस्थान के संविधान में निर्दिष्ट प्रमुख कार्यों में बाल विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम/ कार्यशालाएं/ संगोष्ठियां/ सम्मेलन आयोजित करना; बाल विकास में शोध एवं मूल्यांकन अध्ययनों को बढ़ावा देना, प्रायोजित करना और सहयोग करना; बाल विकास से जुड़े कार्यक्रमों को तैयार करना एवं कार्यान्वित करने में सरकारी एवं स्वैच्छिक संगठनों को तकनीकी सेवा सुविधाएं मुहैया कराना; बाल विकास से संबंधित अध्ययनों एवं गतिविधियों में शामिल शोध संस्थाओं, विश्वविद्यालयों एवं अन्य निकायों के साथ संपर्क करना और सहयोगात्मक व्यवस्थाएं करना और ऐसे सभी कार्यक्रमलाप करना जो उपर्युक्त उद्देश्यों को हासिल के लिए सहायक एवं प्रासंगिक हैं।

2020-21 की महत्वपूर्ण गतिविधियां

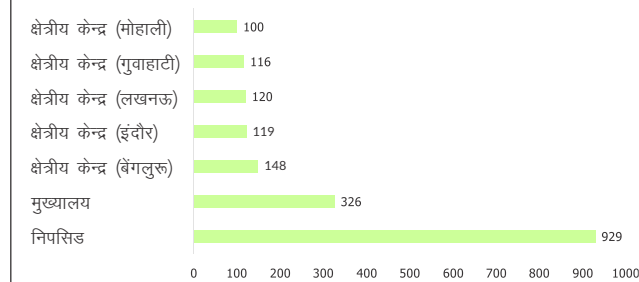
क. प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण

प्रशिक्षण, संस्थान की महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है। संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मंत्रालय द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजनाएं शामिल की जाती हैं। मंत्रालय की सभी प्रमुख योजनाओं को प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तीन अम्ब्रेला योजनाओं यथा मिशन पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। कोविड-19 से पहले संस्थान ने विभिन्न शोध आधारित गतिविधियों के अलावा, कैलेंडर वर्ष में लगभग 500 फिजिकल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इन पाठ्यक्रमों में जॉब प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, कौशल विकास पाठ्यक्रम, प्रवेश पाठ्यक्रम, वर्टिकल प्रशिक्षण, पुनश्चर्या प्रशिक्षण, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और सामयिक आवश्यकता आधारित विषयों पर अन्य कार्यक्रम शामिल हैं। कोविड-19 महामारी के बीच, संस्थान लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए एक प्रभावी माध्यम के रूप में वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। संस्थान के अधिदेश के रूप में बाल संरक्षण, बाल विकास, महिला विकास और आंगनवाड़ी सेवा योजना के क्षेत्र में क्षमता निर्माण एवं जागरूकता अभियान आयोजित किए गए।

वर्ष 2020-21(1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च, 2021 तक) के दौरान, निपसिड ने 929 ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किए (चित्र 1) जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं पर आधारित कार्यक्रमों को शामिल करते हुए अनुस्थापन

पाठ्यक्रम, जागरूकता/कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं एवं परामर्श बैठकें/समीक्षा बैठकें और सामयिक आवश्यकता आधारित विषयों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। संस्थान ने महिलाओं एवं बच्चों के विकास एवं कल्याण और सेवा वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने में आ रही नई समस्याओं का समाधान करने में समाजिक संगठनों और सरकारी विभागों की भूमिका पर प्रकाश डालने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रासंगिक रुचि के विषयों पर कार्यक्रम आयोजित किए।

चित्र 1 : 2020-21 के दौरान आयोजित कार्यक्रमों की संख्या



निपसिड मुख्यालय में 326 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और मोहाली, बेंगलुरु, गुवाहाटी, लखनऊ और इंदौर स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में 603 कार्यक्रम आयोजित किए गए ताकि देश में महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण की क्षेत्रीय जरूरतों को पूरा किया जा सकें। सभी क्षेत्रीय केन्द्रों को प्रशिक्षण एवं शोध के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ क्षेत्र विशिष्ट अधिकार क्षेत्र का पालन करना होता है जिससे कि पूरे भारत में इसकी उपस्थिति हो और संपर्क एवं नेटवर्किंग के लिए संगठनों/संस्थाओं के साथ सहयोग करते हैं।

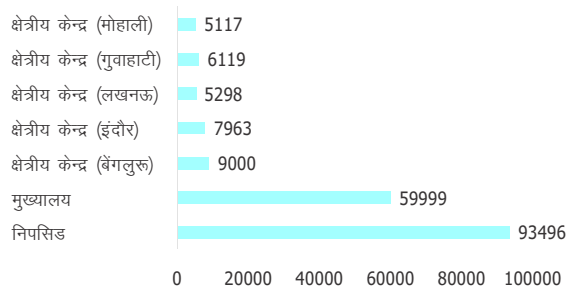
बाल विकास, महिला विकास, बाल संरक्षण, स्वास्थ्य, स्वच्छता के क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले प्रख्यात व्यक्तियों को ऑनलाइन सत्रों में आमंत्रित किया गया ताकि प्रतिभागियों के सीखने के अनुभव को उत्तम बनाया जा सके और महिलाओं और बच्चों के समग्र स्वास्थ्य, पोषण की स्थिति में सुधार एवं संरक्षण और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए राज्यों की अच्छी पद्धतियों को जानकर इनका लाभ उठाया जा सकें। कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों से थे, जिसमें डॉक्टर, वकील, सरकारी अधिकारी, विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, लोक अभियोजक, पोषण सलाहकार, परामर्श और पुनर्वास मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, प्रशासक, मुख्य चिकित्सा

सारणी 1: निपसिड के क्षेत्रीय केन्द्र और इसमें शामिल क्षेत्र

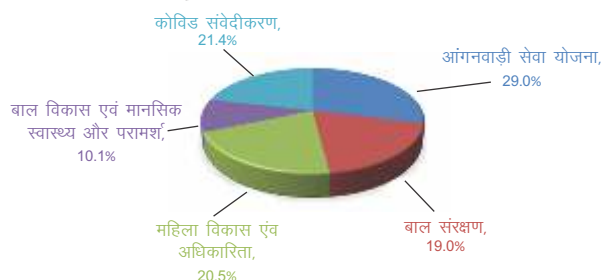
क्षेत्रीय केन्द्र	शामिल क्षेत्र (राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश)
क्षेत्रीय केन्द्र, मोहाली	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर, चंडीगढ़ और लद्दाख
क्षेत्रीय केन्द्र, गुवाहाटी	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल
क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ	बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
क्षेत्रीय केन्द्र, बेंगलुरु	आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, लक्षद्वीप और तेलंगाना
क्षेत्रीय केन्द्र, इंदौर	छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव

स्वास्थ्य अधिकारी, जिला अभियोजन अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी और प्रमुख वैज्ञानिक शामिल थे। महिला एवं बाल विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सत्र देने और संबोधित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों, जैसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, आदि के वरिष्ठ अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया था।

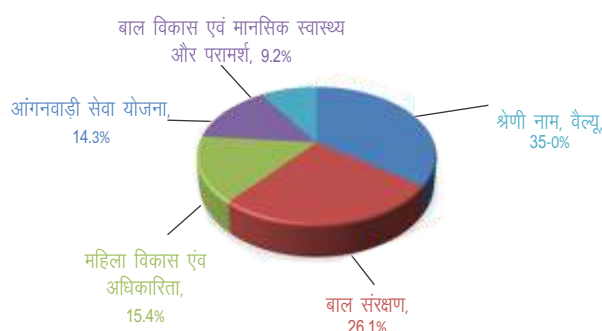
वर्ष 2020-21 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 93496 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें से लगभग 60,000 प्रतिभागियों ने निपसिड मुख्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया (चित्र 2)।

चित्र 2 : 2020-21 के दौरान प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या


निपसिड द्वारा आयोजित 929 कार्यक्रमों में से, 269 कार्यक्रम (कार्यक्रमों का 29%) अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए आयोजित किए गए, बाल संरक्षण के क्षेत्र में 177 कार्यक्रम (19%), महिला विकास से संबंधित मुद्दों पर 190 कार्यक्रम (20.5%) और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों सहित बाल विकास से संबंधित मुद्दों पर 94 कार्यक्रम (10.1%) आयोजित किए गए। कोविड-19 के संबंध में, संस्थान ने कोविड-19 (चित्र 3) से संबंधित तकनीकी विषयों पर 199 ऑनलाइन कार्यक्रमों (21.4%) का भी आयोजन किया।

चित्र 3: 2020-21 के दौरान विभिन्न श्रेणियों के तहत कार्यक्रमों का प्रतिशत


निपसिड के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले कुल प्रतिभागियों में से 32746 (35%) प्रतिभागियों ने कोविड-19 संबंधी जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लिया। उनमें से अधिकांश ने वेबिनार में भाग लिया जिसके परिणामस्वरूप इस महामारी के दौरान एक बार में हजारों हितधारकों को जागरूक बनाना संभव हो सका। अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण के संबंध में, डीपीओ, सीडीपीओ, पर्यवेक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहित 13351 (14.3%) पदाधिकारियों को महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार के लिए सेवा वितरण प्रणाली पर ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया।

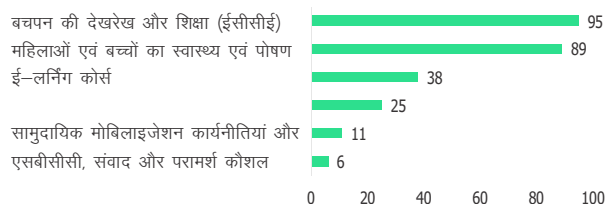
चित्र 4: प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का प्रतिशत (2020-21 में)


I. अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारियों का क्षमता निर्माण

बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। बच्चों का कल्याण देश के विकास के लिए आवश्यक है क्योंकि वे भविष्य में देश के मानव संसाधन में योगदान करते हैं। पोषण सामग्री, वितरण, आउटरीच और नतीजों को बेहतर बनाने के लिए, सरकार सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 शुभारंभ करने के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय कर रही है जिसमें अम्ब्रेला आईसीडीएस-आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजना और राष्ट्रीय क्रेच योजना शामिल हैं।

अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक शीर्ष संस्थान के रूप में, निपसिड ने डीपीओ, सीडीपीओ, पर्यवेक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और प्रशिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम आयोजित किए; प्रखंड स्तर पर पदाधिकारियों के लिए वर्टिकल प्रशिक्षण कार्यक्रम; और कई कार्यशालाएं/परामर्श बैठकें आयोजित कीं। अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए, संस्थान ने कई अनुशिक्षण कार्यक्रम, पुनश्चर्चा और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जैसा कि चित्र 5 में दर्शाया गया है।

चित्र 5: 2020-21 के दौरान आंगनवाड़ी सेवा योजना के तहत आयोजित कार्यक्रमों की संख्या



अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए अधिकतम कार्यक्रम बचपन की देखभाल एवं शिक्षा, एवं महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के विषयों पर आयोजित किए गए, जो आंगनवाड़ी सेवा योजना के तहत प्रदान की जाने वाली प्रमुख सेवाएं हैं। परियोजना प्रबंधन, निगरानी एवं पर्यवेक्षण, संघटन सामुदायिक मोबिलाइजेशन एवं संवाद परामर्श कौशल पर कुछ कार्यक्रम भी आयोजित किए गए ताकि सेवाओं के उचित वितरण के लिए पदाधिकारियों को जानकारी प्रदान की जा सके।

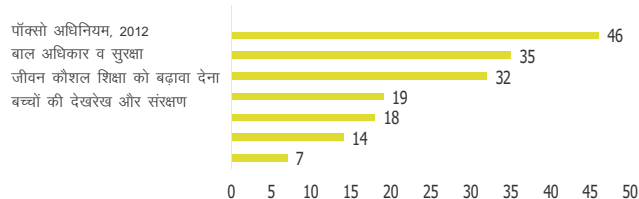
II. बाल संरक्षण

नोडल संसाधन अभिकरण के रूप में संस्थान को सभी

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में संकटग्रस्त बच्चों की सहायता के लिए समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) के तहत केंद्रीय रूप से प्रायोजित बाल संरक्षण सेवा (सीपीएस) योजना (पूर्व में समेकित बाल संरक्षण योजना) के तहत राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर पदाधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा, सरकार ने बच्चों से संबंधित विभिन्न चुनौतियों का कारगर ढंग से मुकाबला करने के लिए मिशन वात्सल्य भी शुरू किया है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, संस्थान और उसके क्षेत्रीय केंद्रों ने प्रमुखतः प्रतिभागियों को बच्चों के प्रति हुए यौन अपराधों के बारे में जागरूक करने के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 पर 46 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, उन्हें पॉक्सो अधिनियम, 2012 के बारे बताया और बच्चों के अधिकारों की रक्षा में उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से अवगत कराया, चित्र 6।

चित्र 6: 2020-21 के दौरान बाल संरक्षण के तहत आयोजित कार्यक्रमों की संख्या



इसी तरह, किशोर न्याय बोर्ड (जे जे बी) के सदस्यों और बाल संरक्षण योजना के अधिकारियों के लिए 35 अनुस्थापन प्रशिक्षण/कार्यशालाएं आयोजित की गईं ताकि प्रतिभागियों को अधिनियम और इसके नए संशोधनों के बारे में बताया जा सके और साथ ही कार्यान्वयन में विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर चर्चा की जा सके। प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने अधिनियम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए अच्छी पद्धतियों को साझा करने का अवसर भी प्रदान किया। जे जे अधिनियम पर कार्यक्रमों में देखभाल के न्यूनतम मानकों, व्यक्तिगत देखभाल योजना, गैर-संस्थागत वैकल्पिक देखभाल, अधिनियम के तहत मामले में हस्तक्षेप, देखरेख एवं सुरक्षा/विधि का उल्लंघन वाले बच्चों के पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया।

बॉक्स 1: बाल संरक्षण कार्यक्रमों के लिए हितधारकों की सूची

1. राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (एससीपीएस) के कार्यक्रम प्रबंधक और कार्यक्रम अधिकारी
2. राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (एसएआरए) और विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण (एसएए)
3. डीसीपीयू के पदाधिकारी (संरक्षण अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, परामर्शदाता, विधि-सह-परिवीक्षा अधिकारी, संपर्क कार्यकर्ता)
4. बाल कल्याण समितियों और किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी), एसएए के सदस्य
5. बाल कल्याण पुलिस अधिकारी
6. बाल देखभाल संस्थाओं और चाइल्डलाइन के पदाधिकारी
7. पुलिस कार्मिक मानव तस्करी रोधी एकक (एएचटीयू), रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी)
8. महिलाओं और बच्चों से संबंधित गैर-सरकारी संगठन
9. सामाजिक कार्य विभाग के शिक्षक एवं स्नातकोत्तर छात्र
10. अधीक्षक, कल्याण अधिकारी, परामर्शदाता एवं पुनर्वास सह नियोजन अधिकारी
11. बाल कल्याण समितियों के अध्यक्ष और सदस्य
12. सामाजिक कार्यकर्ता और किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के पदाधिकारी
13. पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि
14. मीडिया कर्मी
15. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के पैरा लीगल वालंटियर्स

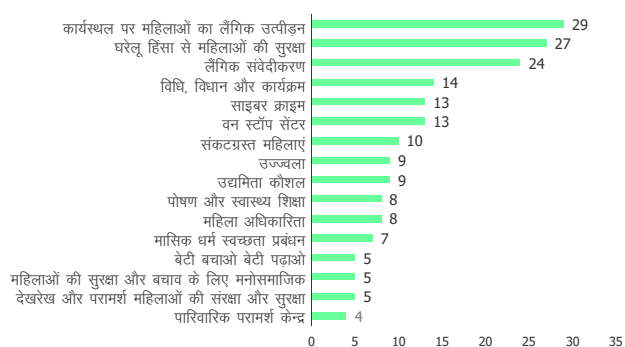
संस्थान ने बाल अधिकार और संरक्षण के मुद्दों पर विभिन्न अनुशिक्षण कार्यक्रम/जागरूकता कार्यक्रम/ कार्यशालाएं/ वेबिनार भी आयोजित किए। बाल संरक्षण सेवाओं के पदाधिकारियों के परामर्श कौशल को बढ़ाकर स्वास्थ्य और पोषण के मुद्दों, किशोर स्वास्थ्य, जीवन कौशल शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने पर बाल देखभाल संस्थाओं के प्रशिक्षण कर्मियों पर विशेष जोर दिया गया। स्वास्थ्य और पोषण संबंधी मुद्दों के समाधान पर विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियों के पदाधिकारियों के लिए कुल 14 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

III. महिला विकास और अधिकारिता

निपसिड महिलाओं के समग्र अस्तित्व, विकास, संरक्षण और भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए महिला विकास के समग्र क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्य अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रलेखन को बढ़ावा देने के लिए भी जिम्मेदार है। निपसिड ने महिलाओं की अगुवाई वाले सशक्तिकरण के आज के युग में जेंडर समानता की यात्रा को तेज करने और महिला या महिला अधिकारिता को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

संस्थान ने मुख्य रूप से महिला विकास और अधिकारिता पर 190 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए (चित्र 7)। सरकारी संगठनों और नागरिक संगठनों के अधिकारियों के लिए विशिष्ट मुद्दों जैसे कार्यस्थल पर महिलाओं का यौनिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 (29 कार्यक्रम) और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (27 कार्यक्रम) पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रमों में हाल के केस-लॉ और इन कानूनों के प्रावधानों की न्यायिक व्याख्याओं के अलावा कानूनों के कार्यान्वयन में क्षेत्र की समस्याओं के समाधान भी बताए गए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) बेंगलुरु के अनुरोध पर, निपसिड ने तीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें 232 इसरो अधिकारियों ने भाग लिया।

चित्र 7: 2020-21 में महिला अधिकारिता के तहत आयोजित कार्यक्रमों की संख्या



जेंडर आधारित हिंसा पुरुषों और महिलाओं के बीच असमान अधिकार संबंध के लिए जिम्मेदार है। संस्थान ने जेंडर आधारित हिंसा और महिलाओं की क्षमता निर्माण के लिए 24 जेंडर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। संस्थान ने साइबर अपराध से महिलाओं और बच्चों के संरक्षण पर विभिन्न ऑनलाइन कार्यक्रम, उद्यमिता कौशल के विकास पर कार्यशाला आदि का भी आयोजन किया। उज्ज्वला, स्वाधार और वन स्टॉप सेंटर योजना के पदाधिकारियों के लिए विभिन्न कार्यक्रम

आयोजित किए गए ताकि उन्हें स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता के साथ-साथ योजना के उचित कार्यान्वयन के दिशा-निर्देश साझा करने से जुड़े मुद्दों पर अभिमुख और सशक्त बनाया जा सके।

बॉक्स 2: महिला विकास कार्यक्रमों के लिए हितधारकों की सूची

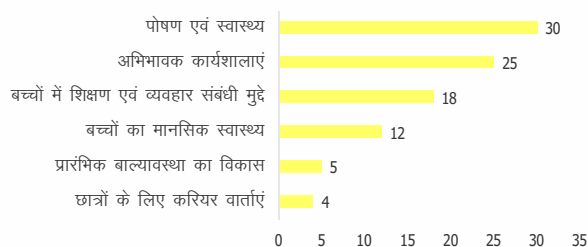
1. महिला अधिकारिता से संबंधित नागरिक समाजिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थाओं के प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी
2. राज्य सरकार के पदाधिकारी
3. महिला देखभाल संस्थाओं और महिला आश्रय गृहों के पदाधिकारी (अधीक्षक, परामर्शदाता)
4. स्वयं सहायता समूहों और महिला विकास सहयोग के प्रतिनिधि,
5. उज्ज्वला, स्वाधार गृह, और महिला शक्ति केंद्र (एमएसके), आदि जैसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओं / सहायक सेवाओं के पदाधिकारी।
6. वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) से जुड़े केंद्रीय प्रशासक, परामर्शदाता और अर्ध विधि अधिकारी, केस कार्यकर्ता
7. परिवार परामर्श केंद्रों, महिला हेल्पलाइन के पदाधिकारी,
8. स्कूल शिक्षक, प्राचार्य और परामर्शदाता
9. कानून प्रवर्तन एजेंसियां
10. बीबीबीपी के लिए जिला कार्य बल के सदस्य
11. राज्य समाज कल्याण बोर्ड के प्रतिनिधि
12. राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी), राज्य संसाधन केंद्र (एसआरसी), संकाय सदस्य
13. निर्वाचित महिला प्रतिनिधि (वार्ड सदस्य, सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य)
14. राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ), राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) के अधिकारी
15. आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारी—डीपीओ, सीडीपीओ

IV. बाल विकास

संस्थान के विजन को बाल विकास के क्षेत्र में एक वैश्विक प्रतिष्ठा प्राप्त संस्थान के रूप में देखा जाता है। वर्ष 2020-21

के दौरान, एडीएचडी, ऑटिज्म, सीखने की विशिष्ट अक्षमता आदि सहित बचपन के विकास, मानसिक स्वास्थ्य और बच्चों के कल्याण, बच्चों में लर्निंग एवं व्यवहार संबंधी मुद्दों से जुड़े विषयों पर 94 कार्यक्रम आयोजित किए गए (चित्र 8)।

चित्र 8: 2020-21 में बाल विकास के तहत आयोजित कार्यक्रमों की संख्या



विशेष शिक्षा, मनोवैज्ञानिक परामर्श और मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप, वाक् चिकित्सा, बच्चों के समग्र विकास के लिए शिक्षकों और माता-पिता के बीच साझेदारी के निर्माण जैसे विषयों पर कुल 25 ऑनलाइन अभिभावक कार्यशालाएं आयोजित की गईं। कार्यशालाओं में कोविड-19 के संदर्भ में बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षा के संबंध में माता-पिता के लिए वर्चुअल कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया। बच्चों के लिए कम से कम चार करियर वार्ताएं भी आयोजित की गईं।

बॉक्स 3: बाल विकास कार्यक्रमों में भाग लेने वाले हितधारकों की सूची

1. स्कूल शिक्षक, प्राचार्य, परामर्शदाता और पुनर्वास पेशेवर
2. मूल्यांकन और हस्तक्षेप केंद्रों के बचपन की अक्षमताओं, विकारों और निवारक मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र के चिकित्सक और पेशेवर
3. परामर्शदाताओं, केस कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं अधीक्षकों और ऑफ्टर केयर संस्थाओं सहित बाल देखरेख संस्थाओं के पदाधिकारी
4. बीबीबीपी के लिए जिला कार्य बल के सदस्य
5. सामाजिक कार्य विभाग, मानव विकास, मनोविज्ञान, महिला अध्ययन, पोषण, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं नर्सिंग विश्वविद्यालय / विभाग के संकाय सदस्य और विद्वान
6. अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारी – जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ), बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ), पर्यवेक्षक एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (एडब्ल्यूडब्ल्यू)

7. डॉक्टर, एएनएम, पैरामेडिकल स्टाफ, पब्लिक हेल्थ नर्स
8. प्रखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ)
9. निपसिड में अभिभावक की फील्ड प्रदर्शन सेवाओं तक पहुंच/उनमें भाग लेना

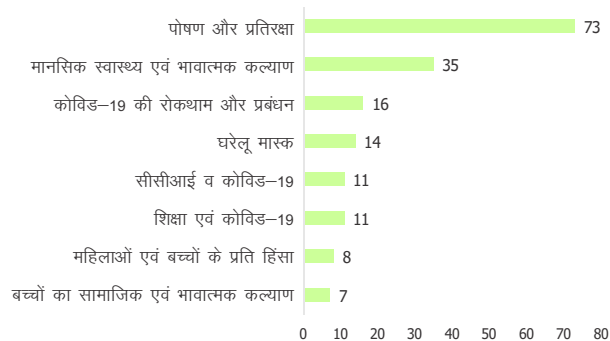
“पोषण एवं स्वास्थ्य” विषय पर विभिन्न हितधारकों के लिए कुल 30 ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें नवजात और छोटे बच्चे का आहार (आईवाईसीएफ), पौष्टिक और सुरक्षित खाद्य प्रबंधन, बड़े बच्चों और युवाओं में जीवन शैली से जुड़े रोग और उनकी रोकथाम एवं एनीमिया के कारण और परिणाम तथा बच्चों के विकास व शैक्षिक प्रदर्शन जैसे विषय शामिल किए गए थे।

V. कोविड जागरूकता कार्यक्रम

कोविड-19 महामारी के बीच, संस्थान ने लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया। इसमें 199 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम (चित्र 9) शामिल थे, जिसमें 32746 प्रतिभागियों को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ प्रशिक्षित किया गया:

- विशेष रूप से बचपन की देखभाल और शिक्षा पेशेवरों, अम्ब्रेला आईसीडीएस के पदाधिकारियों, स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों के लिए सीखने की निरंतरता को बनाए रखना; तथा लॉकडाउन के दौरान महिलाओं और बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण सुनिश्चित करना।

चित्र 9: 2020-21 में कोविड-19 के तहत आयोजित कार्यक्रमों की संख्या



ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने हितधारकों को उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक मंच प्रदान किया है, जिनका सामना वे फील्ड में काम करते हुए कर रहे थे। शिक्षा, बाल देखभाल संस्थाओं (सीसीआई), स्वैच्छिक संगठनों एवं सरकारी संगठनों में काम करने वाले हितधारकों को महामारी से

उत्पन्न विभिन्न प्रकार की समस्याओं जैसे विद्यालयों का अचानक बंद होना, लॉकडाउन के दौरान बच्चों को घर पर रखने के उपाय, मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान करना, घर की विजिट करते समय बरती जाने वाली सावधानियां, पूरक पोषण और टेक होम राशन के वितरण, सीसीआई में बच्चों की देखभाल, स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कोविड पॉजिटिव माताओं के लिए स्तनपान जारी रखने, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों की देखभाल, जेंडर चिंताओं, घरेलू हिंसा और अभूतपूर्व वैश्विक स्वास्थ्य संकट से उत्पन्न कई अन्य चुनौतियों के लिए देश-विशिष्ट प्रतिक्रियाओं से संबंधित पद्धतियों, विचारों को साझा करने में भी सक्षम बनाते हैं।

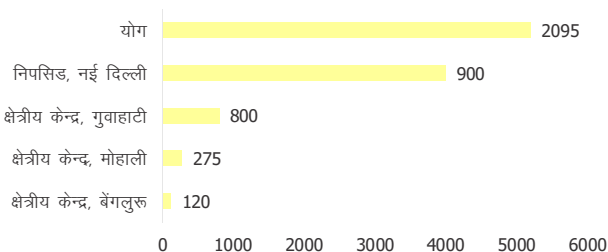
कोविड जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल विषयों और कार्यक्रमों में मुख्य रूप से पोषण और प्रतिरक्षा, सरकारी अधिकारियों, आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारियों, बाल संरक्षण योजना और नागरिक संगठनों सहित विभिन्न हितधारकों के लिए कोविड के दौरान मानसिक स्वास्थ्य के विषय शामिल किए गए थे। इस काल में देश में घरेलू हिंसा के मामलों के साथ-साथ साइबर अपराध में भी वृद्धि देखी गई। इन मुद्दों का समाधान करने के लिए, संस्थान ने वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न वेबिनार/कार्यशालाओं/कार्यक्रमों का आयोजन किया। हाथ धोने, सामाजिक दूरी जैसे पर्याप्त स्वच्छता उपायों की जानकारी के साथ-साथ कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के संबंध में सीसीआई के पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने का प्रयास किया गया।

निपसिड द्वारा आयोजित कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं: मास्क बनाने और हाथ धोने पर वेबिनार; मानसिक स्वास्थ्य और बच्चों के स्वास्थ्य पर स्क्रीन टाइम के प्रभाव पर वेबिनार; लॉकडाउन के दौरान बच्चों के भावनात्मक व्यवहार के प्रबंधन पर ऑनलाइन कार्यशाला; लॉकडाउन के दौरान बच्चों से संवाद करने और उन्हें जोड़ने पर ऑनलाइन प्रशिक्षण; बच्चों पर कोविड-19 के मनो-सामाजिक प्रभाव पर शिक्षकों और अभिभावकों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम; विभिन्न प्रमुख संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों, पाठकों और संकाय सदस्यों के लिए बच्चों की शिक्षा पर कोविड-19 के मनो-सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पर वेबिनार; माता-पिता के लिए जीवन कौशल और करियर योजना के महत्व पर ऑनलाइन सुग्राहिता कार्यक्रम; किशोरों के लिए विशेष करियर वार्ता; बाल विकास के लिए सही भाषण मॉडलिंग प्रदान करने में माता-पिता की भूमिका; और सीखने की विशिष्ट दिव्यांगता वाले बच्चों में लेखन कला को मजबूत करने के लिए अभिभावक कार्यशाला।

ख. फील्ड प्रदर्शन और परामर्श सेवाएं

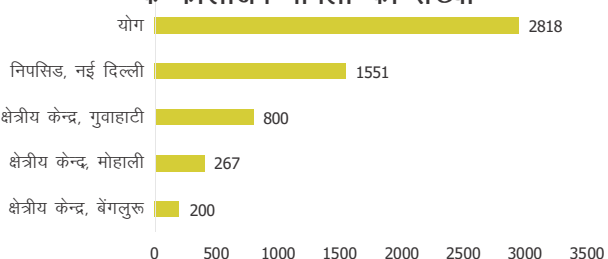
संस्थान अपने मुख्यालय और क्षेत्रीय केंद्रों में फील्ड प्रदर्शन सेवाएं संचालित करता है और अपनी रुचि के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकाशन भी निकालता है। निपसिड में बाल निर्देशन केंद्र ने बच्चों और परिवारों के भावनात्मक स्वास्थ्य को पुनर्स्थापित करने के मिशन के साथ गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना जारी रखा है। वर्ष के दौरान, केंद्र में 91 नए मामले दर्ज किए गए और इसके अतिरिक्त 267 बच्चों ने विभिन्न हस्तक्षेपों के लिए फॉलोअप हेतु संपर्क किया। वर्ष 2020-21 के दौरान, कोविड-19 महामारी के बीच, बच्चों और माता-पिता के लिए कुल 2095 ऑनलाइन परामर्श आयोजित किए गए (चित्र 10)।

चित्र 10 : 2020-21 में बाल निर्देशन केंद्र में आने वाले बच्चों को प्रदान किए गए परामर्शों की संख्या

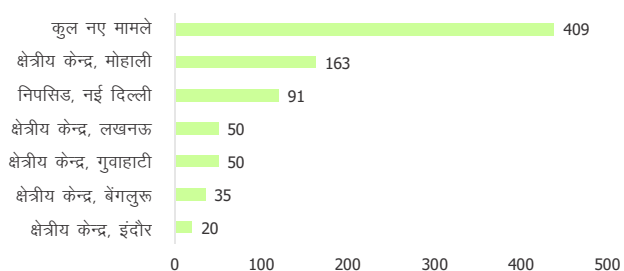


निपसिड मुख्यालय और इसके क्षेत्रीय केंद्रों में कुल 409 नए मामले दर्ज किए गए। 2818 मामलों के साथ फॉलोअप मामलों में परामर्श (चित्र 11 और 12) प्रदान किए गए।

चित्र 11: 2020-21 में सीजीसी में आने वाले बच्चों के फॉलोअप मामलों की संख्या



चित्र 12: 2020-21 में सीजीसी में आने वाले बच्चों के नए मामलों की संख्या



किशोर निर्देशन सेवा केंद्र (एजीएससी) किशोरों के सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। एक व्यापक किशोर निर्देशन कार्यक्रम, जिसमें परामर्श और सहायक हस्तक्षेप शामिल हैं, के माध्यम से केंद्र का उद्देश्य युवाओं में स्वस्थ मनो-सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। केंद्र द्वारा 12-19 वर्ष के युवाओं को सेवाएं प्रदान की जाती हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान एजीएससी में नामांकित किशोरों के 100 नए मामले सामने आए। वर्ष के दौरान लगभग 250 फॉलोअप मामलों में परामर्श सेवा दी गई और विभिन्न मूल्यांकन और उपचारों के लिए 900 से अधिक परामर्श प्रदान किए गए।

ग. अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययन

कोविड-19 महामारी के हमले ने निपसिड में चल रहे विभिन्न शोध अध्ययनों के डेटा संग्रह के काम को प्रभावित किया। वर्ष 2020-21 के दौरान संस्थान ने निम्नलिखित क्षेत्रों में **07 शोध अध्ययन/प्रलेखन पूरे किए:**

1. विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों (एसएए) के निदेशकों/प्रभारी के लिए प्रशिक्षण नियमावली
2. राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाई गई बाल संरक्षण सेवा योजना में अच्छी पद्धतियां – एक संकलन
3. विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरणों (एसएए) के सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण नियमावली
4. बाल अधिकार और बाल संरक्षण के बारे में गैर-सरकारी संगठनों के बीच जागरूकता के प्रसार का अध्ययन
5. बाल अधिकारों और संरक्षण में कर्नाटक के हितधारकों की सफलता की कहानियों का प्रलेखन
6. पश्चिम बंगाल के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों की स्थिति का विश्लेषण
7. दक्षिणी क्षेत्र में किशोर न्याय प्रणाली के तहत बाल कल्याण समितियों के कामकाज का अध्ययन

घ. विशेष कार्यक्रम

संस्थान ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के आदेश पर 21 जून, 2020 को संस्थान में छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया। सितंबर, 2020 में पोषण माह और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के दौरान संस्थान ने निपसिड मुख्यालय और इसके क्षेत्रीय केंद्रों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। पोषण माह के दौरान आयोजित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पोषण और स्वास्थ्य के घटकों और सत्रों को विधिवत रूप से शामिल किया गया।



वर्ष 2020-21 के दौरान निपसिड मुख्यालय और क्षेत्रीय केंद्रों के हिंदी अनुभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के तहत हिंदी की बैठकों और कार्यशालाओं का आयोजन कर, हिंदी को राजभाषा के रूप में लागू करने के लिए प्रयास किए गए।

1-14 सितंबर, 2020 तक 'हिंदी पखवाड़ा' का आयोजन किया गया। इस दौरान 'हिंदी लेखन' और 'हिंदी अनुवाद और ज्ञान' जैसी कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। वर्ष 2020-21 के दौरान, 17 मार्च, 2021 को क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु) में हिंदी भाषा के कार्यान्वयन में उल्लेखनीय योगदान के लिए क्षेत्रीय केंद्र, बेंगलुरु को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (02), बेंगलुरु द्वारा प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

निपसिड महिलाओं और बाल विकास से संबंधित कार्यक्रमों को बनाने और कार्यान्वयन में सरकार को तकनीकी सेवा सुविधाएं प्रदान करने में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। वर्ष 2020-21 के दौरान, निपसिड ने 'एक भारत और श्रेष्ठ भारत' (ईबीएसबी) को बढ़ावा देने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों और प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए देशी खिलौनों के निर्माण और उपयोग पर परियोजना में अहम भूमिका निभाई। मार्च-अप्रैल, 2021 के दौरान निपसिड ने महिलाओं और बच्चों के संरक्षण एवं कल्याण के विषयों पर मंत्रालय के वेबिनार के आयोजन में भी मदद की।

ड. वर्ष 2020-21 के दौरान अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों और अन्य निकायों के साथ संपर्क करना

निपसिड ने 2020-21 के दौरान विभिन्न परियोजनाओं पर विभिन्न संस्थानों के साथ सहयोग किया। राष्ट्रीय पोषण

संस्थान (एनआईएन), राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं स्नायु विज्ञान संस्थान (एनआईएमएचएनएस), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, (एनआईडीएन) आदि जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थानों ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए निपसिड से सहयोग किया।

महिला और बाल विकास के संबंध में विभिन्न विषयों में विशेषज्ञता रखने वाले संकाय सदस्यों को ऑनलाइन सत्र के लिए प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, विद्यालयों, निदेशालयों और राज्य विभागों और संस्थाओं द्वारा मुख्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय केंद्रों से संसाधन व्यक्तियों/विषय विशेषज्ञों और राज्य स्तर पर विभिन्न सलाहकार समिति की बैठकों में विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया गया था।

निपसिड के संकाय सदस्यों को कोविड-19 महामारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ऑनलाइन (वेब-आधारित) प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिला, जिससे कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन के क्षेत्र में नवीनतम विकास को जानने और सीखने के साथ महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार एवं इसे एकीकृत करने के लिए मार्ग भी प्रशस्त हुआ। वर्ष 2020-21 के दौरान निपसिड में संकाय सदस्यों और कर्मचारियों के क्षमता निर्माण के लिए, भारतीय संविधान के संवैधानिक मूल्यों और मौलिक सिद्धांतों और पॉक्सो अधिनियम एवं इसके कार्यान्वयन के मुद्दों पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया था।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अनुसंधान, फील्ड प्रदर्शन और परामर्श सेवाओं आदि से संबंधित विशिष्ट विवरण आगे पृष्ठों में दिए गए हैं।



प्रशिक्षण कार्यक्रम, परामर्श बैठकें एवं कार्यशालाएं

अम्ब्रेला आईसीडीएस
के तहत आंगनवाड़ी
सेवा योजना के
पदाधिकारियों के
लिए क्षमता निर्माण
कार्यक्रम





अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम

क्र.सं.	विषयकार्य	क्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
I.	बचपन की देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई)		
	- ग्रोथ एवं विकास - बचपन की देखभाल एवं शिक्षा - ईसीसीई नीति और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा - ईसीसीई के लिए अध्यापन-विद्या-अर्जन सामग्री - बचपन की घरेलू विकास गतिविधियां और ईसीसीई गतिविधियों को मजबूत करना - विशेष आवश्यकता / विलंबित विकास वाले बच्चों का जल्दी पता लगाना, रोकथाम एवं उपचार / दिव्यांग बच्चों का समावेशन	95	4977
II.	महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य और पोषण	89	4631
	- महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की रोकथाम और प्रबंधन - जीवन के पहले 1000 दिनों के दौरान पोषण अभियान और पोषक आहार की आवश्यकता - गंभीर रूप से कुपोषित (एसएएम) और मध्यम रूप से कुपोषित (एमएएम) बच्चों का उपचार - बचपन की बीमारियों की रोकथाम और उपचार - नवजात एवं बाल पोषण (आईवाईसीएन) - मातृ एवं शिशु संरक्षण कार्ड (एमसीपी कार्ड) - व्यक्तिगत आरोग्यता और स्वच्छता		
III.	सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार (एसबीसीसी), संवाद और परामर्श कौशल	6	283
IV.	आंगनवाड़ी सेवा योजना का कूटनीतिक परियोजना प्रबंधन, निगरानी और पर्यवेक्षण तथा आंगनवाड़ी सेवा योजना का बेहतर प्रबंधन	25	969
V.	सामुदायिक (संघटन) मोबिलाइजेशन योजनाएं और अभिसरण	11	609
VI.	निपसिड के ई-लर्निंग पाठ्यक्रम	38	1625
VII.	अन्य	5	257
	- अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत क्रेच सेवाएं - जापानी मस्तिष्क शोथ		
	योग	269	13351



1. बचपन की देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई)

• ग्रोथ एवं विकास

आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारियों के लिए क्षेत्रीय केंद्र, लखनऊ में छोटे बच्चों के ग्रोथ और विकास पर कुल 14 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: ग्रोथ और विकास निर्धारक कारकों पर प्रतिभागियों की जानकारी

को बढ़ाना; प्रतिभागियों को प्रारंभिक प्रोत्साहन के महत्व को समझने में सक्षम बनाना; और संज्ञानात्मक, भाषाई, सामाजिक और मनो-प्रेरक दक्षताओं के विकास के लिए 'महत्वपूर्ण अवधि' से प्रतिभागियों को परिचित कराना, जो जीवन में बाद की सफलता में योगदान करने के लिए जाने जाते हैं।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	13 – 14 अगस्त, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	102	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
2.	24 – 25 अगस्त, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	102	मुख्यालय
3.	14 – 15 सितंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	102	मुख्यालय
4.	28 – 29 सितंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	178	मुख्यालय
5.	14 – 15 अक्टूबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	102	मुख्यालय
6.	28 – 29 अक्टूबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	113	मुख्यालय
7.	08 दिसंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	35	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
8.	15 – 16 दिसंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	126	मुख्यालय
9.	17 दिसंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	35	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
10.	23 – 24 दिसंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	102	मुख्यालय
11.	29 दिसंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	35	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
12.	15 जनवरी, 2021	एडब्लूएस के पदाधिकारी	32	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
13.	28 जनवरी, 2021	एडब्लूएस के पदाधिकारी	33	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
14.	24 फरवरी, 2021 (वर्टिकल प्रशिक्षण)	एडब्लूएस के पदाधिकारी	35	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)

क्षेत्रीय केंद्र, इंदौर द्वारा 8-9 सितंबर, 2020 को बचपन प्रोत्साहन (ईसीएस) पर आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारियों के लिए एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे: सब-स्टेज 0-3 वर्ष पर विशेष फोकस के साथ आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारियों को राष्ट्रीय ईसीसीई नीति से परिचित कराना; एवं उन्हें बचपन प्रोत्साहन के महत्व और आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ-साथ घर पर इन गतिविधियों को संचालित करने की जानकारी देना। कार्यक्रम में आंगनवाड़ी सेवा योजना के कुल 45 पदाधिकारियों ने भाग लिया।

क्षेत्रीय केंद्र, इंदौर द्वारा 22 अक्टूबर, 2020 को नई शिक्षा नीति 2020 के तहत ईसीसीई घटक पर एक अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य उद्देश्य थे: प्री-स्कूल बच्चों के समग्र विकास की आवश्यकता और महत्व से प्रतिभागियों को

अवगत कराना; और प्रतिभागियों को घरेलू खेल सामग्री तैयार करने और उपयोग करने के कौशल से परिचित कराना। कार्यक्रम में कुल 80 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

आंगनवाड़ी सेवा योजना के मध्य स्तर और अग्रिम पंक्ति के पदाधिकारियों के लिए बचपन की देखभाल पर कुल 12 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनके उद्देश्य थे: बच्चे के जीवन में प्रारंभिक वर्षों के महत्व पर आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारियों की जानकारी और समझ को मजबूत करना; प्रतिभागियों को ग्रोथ एवं विकास के सिद्धांतों से परिचित कराना; और विकास व प्रारंभिक प्रोत्साहन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करना।

अम्बेला आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारियों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) पर कुल पांच ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम



आयोजित किए गए, जिनके मुख्य उद्देश्य थे: राष्ट्रीय ईसीसीई नीति के साथ आंगनवाड़ी सेवा योजना से पदाधिकारियों को परिचित करना; उन्हें ईसीसीई कार्यक्रम में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा और बच्चों के मूल्यांकन पर

अभिमुख करना; और प्रतिभागियों को ईसीसीई घटक को मजबूत करने के लिए आंगनवाड़ी सेवा योजना की मौजूदा व्यवस्था में सर्वोत्तम बाल देखभाल की पद्धतियों को शामिल करने में मदद करना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	28 मई, 2020	एडब्ल्यूएस के पदाधिकारी	35	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
2.	01 जून, 2020	एडब्ल्यूएस के पदाधिकारी	35	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
3.	09 जून, 2020	एडब्ल्यूएस के पदाधिकारी	35	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
4.	22 जून, 2020	एडब्ल्यूएस के पदाधिकारी	33	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
5.	14 – 15 जुलाई, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत पदाधिकारी	47	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
6.	28 – 29 जुलाई, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत पदाधिकारी	35	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
7.	13 अगस्त, 2020	एडब्ल्यूएस के पदाधिकारी	35	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
8.	31 अगस्त, 2020	एडब्ल्यूएस के पदाधिकारी	35	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
9.	16.17 सितंबर, 2020	एडब्ल्यूएस के पदाधिकारी	35	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
10.	18 सितंबर, 2020	एडब्ल्यूएस के पदाधिकारी	37	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
11.	30 सितंबर, 2020	एडब्ल्यूएस के पदाधिकारी	35	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
12.	08 – 09 अक्टूबर, 2020	एडब्ल्यूएस के पदाधिकारी	35	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
13.	12 – 13 अक्टूबर, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत पदाधिकारी	75	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
14.	17 – 18 अक्टूबर, 2020	एडब्ल्यूएस के पदाधिकारी	32	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
15.	28 – 29 अक्टूबर, 2020	एडब्ल्यूएस के पदाधिकारी	32	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
16.	9 – 10 नवंबर, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत पदाधिकारी	65	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
17.	21 – 22 जनवरी, 2021	अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत पदाधिकारी	21	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)

- ईसीसीई नीति और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारियों के लिए **बचपन के वर्षों के नुकसान को रोकने पर कुल दो अनुस्थापन कार्यक्रम** इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: राष्ट्रीय ईसीसीई नीति के साथ आंगनवाड़ी सेवा योजना से पदाधिकारियों को परिचित करना; ईसीसीई कार्यक्रम के तहत

प्रतिभागियों को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा व बच्चों के मूल्यांकन पर अभिमुख करना; व प्रतिभागियों को ईसीसीई घटक को मजबूत करने के लिए आंगनवाड़ी सेवा योजना की मौजूदा व्यवस्था में सर्वोत्तम बाल देखभाल पद्धतियों को शामिल करने में मदद करना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	27 नवंबर, 2020	एडब्ल्यूएस के पदाधिकारी	100	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
2.	07 दिसंबर, 2020	एडब्ल्यूएस के पदाधिकारी	54	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)



अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी सेवा पदाधिकारियों के लिए **वार्षिक बचपन की देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन पर कुल तीन ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम** इन उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: ईसीसीई पर प्रतिभागियों की जानकारी, समझ और कौशल को मजबूत करना; राष्ट्रीय ईसीसीई नीति, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा और गुणवत्ता मानकों के दर्शन, सिद्धांतों और घटकों पर प्रतिभागियों की समझ बढ़ाना; राज्य-विशिष्ट वार्षिक ईसीसीई पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन पर प्रतिभागियों

के ज्ञान, समझ व कौशल को मजबूत करना; कक्षा में विविधता के लिए प्रतिभागियों को विविधता के मुद्दों और कार्यनीतियों पर उन्मुख करना; मौजूदा सेवाओं के साथ लिंग-विकसित करने में समुदाय और माता-पिता की भागीदारी को बढ़ाने में प्रतिभागियों के ज्ञान, समझ और कौशल को बढ़ाना; व वार्षिक पाठ्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए परामर्श व निगरानी कौशल के साथ प्रतिभागियों के ज्ञान, समझ तथा कौशल को मजबूत करना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	27 – 30 जून, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	51	मुख्यालय
2.	19 – 21 अगस्त, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	30	मुख्यालय
3.	24 – 26 नवंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	39	मुख्यालय

अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारियों के लिए **आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रारंभिक शिक्षा परिवेश के विकास और प्रबंधन पर कुल दो ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम** इन उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: बचपन की देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) पर प्रतिभागियों के कौशल, जानकारी एवं समझ को मजबूत करना; प्रारंभिक

शिक्षा परिवेश के विशिष्ट संदर्भ के साथ वार्षिक ईसीसीई पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन पर सिद्धांतों और घटकों पर प्रतिभागियों की समझ में वृद्धि करना; अध्यापन-अधिगम सामग्री व ईसीसीई किट को बनाने और उपयोग पर उन्मुख करना; बच्चों के लिए सीखने के माहौल, खेल के महत्व, स्पेस और बहु-आयु समूह प्रबंधन को मजबूत करना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	7 – 8 सितंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	47	मुख्यालय
2.	21 – 22 सितंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	41	मुख्यालय

• **ईसीसीई के लिए अध्यापन-अधिगम सामग्री**
आंगनवाड़ी सेवाओं के प्रशिक्षकों के लिए सस्ती अध्यापन-अधिगम सामग्री बनाने और उपयोग तथा ईसीसीई गतिविधियों के आयोजन पर कुल 19 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिनके उद्देश्य थे: आंगनवाड़ी सेवा योजना के ईसीसीई घटक पर प्रतिभागियों के ज्ञान और समझ को मजबूत करना;

वार्षिक ईसीसीई पाठ्यक्रम के सुचारु संचालन के लिए अध्यापन-अधिगम सामग्री (टीएलएम) के विकास की आवश्यकता व कार्य नीतिका समावेशन; और वार्षिक ईसीसीई पाठ्यक्रम के अनुसार विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के लिए सस्ती अध्यापन-अधिगम सामग्री की योजना बनाने, तैयार करने और उपयोग करने के लिए प्रशिक्षकों और पदाधिकारियों के कौशल को बढ़ाना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	19 जून, 2020	आंगनवाड़ी सेवाओं के प्रशिक्षक	38	मुख्यालय
2.	6 – 8 जुलाई, 2020	आंगनवाड़ी सेवाओं के प्रशिक्षक	50	मुख्यालय
3.	08 जुलाई, 2020	पर्यवेक्षक	33	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
4.	3 – 4 अगस्त, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	94	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
5.	26 – 28 अगस्त, 2020	आंगनवाड़ी सेवाओं के प्रशिक्षक	24	मुख्यालय



क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
6.	27 – 28 अगस्त, 2020	पर्यवेक्षक	45	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
7.	28 – 29 अक्टूबर, 2020	पर्यवेक्षक	35	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
8.	2 – 3 नवंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	46	मुख्यालय
9.	5 – 6 नवंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	33	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
10.	26 नवंबर, 2020	पर्यवेक्षक	32	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
11.	02 – 03 दिसंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	40	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
12.	10 – 11 दिसंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	24	मुख्यालय
13.	10 – 11 दिसंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	67	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
14.	14 – 15 दिसंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	10	मुख्यालय
15.	16 – 17 दिसंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	99	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
16.	21 – 22 दिसंबर, 2020	आंगनवाड़ी सेवाओं के प्रशिक्षक	44	मुख्यालय
17.	8 – 9 फरवरी, 2021	एडब्लूएस के पदाधिकारी	30	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
18.	18 – 19 फरवरी, 2021	आंगनवाड़ी सेवाओं के प्रशिक्षक	31	मुख्यालय
19.	15 – 16 मार्च, 2021	एडब्लूएस के पदाधिकारी	27	मुख्यालय

• **बचपन की गृह प्रोत्साहन गतिविधियां और ईसीसीई गतिविधियों को मजबूत करना**

आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारियों के लिए **बचपन गृह प्रोत्साहन गतिविधियों पर कुल 10 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम** आयोजित किए गए जिनके उद्देश्य थे: बचपन प्रोत्साहन के क्षेत्र में ज्ञान और समझ को मजबूत करना; आंगनवाड़ी सेवा योजना के तहत बच्चों के समग्र विकास के

लिए बचपन प्रोत्साहन गतिविधियों के महत्व के बारे में उन्हें बताना; विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केन्द्रों पर संचालित विभिन्न ईसीएस गतिविधियों की पहचान करना; व आंगनवाड़ी केंद्रों में उम्र-विशिष्ट और विकास-उन्मुख बचपन प्रोत्साहन गतिविधियों के आयोजन के लिए प्रतिभागियों के कौशल को बढ़ाना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	1 – 3 जुलाई, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	50	मुख्यालय
2.	8 – 10 जुलाई, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	100	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
3.	9 जुलाई, 2020	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता / माता-पिता / देखभालकर्ता	40	कहानी सुनाने के संदर्भ में मुख्यालय
4.	14 जुलाई, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	100	कहानी सुनाने के संदर्भ में क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
5.	22 – 24 जुलाई, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	41	मुख्यालय



क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
6.	06 अगस्त, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	140	कहानी सुनाने के संदर्भ में क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
7.	14 अगस्त, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	100	कहानी सुनाने के संदर्भ में क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
8.	9 – 10 नवंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	49	मुख्यालय
9.	28 – 29 दिसंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	24	मुख्यालय
10.	22 – 23 फरवरी 2021	एडब्लूएस के पदाधिकारी	30	मुख्यालय

आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारियों के लिए **आंगनवाड़ी केंद्रों में ईसीसीई को मजबूत करने के लिए बाल मूल्यांकन कार्ड और सहायक पर्यवेक्षण पर कुल दो ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम** इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: प्रतिभागियों को बाल मूल्यांकन कार्ड

की आवश्यकता, महत्व और मुख्य विशेषताओं को समझने के लिए उन्मुख करना; और उन्हें ईसीसीई को मजबूत करने के एक साधन के रूप में बाल मूल्यांकन कार्ड के आकलन और उपयोग की प्रक्रिया को समझने और समावेशन से अवगत कराना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	12 जनवरी, 2021	एडब्लूएस के पदाधिकारी	35	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
2.	19 फरवरी, 2021	एडब्लूएस के पदाधिकारी	36	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)

निपसिड मुख्यालय द्वारा 8–9 फरवरी, 2021 को **आंगनवाड़ी सेवा योजना के प्रशिक्षकों और कार्यकर्ताओं के लिए बच्चों के बीच सामाजिक-भावनात्मक और रचनात्मकता व सौंदर्य प्रशंसा पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम** इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किया गया: प्रारंभिक वर्षों के महत्व व बच्चे कैसे सीखते हैं और विकसित होते हैं, के बारे में जानना; व्यक्तिगत, सामाजिक और भावनात्मक विकास के साथ-साथ छोटे बच्चों के बीच रचनात्मकता और सौंदर्य प्रशंसा जैसे विषय पर प्रतिभागियों की समझ को बढ़ाना; व्यक्तिगत, सामाजिक, भावात्मक विकास के साथ-साथ रचनात्मकता और सौंदर्य प्रशंसा से संबंधित गतिविधियों के लिए अध्यापन-अधिगम सामग्री तैयार करना और उपयोग करना; व ईसीसीई शिक्षकों, देखभाल कर्ताओं व माता-पिता की भूमिका पर चर्चा करना। प्रशिक्षण में आंगनवाड़ी सेवा योजना के कुल 56 पदाधिकारियों ने भाग लिया।

निपसिड मुख्यालय द्वारा 4–5 मार्च, 2021 को **बचपन की देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) से संबंधित गतिविधियों के आयोजन में माता-पिता और समुदाय की भागीदारी**

पर एक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके उद्देश्य थे: समुदाय में प्रतिभागियों को ईसीसीई की अवधारणा व महत्व के लिए उन्मुख करना; ईसीसीई के संदर्भ में सामुदायिक मोबिलिजेशन की तकनीकों एवं विधियों पर कौशल विकसित करना; समुदाय और माता-पिता की भागीदारी की भूमिका की व्याख्या करना और आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ संबंध विकसित करना; ईसीसीई पर जागरूकता पैदा करने के लिए ईसीसीई दिवस और अन्य सामुदायिक (संघटन) कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए कौशल विकसित करना। प्रशिक्षण में कुल 31 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

निपसिड मुख्यालय द्वारा 12–13 अक्टूबर, 2020 को **आंगनवाड़ी सेवा योजना के प्रशिक्षकों और कार्यकर्ताओं के लिए बच्चों के बीच सामाजिक-भावात्मक और रचनात्मकता और सौंदर्य प्रशंसा पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम** इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: प्रारंभिक वर्षों के महत्व व बच्चे कैसे सीखते हैं और विकसित होते हैं, के बारे में जानना; व्यक्तिगत, सामाजिक और भावनात्मक विकास के साथ-साथ

छोटे बच्चों के बीच रचनात्मकता और सौंदर्य प्रशंसा जैसे विषय पर प्रतिभागियों की समझ को बढ़ाना; व्यक्तिगत, सामाजिक, भावनात्मक विकास के साथ-साथ रचनात्मकता और सौंदर्य प्रशंसा से संबंधित गतिविधियों के लिए अध्यापन-अधिगम सामग्री तैयार करना और उपयोग करना; व ईसीसीई शिक्षकों, देखभाल और माता-पिता की भूमिका पर चर्चा करना। इस कार्यक्रम में आंगनवाड़ी सेवा योजना के कुल 42 पदाधिकारियों ने भाग लिया।

आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारियों के लिए **विशेष आवश्यकता/विलंबित विकास/वाले बच्चों की जल्दी पहचान करना, रोकथाम एवं प्रबंधन**

करना/दिव्यांग बच्चों का समावेशन करने पर कुल 20 ऑनलाइन कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: "विकलांगजन अधिकार अधिनियम 2016" की मुख्य विशेषताओं पर प्रतिभागियों को उन्मुख करना; विलंबित विकास वाले बच्चों की जांच और पहचान के लिए आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारियों को उन्मुख करना; प्रतिभागियों को उनके संबंधित क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न रेफरल विकल्पों से परिचित कराना; और मनो-सामाजिक प्रोत्साहन सहित दिव्यांग बच्चों के समावेशन के लिए आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारियों के कौशल का विकास करना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	25 – 26 जून, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	104	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
2.	13 – 14 जुलाई, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	68	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
3.	12 – 14 अगस्त, 2020	एडब्लूएस के पर्यवेक्षक	64	जोखिम वाले बच्चों की पहचान के संदर्भ में क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
4.	14 – 16 सितंबर, 2020	एडब्लूएस के पर्यवेक्षक	43	जोखिम वाले बच्चों की पहचान के संदर्भ में क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
5.	3 – 5 नवंबर, 2020	एडब्लूएस के पर्यवेक्षक	39	जोखिम वाले बच्चों की पहचान के संदर्भ में क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
6.	11 – 13 नवंबर, 2020	एडब्लूएस के पर्यवेक्षक	56	जोखिम वाले बच्चों की पहचान के संदर्भ में क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
7.	18 – 20 नवंबर, 2020	एडब्लूएस के पर्यवेक्षक	45	जोखिम वाले बच्चों की पहचान के संदर्भ में क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
8.	19 नवंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	55	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
9.	26 नवंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	21	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
10.	01 – 02 दिसंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	55	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
11.	9 – 10 दिसंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	61	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
12.	16 दिसंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	51	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
13.	23 – 24 दिसंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	49	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
14.	18 जनवरी, 2021	एडब्लूएस के पदाधिकारी	37	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)



क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
15.	28 जनवरी, 2021	एडब्लूएस के पदाधिकारी	29	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
16.	10 फरवरी, 2021	एडब्लूएस के पदाधिकारी	29	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
17.	15 – 16 फरवरी, 2021	एडब्लूएस के पदाधिकारी	45	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
18.	24 फरवरी, 2021	एडब्लूएस के पदाधिकारी	19	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
19.	09 मार्च, 2021	एडब्लूएस के पदाधिकारी	81	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
20.	16 मार्च, 2021	एडब्लूएस के पदाधिकारी	25	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)

बच्चों के मनो-सामाजिक स्वास्थ्य की रक्षा करने एवं बढ़ावा देने के लिए संवाद कौशल पर एक ऑनलाइन कार्यक्रम 15-16 जुलाई, 2020 को आयोजित किया गया, जिसमें आंगनवाड़ी सेवा योजना के 49 पदाधिकारियों ने भाग लिया।

II. महिलाओं व बच्चों का स्वास्थ्य व पोषण महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण पर आंगनवाड़ी

सेवा योजना के पदाधिकारियों के लिए कुल दो ऑनलाइन कार्यशालाएँ इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित की गईं: अच्छे पोषण व स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना; उन्हें पोषण संबंधी कमियों और उनके परिणामों से अवगत कराना; और उन्हें उन खाद्य पदार्थों के बारे में शिक्षित करना जो कोविड-19 के दौरान प्रतिरक्षा को बढ़ाते हैं।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	9 सितंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	80	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
2.	22 सितंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	85	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)

• **महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की रोकथाम एवं प्रबंधन**
अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारियों के लिए महिलाओं व बच्चों में कुपोषण की रोकथाम व प्रबंधन पर कुल 11 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनके उद्देश्य थे: कुपोषण एवं एनीमिया के कारणों एवं परिणामों के बारे में चर्चा करना; नए कार्यक्रमों, पहल और दिशानिर्देशों का हवाला देकर कुपोषण

व एनीमिया की रोकथाम व उपचार के मुद्दों और चुनौतियों से प्रतिभागियों को अवगत कराना; प्रभावी संवाद और परामर्श कौशल के लिए पदाधिकारियों की क्षमता विकसित करना व एमसीपी कार्ड का उपयोग विकास निगरानी और प्रोत्साहन पर प्रतिभागियों के कौशल को मजबूत करना; व बेहतर सेवा वितरण परिणाम के लिए कार्यक्रम संबंधी चुनौतियों और पदाधिकारियों के साथ संभावित अभिसरण योजना पर चर्चा करना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	24 – 26 जून, 2020	एडब्लूएस के प्रशिक्षक और पदाधिकारी	37	एनीमिया की रोकथाम एवं उपचार के संदर्भ में मुख्यालय
2.	03 सितंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	37	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
3.	28 – 29 सितंबर, 2020	एडब्लूएस के प्रशिक्षक और पदाधिकारी	49	एनीमिया की रोकथाम एवं उपचार के संदर्भ में मुख्यालय
4.	10 नवंबर, 2020	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारी	53	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
5.	14 – 15 दिसंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	75	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)



क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
6.	29 – 30 दिसंबर, 2020	एडब्लूएस के प्रशिक्षक और पदाधिकारी	31	एनीमिया की रोकथाम एवं उपचार के संदर्भ में मुख्यालय
7.	4 – 6 जनवरी, 2021	एडब्लूएस के पदाधिकारी	40	मुख्यालय
8.	18 – 20 जनवरी, 2021	एडब्लूएस के पदाधिकारी	38	मुख्यालय
9.	21 – 23 जनवरी, 2021	एडब्लूएस के पदाधिकारी	47	मुख्यालय
10.	2 मार्च, 2021	एडब्लूएस के पदाधिकारी	21	मुख्यालय
11.	16 – 17 मार्च, 2021	एडब्लूएस के पदाधिकारी	31	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)

निपसिड मुख्यालय में आंगनवाड़ी सेवा योजना में प्रमुख आहार सुदृढीकरण के कार्यान्वयन पर कुल पांच ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनके मुख्य उद्देश्य थे: प्रतिभागियों को खाद्य सुरक्षा और मानक (दृढीकृत खाद्य) विनियम 2018 की नवीनतम राजपत्र अधिसूचना से युक्त करना; दृढीकरण (फोर्टिफाइड) की

स्थिति की पहचान करना और मुख्य खाद्य पदार्थों के दृढीकरण (फोर्टिफाइड) से संबंधित तकनीकी समस्याओं का समाधान करना, उन्हें अपने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में दृढीकृत खाद्य पदार्थों के उपयोग को बढ़ावा देने की कार्यनीतियों से युक्त करना; और दृढीकृत खाद्य पदार्थों की खुले बाजार में उपलब्धता के बारे में जानकारी प्रदान करना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	04 सितंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	35	मुख्यालय
2.	21 सितंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	25	मुख्यालय
3.	25 सितंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	14	मुख्यालय
4.	29 सितंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	21	मुख्यालय
5.	12 – 13 नवंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	75	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)

• **जीवन के पहले 1000 दिनों के दौरान पोषक तत्वों की आवश्यकता**

निपसिड मुख्यालय द्वारा जीवन के पहले 1000 दिनों के दौरान पोषक तत्वों की आवश्यकता पर कुल दो ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: प्रतिभागियों को गर्भावस्था और स्तनपान के

दौरान मातृ पोषण और स्वास्थ्य देखभाल की जानकारी देना; बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए नवजात और छोटे बच्चे के आहार (आईवाईसीएफ) के महत्व पर अभिमुख करना; व प्रतिभागियों को मां एवं बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति पर पहले 1000 दिनों के दौरान कम पोषण के कारणों और परिणामों से अवगत कराना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	03 – 04 दिसंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	59	मुख्यालय
2.	08 – 09 फरवरी, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	155	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)

निपसिड मुख्यालय में अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत दिल्ली आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारियों के लिए पोषण के विभिन्न पहलुओं को रेखांकित करते हुए पोषण पाठशाला पर कुल पांच ऑनलाइन कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: मातृ एवं बाल पोषण और स्वास्थ्य मुद्दों पर

पदाधिकारियों के ज्ञान को बढ़ाना; पहले 1000 दिनों के लिए स्वास्थ्य और पोषण देखभाल की निरंतरता पर तकनीकी ज्ञान में वृद्धि करना; नवजात एवं छोटे बच्चे के पोषण पर माताओं को परामर्श देने के कौशल को अद्यतन करना और नवजात की घर पर देखभाल के लिए कौशल प्रदान करना।



क्र. सं.	दिनांक	विषय	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	01 मार्च, 2021	गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान पोषण और स्वास्थ्य देखभाल	21	मुख्यालय
2.	01 मार्च, 2021	नवजात की घर पर देखभाल	21	मुख्यालय
3.	02 मार्च, 2021	नवजात और बाल पोषण (आईवाईसीएन)	21	मुख्यालय
4.	03 मार्च, 2021	सूक्ष्म पोषक तत्व कुपोषण का समाधान करना	21	मुख्यालय
5.	03 मार्च, 2021	बचपन की सामान्य बीमारियों की रोकथाम और उपचार	21	मुख्यालय

"राष्ट्रीय पोषण माह" के दौरान आंगनवाड़ी सेवा योजना के अग्रिम पंक्ति के पदाधिकारियों के लिए **पोषण और संतुलित आहार की अवधारणा पर वेबिनार** की एक सीरीज आयोजित की गई, जिनके मुख्य उद्देश्य थे: पोषण और स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं

पर प्रतिभागियों की जानकारी एवं ज्ञान आधार पर चर्चा करना व मजबूत करना; पारंपरिक एवं स्थानीय भोजन के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करना; बच्चों में कुपोषण को कम करने के लिए सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में न्यूट्री गार्डन बनाना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	15 सितंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	100	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
2.	18 सितंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	100	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
3.	21 सितंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	100	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
4.	25 सितंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	91	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
5.	25 सितंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	198	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
6.	29 सितंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	65	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)

न्यूट्री-गार्डन को बढ़ावा देना

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	16 अक्टूबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	95	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
2.	7-8 दिसंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	78	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
3.	11 फरवरी, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	100	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
4.	22-23 फरवरी, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	28	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
5.	2-3 मार्च, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	29	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
6.	9-10 मार्च, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	35	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)



पोषण अभियान के क्रमागत अभिमुख मॉड्यूल 8, 13, 14 और 16 पर मास्टर प्रशिक्षकों के लिए कुल दो प्रशिक्षण कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: प्रतिभागियों को क्रमागत मॉड्यूल 8, 13, 14

और 16 पर उन्मुख करना; बच्चों में ग्रोथ के आकलन में प्रतिभागियों के ज्ञान और कौशल का निर्माण; व बच्चों में गंभीर कुपोषण की पहचान करने व उसे रोकने में प्रतिभागियों के ज्ञान और कौशल का निर्माण करना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	8 – 9 फरवरी, 2021	एडब्लूएस के पदाधिकारी	18	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
2.	22 – 23 फरवरी, 2021	एडब्लूएस के पदाधिकारी	13	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)

गंभीर रूप से कुपोषित (एसएएम) और मध्यम कुपोषण (एमएएम) के शिकार बच्चों के प्रबंधन पर कुल पांच ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम इन उद्देश्यों से आयोजित किए गए थे: बच्चों में एसएएम और एमएएम की अवधारणाओं और संबंधित मुद्दों के बारे में

प्रतिभागियों के बीच बेहतर समझ विकसित करना, कुपोषण के लिए, बच्चों की पोषण स्थिति के सटीक मूल्यांकन के लिए ज्ञान का विकास करना और उन्हें एसएएम और एमएएम बच्चों के प्रबंधन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने में सक्षम बनाना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	6 – 7 अक्टूबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	87	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
2.	8 – 9 दिसंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	98	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
3.	23 दिसंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	54	मुख्यालय
4.	15 फरवरी, 2021	एडब्लूएस के पदाधिकारी	56	मुख्यालय
5.	4 – 5 मार्च, 2021	एडब्लूएस के पदाधिकारी	83	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)

अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी सेवा योजना के प्रशिक्षकों और पदाधिकारियों के लिए पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा संगठन (एनएचईडी) पर कुल तीन ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम इन उद्देश्यों से आयोजित किए गए: भारत में महिला और बच्चों की स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति और एनएचईडी के महत्व के बारे में प्रतिभागियों की समझ और जानकारी विकसित करना; प्रतिभागियों को एनएचईडी के घटकों से अवगत कराना और उन्हें केंद्र और राज्यों द्वारा मुहैया कराई जा रही मौजूदा स्वास्थ्य, पोषण

और कल्याण सेवाओं/सुविधाओं के बारे में जानकारी देना; एनएचईडी को बढ़ावा देने के लिए पोषण पर आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियों पर चर्चा करना; प्रतिभागियों को पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा और डिजाइन क्षेत्र-विशिष्ट पोषण और स्वास्थ्य हस्तक्षेप कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त और पर्याप्त संवाद और परामर्श कौशल से युक्त करना; व आंगनवाड़ी सेवा योजना के तहत शुरू की गई सर्वोत्तम पद्धतियों, नए उपायों/योजनाओं की पहचान करना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	8 – 10 जून, 2020	एडब्लूएस के प्रशिक्षक और पदाधिकारी	25	मुख्यालय
2.	14 – 15 सितंबर, 2020	एडब्लूएस के प्रशिक्षक और पदाधिकारी	40	मुख्यालय
3.	18 – 19 मार्च, 2021	एडब्लूएस के प्रशिक्षक और पदाधिकारी	33	मुख्यालय

बचपन की बीमारियों की रोकथाम और उपचार

क्षेत्रीय केंद्र, गुवाहाटी द्वारा 4-5 मार्च, 2021 को आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारियों के लिए **बीमार नवजात की देखभाल पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम** और पोषण अभियान इन उद्देश्यों के साथ आयोजित किया गया: कंगारू मदर केयर के साथ कमजोर नवजात की देखभाल करने में प्रतिभागियों के कौशल और ज्ञान का निर्माण करना; व बीमार नवजात की पहचान व रेफरल में प्रतिभागियों के ज्ञान और कौशल का निर्माण करना। कार्यक्रम में कुल 26 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारियों के लिए **बचपन की बीमारियों की रोकथाम और उपचार पर कुल दो ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम** इन उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: बीमार बच्चों के केस मैनेजमेंट के बारे में ज्ञान, कौशल और समझ विकसित करना; बचपन की सामान्य बीमारियों के कारणों को समझना; गंभीर जीवाणु संक्रमण और सामान्य खतरे के संकेतों की पहचान करना; व मां, नवजात और बाल स्वास्थ्य की देखभाल की निरंतरता की प्रक्रिया को जानना।

क्र. सं. दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1. 14 – 15 दिसंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	40	मुख्यालय
2. 8 – 9 मार्च, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	23	मुख्यालय

क्षेत्रीय केंद्र, लखनऊ द्वारा 11-12 नवंबर, 2020 को बाल देखभाल संस्थाओं और आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारियों के लिए **बच्चों के बीच उभरते स्थानिक रोगों पर एक ऑनलाइन कार्यक्रम** का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य उद्देश्य थे: प्रतिभागियों को बच्चों में उभरती विभिन्न प्रकार की स्थानिक बीमारियों से परिचित कराना; व रोगों की रोकथाम और उपचार में प्रतिभागियों के बीच कौशल विकसित करना। कार्यक्रम में बाल देखभाल संस्थाओं और आंगनवाड़ी सेवा योजना के कुल 40 पदाधिकारियों ने भाग लिया।

निपसिड मुख्यालय में अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ियों के पदाधिकारियों के लिए **दो साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल पर कुल तीन ऑनलाइन अनुस्थापन कार्यक्रम** इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: दो साल से कम उम्र के बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल और पोषण सहित बचपन की देखभाल पर अधिकारियों के ज्ञान को अद्यतन करना, और पदाधिकारियों के लिए संवाद, पर्यवेक्षी, निगरानी और प्रशिक्षण कौशल विकसित करना।

क्र. सं. दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1. 28 – 29 जनवरी, 2021	एडब्लूएस के पदाधिकारी	102	मुख्यालय
2. 18 – 19 फरवरी, 2021	एडब्लूएस के पदाधिकारी	145	मुख्यालय
3. 18 – 19 मार्च, 2021	एडब्लूएस के पदाधिकारी	72	मुख्यालय

28-29 जनवरी, 2021 को क्षेत्रीय केंद्र, इंदौर द्वारा आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारियों के लिए **बच्चों और किशोरों की पोषण देखभाल पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम** का आयोजन इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ किया गया: सही ग्रोथ एवं विकास के लिए आयु अनुरूप पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर प्रतिभागियों को जागरूक बनाना; प्रतिभागियों को खाद्य स्वच्छता के बारे में जागरूक करना; और प्रतिभागियों को जंक फूड के दुष्परिणामों और क्रोनिक अपकर्षक बीमारियों पर उन्मुख करना। कार्यक्रम में आंगनवाड़ी सेवा योजना के कुल 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

आंगनवाड़ी सेवा योजना के अग्रिम पंक्ति के पदाधिकारियों के लिए **आंगनवाड़ी केंद्रों में खाद्य सुरक्षा और आरोग्यता सुनिश्चित करने पर कुल दो ऑनलाइन कार्यक्रम** इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: प्रतिभागियों को खाद्य सुरक्षा उपायों के लिए उन्मुख करना; प्रतिभागियों को बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतों के बारे में बताना; व सुरक्षित खाद्य प्रबंधन पद्धतियों और स्वास्थ्य एवं पोषण कल्याण में इसके महत्व को समझना।

क्र. सं. दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1. 28 – 29 अगस्त, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	26	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
2. 4 मार्च, 2021	एडब्लूएस के पदाधिकारी	21	मुख्यालय



• नवजात और बाल पोषण (आईवाईसीएन)

अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारियों के लिए नवजात और बाल पोषण (आईवाईसीएन) पर कुल आठ ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम इन उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: नवजात और

बाल पोषण पर तकनीकी ज्ञान को बढ़ाना; स्तनपान और पूरक आहार पर परामर्श कौशल का निर्माण; ग्रोथ की निगरानी और मूल्यांकन करना सीखना; व वर्कशीट द्वारा स्तनपान कराने के सही तरीके एवं पूरक आहार पर जोर देने के साथ आईवाईसीएफ परामर्श का अभ्यास करना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	01 जुलाई, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	22	परामर्श कौशल के संदर्भ में क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
2.	15 – 17 जुलाई, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	37	मुख्यालय
3.	17 – 19 अगस्त, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	42	मुख्यालय
4.	21 – 22 जनवरी, 2021	एडब्लूएस के पदाधिकारी	50	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
5.	18 – 19 फरवरी, 2021	एडब्लूएस के पदाधिकारी	60	परामर्श कौशल के संदर्भ में क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
6.	22 – 23 फरवरी, 2021	एडब्लूएस के पदाधिकारी	50	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
7.	22 – 23 फरवरी, 2021	एडब्लूएस के पदाधिकारी	58	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु), एमसीपी कार्ड भी शामिल है
8.	24 . 25 फरवरी, 2021	एडब्लूएस के पदाधिकारी	64	मुख्यालय

• मातृ एवं शिशु संरक्षण कार्ड (एमसीपी कार्ड)

महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण देखभाल में नए एमसीपी कार्ड के उपयोग पर कुल 15 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: नए एमसीपी कार्ड के उपयोग के बारे में प्रतिभागियों

को उन्मुख करना और नया एमसीपी कार्ड उपयोग करने के लिए प्रतिभागियों के बीच आवश्यक कौशल विकसित करना। आयोजित कार्यक्रमों द्वारा प्रतिभागियों को वीएचएसएनडी के नए परिचालन दिशानिर्देशों से भी अवगत कराया गया।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	7 जुलाई, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	32	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
2.	6 – 7 अगस्त, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	50	मुख्यालय
3.	07 अगस्त, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	43	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
4.	13 – 14 अगस्त, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	34	मुख्यालय
5.	18 अगस्त, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	37	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
6.	1 – 2 सितंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	52	मुख्यालय
7.	9 अक्टूबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	33	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
8.	13 – 14 अक्टूबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	42	संशोधित एमसीपी कार्ड और वीएचएसएनडी के लिए नए दिशानिर्देशों के संदर्भ में क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)



क्र. सं. दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
9. 27 अक्टूबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	70	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
10. 27 – 28 अक्टूबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	34	संशोधित एमसीपी कार्ड और वीएचएसएनडी के लिए नए दिशानिर्देशों के संदर्भ में क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
11. 05 – 06 नवंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	44	संशोधित एमसीपी कार्ड और वीएचएसएनडी के लिए नए दिशानिर्देशों के संदर्भ में क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
12. 25 नवंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	111	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
13. 17 दिसंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	41	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
14. 22 – 23 दिसंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	35	संशोधित एमसीपी कार्ड और वीएचएसएनडी के लिए नए दिशानिर्देशों के संदर्भ में क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
15. 28 – 29 जनवरी, 2021	एडब्लूएस के पदाधिकारी	13	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)

आंगनवाड़ी सेवा योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों (3-6 वर्ष) के बाल मूल्यांकन कार्ड पर कुल चार ऑनलाइन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम इन उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के बाल मूल्यांकन कार्ड (3-6 वर्ष) पर प्रतिभागियों के ज्ञान एवं

समझ को मजबूत करना; बाल मूल्यांकन कार्ड को ठीक से भरने के लिए प्रतिभागियों के कौशल में वृद्धि करना; व बाल पोर्टफोलियो की अवधारणा और महत्व एवं बाल मूल्यांकन के लिए इसके उपयोग पर प्रतिभागियों की समझ विकसित करना।

क्र. सं. दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1. 13 जुलाई, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	39	मुख्यालय
2. 20 जुलाई, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	34	मुख्यालय
3. 27 नवंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	27	मुख्यालय
4. 7 जनवरी, 2021	एडब्लूएस के पदाधिकारी	28	मुख्यालय

• **व्यक्तिगत आरोग्यता और स्वच्छता**
आंगनवाड़ी केंद्रों में व्यक्तिगत आरोग्यता और स्वच्छता के महत्व पर कुल चार ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: प्रतिभागियों को व्यक्तिगत आरोग्यता एवं घर पर इसके महत्व के बारे में

जागरूक करना; प्रतिभागियों को कोविड-19 की रोकथाम के तरीकों/कौशल के बारे में उन्मुख करना; व उनमें कोविड-19 से मुकाबला करने का विश्वास पैदा करना और बिना किसी डर के कोविड-19 के साथ जीवन बिताने के लिए एक नियमित जीवन शैली की योजना तैयार करना।



क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	26 – 27 मई, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	45	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
2.	11 – 12 जून, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	46	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
3.	9 – 10 जुलाई, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	44	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
4.	27 – 28 अगस्त, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	60	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)

क्षेत्रीय केंद्र, मोहाली द्वारा 6 जनवरी, 2021 को आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारियों के लिए **सही मुद्रा, प्रभाव और प्रबंधन पर एक ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम** इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किया गया: प्रतिभागियों को सही मुद्रा के महत्व, शरीर क्रिया विज्ञान पर इसके प्रभाव को समझने में सक्षम बनाना; उन्हें विभिन्न गलत मुद्राओं और शरीर पर इसके प्रभाव के लिए उन्मुख करना; उन्हें इस बात से अवगत कराना कि आदतों में बदलाव लाने के लिए सही मुद्रा को जानना ही पर्याप्त नहीं है; व प्रबंधन और उपचार तकनीकों के माध्यम से मुद्रा को सही करने और सुधारने की योजना से उन्हें अवगत कराना, जिससे कई सकारात्मक स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। कार्यक्रम में आंगनवाड़ी सेवा योजना के 70 पदाधिकारियों ने भाग लिया।

II. सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संवाद (एसबीसीसी), संवाद और परामर्श कौशल

आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारियों के लिए **सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संवाद (एसबीसीसी) पर कुल तीन ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम** इन उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारियों के लिए सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संवाद के सिद्धांतों पर ज्ञान बढ़ाना और संवाद उद्देश्य तय करना; एसबीसीसी में स्ट्रेटजिक बदलाव से संबंधित समझ बढ़ाना; स्ट्रेटजिक संवाद विकसित करने के लिए एसबीसीसी योजना प्रक्रिया की व्याख्या करना व लागू करना; व संवाद की प्रभावशीलता का आकलन करने और आंगनवाड़ी सेवा योजना में उसके प्रयोग के लिए निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रिया के सिद्धांतों की समझ में सुधार करना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	16 – 18 जून, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	19	मुख्यालय
2.	23 – 24 सितंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	24	मुख्यालय
3.	1 – 2 दिसंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	21	मुख्यालय

आंगनवाड़ी सेवा योजना के प्रशिक्षकों और पदाधिकारियों के लिए **संवाद और परामर्श कौशल पर कुल तीन ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम** इन उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने के बारे में माताओं/देखभाल कर्ताओं को समझाने और प्रभावित करने के लिए आंगनवाड़ी सेवा

पदाधिकारियों में संवाद और परामर्श कौशल के महत्व पर समझ विकसित करना; आंगनवाड़ी केंद्रों में उपयोग की जाने वाली संवाद सामग्री के विभिन्न उपयोगों की व्याख्या करना; व आंगनवाड़ी सेवा पदाधिकारियों के बीच सीखने, सुनने, विश्वास निर्माण और रचनात्मक फीडबैक के उपयोग जैसे कौशल को मजबूत करना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	2 – 3 जुलाई, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	100	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
2.	17 – 18 नवंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	48	मुख्यालय
3.	01 – 02 फरवरी, 2021	एडब्लूएस के पदाधिकारी	71	मुख्यालय



II. आंगनवाड़ी सेवा योजना का स्ट्रेटजिक परियोजना प्रबंधन, निगरानी और पर्यवेक्षण

अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारियों के लिए विकेन्द्रीकृत योजना, प्रबंधन और निगरानी तंत्र पर कुल सत्रह ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम इन उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एपीआईपी) तैयार करने के संबंध में विकेन्द्रीकृत योजना और प्रबंधन की मुख्य विशेषताओं को सीखना; योजना के

तहत गुणवत्तापूर्ण सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न स्तरों पर संबद्ध विभागों के साथ अभिसरण के तंत्र को समझना; अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में भारत सरकार एवं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पर्यवेक्षण और निगरानी तंत्र के बारे में चर्चा करना; व आंगनवाड़ी सेवा परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न प्रबंधकीय कौशलों को जानना एवं कार्य योजना विकसित करना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	17 – 19 जून, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	35	मुख्यालय
2.	29 – 30 जून, 2020	सांख्यिकीय सहायक	30	मुख्यालय
3.	10 – 11 जुलाई, 2020	सांख्यिकीय सहायक	31	मुख्यालय
4.	30 – 31 जुलाई, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	23	मुख्यालय
5.	03 – 05 अगस्त, 2020	सांख्यिकीय सहायक	26	मुख्यालय
6.	27 – 29 अगस्त, 2020	सांख्यिकीय सहायक	33	मुख्यालय
7.	09 – 10 सितंबर, 2020	सांख्यिकीय सहायक	40	मुख्यालय
8.	25 – 26 सितंबर, 2020	सांख्यिकीय सहायक	39	मुख्यालय
9.	05 – 06 अक्टूबर, 2020	सांख्यिकीय सहायक	33	मुख्यालय
10.	28 – 29 अक्टूबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	42	मुख्यालय
11.	12 – 13 नवंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	36	मुख्यालय
12.	19 नवंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	24	क्षेत्र विशिष्ट निगरानी सूचकों के विकास और उपयोग के संदर्भ में मुख्यालय
13.	03 – 04 दिसंबर, 2020	सांख्यिकीय सहायक	20	मुख्यालय
14.	14 – 15 जनवरी, 2021	एडब्लूएस के पदाधिकारी	25	मुख्यालय
15.	11 – 12 फरवरी, 2021	सांख्यिकीय सहायक	34	मुख्यालय
16.	17 फरवरी, 2021	एडब्लूएस के पदाधिकारी	26	क्षेत्र विशिष्ट निगरानी सूचकों के विकास और उपयोग के संदर्भ में मुख्यालय
17.	22 – 23 मार्च, 2021	सांख्यिकीय सहायक	34	मुख्यालय

निपसिड मुख्यालय द्वारा 8-9 अक्टूबर, 2020 को अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारियों के लिए **स्ट्रेटजिक परियोजना प्रबंधन पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम** इन उद्देश्यों के साथ आयोजित किया गया: आंगनवाड़ी सेवा पदाधिकारियों के बीच नेतृत्व और प्रबंधन सहित परियोजना प्रबंधन कार्यनीतियों पर ज्ञान बढ़ाना; परियोजना कर्मियों और अन्य हितधारकों के प्रबंधन, प्रेरणा और निगरानी के लिए कार्यनीति विकसित करना; टीम वर्क, संवाद और बातचीत की कार्यनीतियों को मजबूत करना; व सतत शिक्षा और सहायक पर्यवेक्षण कार्यनीतियों के माध्यम से कर्मचारियों के प्रदर्शन में वृद्धि करना। कार्यक्रम में कुल 41 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

क्षेत्रीय केंद्र, इंदौर द्वारा 18-19 जनवरी, 2021 को आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारियों के लिए **सुशासन पर एक ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम** इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ

आयोजित किया गया: योजना के गुणवत्तापूर्ण कार्यान्वयन के लिए सुशासन के बारे में आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारियों को उन्मुख करना; व प्रभावी तरीके से सार्वजनिक संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए सुशासन पर उनके कौशल का विकास करना। कार्यक्रम में आंगनवाड़ी सेवा योजना के कुल 90 पदाधिकारियों ने भाग लिया।

अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारियों के लिए **नेतृत्व विकास पर कुल दो ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम** इन उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: कर्मचारियों और अन्य हितधारकों को प्रभावित करने और प्रेरित करने के लिए आंगनवाड़ी सेवा पदाधिकारियों के बीच कौशल विकसित करना; बेहतर प्रदर्शन करने के लिए टीम वर्क और प्रेरणा के महत्व पर समझ बढ़ाना; व परियोजना का प्रभावी ढंग से नेतृत्व करने के लिए आंगनवाड़ी सेवा पदाधिकारियों के बीच बातचीत, मतभेद समाधान और संवाद कौशल में सुधार करना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	28 – 29 जुलाई, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	51	मुख्यालय
2.	10 – 11 अगस्त, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	27	मुख्यालय

निपसिड मुख्यालय में अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारियों के लिए **निगरानी और पर्यवेक्षण कार्यनीतियों पर कुल चार ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम** इन उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: निगरानी व पर्यवेक्षी

कार्यनीतियों पर तकनीकी ज्ञान देना; आंगनवाड़ी केंद्रों में निगरानी और पर्यवेक्षी विजिट करने पर ज्ञान, कौशल और समझ को मजबूत करना; और प्रतिभागियों को सहायक पर्यवेक्षण करने की प्रक्रिया और विभिन्न जाँच सूचियों के उपयोग को समझने में सक्षम बनाना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	17 – 18 सितंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	41	मुख्यालय
2.	18 – 19 नवंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	134	मुख्यालय
3.	7 – 8 दिसंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	33	मुख्यालय
4.	30 – 31 मार्च, 2021	एडब्लूएस के पदाधिकारी	21	सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने करने के संदर्भ में मुख्यालय

V. सामुदायिक संघटन (मोबिलाइजेशन) कार्यनीतियां और अभिसरण

अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी सेवा योजना में गुणवत्तापूर्ण सुधार के लिए सामुदायिक संघटन (मोबिलाइजेशन) कार्यनीतियों पर कुल छह ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम इन उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए:

प्रतिभागियों को सामुदायिक संघटन(मोबिलाइजेशन) की अवधारणा और महत्व पर उन्मुख करना; सामुदायिक मोबिलाइजेशन की तकनीकों व विधियों पर कौशल विकसित करना; भागीदारी शिक्षण व कार्य तकनीकों का उपयोग; व अम्ब्रेला आईसीडीएस कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कार्यनीति विकसित करना।



क्र. सं. दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1. 22 – 24 जून, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	100	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु), एडब्लूएस की गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
2. 22 – 24 जून, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	80	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
3. 24 – 25 अगस्त, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	32	मुख्यालय
4. 3 – 4 सितंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	34	मुख्यालय
5. 19 – 20 अक्टूबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	21	मुख्यालय
6. 17 – 18 दिसंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	22	मुख्यालय

निपसिड मुख्यालय में अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारियों के लिए अभिसरण और समन्वय तंत्र की स्थापना और सुदृढ़ीकरण पर कुल पांच ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम इन उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: पोषण और स्वास्थ्य संबंधी परिणामों के अनुकूलन के लिए आंगनवाड़ी सेवा योजना व कार्यान्वयन के लिए

विभिन्न कार्यक्रमों के साथ अभिसरण और समन्वय तंत्र पर समझ विकसित करना; आंगनवाड़ी सेवा योजना के प्रमुख क्षेत्रों में संसाधन सहायता की पहचान करने और परियोजना आउटपुट बढ़ाने के लिए अभिसरण कार्यनीति स्थापित करने में सहायता करना; व गुणवत्ता सुधार के लिए संबद्ध विभागों के साथ अभिसरण में विकसित कार्यक्रम हस्तक्षेपों के निगरानी सूचकों का आकलन करना।

क्र. सं. दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1. 27 – 28 अगस्त, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	95	पोषण अभियान के संदर्भ में क्षेत्रीय केन्द्र (बेंगलुरु)
2. 03 – 04 सितंबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	60	पोषण अभियान के संदर्भ में क्षेत्रीय केन्द्र (बेंगलुरु)
3. 21 – 22 अक्टूबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	90	पोषण अभियान के संदर्भ में क्षेत्रीय केन्द्र (बेंगलुरु)
4. 1 मार्च, 2021	एडब्लूएस के पदाधिकारी	47	मुख्यालय
5. 17 मार्च, 2021	एडब्लूएस के पदाधिकारी	28	मुख्यालय

VI. निपसिड में ई-लर्निंग पाठ्यक्रम

आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारियों के लिए ई-लर्निंग पाठ्यक्रम पर कुल 36 ऑनलाइन अनुस्थापन कार्यक्रम इन उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारियों के लिए ई-लर्निंग कार्यक्रम के उपयोग के बारे में प्रतिभागियों को उन्मुख करना; पर्यवेक्षकों को ई-लर्निंग कार्यक्रम

का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना; लर्निंग के अंतर को कम करने और ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करने और बिना किसी झिझक के खुद को नामांकित करने के लिए अधिकारियों में विश्वास पैदा करना; व भविष्य के लिए ई-लर्निंग कार्यक्रम पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मास्टर प्रशिक्षकों के रूप में कार्य करना।

[illegible]



क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
30.	03 अक्टूबर, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत पदाधिकारी	41	मुख्यालय
31.	03 अक्टूबर, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत पदाधिकारी	55	मुख्यालय
32.	05 अक्टूबर, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत पदाधिकारी	46	मुख्यालय
33.	06 अक्टूबर, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत पदाधिकारी	11	मुख्यालय
34.	08 अक्टूबर, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत पदाधिकारी	23	मुख्यालय
35.	09 अक्टूबर, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत पदाधिकारी	69	मुख्यालय
36.	10 अक्टूबर, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत पदाधिकारी	34	मुख्यालय

मध्य स्तर के पदाधिकारियों के लिए ई-लर्निंग पोर्टल की जागरूकता पर कुल दो वेबिनार इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: कौशल विकास के लिए एक साझा प्लेटफॉर्म प्रदान करना, व बाल

विकास के विभिन्न पहलुओं पर विचारों का आदान-प्रदान करना; व प्रतिभागियों को ऑनलाइन मोड के माध्यम से पंजीकरण, सीखने और मूल्यांकन की विभिन्न प्रक्रियाओं से परिचित कराना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	09 जुलाई, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	26	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
2.	15 जुलाई, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	35	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)

VII. अन्य:

• अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत क्रेच सेवाएं

अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत क्रेच सेवाओं की निगरानी/प्रबंधन पर कुल दो ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम इन उद्देश्यों के साथ

आयोजित किए गए: प्रतिभागियों को राष्ट्रीय क्रेच योजना की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताना; क्रेच के संचालन व कामकाज के तौर-तरीकों को समझना; व बचपन में पोषण, देखभाल, स्वास्थ्य, आरोग्यता, स्वच्छता और सीखने के महत्व पर जानकारी बढ़ाना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	20 – 22 मई, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	34	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
2.	23 – 24 जून, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	55	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)

बच्चों के समावेशन पर 3 दिसंबर, 2020 को एक वेबिनार क्रेच के पदाधिकारियों के लिए 96 पदाधिकारियों की भागीदारी के साथ आयोजित किया गया।

• जापानी मस्तिष्क शोथ

जापानी मस्तिष्क शोथ (जेई)/एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (ईएस) पर कुल दो ऑनलाइन कार्यक्रम इन

प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: जेई/ईएस के प्रमुख कारणों, संकेतों, लक्षणों और रोकथाम एवं उपचार पर चर्चा करना; व एक ट्रैकिंग और निवारक उपकरण के रूप में मां और बाल संरक्षण कार्ड के माध्यम से जेई/ईएस की रोकथाम में आंगनवाड़ी पदाधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियों पर चर्चा करना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	06 – 07 अक्टूबर, 2020	एडब्लूएस के पदाधिकारी	34	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
2.	29 जनवरी, 2021	एडब्लूएस के पदाधिकारी	38	मुख्यालय



प्रशिक्षण कार्यक्रम, परामर्श बैठकें एवं कार्यशालाएं

बाल संरक्षण सेवा
(सीपीएस) योजना/
मिशन वात्सल्य





बाल संरक्षण सेवा (सीपीएस) योजना/मिशन वात्सल्य

संस्थान द्वारा बाल संरक्षण सेवाओं के पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए निम्नलिखित विषयों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए:

क्र.सं.	विषय	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1.	बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण	7	340
2.	बाल अधिकार एवं सुरक्षा तथा बाल हित	32	14938
3.	किशोर न्याय अधिनियम, 2015 एवं किशोर न्याय प्रणाली • देखभाल के न्यूनतम मानक • व्यक्तिगत देखभाल योजना • गैर-संस्थागत वैकल्पिक देखभाल • किशोर न्याय अधिनियम के तहत मामला हस्तक्षेप • देखभाल व सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों/कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों का पुनर्वास एवं सामाजिक पुनर्संमेलन	35	2032
4.	बाल यौन शोषण की रोकथाम एवं संरक्षण और नवीनतम संशोधनों के साथ पॉक्सो अधिनियम, 2012	46	4447
5.	बाल देखभाल संस्थाओं में स्वास्थ्य और पोषण संबंधी मुद्दे • विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल व संरक्षण • बाल देखभाल संस्थाओं में किशोर स्वास्थ्य • बाल देखभाल संस्थाओं में बच्चों के पोषण की देखभाल एवं कल्याण	19	887
6.	विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण (एसएए): विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण के पदाधिकारियों के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी मुद्दों का समाधान करने की आवश्यकता	14	504
7.	जीवन कौशल शिक्षा को बढ़ावा देना	18	823
8.	बाल संरक्षण सेवा के पदाधिकारियों के परामर्श कौशल को बढ़ाना	5	301
9.	बाल कल्याण समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष/सदस्यों के लिए आरम्भिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	1	24
योग		177	24367

**1. बच्चों की देखभाल और सुरक्षा**

निपसिड द्वारा अधिनियम और वैधानिक विधायी के साथ बच्चों की देखभाल और संरक्षण के मुद्दों का

समाधान करने और बाल संरक्षण सेवाओं के पदाधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियों पर कुल सात ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	18-19 जून, 2020	बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य	49	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
2.	9- 0 जुलाई, 2020	बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य	51	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
3.	11-12 अगस्त, 2020	बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य	45	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
4.	15-16 सितंबर, 2020	बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य	31	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
5.	21 दिसंबर, 2020	सिविल सोसाइटी के पदाधिकारी	48	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
6.	16-17 फरवरी, 2021	बाल संरक्षण सेवाओं के पदाधिकारी	89	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
7.	18-19 मार्च, 2021	विशेष किशोर पुलिस इकाई, सीडब्ल्यूपीओ के पदाधिकारी	27	मुख्यालय

2. बाल अधिकार और बच्चों की सुरक्षा तथा बाल हित

बाल अधिकार और बाल संरक्षण के मुद्दों पर कुल 24 कार्यक्रम (प्रशिक्षण कार्यक्रम/अनुशिक्षण/सुब्रह्मता/कार्यशालाएं) इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: भारत में बच्चों की स्थिति की समीक्षा करना; भारत में बच्चों की

सुरक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों और कानूनी सुरक्षा उपायों की जानकारी देना; बाल अधिकारों की प्राप्ति के लिए संस्थागत प्रणाली पर जागरूकता पैदा करना; और बाल अधिकारों पर पक्षसमर्थन (एडवोकेसी) एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कौशल विकसित करना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	25-26 जून, 2020	राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के संयोजक/अधिकारी	51	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
2.	09 जुलाई, 2020	बाल संरक्षण इकाई (जिला बाल संरक्षण इकाई) के पदाधिकारी	89	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
3.	19 अगस्त, 2020	बाल देखभाल संस्थाओं, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति के अधिकारियों, और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के लिए	45	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
4.	19 - 20 अगस्त, 2020	राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के संयोजक/अधिकारी	58	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
5.	26 - 27 अगस्त, 2020	बाल देखभाल संस्थाओं, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति के अधिकारियों, और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के लिए	45	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
6.	3 - 4 सितंबर, 2020	बाल देखभाल संस्थाओं, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति के अधिकारियों, और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के लिए	63	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
7.	29 सितंबर, 2020	समेकित बाल संरक्षण योजना के हितधारक	36	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)



क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
8.	13 – 14 अक्टूबर, 2020	राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के संयोजक/अधिकारी	53	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
9.	15 – 16 अक्टूबर, 2020	समेकित बाल संरक्षण योजना के हितधारक	52	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
10.	15 – 16 अक्टूबर, 2020	बाल कल्याण समिति के सदस्य	25	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
11.	20 अक्टूबर, 2020	बाल देखभाल संस्थाओं, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति के अधिकारियों, और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के लिए	58	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
12.	20 – 21 अक्टूबर, 2020	किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य	17	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
13.	21 अक्टूबर, 2020	बाल देखभाल संस्थाओं, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति के अधिकारियों, और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के लिए	47	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
14.	28 – 29 अक्टूबर, 2020	राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के संयोजक/अधिकारी	35	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
15.	29 अक्टूबर, 2020	स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी	62	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
16.	5 – 6 नवंबर, 2020	बाल कल्याण समिति के सदस्य	17	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
17.	19 – 20 नवंबर, 2020	किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य	70	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
18.	3 – 4 दिसंबर, 2020	आंगनवाड़ी सेवा योजना और बाल संरक्षण सेवाओं के पदाधिकारी	57	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
19.	8 दिसंबर, 2020	बाल देखभाल संस्थाओं, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति के अधिकारियों, और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के लिए	60	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
20.	9 दिसंबर, 2020	बाल संरक्षण सेवाओं, श्रम, पुलिस के अधिकारी, और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि	82	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
21.	7 – 8 जनवरी, 2021	बाल कल्याण समिति के सदस्य	63	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
22.	28 – 29 जनवरी, 2021	जिला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारी	73	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
23.	10 – 11 फरवरी, 2021	जिला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारी	34	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
24.	16 – 17 मार्च, 2021	आंगनवाड़ी सेवा योजना और बाल संरक्षण सेवाओं के पदाधिकारी	35	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)

बच्चों को समझने के मुद्दों को हल करने और संकटग्रस्त बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के महत्व पर कुल दो वेबिनार और चार अनुशिक्षण कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: बच्चों की सुरक्षा

और कल्याण से संबंधित ज्वलंत मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करना; बच्चों पर कोविड-19 के प्रभाव के बारे में समझ विकसित करना और; बच्चों की सुरक्षा के लिए उनके साथ सुरक्षा उपायों पर चर्चा करना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	4 मई, 2020	जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल देखभाल संस्थाओं, चाइल्डलाइन के पदाधिकारी और बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य	8634	मुख्यालय (वेबिनार)
2.	27 मई, 2020	जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल देखभाल संस्थाओं, चाइल्डलाइन के पदाधिकारी और बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य	4634	मुख्यालय
3.	23 – 24 जुलाई, 2020	जिला बाल संरक्षण इकाई के सामाजिक कार्यकर्ता	100	मुख्यालय (बच्चों की संदर्भ में)
4.	8 सितंबर, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत बाल संरक्षण सेवाओं के पदाधिकारी	39	मुख्यालय
5.	20 – 21 अक्टूबर, 2020	बाल संरक्षण सेवाओं के तहत संपर्क कार्यकर्ता और केस कार्यकर्ता	50	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
6.	8 – 9 दिसंबर, 2020	बाल संरक्षण सेवाओं के तहत संपर्क कार्यकर्ता और केस कार्यकर्ता	55	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)

क्षेत्रीय केंद्र, इंदौर द्वारा 7 अक्टूबर, 2020 को सिविल सोसाइटी और आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारियों के लिए **बाल मजदूरी के उन्मूलन पर एक जागरूकता कार्यक्रम** इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किया गया: बाल अधिकारों पर संवैधानिक प्रावधानों के बारे में प्रतिभागियों को उन्मुख करना; बाल अधिकारों पर योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में उन्हें जागरूक बनाना; और कोविड-19 के दौरान बाल मजदूरी को रोकने में पदाधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियों पर चर्चा करना। कार्यक्रम में कुल 98 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

13 जुलाई, 2020 को निपसिड मुख्यालय में **पुलिस कर्मियों, डीसीपीयू और गैर सरकारी संगठनों के पदाधिकारियों के लिए भारत में बाल तस्करी की रोकथाम पर एक ऑनलाइन कार्यशाला** का आयोजन इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ किया गया: विशेष रूप से कोविड-19 की महामारी के दौरान बच्चों की तस्करी के खतरे पर चर्चा करना; कानूनी

सुरक्षा उपायों और अन्य उपायों के प्रति प्रतिभागियों को उन्मुख करना; और बाल तस्करी के शिकार बच्चों के बचाव एवं पुनर्वास को सुगम बनाना। कार्यशाला में कुल 101 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

3. किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और किशोर न्याय प्रणाली

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और किशोर न्याय प्रणाली पर कुल 15 प्रशिक्षण कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: किशोर न्याय अधिनियम 2015 और आदर्श नियम 2016 के विभिन्न प्रावधानों पर प्रतिभागियों को उन्मुख करना; कानून का उल्लंघन करने वाले और कानून के संपर्क में आने वाले बच्चों के मामले देखने वाले पैनलबद्ध वकीलों की भूमिका और जिम्मेदारियों पर चर्चा करना; और किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रभावी कानूनी समर्थन और कार्यान्वयन की कार्यनीतियों पर चर्चा करना।



क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	29 मई, 2020	बाल देखभाल संस्थाओं के पदाधिकारी	40	मुख्यालय
2.	25 – 26 जून, 2020	किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य	52	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
3.	2 अगस्त, 2020	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारी और निपसिड के संकाय सदस्य	30	मुख्यालय
4.	7 अगस्त, 2020	सरकारी संगठन के अधिकारी और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि	44	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
5.	18 – 19 अगस्त, 2020	किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य	50	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
6.	17 सितंबर, 2020	राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण और दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के पैनल वकील	101	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
7.	22 अक्टूबर, 2020	बाल संरक्षण सेवा एवं आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारी	56	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ) (पॉक्सो अधिनियम सहित)
8.	29 अक्टूबर, 2020	सरकारी संगठन के अधिकारी और नागरिक संगठनों के प्रतिनिधि	34	मुख्यालय
9.	22 दिसंबर, 2020	बाल संरक्षण सेवा के पदाधिकारी	93	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
10.	28 दिसंबर, 2020	सरकारी संगठन के अधिकारी और नागरिक संगठनों के प्रतिनिधि	26	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
11.	28 – 29 जनवरी, 2021	हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्ड और बाल देखभाल संस्थाओं के अध्यक्ष/सदस्य	39	मुख्यालय
12.	15 – 19 फरवरी, 2021	किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य	21	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
13.	25 – 26 फरवरी, 2021	किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य	36	मुख्यालय
14.	9 मार्च, 2021	बाल देखभाल संस्थाओं के पदाधिकारी	26	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
15.	18 – 19 मार्च, 2021	किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य	36	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)

• देखभाल के न्यूनतम मानक

बाल देखभाल संस्थाओं में देखभाल के न्यूनतम मानकों को बनाए रखने पर कुल तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित की गईं: किशोर न्याय अधिनियम 2015 और आदर्श नियम 2016 के प्रावधान पर चर्चा करना; किशोर

न्याय अधिनियम और समेकित बाल संरक्षण योजना के कार्यान्वयन में बाल देखभाल पदाधिकारियों की भूमिका से अवगत कराना; और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और इसके आदर्श नियम, 2016 के तहत उपलब्ध देखभाल के न्यूनतम मानक के संदर्भ में बाल देखभाल संस्थाओं का प्रबंधन करना।



क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	8-10 जुलाई, 2020	समेकित बाल संरक्षण योजना और बाल देखभाल संस्थाओं के पदाधिकारी	47	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
2.	13-15 अक्टूबर, 2020	बाल देखभाल संस्थाओं के पदाधिकारी	62	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु), (कार्यशाला)
3.	25-26 मार्च, 2021	बाल देखभाल संस्थाओं के पदाधिकारी	30	मुख्यालय

- बाल देखभाल संस्थाओं के लिए व्यक्तिगत देखभाल योजना**
 बाल देखभाल संस्थाओं के लिए व्यक्तिगत देखभाल योजना पर कुल छह कार्यक्रम/कार्यशालाएं/कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: दत्तक ग्रहण सहित बच्चों की देखभाल, सुरक्षा, पुनर्वास और समाज में पुनर्स्थापना के प्रावधानों पर प्रतिभागियों को उन्मुख बनाना; विभिन्न प्रपत्रों को भरने, व्यक्तिगत देखभाल योजना विकसित करने, सामाजिक पृष्ठभूमि इतिहास आदि तैयार करने के कौशल को निखारना; और बाल देखभाल संस्थाओं में व्यक्तिगत देखभाल योजना सुनिश्चित करने में पदाधिकारियों की भूमिका पर चर्चा करना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	16 - 18 सितंबर, 2020	बाल संरक्षण सेवाओं के पदाधिकारी	69	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
2.	29 सितंबर, 2020	बाल देखभाल संस्थाओं के पदाधिकारी	70	मुख्यालय
3.	18 - 19 जनवरी, 2021	बाल देखभाल संस्थाओं के पदाधिकारी	15	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली) (ऑफलाइन प्रशिक्षण)
4.	25 जनवरी, 2021	बाल देखभाल संस्थाओं के पदाधिकारी	38	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
5.	04 - 05 फरवरी, 2020	बाल संरक्षण सेवाओं के पदाधिकारी	69	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
6.	25 - 26 मार्च, 2021	बाल संरक्षण सेवाओं के पदाधिकारी	38	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)

- गैर-संस्थागत वैकल्पिक देखभाल**
 गैर-संस्थागत वैकल्पिक देखभाल : मुद्दे और चुनौतियां पर कुल तीन अनुशिक्षण कार्यशालाएं और एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ किया गया: वैकल्पिक देखभाल के कार्यान्वयन में मुद्दों और चुनौतियों पर प्रतिभागियों को उन्मुख करना; प्रतिभागियों को वैकल्पिक देखभाल जैसे प्रयोजन, सही देखभाल और ऑफ्टर केयर के निदेशों पर उन्मुख करना; और वैकल्पिक देखभाल योजना के कार्यान्वयन में पदाधिकारियों की भूमिका से प्रतिभागियों को परिचित कराना। एक कार्यक्रम में बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए परिवार आधारित वैकल्पिक देखभाल के प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए भी विशेष पहल की गई।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	15-17 जुलाई, 2020	समेकित बाल संरक्षण योजना और बाल देखभाल संस्थाओं के पदाधिकारी	45	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु) (परिवार आधारित वैकल्पिक देखभाल के संदर्भ में)
2.	13-14 अगस्त, 2020	बाल संरक्षण सेवाओं के पदाधिकारी	102	मुख्यालय
3.	15-16 अक्टूबर, 2020	बाल संरक्षण सेवाओं के पदाधिकारी	68	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)

- **किशोर न्याय अधिनियम के तहत मामला हस्तक्षेप**
बाल कल्याण समिति (बाल कल्याण समिति) के अध्यक्षों/सदस्यों के लिए **मामला हस्तक्षेप पर कुल दो ऑनलाइन कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ**

आयोजित किए गए: विभिन्न श्रेणियों के मामलों को संभालने में प्रक्रियात्मक हस्तक्षेप को समझना; और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत विभिन्न श्रेणियों में मामलों के निपटान में शामिल अस्पष्टता को दूर करना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	11 नवंबर, 2020	बाल कल्याण समिति (बाल कल्याण समिति) के अध्यक्ष/सदस्य	91	मुख्यालय
2.	28 – 29 जनवरी, 2021	बाल कल्याण समिति (बाल कल्याण समिति) के अध्यक्ष/सदस्य	72	मुख्यालय

देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों/विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों के पुनर्वास और सामाजिक पुनर्स्थापन पर कुल दो ऑनलाइन कार्यक्रम/कार्यशालाएं इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित की गईं: बाल अधिकारों, विभिन्न कानूनों, नीतियों कार्यक्रमों के प्रत्यात्मक ढांचे पर

प्रतिभागियों को उन्मुख करना; किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल व संरक्षण) अधिनियम, 2015 व राज्यों में बाल संरक्षण सेवाओं के प्रावधानों पर चर्चा करना; व देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की बचाव प्रक्रिया, प्रोटोकॉल एवं पुनर्वास पर चर्चा करना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	7 – 9 सितंबर, 2020	समेकित बाल संरक्षण योजना के पदाधिकारी	56	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
2.	3 नवंबर, 2020	जिला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारी	51	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)

क्षेत्रीय केंद्र, बेंगलुरु द्वारा 9–10 दिसंबर, 2020 को **किशोर न्याय प्रणाली और समेकित बाल संरक्षण योजना के हितधारकों के बीच अंतर-क्षेत्रीय समन्वय बढ़ाने पर एक ऑनलाइन कार्यशाला** इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित की गई: राज्यों में बाल संरक्षण के मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करना; बच्चों के लिए सुरक्षा जाल उपलब्ध कराने में विभिन्न हितधारकों की भूमिका और बाल संरक्षण की स्थिति पर चर्चा करना; और क्षेत्र में बाल संरक्षण सेवाओं को मजबूत करने के लिए सिफारिशें और सुझाव देना। कार्यक्रम में कुल 53 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

क्षेत्रीय केंद्र, गुवाहाटी में 3–4 मार्च, 2021 को **खुले आश्रय गृहों के पदाधिकारियों के लिए एक अनुशिक्षण कार्यक्रम** इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किया गया: बाल संरक्षण

में मुद्दों और चुनौतियों पर प्रतिभागियों को उन्मुख करना; उन्हें किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 व आदर्श नियम 2016 पर उन्मुख करना; खुले आश्रय गृहों पर विशेष ध्यान देने के साथ बाल संरक्षण सेवाओं पर प्रतिभागियों को उन्मुख करना; व प्रतिभागियों को उनकी भूमिका एवं जिम्मेदारियों से परिचित कराना। कार्यक्रम में कुल 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

बाल देखभाल संस्थाओं (सीएनसीपी बच्चे) के बच्चों के लिए मनोरंजक गतिविधियों पर कुल दो ऑनलाइन कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: बच्चों को तनाव मुक्त करना; बच्चों की स्वस्थ जीवन शैली पर ध्यान देना; और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना और जीवन के प्रति सकारात्मक सोच लाना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	28 – 29 मई, 2020	बाल देखभाल संस्थाओं के बच्चे (सीएनसीपी बच्चे)	144	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
2.	15 – 16 जून, 2020	बाल देखभाल संस्थाओं के बच्चे (सीएनसीपी बच्चे)	188	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)



4. बाल यौन शोषण की रोकथाम और संरक्षण और हाल के संशोधनों के साथ पॉक्सो अधिनियम, 2012

बाल यौन शोषण और सहायक हस्तक्षेप के मुद्दों का समाधान करने पर कुल 22 कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित

किए गए: प्रतिभागियों को बाल शोषण, इसके रूपों और प्रकारों के बारे में बताना; बच्चों पर बाल शोषण के प्रभाव को समझना और ऐसी स्थितियों में सहायक हस्तक्षेप प्रदान करना, और बच्चों के समग्र विकास के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	4 – 5 जून, 2020	समेकित बाल संरक्षण योजना के पदाधिकारी	83	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु) (कार्यशाला)
2.	5 जून, 2020	सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि	44	मुख्यालय
3.	13 जून, 2020	महिला एवं बाल विकास विभाग (हरियाणा) के अधिकारी	70	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
4.	22 जून, 2020	विद्यालय के अध्यापकों के लिए	1936	मुख्यालय
5.	22 जून, 2020	महिला एवं बाल विकास विभाग (हरियाणा) के अधिकारी	51	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
6.	24 जून, 2020	जिला बाल संरक्षण इकाई के अधिकारी	75	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
7.	25 जून, 2020	जिला बाल संरक्षण इकाई के अधिकारी	72	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
8.	1.2 जुलाई, 2020	समेकित बाल संरक्षण योजना के पदाधिकारी	70	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु) (कार्यशाला)
9.	24 जुलाई, 2020	सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि	37	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
10.	06 अगस्त, 2020	बाल देखभाल संस्थाओं के पदाधिकारी	38	मुख्यालय
11.	14 सितंबर, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत बाल संरक्षण सेवाओं के पदाधिकारी	25	मुख्यालय
12.	14 अक्टूबर, 2020	सरकारी संगठन के अधिकारी	70	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली) (चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर बुलिंग के संदर्भ में)
13.	15 अक्टूबर, 2020	सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि, बाल संरक्षण के पदाधिकारी	53	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली) (चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर बुलिंग के संदर्भ में)
14.	27 अक्टूबर, 2020	आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारी	50	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
15.	28 अक्टूबर, 2020	आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारी	23	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
16.	4 नवंबर, 2020	आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारी	30	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
17.	6 नवंबर, 2020	बाल संरक्षण सेवाओं के पदाधिकारी	42	मुख्यालय
18.	27 नवंबर, 2020	विद्यालय के अध्यापकों के लिए	58	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी)



क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
19.	10 दिसंबर, 2020	विद्यालय के अध्यापकों के लिए	63	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी)
20.	12 दिसंबर, 2020	सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि, बाल संरक्षण के पदाधिकारी के संदर्भ में)	72	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली) (चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर बुलिंग)
21.	10.11 मार्च, 2021	जिला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारी और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि	19	मुख्यालय कार्यशाला (ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल जाने वाले बच्चों के यौन शोषण के संदर्भ में)
22.	16 मार्च, 2021	बाल संरक्षण के पदाधिकारी	18	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली) (चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर बुलिंग के संदर्भ में)

यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पर पॉक्सो संशोधन अधिनियम, 2012 और नवीनतम संशोधनों पर कुल 24 कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: बच्चों के खिलाफ हो रहे यौन अपराधों और उनके

द्वारा सहन कि जा रही वेदना के बारे में एक समझ विकसित करना; उन्हें यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, नियमावली और इसके संशोधनों की मुख्य विशेषताओं पर उन्मुख करना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	11-12 जून, 2020	केन्द्रीय विद्यालय के प्राचार्यों के लिए	43	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
2.	29-30 जून, 2020	सरकारी संगठन के अधिकारियों और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के लिए	41	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
3.	2-3 जुलाई, 2020	सरकारी संगठन के अधिकारियों और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के लिए	35	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
4.	19 जुलाई, 2020	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारी और निपसिड के संकाय सदस्य	59	मुख्यालय
5.	26 जुलाई, 2020	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारी और निपसिड के संकाय सदस्य	49	मुख्यालय
6.	10 अगस्त, 2020	आंगनवाड़ी सेवा योजना के सीडीपीओ और पर्यवेक्षक	45	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
7.	18 अगस्त, 2020	बाल देखभाल संस्थाओं के पदाधिकारी	30	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
8.	18-19 अगस्त, 2020	केन्द्रीय विद्यालय के प्राचार्यों के लिए	36	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
9.	10-11 सितंबर, 2020	सरकारी संगठन के अधिकारियों और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के लिए	45	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)



क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
10.	22-23 सितंबर, 2020	सरकारी संगठन के अधिकारियों और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के लिए	39	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
11.	19 अक्टूबर, 2020	सरकारी संगठन के अधिकारियों और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के लिए	144	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
12.	22 अक्टूबर, 2020	शिक्षक	94	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
13.	28 अक्टूबर, 2020	बाल संरक्षण सेवाओं के पदाधिकारी	64	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
14.	29 अक्टूबर, 2020	बाल संरक्षण सेवाओं के पदाधिकारी	70	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
15.	29 अक्टूबर, 2020	आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारी	32	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
16.	19-20 नवंबर, 2020	सरकारी संगठन के अधिकारियों और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के लिए	250	मुख्यालय
17.	17 दिसंबर, 2020	आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारी	45	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
18.	21 जनवरी, 2021	शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए	73	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
19.	28-29 जनवरी, 2021	सरकारी संगठन के अधिकारियों और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के लिए	92	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
20.	8 फरवरी, 2021	स्कूल के प्राचार्यों/शिक्षकों के लिए	27	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
21.	22 फरवरी, 2021	आंगनवाड़ी सेवा योजना, बाल संरक्षण सेवाओं के पदाधिकारी एवं सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि	32	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
22.	24 फरवरी, 2021	बाल संरक्षण सेवाओं के पदाधिकारी	42	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
23.	24 फरवरी, 2021	बाल देखभाल संस्थाओं के पदाधिकारी	35	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
24.	19 मार्च, 2021	विद्यालयों के प्राचार्यों/शिक्षकों के लिए	26	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)

5. बाल देखभाल संस्थाओं में स्वास्थ्य और पोषण संबंधी मुद्दे

- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सहित बच्चों का संरक्षण विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल और संरक्षण पर कुल चार ऑनलाइन कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: विशेष आवश्यकता

वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप के महत्व पर जागरूकता पैदा करना; और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के तरीकों सहित उन्हें संभालने में बाल देखभाल संस्थाओं के पदाधिकारियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	19 अगस्त, 2020	बाल देखभाल संस्थाओं के पदाधिकारी	22	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
2.	9-10 अक्टूबर, 2020	बाल देखभाल संस्थाओं के पदाधिकारी	41	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ) (विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए देशी खेल सामग्री के संदर्भ में)



क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
3.	5-6 नवंबर, 2020	बाल देखभाल संस्थाओं के पदाधिकारी	50	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ) (विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए देशी खेल सामग्री के संदर्भ में)
4.	15-16 फरवरी, 2021	बाल देखभाल संस्थाओं के पदाधिकारी	42	मुख्यालय

18-19 फरवरी, 2020 को निपसिड मुख्यालय में बाल संरक्षण सेवाओं में प्रलेखन पर एक अनुशिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किया गया: विभिन्न समेकित बाल संरक्षण योजना प्रतिष्ठानों के कामकाज में प्रलेखन के महत्व पर प्रतिभागियों को जागरूक बनाना; समेकित बाल संरक्षण योजना में आवश्यक प्रलेखन के विभिन्न रूपों पर चर्चा करना; और उन्हें प्रलेखन की अलग-अलग तकनीकों से परिचित कराना जो विभिन्न प्रकार के प्रलेखन के लिए आवश्यक हैं। कार्यक्रम में कुल 157 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- बाल देखभाल संस्थाओं में किशोर स्वास्थ्य लड़कियों के लिए बने बाल देखभाल संस्थाओं के पदाधिकारियों के लिए किशोर प्रजनन स्वास्थ्य पर कुल चार ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: प्रतिभागियों को किशोर प्रजनन स्वास्थ्य प्रणाली के बारे में उन्मुख करना; उन्हें मासिक धर्म के बारे में परम्पराओं, वर्जनाओं और भ्रांतियों के बारे में जागरूक करना; और मासिक धर्म स्वच्छता और इसके प्रबंधन के बारे में जानकारी प्रदान करना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	14 अक्टूबर, 2020	लड़कियों हेतु बाल देखभाल संस्थाओं के पदाधिकारी	108	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी) (किशोर प्रजनन स्वास्थ्य के संदर्भ में)
2.	28 अक्टूबर, 2020	लड़कियों हेतु बाल देखभाल संस्थाओं के पदाधिकारी	34	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी) (किशोर प्रजनन स्वास्थ्य के संदर्भ में)
3.	28 अक्टूबर, 2020	बाल देखभाल संस्थाओं के पदाधिकारी	23	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली) (भावनात्मक स्वास्थ्य के संदर्भ में)
4.	9 दिसंबर, 2020	बाल देखभाल संस्थाओं के पदाधिकारी	51	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)

- बाल देखभाल संस्थाओं में बच्चों की पोषण देखरेख और स्वास्थ्य
संस्थान द्वारा बच्चों की पोषण देखभाल और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने पर आयोजित कुल 6 कार्यक्रम निम्नानुसार हैं, जिसमें खाद्य स्वच्छता और सुरक्षित भोजन

प्रबंधन, व्यक्तिगत आरोग्यता और स्वच्छता का महत्व और बाल देखभाल संस्थाओं में बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यवहार्य रणनीति विकसित करना शामिल है

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	24 जुलाई, 2020	जिला बाल संरक्षण इकाई के संरक्षण अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए बाल देखभाल संस्थाओं में बच्चों का स्वास्थ्य और पोषण	45	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
2.	17 – 18 दिसंबर, 2020	बच्चों का पोषण और स्वास्थ्य देखभाल	80	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
3.	29 जनवरी, 2021	बाल देखभाल संस्थाओं में खाद्य स्वच्छता और सुरक्षित खाद्य प्रबंधन	21	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली) (ऑफलाइन कार्यक्रम)
4.	2 – 3 फरवरी, 2021	बच्चों का पोषण और स्वास्थ्य देखभाल	17	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
5.	10 फरवरी, 2021	पोषण और स्वास्थ्य पर कार्यशाला	25	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
6.	8 – 9 मार्च, 2021	बाल स्वास्थ्य और पोषण पर कार्यशाला	18	मुख्यालय

मुख्यालय में 25-26 फरवरी, 2021 को **बाल देखभाल संस्थाओं में किशोरों के लिए सुरक्षित स्थान निर्मित करने पर एक ऑनलाइन जगरूकता कार्यक्रम** इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किया गया: प्रतिभागियों को किशोरों की विकासात्मक जरूरतों के बारे में बताना; बच्चों के प्रति हिंसा और उसके परिणामों पर जानकारी प्रदान करना; घरों में बच्चों की सुरक्षा के लिए सेवा वितरण प्रणाली और कानूनी प्रावधानों को समझने में उन्हें समर्थ बनाना और किशोरों को प्रभावी ढंग से समर्थन देने में परामर्शदाताओं और केस कार्यकर्ताओं के कौशल को बढ़ाना। कार्यक्रम में बाल देखभाल संस्थाओं के कुल 54 अधिकारियों ने भाग लिया।

निपसिड मुख्यालय में 25-26 मार्च, 2021 के **बाल देखभाल संस्थाओं में रहने वाले बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर एक अनुशिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम** इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किया गया: संस्थागत स्थापनाओं के संदर्भ में बच्चों की विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति प्रतिभागियों को संवेदनशील बनाना; मानसिक और व्यवहार संबंधी विकारों वाले बच्चों में इसके कारणों और मनो-सामाजिक हस्तक्षेपों पर चर्चा करना; मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की शीघ्र पहचान के लिए देखभाल करने वालों की समझ विकसित करना; और बच्चों से संबंधित मानसिक स्वास्थ्य और मनो-सामाजिक मुद्दों के प्रबंधन में देखभालकर्ताओं की भूमिका पर चर्चा करना। कार्यक्रम में बाल देखभाल संस्थाओं के कुल 32 अधिकारियों ने भाग लिया।

क्षेत्रीय केंद्र, लखनऊ द्वारा 14 जुलाई, 2020 को **बाल देखभाल संस्थाओं के पदाधिकारियों के लिए बच्चों की सीखने और व्यवहार संबंधी समस्याओं पर एक कार्यक्रम** इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किया गया: बच्चों की सीखने और व्यवहार संबंधी समस्याओं से बाल देखभाल संस्थाओं के पदाधिकारियों को परिचित कराना; और उन्हें विशेषज्ञ एजेंसियों से बच्चों के लिए समय पर

सहायता प्रदान करने या प्राप्त करने के लिए एक योजना विकसित करने में सक्षम बनाना। कार्यक्रम में कुल 22 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

क्षेत्रीय केंद्र, मोहाली द्वारा 18 मार्च, 2021 को **बाल संरक्षण योजना के अधिकारियों के लिए सही मुद्रा, निहितार्थ और प्रबंधन पर एक ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम** इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किया गया: प्रतिभागियों को सही मुद्रा के महत्व और जीवन पद्धति को यह कैसे प्रभावित करता है, को समझने में सक्षम बनाना; उन्हें विभिन्न गलत मुद्राओं और शरीर पर इसके प्रभाव के बारे में बताना; और प्रबंधन एवं उपचार तकनीकों के माध्यम से मुद्रा को सही करने और सुधारने की योजनाओं से उन्हें अवगत कराना, जिससे कई सकारात्मक स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। कार्यक्रम में कुल 45 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

6. विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण : विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण के पदाधिकारियों के लिए स्वास्थ्य और पोषण संबंधी मुद्दों का समाधान करने की आवश्यकता

प्रतिभागियों को स्वास्थ्य और पोषण संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में उन्मुख करने के उद्देश्य से **विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण के पदाधिकारियों के लिए स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता के मुद्दों का समाधान करने पर कुल 14 ऑनलाइन कार्यक्रम** आयोजित किए गए ताकि विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण में बच्चों को प्रदान की जाने वाली देखभाल की गुणवत्ता को सुधारा जा सकें।

विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण हेतु दत्तक ग्रहण विनियमों पर दो ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: दत्तक ग्रहण से संबंधित मुद्दों और चुनौतियों पर प्रतिभागियों को जागरूक बनाना; दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 पर प्रतिभागियों को उन्मुख करना; और प्रतिभागियों को दत्तक ग्रहण में उनकी भूमिका को समझने में समर्थ बनाना।



क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	26 – 27 मई, 2020	छोटे बच्चों की देखभाल	31	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
2.	25 जून, 2020	बचपन की देखभाल और विकास	26	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
3.	30 जून, 2020	बचपन की देखभाल और विकास	28	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
4.	30 जून – 1 जुलाई, 2020	बच्चों का स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण संबंधी देखभाल	51	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
5.	03 जुलाई, 2020	खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और खाद्य सुरक्षा मानकों को बनाए रखना	32	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
6.	28 जुलाई, 2020	बचपन की देखभाल और विकास	17	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
7.	21 अगस्त, 2020	बचपन की देखभाल और विकास	32	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
8.	25 अगस्त, 2020	विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण के लिए दत्तक ग्रहण विनियम	54	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
9.	7 सितंबर, 2020	विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण के लिए दत्तक ग्रहण विनियम	28	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
10.	11 – 12 सितंबर, 2020	बच्चों में उभरते स्थानिक रोग	27	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
11.	24 सितंबर, 2020	बचपन की देखभाल और विकास	37	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
12.	25 सितंबर, 2020	बच्चों के पोषण मूल्यांकन के तरीके	41	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
13.	18 – 19 जनवरी, 2021	बच्चों का स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण संबंधी देखभाल	47	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
14.	28 जनवरी, 2021	बचपन की देखभाल और विकास	53	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)

7. जीवन कौशल शिक्षा को बढ़ावा देना

जीवन कौशल शिक्षा पर कुल 17 ऑनलाइन कार्यक्रम/कार्यशालाएं इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित की गईं: जीवन कौशल की आवश्यकता और महत्व को समझना; लक्ष्य निर्धारण के महत्व को समझने पर

ध्यान केंद्रित करना – उचित सुझाव और तकनीक प्रदान करना; छात्रों को सही निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना; व जोखिम वाली स्थितियों, व्यवहारों को पहचानना एवं उनसे बचना और स्वस्थ व्यवहारों को अपनाना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	29 जून, 2020	माता – पिता	83	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली) (किशोरों के लिए जीवन कौशल और कैरियर योजना के संदर्भ में)



क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
2.	14-15 जुलाई, 2020	सरकारी संगठन के अधिकारियों और सीवील सोसाइटी के प्रतिनिधियों के लिए	28	मुख्यालय (पारिवारिक जीवन शिक्षा के माध्यम से किशोरियों के सशक्तिकरण के संदर्भ में)
3.	1 अगस्त, 2020	छात्र	88	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
4.	7-8 अगस्त, 2020	बाल देखभाल संस्थाओं में किशोर	48	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
5.	20-21 अगस्त, 2020	बाल देखभाल संस्थाओं के पदाधिकारी	31	मुख्यालय (पारिवारिक जीवन शिक्षा के माध्यम से किशोरियों के सशक्तिकरण के संदर्भ में)
6.	15-16 अक्टूबर, 2020	बाल देखभाल संस्थाओं के पदाधिकारी	64	मुख्यालय (पारिवारिक जीवन शिक्षा के माध्यम से किशोरियों के सशक्तिकरण के संदर्भ में)
7.	20 अक्टूबर, 2020	किशोरियां	52	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु), (कार्यशाला)
8.	6 नवंबर, 2020	बाल देखभाल संस्थाओं में रहने वाले बच्चे	36	मुख्यालय
9.	27 नवंबर, 2020	बाल देखभाल संस्थाओं में रहने वाले बच्चे	44	मुख्यालय
10.	10 दिसंबर, 2020	बाल देखभाल संस्थाओं में रहने वाले बच्चे	42	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
11.	17 दिसंबर, 2020	बाल देखभाल संस्थाओं में रहने वाले बच्चे	42	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
12.	18 दिसंबर, 2020	बाल देखभाल संस्थाओं में रहने वाले बच्चे	40	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
13.	28 दिसंबर, 2020	बाल देखभाल संस्थाओं में रहने वाले बच्चे	40	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
14.	29 दिसंबर, 2020	बाल देखभाल संस्थाओं में रहने वाले बच्चे	40	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
15.	24-25 फरवरी, 2021	बाल देखभाल संस्थाओं में रहने वाले बच्चे (11-18 वर्ष की लड़कियां)	46	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
16.	24-25 मार्च, 2021	बाल देखभाल संस्थाओं में रहने वाले बच्चे	11	मुख्यालय
17.	25-26 मार्च, 2021	बाल देखभाल संस्थाओं में किशोरियां	41	मुख्यालय (पारिवारिक जीवन शिक्षा के माध्यम से किशोरियों के सशक्तिकरण के संदर्भ में)

निपसिड मुख्यालय में 26–28 अगस्त, 2020 को बाल देखभाल संस्थाओं को चलाने वाले गैर सरकारी संगठनों के पदाधिकारियों के लिए एक कौशल-आधारित ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ किया गया: बाल देखभाल संस्थाओं में सम्मिलित बच्चों की व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत करना; और संस्थाओं से छुट्टी मिलने पर बच्चों का उचित प्लेसमेंट सुनिश्चित करना। कार्यक्रम में कुल 47 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

8. बाल संरक्षण सेवाओं के पदाधिकारियों के परामर्श कौशल को बढ़ाना

अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत बाल संरक्षण सेवाओं (सीपीएस) के परामर्शदाताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के परामर्श कौशल को बढ़ाने पर कुल चार ऑनलाइन कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: मनोवैज्ञानिक-सामाजिक समायोजन और बाल संरक्षण सेवाओं के तहत बच्चों के लिए परामर्श की आवश्यकता और महत्व पर चर्चा करना और बाल संरक्षण सेवाओं के अंतर्गत बच्चों को संभालने में प्रयुक्त विभिन्न परामर्श कौशल से उन्हें परिचित कराना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	7 – 8 जुलाई, 2020	बाल संरक्षण सेवाओं के तहत परामर्शदाता और सामाजिक कार्यकर्ता	65	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
2.	27 – 28 अगस्त, 2020	बाल संरक्षण सेवाओं के तहत परामर्शदाता और सामाजिक कार्यकर्ता	60	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
3.	20 अक्टूबर, 2020	बाल देखभाल संस्थाओं के बच्चों के परामर्शदाता	75	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
4.	27 नवंबर, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत बाल संरक्षण सेवाओं (सीपीएस) के परामर्शदाता और सामाजिक कार्यकर्ता	51	मुख्यालय

क्षेत्रीय केंद्र, लखनऊ द्वारा 29 मई, 2020 को बाल देखभाल संस्थाओं के हितधारकों और बच्चों के लिए तनाव प्रबंधन कौशल और तकनीकों पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किया गया: प्रतिभागियों को तनाव प्रबंधन के बारे में समझ विकसित करने में समर्थ बनाना और उन्हें तनाव प्रबंधन के कौशल और तकनीकों से युक्त करना। कार्यक्रम में कुल 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

9. बाल कल्याण समिति के नवनियुक्त अध्यक्षों/सदस्यों के लिए आरम्भिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्षेत्रीय केंद्र, मोहाली द्वारा 15–19 मार्च, 2021 को बाल कल्याण समिति के नवनियुक्त अध्यक्षों/सदस्यों के लिए एक ऑफलाइन आरम्भिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन इन प्रमुख

उद्देश्यों के साथ किया गया: प्रतिभागियों को बाल अधिकारों के संदर्भ में देश में बच्चों की स्थिति के बारे में जागरूक करना; किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 और आदर्श नियम 2016 के बारे में प्रतिभागियों को उन्मुख करना; किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत बाल कल्याण समिति की भूमिका और जिम्मेदारियों पर चर्चा करना; दत्तक ग्रहण विनियमों और बाल कल्याण समिति की भूमिका को समझना; बाल संरक्षण योजना के तहत विभिन्न हितधारकों की भूमिका के बारे में जानना; बाल देखभाल संस्थाओं में प्रतिभागियों को निगरानी और निरीक्षण करने में सक्षम बनाना; और बाल मनोविज्ञान और देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के साथ प्रभावी संवाद पर प्रतिभागियों की समझ को बढ़ाना। कार्यक्रम में कुल 24 प्रतिभागियों ने भाग लिया।



प्रशिक्षण कार्यक्रम, परामर्श बैठकें एवं कार्यशालाएं

महिला विकास एवं अधिकारिता





महिला विकास एवं अधिकारिता

संस्थान ने महिला विकास एवं अधिकारिता सम्बंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निम्नलिखित विषयों के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किये गए:

क्र.सं.	विषय	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1.	जेन्डर सुग्राह्यता, जेन्डर आधारित हिंसा से रोकथाम एवं महिला अधिकारिता	24	1032
2.	महिलाओं और बच्चों के लिए कानून एवं विधान पर जागरूकता एवं/अनुशिक्षण कार्यक्रम	14	829
3.	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (पीडब्ल्यूडीवीए), 2005	27	1344
4.	कार्यस्थल पर महिलाओं का जेन्डर उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं एवं निवारण) अधिनियम, 2013	29	1536
5.	महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करना	5	212
6.	महिला अधिकारिता	8	276
7.	महिलाओं के बीच उद्यमिता और कौशल विकास पर कार्यक्रम	9	425
8.	पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा (एनएचईडी) के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण	8	314
9.	मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन	7	426
10.	संकटग्रस्त महिलाओं के लिए विभिन्न मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	10	460
11.	स्वाधार गृह के कार्यकर्ताओं के लिए मनो-सामाजिक देखभाल और परामर्श पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और कार्यशालाएं	5	230
12.	उज्ज्वला योजना एवं महिलाओं और बच्चों की तस्करी का समाधान करने वाले कार्यक्रम	9	705
13.	वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) के पदाधिकारियों के लिए विभिन्न मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	13	699
14.	महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम पर वेबिनार/सुग्राह्यता कार्यक्रम	13	5449
15.	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	5	334
16.	परिवार परामर्श केन्द्रों का प्रबंधन	4	121
योग		190	14392



I. जेन्डर सुग्राह्यता, जेन्डर आधारित हिंसा से रोकथाम और महिला सशक्तिकरण

2020-21 के दौरान जेन्डर आधारित हिंसा का मुकाबला करने पर कुल पंद्रह ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ किया गया: जेन्डर आधारित हिंसा के बारे में प्रतिभागियों में स्पष्ट दृष्टिकोण

विकसित करना; समस्या को रोकने के लिए महिलाओं एवं लड़कियों के लिए मौजूदा कानूनी सुरक्षा उपायों पर जानकारी प्रदान करना; प्रतिभागियों को विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से अवगत कराना; और हिंसा से बचे लोगों को परामर्श और मनो-सामाजिक देखभाल प्रदान करने की क्षमता में वृद्धि करना।

क्र. सं. दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1. 27-29 मई, 2020	महिला शक्ति केंद्र की महिला कल्याण अधिकारी एवं जिला संयोजक	31	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
2. 28-29 मई, 2020	सरकारी संगठन और सिविल सोसायटी संगठन के अधिकारी	30	मुख्यालय
3. 30 जून-01 जुलाई, 2020	सरकारी संगठन और सिविल सोसायटी संगठन के अधिकारी	24	मुख्यालय
4. 15-16 जुलाई, 2020	सरकारी संगठन और सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधि	27	मुख्यालय (जेन्डर समानता और महिला अधिकारिता के संदर्भ में)
5. 21-22 जुलाई, 2020	सरकारी संगठन और सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधि	24	मुख्यालय (जेन्डर समानता और महिला अधिकारिता के संदर्भ में)
6. 3-4 सितंबर, 2020	महिला शक्ति केंद्र की महिला कल्याण अधिकारी एवं जिला संयोजक	47	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी) (लैंगिक संवेदीकरण के संदर्भ में)
7. 9-10 सितंबर, 2020	सरकारी संगठन और सिविल सोसायटी संगठन के अधिकारी	40	मुख्यालय
8. 10-11 सितंबर, 2020	सरकारी संगठन और सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधि	34	मुख्यालय (जेन्डर समानता और महिला अधिकारिता के संदर्भ में)
9. 29-30 सितंबर, 2020	सरकारी संगठन और सिविल सोसायटी संगठन के अधिकारी	30	मुख्यालय
10. 28-29 अक्टूबर, 2020	सरकारी संगठन और सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधि	45	मुख्यालय (जेन्डर समानता और महिला अधिकारिता के संदर्भ में)
11. 26 नवंबर, 2020	सरकारी संगठन और सिविल सोसायटी संगठन के अधिकारी	85	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली) (कानूनों और विधानों के विशेष संदर्भ में)
12. 9-10 दिसंबर, 2020	सरकारी संगठन और सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधि	30	मुख्यालय (जेन्डर समानता और महिला अधिकारिता के संदर्भ में)
13. 22-23 दिसंबर, 2020	सरकारी संगठन और सिविल सोसायटी संगठन के अधिकारी	44	मुख्यालय



क्र. सं. दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
14. 28-29 जनवरी, 2021	संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता और पुलिसकर्मी	57	मुख्यालय (पीडब्ल्यूडीवीए, 2005 के विशेष संदर्भ में)
15. 18-19 मार्च, 2021	सरकारी संगठन और सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधि	49	मुख्यालय (जेन्डर समानता और महिला अधिकारिता के संदर्भ में)

आंगनवाड़ी सेवा योजना (ए डब्ल्यू एस) और सामाजिक संगठनों के अधिकारियों के लिए पारिवारिक जीवन शिक्षा के माध्यम से किशोरियों के सशक्तिकरण पर तीन ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: प्रतिभागियों को किशोरावस्था के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों और चुनौतियों के बारे में उन्मुख

करना; प्रतिभागियों को प्रजनन स्वास्थ्य के मुद्दों एवं किशोरियों की पोषण संबंधी जरूरतों से अवगत कराना; किशोरियों के समग्र विकास के लिए पारिवारिक जीवन शिक्षा में उनकी भूमिका के बारे में उन्हें जागरूक बनाना; और किशोरावस्था के दौरान भावनात्मक स्वास्थ्य और समग्र विकास को बढ़ावा देने वाली कार्यनीतियों से उन्हें अवगत कराना।

क्र. सं. दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1. 21-22 जनवरी, 2021	ए डब्ल्यू एस के पदाधिकारी	100	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
2. 24-25 फरवरी, 2021	ए डब्ल्यू एस के पदाधिकारी	86	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
3. 24-25 मार्च, 2021	ए डब्ल्यू एस के पदाधिकारी	44	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)

19 फरवरी, 2021 को क्षेत्रीय केंद्र, गुवाहाटी में महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए महिलाओं के प्रति हिंसा की रोकथाम करने पर एक जागरूकता कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किया गया: प्रतिभागियों को जेन्डर आधारित हिंसा की अवधारणा के प्रति जागरूक बनाना; महिलाओं हेतु मौजूदा सहायता सेवाओं और कानूनी सुरक्षा उपायों की जानकारी प्रदान करना; और महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा की रोकथाम के प्रति छात्रों को सशक्त बनाने में महाविद्यालय के शिक्षकों की भूमिका पर विचार विमर्श करना। इस कार्यक्रम में कुल 25 (पच्चीस) कॉलेज शिक्षकों ने भाग लिया।

आपदा प्रबंधन में जेन्डर संबंधी मुद्दों को एकीकृत करने पर तीन ऑनलाइन कार्यक्रम निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: जेन्डर और आपदा प्रबंधन अवधारणाओं के बारे में समझ विकसित करना; जेन्डर आधारित आपदा जोखिमों, कमजोरियों और क्षमताओं की पहचान करने के लिए जेन्डर विश्लेषण के महत्व को रेखांकित करना; और आपदा प्रबंधन की समग्र योजना में जेन्डर दृष्टिकोण को शामिल करना।

क्र. सं. दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1. 27-28 अगस्त, 2020	एनडीआरएफ की 15 बटालियनों के निरीक्षक और उप निरीक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी और महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला परिवीक्षा अधिकारी, सिविल सोसायटी संगठन के सदस्य	32	मुख्यालय
2. 5-6 नवंबर, 2020	सिविल सोसायटी संगठन के सदस्य	52	मुख्यालय
3. 24-25 फरवरी, 2021	सिविल सोसायटी संगठन के सदस्य	33	मुख्यालय

जेन्डर योजना और मुख्यधारा में शामिल करने पर 29-30 सितंबर, 2020 को निपसिड मुख्यालय में एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ किया गया: जेन्डर अवधारण और जेन्डर मुख्यधारा के बारे में प्रतिभागियों की समझ को बढ़ाना; जेन्डर विश्लेषण के मुख्य दृष्टिकोणों पर उनकी क्षमताओं का विकास करना; व उन्हें जेन्डर दृष्टिकोण के साथ विकास कार्यक्रमों की योजना और प्रबंधन से अवगत कराना। कार्यक्रम में सरकारी, शैक्षणिक और तकनीकी संस्थाओं के **40 (चालीस)** अधिकारियों और सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

निपसिड मुख्यालय में 13-14 अगस्त, 2020 को **जेन्डर पक्षपातपूर्ण जेन्डर चयनात्मक उन्मूलन और कन्या शिशु हत्या की रोकथाम पर एक ऑनलाइन कार्यक्रम** आयोजित किया गया, जिसके उद्देश्य थे: प्रतिभागियों को बाल जेन्डर अनुपात के संदर्भ में भारत में बच्चों की स्थिति के बारे में बताना; गिरते जेन्डर अनुपात और बाल जेन्डर अनुपात के परिणामों के बारे में प्रतिभागियों को जागरूक बनाना और बालिकाओं के संरक्षण और विकास से संबंधित सरकारी कार्यक्रमों और विधान योजनाओं से प्रतिभागियों को परिचित कराना। कार्यक्रम में सरकारी और सिविल सोसायटी संगठनों के कुल **23 (तेईस)** प्रतिभागियों ने भाग लिया।

II. महिलाओं और बच्चों के लिए कानून, विधान एवं महिलाओं व बच्चों के कार्यक्रम हेतु जागरूकता/अनुशिक्षण कार्यक्रम

भारतीय संविधान के संवैधानिक मूल्यों और मौलिक सिद्धांतों पर 26 नवंबर, 2020 को निपसिड मुख्यालय में एक वेबिनार का आयोजन इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ किया

गया: भारतीय संविधान के मौलिक सिद्धांतों और प्रावधानों को समझने में प्रतिभागियों को सक्षम बनाना; और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने और भारत की एकता को बनाए रखने के लिए कर्मचारियों को मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूक करना। कार्यक्रम में मुख्यालय और क्षेत्रीय केंद्रों में निपसिड के संकाय सहित कुल 170 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

महिलाओं और बच्चों के जीवन का रक्षण और संरक्षण पर महिला और बाल विकास मंत्रालय की पहल पर एक ऑनलाइन अनुशिक्षण कार्यक्रम 17 दिसंबर, 2020 को संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र, मोहाली में इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किया गया: बच्चों के जीवन रक्षण और संरक्षण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ई-पहलों के बारे में करना और विभिन्न योजनाओं के तहत विभिन्न पदाधिकारियों की भूमिका पर चर्चा करना। कार्यक्रम में अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी सेवा योजना के कुल **91(इकानवे)** प्रतिभागियों ने भाग लिया।

महिलाओं और बच्चों के लिए कानूनों, विधानों और कार्यक्रमों पर कुल चार कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: प्रतिभागियों को महिला सशक्तिकरण, महिला अधिकारों और उनके प्रभावी कार्यान्वयन पर उन्मुख करना; महिलाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों एवं कानूनों पर चर्चा करना; महिलाओं और बच्चों से संबंधित सरकार की विभिन्न नीतियों एवं कार्यक्रम की पहल के प्रतिभागियों को उन्मुख करना; तथा महिलाओं की देखभाल और सुरक्षा में विभिन्न हितधारकों की भूमिका पर चर्चा करना और संबंधित कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना।

क्र. सं. दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1. 20-21 अक्टूबर, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारी	39	मुख्यालय (महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनी सुरक्षा उपायों के संदर्भ में)
2. 22-23 अक्टूबर, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारी	43	मुख्यालय (महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनी सुरक्षा उपायों के संदर्भ में)
3. 15-16 दिसंबर, 2020	सिविल सोसायटी संगठन	42	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु) (महिलाओं और बच्चों के संदर्भ में)
4. 16-17 मार्च, 2021	सरकारी संगठन और सिविल सोसायटी संगठन के अधिकारी	50	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर) (महिलाओं के संदर्भ में)

सिविल सोसायटी संगठनों के लिए **महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम** 22-23 मार्च, 2021 को क्षेत्रीय केंद्र, गुवाहाटी में इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किया गया: प्रतिभागियों को महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास के बारे में पर्याप्त समझ विकसित करने में सक्षम बनाना; राष्ट्रीय कार्यक्रमों और नीतियों के साथ-साथ महिलाओं और बाल विकास के लिए संवैधानिक प्रावधानों के बारे में उन्मुख करना; महिलाओं और बच्चों को सभी प्रकार के दुर्व्यवहार से बचाने के लिए उन्हें संवेदनशील बनाना और मुद्दों के समाधान के लिए एक योजना/तंत्र विकसित करना। कार्यक्रम में सिविल सोसायटी संगठनों के कुल **41 (इकतालीस)** अधिकारियों ने भाग लिया।

दहेज निषेध अधिनियम, 1986 के संबंध में महिलाओं की स्थिति पर एक ऑनलाइन अनुशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 14-15 अक्टूबर, 2020 को क्षेत्रीय केंद्र, मोहाली में इन

प्रमुख उद्देश्यों के साथ किया गया: भारत में दहेज प्रथा के आकार, कारणों, प्रकृति और अभिव्यक्ति के बारे में प्रतिभागियों को संवेदनशील करना; व्यथित महिलाओं द्वारा झेले जाने वाले आघात के बारे में समझ विकसित करना; एवं दहेज निषेध अधिनियम और विभिन्न हितधारकों द्वारा किए जाने वाले उपायों पर जानकारी प्रदान करना। कार्यक्रम में सरकारी संगठन और सिविल सोसायटी संगठन के कुल **86 (छियासी)** अधिकारियों ने भाग लिया।

सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम 2019 पर दो ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: प्रतिभागियों को आरटीआई (संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत किए गए विभिन्न प्रावधानों के बारे में जानकारी देना; व मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करना और उन्हें अधिनियम की मुख्य विशेषताओं के प्रति उन्मुख करना।

क्र. सं.दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1. 04 दिसंबर, 2020	सिविल सोसायटी संगठन के पदाधिकारी	38	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
2. 11 फरवरी, 2021	सिविल सोसायटी संगठन के पदाधिकारी	20	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)

संस्थान द्वारा बाल विवाह की रोकथाम पर तीन ऑनलाइन अनुशिक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार आयोजित किए गए:

क्र. सं.दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1. 04-05 अगस्त, 2020	आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारी	100	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
2. 19-20 नवंबर, 2020	आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारी	40	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
3. 03-04 दिसंबर, 2020	आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारी	49	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)

संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र, लखनऊ द्वारा 26 जून, 2020 को सिविल सोसायटी संगठन के लिए **महिलाओं के अस्तित्व और संरक्षण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पोर्टल पर एक वेबिनार** इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किया गया: बच्चों के अस्तित्व और संरक्षण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पोर्टल के बारे में जागरूक करना, इसमें सिविल सोसायटी संगठन के **20 (बीस)** प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

III. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (पीडब्ल्यूडीवीए), 2005

राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़ों के अनुसार, कोविड

महामारी के दौरान देश में घरेलू हिंसा के मामलों, जेन्डर आधारित हिंसा में वृद्धि देखी गई। **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम पीडब्ल्यूडीवीए, 2005 पर विभिन्न हितधारकों को उन्मुख और जागरूक करने के लिए कुल 27 कार्यक्रम** आयोजित किए गए, जिनके मुख्य उद्देश्य थे: जेन्डर आधारित हिंसा और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के संदर्भ में "घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005" के विभिन्न प्रावधानों पर जानकारी प्रदान करना; और पीडब्ल्यूडीवीए के प्रभावी उपयोग में सुरक्षा अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और पुलिस कर्मियों जैसे विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर चर्चा करना।



क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	30 मई, 2020	संरक्षण अधिकारी और परामर्शदाता	25	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
2.	5 जून, 2020	संरक्षण अधिकारी और परामर्शदाता	100	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
3.	24-25 जून, 2020	सरकारी संगठन और सिविल सोसायटी संगठन के अधिकारी	32	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
4.	29-30 जून, 2020	कर्नाटक के परिवार परामर्श केंद्र के सदस्य	92	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
5.	9-10 जुलाई, 2020	महिला देखभाल संस्थाओं के पदाधिकारी	27	मुख्यालय
6.	13-14 जुलाई, 2020	सिविल सोसायटी संगठन	66	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
7.	4-5 अगस्त, 2020	सिविल सोसायटी संगठन	65	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
8.	13-14 अगस्त, 2020	परिवार परामर्श	60	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
9.	24-25 अगस्त, 2020	तमिलनाडु के केंद्र सदस्य	48	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
10.	28 अगस्त, 2020	वन स्टॉप सेंटर के पदाधिकारी	33	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
11.	31 अगस्त, 2020	संरक्षण अधिकारी और परामर्शदाता	35	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
12.	3-4 सितंबर, 2020	सिविल सोसायटी संगठन	45	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
13.	8-9 सितंबर, 2020	महिला देखभाल संस्थाओं के पदाधिकारी	44	मुख्यालय
14.	10 सितंबर, 2020	परिवार परामर्श केंद्र के परामर्शदाता	32	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
15.	18 सितंबर, 2020	सिविल सोसायटी संगठन	39	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
16.	24-25 सितंबर, 2020	सिविल सोसायटी संगठन	80	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
17.	8-9 अक्टूबर, 2020	महिला देखभाल संस्थाओं के पदाधिकारी	43	मुख्यालय
18.	15-16 अक्टूबर, 2020	तमिलनाडु के महिला संस्थाओं के संरक्षण अधिकारी और परामर्शदाता	66	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
19.	09-10 नवंबर, 2020	सरकारी संगठन और सिविल सोसायटी संगठन के अधिकारी	30	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
20.	10 नवंबर, 2020	परिवार परामर्श केंद्र के परामर्शदाता	25	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
21.	19 नवंबर, 2020	परिवार परामर्श केंद्र के परामर्शदाता	33	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
22.	25-26 नवंबर, 2020	सिविल सोसायटी संगठन	100	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
23.	10-11 दिसंबर, 2020	सिविल सोसायटी संगठन	20	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
24.	14-15 जनवरी, 2021	महिला देखभाल संस्थाओं के पदाधिकारी	63	मुख्यालय
25.	16 फरवरी, 2021	सिविल सोसायटी संगठन	18	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
26.	09 मार्च, 2021*	संरक्षण अधिकारी और परामर्शदाता	11	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
27.	23-24 मार्च, 2021	सरकारी संगठन और सिविल सोसायटी संगठन के अधिकारी	112	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)

*पीडब्ल्यूडीवीए, 2005 के तहत बचाव और पुनर्वास पर आयोजित कार्यक्रम (ऑफलाइन)

**IV. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौनिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013**

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौनिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 पर कुल 29 ऑनलाइन सुग्राह्यता/अनुशिक्षण कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: आईपीसी के तहत

महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधानों एवं महिलाओं के संरक्षण पर प्रतिभागियों को जागरूक बनाना; प्रतिभागियों को अधिनियम के प्रति उन्मुख करना और आंतरिक कमेटी और स्थानीय कमेटी के सदस्यों की भूमिका का मूल्यांकन करना; एवं निवारण प्रणाली एवं प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक करना एवं पीड़ितों को परामर्श देना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	15 जुलाई, 2020	सरकारी संगठन और सिविल सोसायटी संगठन के अधिकारी	101	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
2.	15-16 जुलाई, 2020	सरकारी संगठन और सिविल सोसायटी संगठन के अधिकारी	73	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
3.	03-04 सितंबर, 2020	सरकारी संगठन और सिविल सोसायटी संगठन के अधिकारी	47	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
4.	07-08 सितंबर, 2020	सीडीपीओ और ए डब्ल्यू एस के पर्यवेक्षक	33	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
5.	10-11 सितंबर, 2020	सरकारी संगठन और सिविल सोसायटी संगठन के अधिकारी	43	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
6.	17-18 सितंबर, 2020	सरकारी संगठन और सिविल सोसायटी संगठन के अधिकारी	60	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
7.	28-29 सितंबर, 2020	सीडीपीओ और ए डब्ल्यू एस के पर्यवेक्षक	35	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
8.	12 अक्टूबर, 2020	सिविल सोसायटी संगठन	85	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
9.	20-21 अक्टूबर, 2020	सरकारी संगठन और सिविल सोसायटी संगठन के अधिकारी	100	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
10.	06 नवंबर, 2020	सरकारी संगठन और नागरिक संगठनों के पदाधिकारी	67	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
11.	09 नवंबर, 2020	क्षेत्रीय केंद्र, लखनऊ के कर्मचारी	20	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
12.	10-11 नवंबर, 2020	सीडीपीओ और ए डब्ल्यू एस के पर्यवेक्षक	25	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
13.	24-25 नवंबर, 2020	सरकारी संगठन और सिविल सोसायटी संगठन के अधिकारी	90	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
14.	25-26 नवंबर, 2020	सरकारी संगठन और सिविल सोसायटी संगठन के अधिकारी	64	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
15.	10-11 दिसंबर, 2020	सरकारी संगठन और सिविल सोसायटी संगठन के अधिकारी	95	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
16.	18 दिसंबर, 2020	सरकारी संगठन और नागरिक संगठनों के पदाधिकारी	15	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)



क्र. सं. दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
17. 22-23 दिसंबर, 2020	सरकारी संगठन और सिविल सोसायटी संगठन के अधिकारी	51	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
18. 28 दिसंबर, 2020	बहु हितधारक	26	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
19. 05 जनवरी, 2021	आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारी	29	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
20. 18 फरवरी, 2021	क्षेत्रीय केंद्र, लखनऊ के कर्मचारी	21	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
21. 18-19 जनवरी, 2021	इसरो के अधिकारी	72	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
22. 19 जनवरी, 2021	प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक	33	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ), पॉक्सो अधिनियम सहित
23. 21 जनवरी, 2021	बाल देखभाल संस्थाओं के पदाधिकारी	42	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
24. 01-02 फरवरी, 2021	सरकारी संगठन और सिविल सोसायटी संगठन के अधिकारी	70	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
25. 17-18 फरवरी, 2021	सरकारी संगठन और सिविल सोसायटी संगठन के अधिकारी	79	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
26. 9 मार्च, 2021	डब्ल्यूसीडी के पदाधिकारी	42	मुख्यालय
27. 10 मार्च, 2021	आईसीडीएस और सामाजिक	48	मुख्यालय
28. 16 मार्च, 2021	कल्याण विभाग, ओडिशा	34	मुख्यालय
29. 26 मार्च, 2021	बहु हितधारक	36	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)

V. महिलाओं की रक्षा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना

महिलाओं की रक्षा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने पर कुल पांच ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: जेन्डर आधारित हिंसा के बारे में दृष्टिकोण विकसित करना; महिलाओं की रक्षा एवं सुरक्षा के

खतरों एवं इसके परिणामों पर जानकारी प्रदान करना; महिलाओं और लड़कियों के लिए कानूनी सुरक्षा उपायों पर समझ विकसित करना; व अन्य हितधारकों के साथ पक्षसमर्थन(एडवोकेसी) और नेटवर्किंग के माध्यम से महिलाओं की रक्षा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना।

क्र. सं. दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1. 23-24 जुलाई, 2020	सरकारी संगठनों और नागरिक संगठनों के अधिकारी	30	मुख्यालय
2. 30-31 जुलाई, 2020	सरकारी संगठनों और नागरिक संगठनों के अधिकारी	37	मुख्यालय (कार्यस्थल के संदर्भ में)
3. 22-23 सितंबर, 2020	सरकारी संगठनों और नागरिक संगठनों के अधिकारी	41	मुख्यालय (कार्यस्थल के संदर्भ में)
4. 20-21 अक्टूबर, 2020	सरकारी संगठनों और नागरिक संगठनों के अधिकारी	44	मुख्यालय



क्र. सं. दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
5. 28-29 जनवरी, 2021	सरकारी संगठनों और नागरिक संगठनों के अधिकारी	60	मुख्यालय (कार्यस्थल के संदर्भ में)

VI. महिला अधिकारिता

क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ) के संकाय सदस्यों और कर्मचारियों के लिए 8 मार्च, 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस चुनौती के चयन के अवसर पर जागरूकता सह शैक्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कुल 30 (तीस) संकाय सदस्यों ने अपने विचार साझा किए।

निपसिड मुख्यालय में 30-31 मार्च, 2021 को "सशक्त नारी नेतृत्व" पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य उद्देश्य थे: महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में जेन्डर मुद्दों पर जानकारी प्रदान करना; महिलाओं को अपनी नेतृत्व क्षमता की पहचान करना कि उनके पास क्या है और वे अपने समुदायों में कैसे योगदान कर सकते हैं; महिलाओं में नेतृत्व विकास के पहलुओं और विशेषताओं से उन्हें परिचित कराना; नेतृत्व शैली और टीम निर्माण के दृष्टिकोण पर चर्चा करना और महिलाओं को भविष्य के लिए उनके कौशल, ज्ञान और दृष्टि को एक साथ लाने के

लिए एक मंच प्रदान करना; महिलाओं के बीच प्रबंधन तकनीकों और निर्णय लेने के कौशल को बढ़ाना; और विकास के लिए बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश राज्य से कुल 34 (चौतीस) निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

महिलाओं के नेतृत्व में वृद्धि के साथ महिलाओं के नेतृत्व को सशक्ति करने पर कुल चार ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में जेन्डर मुद्दों पर जानकारी प्रदान करना; महिलाओं में नेतृत्व विकास के पहलुओं एवं विशेषताओं से उन्हें परिचित कराना; नेतृत्व शैलियों एवं टीम-निर्माण दृष्टिकोण पर चर्चा करना; महिलाओं के बीच प्रबंधन तकनीकों और निर्णय लेने के कौशल को बढ़ाना; व महिलाओं में नेतृत्व वाले सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हितधारकों के बीच नेटवर्किंग और साझेदारी को बढ़ावा देना।

क्र. सं. दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1. 25-26 जून, 2020	सरकारी संगठनों के अधिकारी, वन स्टॉप सेंटर के पदाधिकारी, महिला शक्ति केंद्र और सिविल सोसायटी संगठनों के पदाधिकारी	25	मुख्यालय
2. 13-14 अगस्त, 2020	सरकारी संगठनों के अधिकारी	33	मुख्यालय
3. 26-27 नवंबर, 2020	सरकारी संगठनों के अधिकारी	41	मुख्यालय
4. 10-11 फरवरी, 2021	सरकारी संगठनों के अधिकारी	43	मुख्यालय

सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधियों हेतु महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर योजनाओं के अभिसरण पर कुल दो सुग्राह्यता कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: प्रतिभागियों को कोविड-19 के दौरान महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों

के बारे में उन्मुख करना; महिलाओं के स्वरोजगार के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं/सूक्ष्म वित्त के बारे में उन्हें सुग्राह्यी करना; व सामुदायिक स्तर पर स्थानीय स्वरोजगार के अवसर पैदा करने पर सिविल सोसायटी संगठनों की क्षमताओं को बढ़ाना।

क्र. सं. दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1. 14 - 15 अक्टूबर, 2020	सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधि	45	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
2. 11 - 12 नवंबर, 2020	सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधि	25	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)

VII. महिलाओं में उद्यमिता कौशल विकास पर कार्यक्रम

महिलाओं में उद्यमिता कौशल विकास पर कुल सात ऑनलाइन कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: उद्यमिता विकास के माध्यम से महिला सशक्तिकरण

की प्रक्रिया को समझना; महिलाओं में उद्यमिता विकसित करने और सूक्ष्म उद्यमों के प्रबंधन के बारे में उन्हें जागरूक बनाना; उद्यम निर्माण के आवश्यक कौशल का अभ्यास करना; व प्रशिक्षण कौशल और व्यवसाय विकास सेवाओं में सुधार करना।



क्र. सं. दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1. 9-10 जुलाई, 2020	महिला उद्यमी, स्वयं सहायता समूह	52	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर) (एमएसएमई के संदर्भ में)
2. 25-26 अगस्त, 2020	महिला उद्यमी, स्वयं सहायता समूह	30	मुख्यालय
3. 8-9 अक्टूबर, 2020	महिला उद्यमी, स्वयं सहायता समूह	47	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर) (एमएसएमई के संदर्भ में)
4. 05-06 नवंबर, 2020	महिला उद्यमी, स्वयं सहायता समूह	60	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर) (एमएसएमई के संदर्भ में)
5. 10-11 नवंबर, 2020	महिला उद्यमी, स्वयं सहायता समूह	30	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर) (एमएसएमई के संदर्भ में)
6. 24-25 नवंबर, 2020	महिला उद्यमी, स्वयं सहायता समूह	43	मुख्यालय
7. 23-24 फरवरी, 2021	महिला उद्यमी, स्वयं सहायता समूह	48	मुख्यालय

क्षेत्रीय केंद्र, इंदौर द्वारा 15 जनवरी, 2021 को महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए पब्लिक-सिविल सोसायटी संगठन-व्यावसायिक भागीदारी पर इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया गया: महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए पब्लिक-सिविल सोसायटी संगठन-व्यावसायिक भागीदारी पर प्रतिभागियों को जागरूक करना; और बच्चों एवं महिलाओं के बुनियादी विकास के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने में उनकी क्षमता का निर्माण करना। कार्यशाला में 63 पदाधिकारियों ने भाग लिया।

संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र, लखनऊ द्वारा 22 जून, 2020 को स्वैच्छिक संगठनों के लिए स्टार्टअप इंडिया अभियान के माध्यम से महिला अधिकारिता पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किया गया: प्रतिभागियों को स्टार्टअप इंडिया अभियान के बारे में समझ विकसित करने में सक्षम बनाना; प्रतिभागियों को महिला अधिकारिता के लिए स्टार्टअप कार्यों में सहायता करने में सक्षम बनाना; सिविल सोसायटी संगठन के 52 (बावन) पदाधिकारियों की भागीदारी के साथ नवाचार (इनोवेशन) को बढ़ावा देने के लिए सरकारी और निजी संगठनों के सहयोग से मेन्टरशीप कार्यक्रम आयोजित करना।

VIII. पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा (एनएचईडी) के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण

महिलाओं और बच्चों का पोषण पर आधारित सशक्तिकरण पर 02-03 सितंबर, 2020 को निपसिड मुख्यालय में एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: भारत में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति को समझना; भारत में महिलाओं और बच्चों की पोषण स्थिति पर प्रभाव डालने वाले महिला सशक्तिकरण के आर्थिक, सामाजिक – सांस्कृतिक और कानूनी पहलुओं के बारे में प्रतिभागियों को उन्मुख करना; तथा महिलाओं एवं बच्चों के लिए पोषण पर आधारित सशक्तिकरण का पक्षसमर्थन।

पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर कुल पांच कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: महिला सशक्तिकरण के आयामों पर प्रतिभागियों की जानकारी में वृद्धि करना; उन्हें पोषण और स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए न्यूट्रीशन एण्ड हेल्थ एजुकेशन के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के बारे में बताना; प्रतिभागियों को पोषण हेतु सशक्तिकरण करने के लिये कानूनी एवं कार्यक्रमों के आधार पर महिलाओं के सशक्तिकरण की जानकारी देना ताकि महिलाओं एवं बच्चों के संदर्भ में पोषण से संबंधी बेहतर परिणाम हो सकें तथा न्यूट्रीशन एण्ड हेल्थ एजुकेशन प्रदान करने के लिए। प्रदान करने के लिए प्रतिभागियों को उपयुक्त और पर्याप्त संवाद कौशल से युक्त करना।



क्र. सं. दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1. 29-30 जून, 2020	सरकारी संगठन और सिविल सोसायटी संगठनों के अधिकारी	23	मुख्यालय
2. 02-03 सितंबर, 2020	स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), सिविल सोसायटी संगठन	38	मुख्यालय
3. 15-16 सितंबर, 2020	आंगनवाड़ी सेवा योजना के कार्यकर्ता	45	मुख्यालय (सशक्तिकरण के लिए पोषण अभियान के तहत अभिसरण प्रणाली के संदर्भ में)
4. 24-25 सितंबर, 2020	आंगनवाड़ी सेवा योजना के कार्यकर्ता	45	मुख्यालय
5. 18-19 मार्च, 2021	बुनकर सेवा केंद्र, गुवाहाटी के प्रशिक्षक	37	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)

“महिलाओं एवं बच्चों के लिए स्ट्रेटजिक पोषण” पर कुल तीन ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: देश में महिलाओं एवं बच्चों की पोषक तत्वों की आवश्यकताओं एवं पोषण की स्थिति के बारे में प्रतिभागियों की जानकारी में वृद्धि करना; महिलाओं एवं बच्चों

के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति के निर्धारक तत्वों से प्रतिभागियों को अवगत कराना; महिलाओं एवं बच्चों के पोषण में सुधार की योजनाओं, नीतियों एवं कार्यक्रमों पर प्रकाश डालना; कुपोषण के प्रबंधन के बारे में जानना; व पोषण कार्यों के लिए सिफारिशें, औचित्य एवं साक्ष्य तैयार करना।

क्र. सं. दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1. 21-22 जनवरी, 2021	सरकारी संगठन और सिविल सोसायटी संगठनों के अधिकारी	58	मुख्यालय
2. 16-17 फरवरी, 2021	सरकारी संगठन और सिविल सोसायटी संगठनों के अधिकारी	45	मुख्यालय
3. 18-19 फरवरी, 2021	सरकारी संगठन और सिविल सोसायटी संगठनों के अधिकारी	23	मुख्यालय

IX. मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन

मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन पर कुल पांच ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए

गए: मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना एवं प्रतिभागियों को किशोरियों एवं महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य की देखभाल की जरूरतों के बारे में बताना।

क्र. सं. दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1. 06-07 जुलाई, 2020	दक्षिणी क्षेत्र के सिविल सोसायटी संगठनों के अधिकारी और सरकारी संगठन के अधिकारी	30	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
2. 13-14 जुलाई, 2020	सरकारी संगठन के अधिकारी	30	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
3. 28-29 सितंबर, 2020	सरकारी संगठन के अधिकारी	100	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
4. 27 नवंबर, 2020	स्कूल और महाविद्यालय के छात्र	83	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
5. 02 दिसंबर, 2020	स्कूल और महाविद्यालय के छात्र	81	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी) के अधिकारी

महिलाओं में मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन कार्यक्रम 25-26 नवंबर, 2020 को क्षेत्रीय केंद्र, मोहाली में आयोजित किया गया, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: महिलाओं द्वारा सहन की जाने वाली विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य यातनाओं एवं बाधाओं को समझना; महिलाओं को उनके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की महत्व को जानने में मदद करना; व महिलाओं के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के विभिन्न उपायों एवं दैनिक योजनाओं का सुझाव देना। कार्यक्रम में सरकारी संगठन और सिविल सोसायटी संगठन के कुल 61 (इकसठ) अधिकारियों ने भाग लिया।

महिलाओं एवं बच्चों के लिए विकासात्मक कार्यक्रमों में अभिसरण पर एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन 29 जुलाई, 2020 को क्षेत्रीय केंद्र, मोहाली में इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ किया गया: महिलाओं एवं बच्चों के लिए विभिन्न संस्थाओं/विभागों के वर्तमान कार्यक्रमों की समीक्षा करना; और जनशक्ति विकास, अनुसंधान एवं प्रलेखन के संदर्भ में विभिन्न संस्थाओं/विभागों के साथ अभिसरण के स्कोप को समझना; कार्यक्रमों, अनुसंधान एवं प्रलेखन के कार्यान्वयन में सहयोग करना। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विभाग के 41 (इकतालीस) अधिकारियों ने भाग लिया।

X. संकटग्रस्त महिलाओं के लिए विभिन्न मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

महिला संस्थाओं/महिला हेल्पलाइन के पदाधिकारियों के लिए महिला सुरक्षा एवं मनो-सामाजिक कल्याण पर एक ऑनलाइन अनुशिक्षण कार्यक्रम 23-25 सितंबर, 2020 को क्षेत्रीय केंद्र, बेंगलुरु में इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किया गया: जेन्डर प्रभावों एवं पीड़ितों के मनो-सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के मुद्दों एवं उपायों के प्रति प्रतिभागियों को संवेदनशील बनाना; उन्हें महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा उपायों से अवगत कराना; व उन्हें संकटग्रस्त महिलाओं को समृद्ध करने हेतु आवश्यक संवाद कौशल एवं तकनीकों पर उन्मुख करना। कार्यक्रम में 144 (एक सौ चवालीस) पदाधिकारियों ने भाग लिया।

विपत्तिग्रस्त महिलाओं के लिए परामर्श कौशल पर नौ प्रशिक्षण कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: प्रतिभागियों को महिलाओं को कोविड-19 महामारी के मनोवैज्ञानिक प्रभाव के बारे में जागरूक करना; संकट की इस स्थिति में महिलाओं की सहायता करने में उनकी भूमिका के प्रति समझ विकसित करना; उन्हें परामर्श की तकनीकों से युक्त करना; व उन्हें महामारी की स्थिति के दौरान टेली-काउंसलिंग जैसे परामर्श के वैकल्पिक तरीकों से परिचित कराना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	28-29 मई, 2020	संकटग्रस्त महिलाओं को सेवाएं प्रदान करने वाले देखभालकर्ता	32	मुख्यालय (संकटग्रस्त महिलाओं को सेवाएं प्रदान करने वाले देखभाल कर्ताओं के लिए मनो-सामाजिक देखभाल और परामर्श के संदर्भ में)
2.	2-3 जुलाई, 2020	संकटग्रस्त महिलाओं के लिए काम कर रहे परामर्शदाता	28	मुख्यालय
3.	27-28 जुलाई, 2020	संकटग्रस्त महिलाओं के लिए काम कर रहे परामर्शदाता	26	मुख्यालय
4.	17-18 अगस्त, 2020	कर्नाटक के राज्य गृहों और स्वागत केंद्रों के पदाधिकारी	22	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु) (परामर्श कौशल के संदर्भ में)
5.	27-28 अगस्त, 2020	महिला आश्रय गृहों के पदाधिकारी	32	मुख्यालय
6.	4-5 सितंबर, 2020	संकटग्रस्त महिलाओं के लिए काम कर रहे परामर्शदाता	42	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली) (संवाद और बातचीत कौशल के संदर्भ में)
7.	24-25 सितंबर, 2020	संकटग्रस्त महिलाओं के लिए काम कर रहे परामर्शदाता	45	मुख्यालय
8.	25-26 नवंबर, 2020	महिला आश्रय गृहों के पदाधिकारी	47	मुख्यालय
9.	16.17 दिसंबर, 2020	संकटग्रस्त महिलाओं के लिए काम कर रहे परामर्शदाता	42	मुख्यालय

XI. स्वाधार गृह के पदाधिकारियों के लिए मनो-सामाजिक देखभाल एवं परामर्श पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और कार्यशालाएं

स्वाधार गृह के पदाधिकारियों के लिए दो पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और मनो-सामाजिक देखभाल एवं परामर्श पहलुओं पर तीन पाठ्यक्रम सहित कुल पांच कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के मुख्य उद्देश्य थे:

प्रतिभागियों को महिलाओं पर कोविड-19 महामारी के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक प्रभाव के प्रति संवेदनशील बनाना; स्वाधार गृह योजना के न्यूनतम विवरण पर चर्चा करना; पीड़ितों के लिए स्वास्थ्य देखभाल, व्यक्तिगत आरोग्यता और स्वच्छता को बढ़ावा देने पर विचार-विमर्श करना; इस संकट की स्थिति में महिलाओं की सहायता करने में उनकी भूमिका पर समझ विकसित करना एवं संकटग्रस्त महिलाओं को मनो-सामाजिक देखभाल सहायता प्रदान करने में उनके कौशल को बढ़ाना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	8-9 जुलाई, 2020*	स्वाधार गृह के पदाधिकारी	37	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
2.	23-24 जुलाई, 2020*	स्वाधार गृह के पदाधिकारी	38	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
3.	26-28 अगस्त, 2020	स्वाधार गृह के पदाधिकारी	53	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
4.	21-22 सितंबर, 2020	स्वाधार गृह के पदाधिकारी	63	मुख्यालय
5.	22-23 अक्टूबर, 2020	स्वाधार गृह के पदाधिकारी	39	मुख्यालय

*पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

XII. उज्ज्वला योजना व महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी से संबंधित कार्यक्रम

उज्ज्वला गृहों के पदाधिकारियों के लिए उज्ज्वला योजना पर कुल दो पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम 16-17 जुलाई, 2020 और 17-18 सितंबर, 2020 को इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: उज्ज्वला योजना के विवरण पर बारीकी से चर्चा करना; मानव तस्करी की शिकार महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं के प्रति उन्हें संवेदनशील करना; मानव तस्करी से संबंधित कानूनों पर चर्चा करना; पीड़ितों के लिए स्वास्थ्य देखभाल, व्यक्तिगत आरोग्यता एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने पर विचार-विमर्श करना; व मनो-सामाजिक सहायता प्रदान करने में प्रतिभागियों के ज्ञान एवं कौशल को बढ़ाना।

उज्ज्वला योजना को लागू करने वाले पदाधिकारियों के लिए मनो-सामाजिक समर्थन पर कुल दो ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 16-17 जुलाई, 2020 और 17-18 सितंबर, 2020 को निपसिड मुख्यालय में इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: प्रतिभागियों को मानव तस्करी के बारे में जानकारी देना और उन्हें उज्ज्वला योजना के बारे में उन्मुख करना; मानव तस्करी की शिकार महिलाओं को मदद करने हेतु

प्रतिभागियों को ज्ञान और कौशल से युक्त करना; मानव तस्करी को रोकने के लिए एक पक्षसमर्थन व्यवस्था विकसित करने के लिए उन्हें एक मंच प्रदान करना; और उन्हें मानव तस्करी से बचे लोगों के लिए मनो-सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार करना।

सिविल सोसायटी संगठनों के लिए मानव तस्करी की रोकथाम पर एक ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम 30 जुलाई, 2020 को क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी में इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किया गया: बाल संरक्षण के मुद्दों पर प्रतिभागियों को उन्मुख करना; अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (आईटीपीए) पर प्रतिभागियों को जानकारी देना; और बाल तस्करी को रोकने में सिविल सोसायटी संगठनों की भूमिका पर चर्चा करना।

मानव तस्करी को रोकने विषयक तीन ऑन लाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम सरकारी संगठनों एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के लिए 9-10 नवंबर, 2020, 23-24 नवंबर, 2020 और 21-22 जनवरी, 2021 को क्षेत्रीय केन्द्र, बैंगलुरु में इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: प्रतिभागियों को महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी की रोकथाम एवं उनके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर इसके परिणामों के बारे में



स्पष्ट दृष्टिकोण विकसित करने में सक्षम बनाना; मौजूदा कोरोना महामारी की स्थिति में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में यौन हिंसा तथा महिलाओं एवं लड़कियों की तस्करी पर चर्चा करना; मानव तस्करी (निवारण, संरक्षण एवं पुनर्वास) अधिनियम, 2018 की मुख्य विशेषताओं से प्रतिभागियों को अवगत कराना; तथा महिलाओं एवं बच्चों में तस्करी से बचाव, पुनर्वास, पुनर्स्थापन और निवारण पर काम कर रहे प्रतिभागियों के अनुभवों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करना।

विभिन्न हितधारकों के लिए पूर्वोत्तर भारत में मानव तस्करी पर एक ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम 26 नवंबर, 2020 को क्षेत्रीय केन्द्र, गुवाहाटी में इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किया गया: मानव तस्करी की रोकथाम से संबंधित मुद्दों पर प्रतिभागियों को उन्मुख करना; अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 (आईटीपए); व मानव तस्करी के शिकार लोगों के निवारण और पुनर्वास में विभिन्न हितधारकों की भूमिका से प्रतिभागियों को परिचित कराना।

क्र. सं. दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1. 16-17 जुलाई, 2020	उज्जवला योजना के कार्यान्वयन के पदाधिकारी	27	मुख्यालय
2. 16-17 जुलाई, 2020	उज्जवला गृहों के पदाधिकारी	66	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
3. 30 जुलाई, 2020	नागरिक सामाजिक संगठन	95	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
4. 17-18 सितंबर, 2020	उज्जवला गृहों के पदाधिकारी	38	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
5. 17-18 सितंबर, 2020	उज्जवला योजना के कार्यान्वयन के पदाधिकारी	40	मुख्यालय
6. 09-10 नवंबर, 2020	सरकारी संगठन और नागरिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि	85	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
7. 23-24 नवंबर, 2020	सरकारी संगठन और नागरिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि	87	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
8. 26 नवंबर, 2020	सरकारी संगठन और नागरिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि	77	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
9. 21-22 जनवरी, 2021	सरकारी संगठन और नागरिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि	190	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)

XIII. वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)

वन स्टॉप सेंटर के पदाधिकारियों के लिए कुल बारह अनुशिक्षण कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: संकटग्रस्त महिलाओं के प्रति प्रतिभागियों के बीच

सुग्राह्यता विकसित करना; महिलाओं के लिए बने कानूनी प्रावधानों की ओर प्रतिभागियों को उन्मुख करना; ओएससी योजना के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी प्रदान करना; व पीड़ित महिलाओं को चिकित्सा-कानूनी सहायता प्रदान करने के बारे में जानकारी देना।

क्र. सं. दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1. 26-27 मई, 2020	वन स्टॉप सेंटर के पदाधिकारी	38	मुख्यालय (महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और मनो-सामाजिक सहायता के संदर्भ में)



क्र. सं. दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
2. 6-7 अगस्त, 2020	वन स्टॉप सेंटर के पदाधिकारी	54	मुख्यालय (महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और मनो-सामाजिक सहायता के संदर्भ में)
3. 8-9 अक्टूबर, 2020	वन स्टॉप सेंटर के पदाधिकारी	73	मुख्यालय (महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और मनो-सामाजिक सहायता के संदर्भ में)
4. 10-11 नवंबर, 2020	वन स्टॉप सेंटर के पदाधिकारी	61	मुख्यालय (महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और मनो-सामाजिक सहायता के संदर्भ में)
5. 19-20 नवंबर, 2020	वन स्टॉप सेंटर के पदाधिकारी	46	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी) (ओएससी योजना के कार्यान्वयन के संदर्भ में)
6. 3-4 दिसंबर, 2020	वन स्टॉप सेंटर के पदाधिकारी	54	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी) (ओएससी योजना के कार्यान्वयन के संदर्भ में)
7. 16-18 दिसंबर, 2020	वन स्टॉप सेंटर के पदाधिकारी	89	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु) (मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों की पहचान और आघात को कम करने के संदर्भ में)
8. 17-18 दिसंबर, 2020	वन स्टॉप सेंटर के पदाधिकारी	36	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी) (कार्यान्वयन के संदर्भ में)
9. 14-15 जनवरी, 2021	वन स्टॉप सेंटर के पदाधिकारी	73	मुख्यालय (महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और मनो-सामाजिक सहायता के संदर्भ में)
10. 01-02 मार्च, 2021	वन स्टॉप सेंटर के पदाधिकारी	60	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी) (महिलाओं को मनो-सामाजिक सहायता के संदर्भ में)
11. 12 मार्च, 2021	वन स्टॉप सेंटर के पदाधिकारी	25	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
12. 31 मार्च-01 अप्रैल, 2021	वन स्टॉप सेंटर के पदाधिकारी	60	मुख्यालय (महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और मनो-सामाजिक सहायता के संदर्भ में)



संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र, लखनऊ द्वारा 16 जुलाई, 2020 को वन स्टॉप सेंटरों के परामर्शदाताओं और सामाजिक पदाधिकारियों के लिए **चिंता, अवसाद और आघात पर एक ऑनलाइन कार्यक्रम** इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किया गया: प्रतिभागियों को परामर्श के सिद्धांतों के बारे में बताना; प्रतिभागियों को चिंता एवं अवसाद के लक्षणों से परिचित कराना; व अवसाद एवं आघात के लिए प्रबंधन योजनाओं की जानकारी देना। वन स्टॉप सेंटर के **30 (तीस)** पदाधिकारियों ने इसमें भाग लिया।

XIV. महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध की रोकथाम पर वेबिनार/जागरूकता कार्यक्रम

महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध की

रोकथाम पर बारह वेबिनार/जागरूकता कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: प्रतिभागियों को महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराध एवं हिंसा से संबंधित मुद्दों पर उन्मुख करना; कानूनी प्रावधानों पर प्रतिभागियों को अद्यतन जानकारी देना; महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) योजना एवं इसके विभिन्न घटकों के बारे में उन्मुख करना, जिसमें साइबर अपराध रिपोर्टिंग यूनिट, फॉरेंसिक यूनिट आदि शामिल हैं; साइबर अपराध की रोकथाम में हितधारकों की भूमिका पर चर्चा करना; व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यनीति एवं हस्तक्षेप विकसित करना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	22 मई, 2020	सरकारी संगठन और नागरिक संगठनों, कानून प्रवर्तन एजेंसियां के अधिकारी और स्कूल सीडब्ल्यूसी के शिक्षक	695	मुख्यालय (वेबिनार)
2.	28-29 मई, 2020	नागरिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि	26	मुख्यालय
3.	30 मई, 2020	सरकारी संगठन और नागरिक संगठनों, कानून प्रवर्तन एजेंसियां के अधिकारी और स्कूल सीडब्ल्यूसी के शिक्षक	4355	मुख्यालय (वेबिनार)
4.	16-17 जुलाई, 2020	नागरिक संगठनों के प्रतिनिधि	35	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
5.	23 सितंबर, 2020	सरकारी संगठन और नागरिक संगठन के अधिकारी	29	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
7.	26-27 नवंबर 2020	सीपीएस के पदाधिकारी	40	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
8.	02-03 दिसंबर, 2020	सीपीएस के पदाधिकारी	70	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
9.	11 दिसंबर, 2020	सरकारी संगठन और सिविल सोसायटी संगठन के अधिकारी	36	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
10.	17 दिसंबर, 2020	सिविल सोसायटी संगठन के पदाधिकारी	19	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
11.	29 जनवरी, 2021	सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधि	24	मुख्यालय
12.	11-12 फरवरी, 2021	सीसीआई के पदाधिकारी	13	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली) (ऑफलाइन प्रशिक्षण संदर्भ में)

संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र मोहाली द्वारा 17 अगस्त, 2020 को सोशल मीडिया प्रभाव और साइबर बुलिंग से निपटने में माता-पिता की भूमिका पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किया गया: माता-पिता को साइबर बुलिंग, बच्चे की ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी के महत्व और निगरानी नहीं करने के दुष्परिणामों के बारे में बताना; साइबर बुलिंग से निपटने और नियंत्रित करने के उपायों के बारे में माता-पिता को सतर्क करना। कार्यक्रम में कुल 72 (बहत्तर) प्रतिभागियों ने भाग लिया।

XV. बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ पर पांच ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: जेन्डर असमानता और गिरते बाल जेन्डरानुपात पर सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में समझ को बढ़ावा देना; सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन के लिए पक्षसमर्थन अभियान की योजना प्रक्रिया के बारे में प्रतिभागियों को उन्मुख करना; बीबीबीपी योजना और बीबीबीपी योजना से संबंधित सर्वोत्तम पद्धतियों के बारे में सुग्राह्यता करना; और बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ के बारे में जागरूकता करने में सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका को समझना।

क्र. सं. दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1. 22-24 जुलाई 2020	(जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली सामाजिक कार्य स्कूल, गुजरात विद्यापीठ,	30	मुख्यालय
2. 08-09 दिसंबर, 2020	बनस्थली विद्यापीठ, टाटा सामाजिक	40	मुख्यालय
3. 24-25 फरवरी, 2021	विज्ञान संस्थान) के सामाजिक कार्य विभाग के संकाय सदस्य और विद्वान	149	मुख्यालय
4. 8-9 मार्च, 2021	आंगनवाडी सेवा योजना के पदाधिकारी	41	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
5. 30 मार्च, 2021	जिला कार्य बल (डीटीएफ) के सदस्य और राज्य नोडल अधिकारी	74	मुख्यालय, पुनश्चर्चा पाठ्यक्रम

XVI. परिवार परामर्श केंद्रों का प्रबंधन

परिवार परामर्श केंद्रों (एफसीसी) के प्रभावी प्रबंधन के लिए तीन ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: एफसीसी की समग्र कार्यप्रणाली

को मजबूत करना; एफसीसी में सेवाओं के प्रभावी वितरण के लिए परामर्शदाताओं की क्षमताओं का उपयोग करना; परामर्शदाताओं को परामर्श की तकनीकों से युक्त करना; ग्राहकों के रिकॉर्ड के उचित रखरखाव के कौशल हासिल करने के लिए प्रतिभागियों की मदद करना।

क्र. सं. दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1. 06 जुलाई, 2020	एफसीसी के अधिकारी	28	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
2. 30 जुलाई, 2020	एफसीसी के अधिकारी	20	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
3. 9.10 सितंबर, 2020	एफसीसी के अधिकारी	53	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)

संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र, लखनऊ द्वारा 26 नवंबर, 2020 को चिंता और अवसाद के प्रबंधन पर एफसीसी परामर्शदाताओं के लिए इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया: प्रतिभागियों को चिंता और अवसाद के अर्थ एवं परिभाषा से परिचित कराना; अवधारणा की

बेहतर समझ के लिए चिंता एवं अवसाद के लक्षणों को बताना; और प्रतिभागियों को चिंता एवं अवसाद के प्रबंधन के तरीकों से परिचित कराना। इसमें 20 (बीस) परामर्शदाताओं ने भाग लिया।



प्रशिक्षण कार्यक्रम, परामर्श बैठकें एवं कार्यशालाएं

बाल विकास





बाल विकास

संस्थान ने नीचे दिए गए विषयों के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया:

क्र.सं.	क. बाल विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1.	बचपन का विकास	5	216
2.	बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण	12	2981
3.	बच्चों में सीखने और व्यवहार संबंधी मुद्दे (एडीएचडी, स्वलीनता, सीखने की विशिष्ट अक्षमता आदि)	18	1172
4.	माता-पिता के लिए कार्यशालाएं	25	1998
5.	छात्रों के लिए करियर वार्ता पर कार्यशाला	4	317
6.	पोषण एवं स्वास्थ्य	30	1958
योग		94	8642

**बचपन का विकास**

मस्तिष्क के विकास के लिए पोषण के महत्व पर कुल तीन ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: पोषण एवं मस्तिष्क के विकास के बीच संबंध को समझना; मस्तिष्क के विकास में सहायक पोषक तत्वों पर ध्यान

केंद्रित करना; मस्तिष्क के विकास के लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण पोषक तत्वों एवं उनकी भूमिका का अध्ययन करना; मस्तिष्क के विकास के लिए पोषक तत्वों की कमी वाले आहार से जुड़ी जटिलताओं को समझना; और माताओं के लिए पोषण संबंधी परामर्श संदेशों को बढ़ावा देने में मदद करना।

क्र. सं. दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1. 15-16 अक्टूबर 2020	ए डब्ल्यू एस और सिविल सोसायटी संगठन के पदाधिकारी	53	मुख्यालय
2. 4-5 फरवरी, 2021	ए डब्ल्यू एस और सिविल सोसायटी संगठन के पदाधिकारी	44	मुख्यालय
3. 12 मार्च, 2021	सिविल सोसायटी संगठन के पदाधिकारी	25	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)

केरल के स्कूल परामर्शदाताओं के लिए समुदाय में जोखिम हालातों वाले बच्चों की पहचान पर कुल दो ऑनलाइन अनुशिक्षण कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: प्रतिभागियों को बाल संरक्षण और विकास संबंधी मुद्दों

के कारणों एवं कारकों पर जागरूक बनाना; और समुदाय में जोखिम हालातों वाले परिवारों और बच्चों की पहचान करने के लिए साधनों एवं तकनीकों के बारे में जागरूकता पैदा करना।

क्र. सं. दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1. 26-28 अगस्त, 2020	स्कूल परमर्शदाता	47	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
2. 07-09 सितंबर, 2020	स्कूल परमर्शदाता	47	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)

बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण

बच्चों और महाविद्यालय के छात्रों के बीच मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर कुल 10 ऑनलाइन कार्यक्रम

इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बातों को समझना; बच्चों में स्क्रीन टाइम संबंधी तनाव विकारों/समस्याओं पर चर्चा करना; व बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए उचित सुझाव देना।

क्र. सं. दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1. 18 मई, 2020	स्कूल के प्राचार्य/शिक्षक	80	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
2. 18-19 जून, 2020	शैक्षिक संस्थाओं के पदाधिकारी	55	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
3. 29-30 जून, 2020	सिविल सोसायटी संगठन के पदाधिकारी	65	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
4. 1-2 जुलाई, 2020	सिविल सोसायटी संगठन के पदाधिकारी	34	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
5. 30-31 जुलाई, 2020	महाविद्यालय के छात्र	51	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
6. 16 अगस्त, 2020	स्कूल के प्राचार्य/शिक्षक, सीसीआई के पदाधिकारी	2492	किशोरों के संदर्भ में मुख्यालय
7. 04-05 अगस्त, 2020	स्कूल के प्राचार्य/शिक्षक	24	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
8. 17-18 सितंबर, 2020	शैक्षिक संस्थाओं के पदाधिकारी	45	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
9. 29-30 सितंबर, 2020	शैक्षिक संस्थाओं के पदाधिकारी	45	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
10. 04-05 मार्च, 2021	स्कूल के प्राचार्य/शिक्षक	23	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)

क्षेत्रीय केंद्र, मोहाली द्वारा 22-23 जुलाई, 2020 को **माइंडफुलनेस के माध्यम से भावनात्मक कल्याण पर शिक्षकों के लिए एक ऑनलाइन अनुशिक्षण कार्यक्रम** इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किया गया: कोविड-19 के दौरान शिक्षकों के भावनात्मक स्वास्थ्य के महत्व को समझना; बच्चों की भावनात्मक जरूरतों को समझने में शिक्षकों की मदद करना और भावनात्मक कल्याण को सुगम बनाना; और शिक्षकों और बच्चों के भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए स्व-देखभाल जीवनचर्या के रूप में माइंडफुलनेस तकनीकों का अभ्यास करना। कार्यक्रम में कुल 34 शिक्षकों ने भाग लिया।

निपसिड मुख्यालय में 17-19 जून, 2020 को **बाल और किशोर परामर्श कौशल पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम** का आयोजन इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ किया गया: प्रतिभागियों को बच्चों और किशोरों की बुनियादी अवधारणाओं और प्रक्रियाओं से अवगत कराना; बच्चों और किशोरों के साथ

काम करने के लिए मूल्यांकन प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं का वर्णन करना व महामारी के दौरान मनो-सामाजिक देखभाल में समुदाय का पक्षसमर्थन करने के लिए कार्यनीति विकसित करना। इंटरनशिप कार्यक्रम में कुल 33 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया।

बच्चों में सीखने और व्यवहार संबंधी मुद्दे

बच्चों में सीखने और व्यवहार संबंधी मुद्दों का समाधान करने पर कुल 12 ऑनलाइन कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: बच्चों के मनो-सामाजिक कल्याण पर चर्चा करना; बच्चों के बीच व्यवहार एवं सीखने के मुद्दों वाले बच्चों की पहचान करने के कौशल पर चर्चा करना; व्यवहार और सीखने के मुद्दों वाले बच्चों को संभालने के लिए कार्यनीतियों का सुझाव देना; व बाल निर्देशन केंद्रों से बच्चों के लिए समय पर हस्तक्षेप करने की कार्यनीति विकसित करने पर मार्गदर्शन प्रदान करना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	25 जून, 2020	शिक्षक	70	मुख्यालय
2.	27 नवंबर, 2020	माता – पिता	26	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
3.	15 दिसंबर, 2020	सरकारी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक	71	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
4.	17 दिसंबर, 2020	सरकारी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक	77	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
5.	23 दिसंबर, 2020	सरकारी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक	24	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
6.	29 दिसंबर, 2020	सरकारी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक	71	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
7.	07 जनवरी, 2021	सरकारी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक	102	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
8.	03 फरवरी, 2021	सरकारी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक	157	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
9.	17 फरवरी, 2021	सरकारी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक	105	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
10.	10-11 फरवरी, 2021	शिक्षक	47	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
11.	18 नवंबर, 2020	माता – पिता	20	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ), संपर्क कार्यक्रम
12 ^ए	19 नवंबर, 2020	माता – पिता	30	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ), संपर्क कार्यक्रम

18 नवंबर, 2020 को क्षेत्रीय केंद्र बेंगलुरु द्वारा **स्कूली शिक्षकों के लिए ऑनलाइन शिक्षा में बच्चों को शामिल करने पर एक वेबिनार** का आयोजन इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ किया गया: बाल शिक्षा पर महामारी के प्रभाव को समझना और छात्रों को ऑनलाइन लर्निंग में प्रभावी ढंग से शामिल करना; छात्रों के

लिए परामर्श सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए तनाव प्रबंधन और निपटने की व्यवस्था करने की कार्यनीतियों का विश्लेषण करना। कार्यक्रम में कुल 59 (उनसठ) स्कूली शिक्षकों ने भाग लिया।

एडीएचडी वाले बच्चों की जरूरतों को पूरा करने पर कुल दो जागरूकता कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: माता-पिता को एडीएचडी की वास्तविक प्रकृति और बच्चे के विकास पर इसके प्रभाव के बारे में

जागरूक करना; बच्चों की क्षमता का उपयोग करने के लिए घर और स्कूल के वातावरण के पुनर्निर्माण के संभावित तरीकों से उन्हें परिचित कराना और मस्तिष्क को शांत करने के लिए ओटी अभ्यासों को दोहराने में आसान बनाना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	31 अगस्त, 2020	माता-पिता	80	मुख्यालय
2.	03 फरवरी, 2021	माता-पिता	47	गृह-आधारित प्रबंधन कार्यनीतियों के संदर्भ में क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)

• स्वलीनता

स्वलीनता वाले बच्चों में संवाद चुनौतियों और प्रबंधन पर एक ऑनलाइन कार्यक्रम 10 अक्टूबर, 2020 को संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र मोहाली में आयोजित किया गया था, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार और इसके लक्षणों के बारे में जानकारी प्रदान करना; स्वलीनता वाले बच्चों के सामने आने वाली विभिन्न संवाद संबंधी बाधाओं के बारे में माता-पिता के बीच समझ विकसित करना; उनके संवाद को बढ़ाने के लिए उपयोगी प्रबंधन कौशल प्रदान करना; माता-पिता और परामर्शदाताओं के 67 अधिकारियों की भागीदारी के साथ संवाद को प्रभावी बनाने के लिए कुछ सरल मजेदार गतिविधियों को साझा करना, जो बच्चे के साथ घर पर करना आसान है।

• सीखने की विशिष्ट अक्षमता

सीखने की विशिष्ट अक्षमता वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप पर एक कार्यशाला का आयोजन 29 सितंबर, 2020 को मुख्यालय में इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ किया गया: परामर्शदाताओं और विशेष शिक्षकों को सीखने की विशिष्ट अक्षमता वाले बच्चों की जांच और प्रारंभिक पहचान की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देना और जागरूक बनाना। प्रतिभागियों में प्रमुख रूप से एडीसीजीसी के पहले के बैच के छात्र शामिल थे जो विशेष शिक्षकों और स्कूल परामर्शदाताओं के रूप में काम कर रहे थे। कार्यशाला में लगभग 80 (अस्सी) प्रतिभागियों ने भाग लिया।

क्षेत्रीय केंद्र, मोहाली द्वारा 28-29 सितंबर, 2020 को जिला

शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए **सीखने और व्यवहार संबंधी समस्याओं वाले बच्चों के लिए सहायक हस्तक्षेप पर एक ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम** का आयोजन इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ किया गया: जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) के व्याख्याताओं और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को समकालीन समाज में बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके विकास में स्कूलों की भूमिका को समझने में सक्षम बनाना; बच्चों में सीखने और व्यवहार संबंधी विभिन्न कठिनाइयों के प्रति उन्हें उन्मुख करना; बच्चों में सीखने और व्यवहार की समस्याओं के शुरुआती लक्षणों की पहचान करने के लिए प्रतिभागियों की क्षमता में वृद्धि करना; और उन्हें स्कूलों के लिए सहायक हस्तक्षेप की योजना बनाने के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए मास्टर प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाना। कार्यक्रम में कुल 39 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

अभिभावक कार्यशाला

निपसिड मुख्यालय और क्षेत्रीय केंद्र, मोहाली द्वारा **बच्चों द्वारा यंत्रों के उपयोग और स्क्रीन टाइम को रोकने पर कुल 10 ऑनलाइन अभिभावक कार्यशालाओं** का आयोजन किया गया, जिनके प्रमुख उद्देश्य थे: बच्चों में यन्त्रों और स्क्रीन टाइम के बढ़ते जोखिम को समझना; बच्चों के समग्र स्वास्थ्य पर स्क्रीन पर अधिक समय बिताने और ऑनलाइन गतिविधि के परिणामों को समझने में मदद करना; और बच्चों के बीच स्क्रीन टाइम और यंत्र के उपयोग को कम करने के लिए विभिन्न योजनाओं और उपायों का सुझाव देना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	24 जुलाई, 2020	आंगनवाड़ी केंद्रों में जाने वाले बच्चों के माता-पिता	70	मुख्यालय
2.	21 अगस्त, 2020	आंगनवाड़ी केंद्रों में जाने वाले बच्चों के माता-पिता	60	मुख्यालय



क्र. सं. दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
3. 18 सितंबर, 2020	आंगनवाड़ी केंद्रों में जाने वाले बच्चों के माता-पिता	86	मुख्यालय
4. 09 अक्टूबर, 2020	आंगनवाड़ी केंद्रों में जाने वाले बच्चों के माता-पिता	95	मुख्यालय
5. 06 नवंबर, 2020	आंगनवाड़ी केंद्रों में जाने वाले बच्चों के माता-पिता	126	मुख्यालय
6. 24 नवंबर, 2020	आंगनवाड़ी केंद्रों में जाने वाले बच्चों के माता-पिता	85	मुख्यालय
7. 4 दिसंबर, 2020	आंगनवाड़ी केंद्रों में जाने वाले बच्चों के माता-पिता	87	मुख्यालय
8. 30 दिसंबर, 2020	आंगनवाड़ी केंद्रों में जाने वाले बच्चों के माता-पिता	102	मुख्यालय
9. 20 जनवरी, 2021	आंगनवाड़ी केंद्रों में जाने वाले बच्चों के माता-पिता	42	मुख्यालय
10. 28 जनवरी, 2021	स्कूल शिक्षक	71	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)

क्षेत्रीय केंद्र, इंदौर द्वारा 27 नवंबर, 2020 को स्कूल अधिकारियों और अभिभावकों के लिए बच्चों के बीच सोशल मीडिया की लत पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य उद्देश्य थे: बच्चों में सोशल मीडिया की लत से स्कूल के अधिकारियों और अभिभावकों को परिचित कराना; उन्हें शैक्षिक प्रदर्शन, माता-पिता के साथ संबंध, पारस्परिक संबंधों एवं स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया की लत के प्रभावों पर उन्मुख करना; व स्कूल के अधिकारियों को सोशल मीडिया की लत से निपटने में बच्चों की मदद करने के लिए स्कूल एवं घर में सर्वोत्तम तरीकों को शामिल करने में मदद

करना। कार्यक्रम में कुल 32 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

विशेष शिक्षा के विषयों यथा मनोवैज्ञानिक परामर्श और मानसिक हस्तक्षेप; वाक् चिकित्सा; और बच्चों के समग्र विकास के लिए शिक्षकों और माता-पिता के बीच साझेदारी बनाने पर प्रकाश डालते हुए क्षेत्रीय केंद्र, गुवाहाटी में बाल निर्देशन केंद्र में भाग लेने वाले बच्चों के माता-पिता के लिए कुल छह अभिभावक शिक्षा कार्यशालाएं आयोजित की गईं। कार्यशालाओं के दौरान माता-पिता के लिए कोविड-19 के संदर्भ में बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षा के संबंध में वर्चुअल कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया।

क्र. सं. दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1. 29 जून, 2020	सीजीसी में विशेष शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे	38	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
2. 04 अगस्त, 2020	मनोवैज्ञानिक परामर्श और मनोरोग हस्तक्षेप	47	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
3. 11 अगस्त, 2020	छोटे बच्चों का पालन-पोषण और शिक्षा	317	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
4. 11 सितंबर, 2020	वाक् चिकित्सा का लाभ उठा रहे बच्चों के माता-पिता	37	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
5. 22 सितंबर, 2020	कोविड-19 प्रबंधन	44	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
6. 29 जनवरी, 2021	बच्चों के समग्र विकास के लिए शिक्षकों और अभिभावकों के बीच साझेदारी बनाना	45	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)



बचपन की देखभाल और विकास तथा इसकी चुनौतियों पर माता-पिता के लिए कुल आठ ऑनलाइन कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: प्रतिभागियों को बचपन की देखभाल एवं विकास के महत्व पर उन्मुख करना;

बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में उन्हें संवेदनशील बनाना; छोटे बच्चों के विकास एवं बचपन के विकास के महत्व पर समझ बढ़ाना; और बचपन की देखभाल एवं विकास को बढ़ावा देने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	29-30 मार्च, 2020	माता – पिता	49	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
2.	20 जून, 2020	बच्चों के लिए आवश्यक माता-पिता का समर्थन	81	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
3.	11 जुलाई, 2020	सही स्पीच मॉडजेन्डर प्रदान करने में माता-पिता की भूमिका	64	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
4.	31 जुलाई, 2020	घर पर बच्चों को ऊर्जावान बनाना	50	मुख्यालय
5.	10 अगस्त, 2020	सीखने की विशिष्ट अक्षमता वाले बच्चों में लेखन कौशल को मजबूत करना	100	मुख्यालय
6.	18 नवंबर, 2020	बच्चों में लचीलापन लाना	132	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
7.	17 दिसंबर, 2020	माता-पिता के लिए दैनिक जीवन में सतर्कता	58	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु) (वेबिनार)
8.	11-12 फरवरी, 2021	माता – पिता	80	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)

शारीरिक मुद्रा और शारीरिक सकारात्मकता से संबंधित विभिन्न पहलुओं के प्रति छात्रों को संवेदनशील बनाने और उन्हें उन्मुख करने के लिए भारत भर के विभिन्न स्कूलों के

छात्रों के लिए कुल चार ऑनलाइन कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। साथ ही, स्व-जागरूकता के माध्यम से लक्ष्य निर्धारण और करियर योजना की दृष्टि से प्रयास किया गया।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	30 जून, 2020	अपरंपरागत करियर की खोज पर किशोरों के लिए करियर वार्ता	70	मुख्यालय
2.	03 जुलाई, 2020	अपरंपरागत करियर की खोज पर किशोरों के लिए करियर वार्ता	40	मुख्यालय
3.	16 सितंबर, 2020	शारीरिक मुद्रा और शारीरिक सकारात्मकता	106	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
4.	6 नवंबर, 2020	स्व-जागरूकता के माध्यम से लक्ष्य निर्धारण और करियर योजना	101	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)

पोषण एवं स्वास्थ्य

निपसिड द्वारा नवजात एवं छोटे बच्चे के आहार (आईवाईसीएफ) पर ऑनलाइन ई-लर्निंग सर्टिफिकेट कोर्स सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण (ऑनलाइन) के

स्नातकोत्तर छात्रों के लिए नवजात और छोटे बच्चे के आहार पर कुल 13 अनुशिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: नवजात एवं छोटे बच्चे को खिलाने के व्यवहार के संकेतकों के स्थितिजन्य विश्लेषण को साझा करना; आईवाईसीएफ की तकनीकी समझ



प्रदान करना; आईवाईसीएफ में सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पोषण पेशेवरों के कौशल विकास की आवश्यकता के बारे में समझ को बढ़ावा देना और निपसिड की 'ई लर्निंग वेबसाइट' के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया को जानना।

ऑनलाइन ई-लर्निंग सर्टिफिकेट कोर्स के तहत पंजीकृत प्रतिभागियों के लिए नवजात और छोटे बच्चे के आहार पर

कौशल संवर्धन प्रशिक्षण पर एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसके उद्देश्य थे: नवजात एवं छोटे बच्चे के आहार व्यवहार पर तकनीकी ज्ञान को बढ़ाना; व्यावहारिक रूप से कुछ आवश्यक परामर्श कौशल का प्रदर्शन करना; व आईवाईसीएफ से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए एक सीधा संवाद स्थापित करने में मदद करना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	08-12 जून 2020	ऑनलाइन ई-लर्निंग सर्टिफिकेट कोर्स के तहत पंजीकृत स्नातकोत्तर छात्र	48	आईवाईसीएफ पर कौशल संवर्धन प्रशिक्षण के संदर्भ में मुख्यालय
2.	16 मई, 2020	देश भर में स्नातकोत्तर छात्र	61	मुख्यालय
3.	20 मई, 2020	देश भर में स्नातकोत्तर छात्र	51	मुख्यालय
4.	21 मई, 2020	देश भर में स्नातकोत्तर छात्र	76	मुख्यालय
5.	29 मई, 2020	देश भर में स्नातकोत्तर छात्र	55	मुख्यालय
6.	7 जुलाई, 2020	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के संकाय और छात्र	19	मुख्यालय
7.	8 जुलाई, 2020	लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पंजाब के संकाय सदस्य और छात्र	40	मुख्यालय
8.	9 जुलाई, 2020	महाराष्ट्र और दिल्ली	19	मुख्यालय
9.	03 अगस्त, 2020	श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, चेन्नई तमिलनाडु	160	मुख्यालय
10.	04 अगस्त, 2020	गृह विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, बनस्थली विद्यापीठ और एमपीयूएटी उदयपुर राजस्थान	200	मुख्यालय
11.	05 अगस्त, 2020	गृह विज्ञान विभाग, असम कृषि विश्वविद्यालय जोरहाट और मार्टिन लूथर क्रिश्चियन कॉलेज, शिलांग, असम और मेघालय	50	मुख्यालय
12.	06 अगस्त, 2020	खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग पुडुचेरी और भारतीदासन महिला महाविद्यालय	80	मुख्यालय
13.	21 अगस्त, 2020	गृह विज्ञान सेंट टेरेसा कॉलेज एर्नाकुलम केरल	120	मुख्यालय
14.	28 सितम्बर-1 अक्टूबर, 2020	ऑनलाइन ई-लर्निंग सर्टिफिकेट कोर्स के तहत पंजीकृत स्नातकोत्तर छात्र प्रतिभागी	30	आईवाईसीएफ पर कौशल संवर्धन प्रशिक्षण के संदर्भ में मुख्यालय



नर्सिंग कर्मियों के लिए नवजात और छोटे बच्चे के आहार (आईवाईसीएफ) पर कुल तीन ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: प्रतिभागियों को आईवाईसीएफ पद्धतियों पर उन्मुख करना; अपेक्षित परामर्श

तकनीकों पर प्रतिभागियों को उन्मुख करना; और प्रतिभागियों को कुपोषण और मृत्यु दर को रोकने के लिए गर्भवती महिलाओं एवं नवजात की प्रारंभिक एवं माध्यमिक देखभालकर्ताओं को आईवाईसीएफ पद्धतियों के बारे में जागरूक करने में सक्षम बनाना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	08 अगस्त, 2020	नर्सिंग कर्मी	100	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
2.	23 नवंबर, 2020	नर्सिंग कर्मी	70	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
3.	11-12 फरवरी, 2021	नर्सिंग महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के छात्र	34	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)

निपसिड मुख्यालय में 26 मार्च, 2021 को **शिशु दूध विकल्प अधिनियम 2003 पर एक ऑनलाइन जागरूकता** कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य उद्देश्य थे: कोविड-19 के दौरान सर्वोत्तम आहार पद्धतियों पर जानकारी में वृद्धि करना; शिशु दुग्ध विकल्प अधिनियम, 2003 में मुख्य प्रावधानों के बारे में जानकारी देना; और बच्चों में कुपोषण की रोकथाम के संबंध में ज्ञान में वृद्धि करना। कार्यक्रम में आंगनवाड़ी सेवा योजना के कुल 21 (इक्कीस) पदाधिकारियों ने भाग लिया।

15 मार्च, 2021 को क्षेत्रीय केंद्र, गुवाहाटी में **अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और संबद्ध स्वास्थ्य जोखिमों** पर सिविल सोसायटी संगठनों के लिए एक **सुग्राहिता कार्यक्रम** आयोजित

किया गया, जिसके मुख्य उद्देश्य थे: प्रतिभागियों को अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के बारे में जागरूक बनाना; व प्रतिभागियों को अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के सेवन से बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों के बारे में बताना। कार्यक्रम में कुल 15 (पन्द्रह) प्रतिभागियों ने भाग लिया।

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के स्कूल अधिकारियों के लिए **पौष्टिक और सुरक्षित खाद्य व्यवहार पद्धतियों पर कुल दो प्रशिक्षण कार्यक्रम** इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: बच्चों के लिए खाद्य संरक्षा, खाद्य सुरक्षा एवं पौष्टिक भोजन के बारे में जागरूकता पैदा करना; व मध्याह्न भोजन योजना के तहत काम करने वाले कर्मियों की क्षमता में वृद्धि करना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	16-17 दिसंबर, 2020	स्कूल अधिकारी	98	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
2.	21-22 दिसंबर, 2020	स्कूल अधिकारी	98	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)

16 दिसंबर, 2020 को क्षेत्रीय केंद्र, मोहाली द्वारा **बड़े किशोरों और युवाओं के बीच जीवनशैली से जुड़े रोगों एवं उनकी रोकथाम पर एक ऑनलाइन अनुशिक्षण कार्यक्रम** का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य उद्देश्य थे: जीवनशैली संबंधी प्रमुख रोगों, उनके कारणों और इन रोगों को प्रभावित करने वाले कारकों को समझना; किसी व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर गलतजीवनचर्या के प्रभावों को समझने में किशोरों एवं युवाओं की सहायता करना; व जीवन चर्या से जुड़े रोगों से बचने और जिंदगी भर स्वस्थ रहने के लिए अपनाए

जाने वाले आवश्यक उपायों और सावधानियों पर सुझाव देना। कार्यक्रम में कुल 55 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

नई राह के रूप में जीवन के पहले 1000 दिनों पर विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए कुल दो ऑनलाइन संवेदीकरण कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: छात्रों को एक बच्चे के जीवन के पहले 1000 दिनों की स्थिति के बारे में बताना; बच्चों के जीवन के पहले 1000 दिनों के महत्व के बारे में छात्रों को जागरूक करना; व पहले 1000 दिनों को संबोधित करने के लिए सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में छात्रों को जानकारी देना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	20 अक्टूबर, 2020	विश्वविद्यालय छात्र	59	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
2.	24 नवंबर, 2020	विश्वविद्यालय छात्र	49	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)

स्वच्छ एवं स्वस्थ बचपन पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 6-7 अक्टूबर, 2020 को मुख्यालय में आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षित एवं स्वस्थ बचपन के लिए इष्टतम स्वास्थ्य, सर्वोत्तम पोषण एवं सर्वोत्तम माहौल सुनिश्चित करना था। कार्यक्रम में सरकार एवं नागरिक संगठनों के कुल **46 (छियालीस)** पदाधिकारियों ने भाग लिया।

पैरामेडिकल पेशेवरों के लिए माताओं की प्रसवपूर्व एवं प्रसवोत्तर पोषण देखभाल पर कुल दो प्रशिक्षण कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: प्रतिभागियों को प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं की पोषण देखभाल के महत्व से अवगत कराना; व पोषण परामर्श के बुनियादी नियमों एवं तकनीकों से प्रतिभागियों को परिचित कराना।

क्र. सं. दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1. 29 जनवरी, 2021	पैरामेडिकल पेशेवर	44	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
2. 05 मार्च, 2021	पैरामेडिकल पेशेवर	41	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)

एनीमिया के कारणों और बच्चों के विकास और शैक्षिक प्रदर्शन पर इसके प्रभावों पर कुल दो ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: बच्चों की ग्रोथ और विकास में आयरन के महत्व के बारे में प्रतिभागियों के बीच समझ विकसित करना; प्रतिभागियों को आहार में

आयरन से भरपूर स्रोतों से अवगत कराना एवं उन्हें आयरन अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताना; व प्रतिभागियों को बच्चों के मानसिक विकास और शैक्षिक प्रदर्शन पर आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के कारणों और प्रभावों के बारे में बताना।

क्र. सं. दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1. 10 फरवरी, 2021	सरकारी संगठन और सिविल सोसायटी संगठन के पदाधिकारी	50	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
2. 15 फरवरी, 2021	सरकारी संगठन और सिविल सोसायटी संगठन के पदाधिकारी	83	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)

5 मार्च, 2021 को क्षेत्रीय केंद्र, मोहाली द्वारा स्वस्थ पारस्परिक कौशल बनाए रखने और स्वस्थ सामाजिक जीवन की चुनौतियों से निपटने पर एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ किया गया: प्रतिभागियों को पारस्परिक कौशल के अर्थ एवं महत्व को समझने में मदद करना; खराब पारस्परिक कौशल के निहितार्थों को समझना; पारस्परिक कौशल में सुधार के लिए विभिन्न

कार्यनीतियों एवं तकनीकों पर विमर्श करना; प्रतिभागियों को विवाद के गलत समाधान के परिणाम एवं उन चुनौतियों को समझने में मदद करना जिनका सामना वे दैनिक जीवन करते हैं; व चुनौती के प्रबंधन और समाधान की विभिन्न कार्यनीतियों एवं उपायों का सुझाव देकर चुनौती से निपटने में उनकी क्षमता में सुधार करना। कार्यक्रम में कुल **86 (छियासी)** प्रतिभागियों ने भाग लिया।



प्रशिक्षण कार्यक्रम, परामर्श बैठकें एवं कार्यशालाएं

कोविड-19 सुग्राह्यता कार्यक्रम





कोविड-19 सुग्राह्यता कार्यक्रम

कोविड-19 से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कई विषयों को शामिल किया गया है जिनका उल्लेख नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	विषय	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1.	कोविड-19 के दौरान बच्चों का सामाजिक और भावनात्मक कल्याण	7	380
2.	बच्चों की शिक्षा पर कोविड-19 का प्रभाव	11	1349
3.	पोषण, प्रतिरक्षा और कोविड-19		
(क)	कोविड-19 के दौरान सुरक्षित भोजन प्रबंधन के तरीके		
(ख)	कोविड-19 के दौरान व्यक्तिगत आरोग्यता और स्वच्छता पर जोर देने के साथ प्रतिरक्षा और पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना	73	4979
4.	कोविड-19 की रोकथाम एवं प्रबंधन	16	950
5.	कोविड-19 के दौरान मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण	35	1979
6.	बाल देखभाल संस्था और कोविड-19 का प्रबंधन	11	635
7.	कोविड-19 के दौरान महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसा को सम्बोधित करना	8	3292
8.	कोविड-19 के दौरान घरेलू मास्क तैयार करना और उपयोग करना	14	18357
9.	अन्य		
(क)	कोविड-19 के दौरान आंगनवाड़ी सेवाओं की डिलिवरी		
(ख)	कोविड-19 के दौरान कौशल विकास और प्रवासी मजदूरों की समस्या को सम्बोधित करना		
(ग)	दत्तक ग्रहण		
(घ)	कोविड-19 के दौरान फंड जुटाने की व्यवस्था	24	825
योग		199	32746



1. कोविड-19 के दौरान बच्चों का सामाजिक और भावनात्मक कल्याण

बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक कल्याण को संबोधित करने के लिए कुल सात ऑनलाइन सुग्राह्यता कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: लॉकडाउन के दौरान विशेष आवश्यकताओं वाले माता-पिता

के मुद्दों और चुनौतियों को समझना; लॉकडाउन के दौरान घर पर बच्चों को संभालने के लिए कुछ दिशानिर्देश, घरेलू उपचार और योजनाओं की जानकारी प्रदान करना; माता-पिता/देखभालकर्ता के मनोवैज्ञानिक कल्याण के लिए सुझाव देना; व बच्चों को संभालने एवं चुनौतियों का समाधान करने में मदद करने के लिए विभिन्न उपायों को समझना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	22-23 जून, 2020	आंगनवाडी सेवा योजना एवं नागरिक संगठनों के प्रतिनिधि	36	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
2.	24-25 जून, 2020	विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता-पिता	66	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली) (विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में)
3.	27 जून, 2020	माता-पिता	52	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
4.	2-3 जुलाई, 2020	आंगनवाडी सेवा योजना एवं नागरिक संगठनों के प्रतिनिधि	54	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
5.	8-9 जुलाई, 2020	आंगनवाडी सेवा योजना एवं नागरिक संगठनों के प्रतिनिधि	51	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर) (कोविड-19 के दौरान दिव्यांग बच्चों के प्रबंधन के संदर्भ में)
6.	25-26 अगस्त, 2020	आंगनवाडी सेवा योजना एवं नागरिक संगठनों के प्रतिनिधि	24	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
7.	26-27 अगस्त, 2020	विशेष शिक्षक/संसाधन शिक्षक	97	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली) (विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में)

2. बच्चों की शिक्षा पर कोविड-19 का प्रभाव

बच्चों की शिक्षा पर कोविड-19 के प्रभाव पर कुल चार वेबिनार का आयोजन इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ किया गया: वर्चुअल माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुगमता और सुरक्षा पर कोविड-19 महामारी के मनो-सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों पर चर्चा करना; मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करने में

शिक्षकों की भूमिका; कोविड-19 स्थिति के दौरान अध्यापन कला के रूप में ऑनलाइन शिक्षा पर चर्चा करना; तकनीकी हस्तक्षेप और सीखने के परिणामों पर चर्चा करना; बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कोविड-19 के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के समाधान सुझाना और अवसरों पर चर्चा करना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	05 जून, 2020	विभिन्न प्रमुख संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, शिक्षक और संकाय सदस्य	832	कोविड-19 के मनो-सामाजिक और आर्थिक प्रभाव के संदर्भ में मुख्यालय
2.	12 जून, 2020	विभिन्न प्रमुख संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, शिक्षक और संकाय सदस्य	130	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ) (कोविड-19 के दौरान और उसके बाद के अवसरों और चुनौतियों के संदर्भ में)



क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
3.	26 जून, 2020	सरकारी संगठन के अधिकारी और सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधि	32	मुख्यालय
4.	21 दिसंबर, 2020	सरकारी संगठन के अधिकारी और सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधि	51	मुख्यालय (बच्चों पर कोविड-19 प्रभावों की रोकथाम करने के संदर्भ में)

लॉकडाउन के दौरान बच्चों की ऑनलाइन स्कूली शिक्षा के परिणामों पर शिक्षकों के लिए कुल दो ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: ऑनलाइन शिक्षा के दौरान बच्चों के सामने आने वाले विभिन्न जोखिम कारकों और चुनौतियों

को समझना; लगातार ऑनलाइन गतिविधि और बच्चों पर लंबे समय तक स्क्रीन देखने के परिणामों को समझने में शिक्षकों की सहायता करना; और शिक्षकों और बच्चों को इन चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए विभिन्न उपायों का सुझाव देना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	27 जुलाई, 2020	स्कूल शिक्षक	40	मुख्यालय
2.	13-14 अगस्त, 2020	स्कूल शिक्षक	76	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)

क्षेत्रीय केंद्र, इंदौर द्वारा कोविड-19 महामारी के विशेष संदर्भ में छात्रों की वृद्धि और विकास को सुगम बनाने में स्कूल अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने पर कुल तीन कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: प्रतिभागियों को बच्चों के जीवन में सर्वोत्तम वृद्धि और विकास

के महत्व से अवगत कराना; बच्चों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले जोखिम और सुरक्षात्मक कारकों की समझ विकसित करना; और स्कूल के माध्यम से सर्वोत्तम वृद्धि और विकास सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप कार्यनीतियों को समझना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	17-18 फरवरी, 2021	स्कूल अधिकारी	33	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
2.	24-25 फरवरी, 2021	स्कूल अधिकारी	21	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
3.	23-24 मार्च, 2021	स्कूल अधिकारी	28	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)

स्कूलों को फिर से खोलने के बाद, कोरोना रोकथाम की अनिवार्यता पर कुल दो ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: स्कूल में छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए स्कूल सुरक्षा के बुनियादी

नियमों पर चर्चा करना; स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों, कर्मचारियों और माता-पिता/देखभालकर्ताओं की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर चर्चा करना; और स्कूलों को फिर से खोलने के लिए आवश्यक निवारक उपायों की समझ विकसित करना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	29 जुलाई, 2020	स्कूल अधिकारी	54	मुख्यालय
2.	27 नवंबर, 2020	स्कूल अधिकारी	50	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)

3. पोषण, प्रतिरक्षा एवं कोविड-19

कोविड-19 के दौरान सुरक्षित खाद्य प्रबंधन पद्धतियां

विभिन्न विभागों और संबंधित मंत्रालयों के विभिन्न हितधारकों के लिए **कोविड-19 के दौरान सुरक्षित खाद्य प्रबंधन पद्धतियां सुनिश्चित करने** पर कुल **19** कार्यक्रम इन प्रमुख

उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: कोविड-19 के दौरान पोषण के महत्व पर चर्चा करना; सूक्ष्म एवं वृहद कुपोषण की रोकथाम पर जागरूकता पैदा करना; खाद्य सुरक्षा के मुख्य रूप से पांच महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों की पौष्टिकता सुनिश्चित करना; और सुरक्षित खरीद, भंडारण एवं खाद्य प्रबंधन प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	21-22 मई, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाडी सेवा योजना के पदाधिकारी	45	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
2.	11-12 जून, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाडी सेवा योजना के पदाधिकारी	52	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
3.	15-16 जून, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाडी सेवा योजना के पदाधिकारी	80	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
4.	17-18 जून, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाडी सेवा योजना के पदाधिकारी	48	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
5.	22-24 जून, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाडी सेवा योजना के पदाधिकारी, सरकारी संगठन के अधिकारी एवं सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधि	70	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
6.	29 जून - 1 जुलाई, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाडी सेवा योजना के पदाधिकारी, सरकारी संगठन के अधिकारी एवं सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधि	50	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
7.	30-31 जुलाई, 2020	ए डब्ल्यू एस के पदाधिकारी	54	मुख्यालय
8.	2-3 जुलाई, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाडी सेवा योजना के पदाधिकारी	238	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
9.	15-16 जुलाई, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाडी सेवा योजना के पदाधिकारी	78	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
10.	27-28 जुलाई, 2020	कर्नाटक के एमएसपीसी सदस्य	96	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
11.	28 जुलाई, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाडी सेवा योजना के पदाधिकारी	92	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
12.	5-7 अगस्त, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाडी सेवा योजना के पदाधिकारी	44	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
13.	6-7 अगस्त, 2020	कर्नाटक के एमएसपीसी सदस्य	144	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
14.	17-18 अगस्त, 2020	मध्याह्न भोजन योजना के पदाधिकारी	90	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
15.	19-21 अगस्त, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाडी सेवा योजना के पदाधिकारी	44	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)



क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
16.	21-22 सितंबर, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारी	51	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
17.	23 सितंबर 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारी	31	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
18.	14-16 अक्टूबर, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारी	50	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
19.	18-20 नवंबर, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारी	35	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)

कोविड-19 के दौरान व्यक्तिगत आरोग्यता एवं स्वच्छता पर जोर देने के साथ प्रतिरक्षा एवं पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना

पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा और प्रतिरक्षा बढ़ाने के महत्व पर कुल 37 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: प्रतिभागियों को कोरोना वायरस और इसके प्रसार के बारे में जागरूक करना; कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए और प्रबंधन पर उनकी जानकारी बढ़ाने के लिए विभिन्न निवारक उपायों के बारे में जानना; स्वस्थ जीवन के महत्व

के साथ उन्हें कोविड के प्रभाव के प्रति संवेदनशील बनाना; लोगों में अच्छे पोषण और स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना, उन्हें पोषण संबंधी कमियों और उनके परिणामों से अवगत कराना और आयुष दिशानिर्देशों का उल्लेख करते हुए उन्हें उन खाद्य पदार्थों के बारे में शिक्षित करना जो प्रतिरक्षा को बढ़ावा देते हैं; व उन्हें कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए व्यक्तिगत आरोग्यता और स्वच्छता के महत्व से अवगत कराना। कार्यक्रमों में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य देखभाल, व्यक्तिगत आरोग्यता और स्वच्छता के महत्वपूर्ण पहलू भी शामिल किए गए थे।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	1-3 जून, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारी	74	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
2.	4-5 जून, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवा योजना के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता	35	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
3.	18-19 जून, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारी	66	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
4.	25-26 जून, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारी	82	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
5.	19-20 मई, 2020	सीसीआई के पदाधिकारी	37	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
6.	19-21 मई, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारी	39	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
7.	26-28 मई, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारी	50	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
8.	2-3 जुलाई, 2020	पोषण अभियान के जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी	82	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
9.	6-7 जुलाई, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारी	87	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)



क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
10.	7-8 जुलाई, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाडी सेवा योजना के पदाधिकारी	87	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
11.	8-9 जुलाई, 2020	सरकारी संगठन के अधिकारी और नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि	40	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
12.	8-9 जुलाई, 2020	ए डब्ल्यू एस के पदाधिकारी और सिविल सोसायटी संगठन के प्रतिनिधि	60	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
13.	9-10 जुलाई, 2020	पोषण अभियान के जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी	48	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
14.	13 जुलाई, 2020	ए डब्ल्यू एस के पदाधिकारी और सिविल सोसायटी संगठन के प्रतिनिधि	45	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर) (बुजुर्गों की पोषण देखरेख के संदर्भ में)
15.	13-14 जुलाई, 2020	सरकारी संगठन के अधिकारी और नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि	138	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
16.	15-16 जुलाई, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाडी सेवा योजना के पदाधिकारी	100	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
17.	23-24 जुलाई, 2020	ए डब्ल्यू एस के पदाधिकारी और सिविल सोसायटी संगठन के प्रतिनिधि	56	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
18.	27-28 जुलाई, 2020	बाल देखरेख संस्थाओं के पदाधिकारी	50	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
19.	30-31 जुलाई, 2020	ए डब्ल्यू एस के पदाधिकारी और सिविल सोसायटी संगठन के प्रतिनिधि	57	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
20.	20 अगस्त, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाडी सेवा योजना के पदाधिकारी	51	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
21.	24 अगस्त, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाडी सेवा योजना के पदाधिकारी	44	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
22.	27-28 अगस्त, 2020	बाल देखरेख संस्थाओं के पदाधिकारी	32	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
23.	8-9 सितंबर, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाडी सेवा योजना के पदाधिकारी	58	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
24.	10-11 सितंबर, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाडी सेवा योजना के पदाधिकारी	101	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
25.	15-16 सितंबर, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाडी सेवा योजना के पदाधिकारी	42	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
26.	21-22 सितंबर, 2020	महिला संस्थाओं के पदाधिकारी	37	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु) (स्वच्छता संवर्धन के महत्व के संदर्भ में)
27.	25 सितंबर, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाडी सेवा योजना के पदाधिकारी	54	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली) स्वच्छता और आरोग्यता के संदर्भ में

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
28.	26 सितंबर, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारी	33	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
29.	28-29 सितंबर, 2020	महिला संस्थाओं के पदाधिकारी	87	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु) (स्वच्छता संवर्धन के महत्व के संदर्भ में)
30.	29 सितंबर, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारी	64	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
31.	अक्टूबर 06-07, 2020	ए डब्ल्यू एस के पदाधिकारी और सिविल सोसायटी संगठन के प्रतिनिधि	97	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
32.	05-06 नवंबर, 2020	ए डब्ल्यू एस के पदाधिकारी और सिविल सोसायटी संगठन के प्रतिनिधि	33	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
33.	10-11 नवंबर, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारी, सरकारी संगठन के अधिकारी और सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधि	46	मुख्यालय
34.	17-18 दिसंबर, 2020	शिक्षक और छात्र	75	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
35.	14 दिसंबर, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारी	61	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
36.	29-30 दिसंबर, 2020	बाल देखरेख संस्थाओं के पदाधिकारी	95	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
37.	19 फरवरी, 2021	शिक्षक और छात्र	79	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)

कोविड-19 के दौरान देखभाल के लिए प्रतिरक्षा संवर्धक के रूप में विटामिन और सूक्ष्म पोषक तत्वों के महत्व पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 5 नवंबर, 2020 को निपसिड मुख्यालय में आयोजित किया गया, जिसके प्रमुख उद्देश्य थे: कोविड-19 के दौरान सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को समझना; प्रतिरक्षा बढ़ाने में विटामिन एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की भूमिका की चर्चा करना; और किसी व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार लाने में व्यायाम एवं योग की भूमिका का वर्णन करना। इस कार्यक्रम में आंगनवाड़ी सेवा योजना व सिविल सोसायटी संगठनों के **60 (साठ)** पदाधिकारियों ने भाग लिया।

9-10 जुलाई, 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान व बाद में **मातृ, नवजात शिशु, किशोर स्वास्थ्य और पोषण (एमएनसीएच+एन) पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम** इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ मुख्यालय में आयोजित किया गया: प्रतिभागियों को कोविड-19 के दौरान मातृ, नवजात शिशु, किशोर स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित मुद्दों और

चुनौतियों से अवगत कराना; व उन्हें कोविड-19 के दौरान और उसके बाद लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु, एवं किशोर स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करना। कार्यक्रम में मध्यम स्तर के सरकारी संगठनों एवं स्वैच्छिक संगठनों के मात्र, नवजात शिशु, किशोर स्वास्थ्य और पोषण (एमएनसीएच+एन) के कुल **36 (छत्तीस)** पदाधिकारियों ने भाग लिया।

कोविड-19 के दौरान नवजात शिशु एवं मां की प्रसवोत्तर देखभाल पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 6-7 जुलाई, 2020 को क्षेत्रीय केंद्र, बेंगलुरु में इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किया गया: वर्तमान परिदृश्य एवं नर्सिंग माताओं और नवजात शिशु पर इसके प्रभाव के बारे में प्रतिभागियों की समझ को बढ़ाना; व उन्हें नर्सिंग माताओं और नवजात शिशु के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी देखभाल पर हाल के अपडेट एवं दिशानिर्देशों से अवगत कराना। कार्यक्रम में आंगनवाड़ी सेवा योजना के **102 (एक सौ दो)** पदाधिकारियों ने भाग लिया।



कोविड के संदर्भ में नवजात और युवा बाल पोषण (आईवाईसीएन) पर कुल नौ ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: आईवाईसीएन के महत्व पर प्रतिभागियों को संवेदनशील बनाना; प्रतिभागियों

को कोविड-19 के लक्षणों, स्वच्छता पद्धतियों एवं संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के उपायों से अवगत कराना; व प्रतिभागियों को स्तनपान, उम्र के अनुकूल पूरक खाद्य पदार्थ एवं नवजात एवं छोटे बच्चों को खिलाने के बारे में जानकारी देना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	13-14 जुलाई, 2020	आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारी	51	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
2.	14-15 जुलाई, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीसी के तहत सेवा योजना	75	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
3.	10 अगस्त, 2020	ए डब्ल्यू एस के पदाधिकारी	350	मुख्यालय
4.	13-14 अगस्त, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीसी के तहत सेवा योजना	55	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
5.	10-11 सितंबर, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीसी के तहत सेवा योजना	30	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
6.	26-27 अक्टूबर, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारी	80	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
7.	27 नवंबर, 2020	ए डब्ल्यू एस के पदाधिकारी	106	मुख्यालय
8.	14-15 दिसंबर, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारी	54	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
9.	16-17 दिसंबर, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारी	47	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)

कोविड-19 के दौरान सामुदायिक प्रबंधन पर एमएएम और एसएएम बच्चों के संदर्भ में आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारियों के लिए कुल दो ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: प्रतिभागियों को कुपोषण के कारणों, परिणामों को समझाना;

कम वजन, बौनापन, एमएएम, एसएएम, आदि जैसे कुपोषण के विभिन्न रूपों की पहचान करने के लिए प्रतिभागियों का मार्गदर्शन करना; एवं सामुदायिक स्तर पर कुपोषण के विभिन्न रूपों को रोकने एवं प्रबंधित करने की उनकी क्षमता का निर्माण करना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	28-29 अक्टूबर, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारी	82	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
2.	26-27 नवंबर, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारी	40	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)

क्षेत्रीय केंद्र, इंदौर द्वारा कोविड-19 के तहत पश्चिमी राज्यों के सिविल सोसायटी संगठनों के पदाधिकारियों के लिए बचपन की सामान्य बीमारियों पर कुल तीन अनुशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। पश्चिमी क्षेत्र में बचपन की

सामान्य बीमारी की स्थिति के प्रति प्रतिभागियों को उन्मुख करना; व उनमें बचपन की सामान्य बीमारियों की पहचान, रोकथाम, रेफरल एवं प्रबंधन पर कौशल का निर्माण करना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	29 जुलाई, 2020	सिविल सोसायटी संगठनों के पदाधिकारी	18	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
2.	14 अगस्त, 2020	सिविल सोसायटी संगठनों के पदाधिकारी	32	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
3.	20 नवंबर, 2020	सिविल सोसायटी संगठनों के पदाधिकारी	47	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)



4. कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन

कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन की कार्यनीतियों पर कुल 16 ऑनलाइन कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: कोविड-19 महामारी पर राष्ट्रीय सुरक्षा दिशानिर्देशों को साझा करना; प्रतिभागियों को कोरोना वायरस

के प्रसार को रोकने के लिए विभिन्न निवारक उपायों से अवगत कराना; कोविड-19 के प्रबंधन पर उनके ज्ञान में वृद्धि करना; एवं उन्हें कोविड-19 के प्रभाव के बारे में जागरूक बनाना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	20-22 मई, 2020	सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधि	100	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु) लॉकडाउन के दौरान बच्चों के साथ किए गए भागीदारी के संदर्भ में
2.	29 मई, 2020	माता-पिता	40	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु) लॉकडाउन के दौरान बच्चों के साथ किए जाने वाले घरेलू व्यवहार के संदर्भ में
3.	29-30 जून, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी सेवा योजना के अग्रिम कार्यकर्ता	52	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
4.	1-2 जुलाई, 2020	सिविल सोसायटी संगठनों के पदाधिकारी	19	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर) कोविड-19 के भय और इसके प्रबंधन के संदर्भ में
5.	16-17 जुलाई, 2020	सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधि	36	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
6.	20 जुलाई, 2020	सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधि	43	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
7.	20-21 जुलाई, 2020	सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधि	32	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
8.	31 जुलाई, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी सेवा योजना के अग्रिम कार्यकर्ता	50	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
9.	6-7 अगस्त, 2020	सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधि	47	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
10.	19-21 अगस्त, 2020	सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधि	79	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु) बीसीसी के संदर्भ में
11.	27 अगस्त, 2020	सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधि	81	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
12.	10-11 सितंबर, 2020	सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधि	41	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
13.	21 सितंबर, 2020	सामाजिक कार्यकर्ता, के सवरकर एवं परामर्श दाता	64	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु) (चिंता और अवसाद के प्रबंधन के संदर्भ में)
14.	9 अक्टूबर, 2020	सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधि	108	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु) (बच्चों के भावनात्मक सशक्तिकरण के संदर्भ में)
15.	12 अक्टूबर, 2020	सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधि	114	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु) (बच्चों के भावनात्मक सशक्तिकरण के संदर्भ में)
16.	21 अक्टूबर, 2020	सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधि	44	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)

5. कोविड-19 के दौरान मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण

कोविड-19 के दौरान मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों और परामर्श पर कुल 13 ऑनलाइन कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: कोविड-19 के बीच मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों पर प्रतिभागियों को संवेदनशील बनाना; उभरते मुद्दों के संदर्भ में प्रतिभागियों के परामर्श कौशल को सुदृढ़ करना; प्रतिभागियों को समय पर हस्तक्षेप विकसित/प्राप्त करने की कार्यनीति तैयार करने में सक्षम बनाना; और उन्हें कोविड-19 के दौरान बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के

लिए समुदाय के बीच जानकारी के व्यापक प्रसार के लिए हस्तक्षेप कार्यनीतियों के बारे में बताना। साथ ही, कुछ कार्यक्रमों में, प्रतिभागियों को स्वस्थ और अच्छे जीवन के महत्व; और पारंपरिक/घर-आधारित स्वास्थ्य पद्धतियों का उपयोग करने में कौशल का निर्माण के बारे में बताया गया।

क्षेत्रीय केन्द्र (गुवाहाटी) द्वारा कोविड-19 के संदर्भ में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मातृ परामर्श के महत्व पर कुल तीन ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: विशेष रूप से कोविड के संदर्भ में मातृ परामर्श के महत्व पर प्रतिभागियों को संवेदनशील बनाना व प्रतिभागियों को कोविड-19 के प्रति जागरूक बनाना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	23-24 जून, 2020	डीसीपीयू और बाल देखभाल संस्थाओं के परामर्शदाता	78	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
2.	2-3 जुलाई, 2020	डीसीपीयू और बाल देखभाल संस्थाओं के परामर्शदाता	53	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
3.	25 जुलाई, 2020	वृद्धाश्रम के पदाधिकारी	298	मुख्यालय
4.	31 जुलाई, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवा योजना के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	62	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी) (मातृ परामर्श के संदर्भ में)
5.	6-7 अगस्त, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारी	51	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
6.	25 अगस्त, 2020	सीपीएस के परामर्शदाता	53	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
7.	27 अगस्त, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवा योजना के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	50	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी) (मातृ परामर्श के संदर्भ में)
8.	27 अगस्त, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारी	96	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर) (स्वास्थ्य परामर्श के संदर्भ में)
9.	2 सितंबर, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारी	40	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर) (स्वास्थ्य परामर्श के संदर्भ में)
10.	21 सितंबर, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारी	34	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी) (मातृ परामर्श के संदर्भ में)
11.	24-25 सितंबर, 2020	डीसीपीयू और बाल देखभाल संस्थाओं के परामर्शदाता	47	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
12.	8-9 अक्टूबर, 2020	स्वधार गृह के परामर्शदाता	61	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
13.	3 नवंबर, 2020	अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारी	59	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर) (स्वास्थ्य परामर्श के संदर्भ में)

कोविड-19 के दौरान तनाव के प्रबंधन में बच्चों की मदद करने पर कुल छह ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान बाल देखभाल संस्थाओं में

देखभाल कर्ताओं के सामने आने वाले मुद्दों एवं चुनौतियों की पहचान करना; उन्हें अपने और बच्चों के तनाव का प्रबंधन करने में सक्षम बनाना; एवं तनाव से निपटने और तनाव को रोकने के तरीकों पर सुझाव देना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	14 जुलाई, 2020	बाल देखभाल संस्थाओं के देखभालकर्ता	30	मुख्यालय
2.	15 जुलाई, 2020	बाल देखभाल संस्थाओं के देखभालकर्ता	32	मुख्यालय
3.	11 सितंबर, 2020	बाल देखभाल संस्थाओं के देखभालकर्ता	32	मुख्यालय
4.	14 सितंबर, 2020	बाल देखभाल संस्थाओं के देखभालकर्ता	22	मुख्यालय
5.	25 सितंबर, 2020	बाल देखभाल संस्थाओं के देखभालकर्ता	50	मुख्यालय
6.	29 सितंबर, 2020	बाल देखभाल संस्थाओं के देखभालकर्ता	50	मुख्यालय

कोविड-19 के दौरान बच्चों को मनो-सामाजिक सहायता देने पर कुल 16 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: ऐसे वातावरण को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान एवं कौशल प्रदान करना जहां बच्चे अपना एवं अपनी क्षमताओं का विकास करें तथा सुरक्षित एवं स्वस्थ रहें, ऐसे स्थान को सुगम बनाना जहां बच्चों को सुना जाता हो, वे अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त कर

सकते हैं, व कोई भी प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हैं और उनके सवालों के ईमानदारी से उत्तर दिए जाते हैं; हिंसा और दुर्व्यवहार के बढ़ते जोखिम सहित बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और मनो-सामाजिक कल्याण पर कोविड-19 महामारी के प्रभावों को समझना; व बच्चों के साथ सकारात्मक एवं प्रभावी ढंग से जुड़ने में मदद करने के लिए देखभालकर्ताओं के लिए संसाधन उपलब्ध कराना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	10 जून, 2020	माता-पिता और देखभालकर्ता	41	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
2.	22 मई, 2020	माता-पिता और देखभालकर्ता	48	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
3.	21-22 मई, 2020	स्कूल शिक्षक	37	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
4.	8-9 जुलाई, 2020	आंगनवाड़ी सेवा योजना के अग्रिम कार्यकर्ता	38	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
5.	23-24 जुलाई, 2020	स्कूल शिक्षक	73	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
6.	29 जुलाई, 2020	नागरिक संगठनों के पदाधिकारी	42	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी) (महिलाओं से संबंधित मनो-सामाजिक मुद्दों के संदर्भ में)
7.	29-30 जुलाई, 2020	आंगनवाड़ी सेवा योजना के अग्रिम कार्यकर्ता	28	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
8.	31 अगस्त, 2020	माता-पिता और देखभालकर्ता	45	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
9.	4 सितंबर, 2020	माता-पिता और देखभालकर्ता	70	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
10.	26 सितंबर, 2020	माता-पिता	49	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
11.	30 सितंबर, 2020	सरकारी संगठनों और नागरिक संगठनों के अधिकारी और माता-पिता	23	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)



क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
12.	30 सितंबर, 2020	सिविल सोसायटी संगठनों के पदाधिकारी / प्रतिनिधि	55	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी) (महिलाओं से संबंधित मनो-सामाजिक मुद्दों के संदर्भ में)
13.	20 अक्टूबर, 2020	बाल देखरेख संस्था में बच्चों के देखरेखकर्ता	39	मुख्यालय
14.	23 अक्टूबर, 2020	बाल देखरेख संस्था में बच्चों के देखरेखकर्ता	48	मुख्यालय
15.	23 अक्टूबर, 2020	नागरिक संगठनों के पदाधिकारी / प्रतिनिधि	102	मुख्यालय
16.	10 नवंबर, 2020	नागरिक संगठनों के पदाधिकारी / प्रतिनिधि	43	मुख्यालय

6. बाल देखभाल संस्था एवं कोविड-19 का प्रबंधन

कोविड-19 के दौरान बाल देखभाल संस्थाओं (सीसीआई) में देखभाल के न्यूनतम मानक पर कुल ग्यारह ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: प्रतिभागियों को बाल अधिकारों एवं बाल संरक्षण प्रणाली की ओर उन्मुख करना; उन्हें किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और नियमावली 2016 की

जानकारी देना; उन्हें देखभाल के न्यूनतम मानक के प्रति उन्मुख करना; कोविड-19 के दौरान बाल देखभाल संस्थाओं में बच्चों की देखभाल व पुनर्वास में उनकी भूमिका पर चर्चा करना; कोविड-19 के बीच सीसीआई के सम्मुख आने वाले मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करना; संक्रमण की रोकथाम एवं कोविड-19 के नियंत्रण के लिए मानक सावधानियों के प्रति उन्मुख करना; तथा महामारी के दौरान सीसीआई के प्रभावी प्रबंधन के लिए संचालन योजना पर चर्चा करना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	19-20 मई, 2020	बाल देखभाल संस्थाओं के पदाधिकारी	60	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
2.	26-28 मई, 2020	बाल देखभाल संस्था चलाने वाले स्वैच्छिक संगठनों के अधीक्षक और कार्यकारी सदस्य	55	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
3.	2-4 जून, 2020	बाल देखभाल संस्थाओं के पदाधिकारी	32	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
4.	30 जून-1 जुलाई, 2020	बाल देखभाल संस्था चलाने वाले स्वैच्छिक संगठनों के अधीक्षक और कार्यकारी सदस्य	94	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
5.	6-7 जुलाई, 2020	बाल देखभाल संस्थाओं के पदाधिकारी	67	मुख्यालय
6.	7-8 जुलाई, 2020	बाल देखभाल संस्थाओं के पदाधिकारी	30	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
7.	13-14 जुलाई, 2020	बाल देखभाल संस्थाओं के पदाधिकारी	63	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
8.	15-16 जुलाई, 2020	बाल देखभाल संस्था चलाने वाले एन सरकारी संगठन के अधीक्षक और कार्यकारी सदस्य	65	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
9.	28 अगस्त, 2020	बाल देखभाल संस्था के अधीक्षक	39	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
10.	21 सितंबर, 2020	बाल देखभाल संस्था चलाने वाले स्वैच्छिक संगठनों के अधीक्षक और कार्यकारी सदस्य	77	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
11.	3-4 नवंबर, 2020	बाल देखभाल संस्थाओं के पदाधिकारी	53	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)

7. कोविड-19 के दौरान महिलाओं एवं बच्चों के प्रति हिंसा के बारे में बताना

कोविड-19 महामारी के बीच यौन शोषण से बच्चों के संरक्षण पर तीन ऑनलाइन कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: प्रतिभागियों को बाल अधिकारों

एवं संरक्षण के वैचारिक ढांचे के बारे में बताना व लॉकडाउन के दौरान जमीनी हकीकत को सामने रखना; उन्हें किशोर न्याय अधिनियम 2015 एवं यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2019 की मुख्य विशेषताओं को समझने में सक्षम बनाना; व आईसीपीएस पदाधिकारियों के तहत उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों पर चर्चा करना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	9-10 जुलाई, 2020	सीसीआई और सरकारी संगठन के पदाधिकारी	47	मुख्यालय
2.	8 सितंबर, 2020	शिक्षक, सिविल सोसायटी संगठन के पदाधिकारी	80	मुख्यालय
3.	11 सितंबर, 2020	सीपीएस के पदाधिकारी	45	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)

जे जे प्रणाली और सीपीएस के तहत काम करने वाले कर्मियों के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान बच्चों के प्रति हिंसा पर प्रतिक्रिया पर एक वेबिनार 3 जुलाई, 2020 को मुख्यालय में इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किया गया: कोविड-19 महामारी के दौरान बच्चों के प्रति हिंसा की व्यापकता और प्रभाव पर चर्चा करना; इसके लिए कानूनी एवं नीतिगत ढांचे के बारे में समझ विकसित करना; व बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने एवं उसका जवाब देने के लिए कार्यनीति तैयार करना। कार्यक्रम में जे जे प्रणाली और सीपीएस के तहत काम करने वाले कुल 2939 (दो हजार नौ सौ उनतालीस) अधिकारियों और पदाधिकारियों ने भाग लिया।

कोविड-19 महामारी के दौरान घरेलू हिंसा के शिकार लोगों की काउंसलिंग, बचाव एवं पुनर्वास पर परिवार परामर्श केंद्र के परामर्शदाताओं के लिए एक ऑनलाइन अनुशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 28-29 मई, 2020 को क्षेत्रीय केंद्र, मोहाली में इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ किया गया: कोविड-19 महामारी को राष्ट्रीय सुरक्षा दिशानिर्देशों के तहत साझा करना; लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के बढ़ते मामलों और घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के संदर्भ में दिशा-निर्देशों/नियमों के बारे में सूचित करना; ऑनलाइन / टेलीफोन पर परामर्श तकनीकों के बारे में परामर्शदाताओं को जागरूक करना;

और परामर्शदाताओं को लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के पीड़ितों के लिए उपलब्ध वैकल्पिक बचाव और पुनर्वास विकल्पों के बारे में जानकारी देना। कार्यक्रम में कुल 34 (चौंतीस) परामर्शदाताओं ने भाग लिया।

क्षेत्रीय केंद्र, लखनऊ द्वारा 7 जुलाई, 2020 को घरेलू हिंसा और उससे बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव के सन्दर्भ में कोविड-19 के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों पर एक ऑनलाइन कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किया गया: घरेलू हिंसा के सामाजिक-आर्थिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर चर्चा करना; बच्चों पर घरेलू हिंसा के प्रभाव की चर्चा करना; व इन मुद्दों को हल करने के लिए व्यवहारिक सिफारिशों का सुझाव देना। कार्यक्रम में कुल 52 (बावन) प्रतिभागियों ने भाग लिया।

कोविड-19 महामारी के दौरान विभिन्न हितधारकों के लिए महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी पर 4 अगस्त, 2020 को क्षेत्रीय केंद्र, मोहाली द्वारा एक वेबिनार का आयोजन इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ किया गया: प्रतिभागियों को भारत में महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराध के बारे में बताना; भारत में महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी पर कोविड-19 के प्रभाव पर चर्चा करना; व भारत में मानव तस्करी से निपटने के लिए कार्यनीतियां तैयार करना। कार्यक्रम में सरकारी संगठनों और सिविल सोसायटी संगठनों के कुल 57 (सत्तावन) प्रतिभागियों ने भाग लिया।

कोविड-19 महामारी के दौरान बाल श्रम की रोकथाम पर विभिन्न हितधारकों के लिए एक ऑनलाइन अनुशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 14 अगस्त, 2020 को क्षेत्रीय केंद्र, मोहाली में इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ किया गया: प्रतिभागियों को कोविड-19 के कारण पीड़ित बच्चों की वर्तमान स्थिति के बारे में संवेदनशील बनाना; महामारी के कारण बाल श्रम के निवारक उपायों पर चर्चा करना; श्रमिकों के गंतव्य स्थान पर बाल श्रम को रोकने के लिए कार्यनीतियों का पता लगाना। कार्यक्रम में कुल **38 (अड़तीस)** प्रतिभागियों ने भाग लिया।

8. कोविड-19 के दौरान घरेलू मास्क तैयार करना एवं उनका उपयोग करना

महामारी के दौरान घरेलू मास्क तैयार करने एवं उनके उपयोग पर कुल **14 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम** आयोजित किए गए जिनके मुख्य उद्देश्य थे: कोविड-19 की स्थिति में मास्क पहनने के महत्व के बारे में जानकारी प्रदान करना; व घरेलू मास्क तैयार करने और सुरक्षित उपयोग में प्रतिभागियों के बीच कौशल का निर्माण करना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	16 मई, 2020	आंगनवाड़ी सेवा योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता और एसएचजी सदस्य, नागरिक के अधिकारी/पदाधिकारी, संगठनों सरकारी अधिकारी	17636	मुख्यालय
2.	18 मई, 2020	नागरिक संगठनों के पदाधिकारी/प्रतिनिधि	38	क्षेत्रीय केंद्र (लखनऊ)
3.	19 मई, 2020	नागरिक संगठनों के पदाधिकारी/प्रतिनिधि	111	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
4.	22 मई, 2020	नागरिक संगठनों के पदाधिकारी/प्रतिनिधि	48	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
5.	29 मई, 2020	आंगनवाड़ी सेवा योजना के अग्रिम कार्यकर्ता	78	क्षेत्रीय केंद्र (बेंगलुरु)
6.	15 जून, 2020	नागरिक संगठनों के पदाधिकारी/प्रतिनिधि	41	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
7.	25-26 जून, 2020	आंगनवाड़ी सेवा योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अग्रिम कार्यकर्ता	49	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
8.	3 जुलाई, 2020	नागरिक संगठनों के पदाधिकारी/प्रतिनिधि	55	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
9.	6 जुलाई, 2020	नागरिक संगठनों के पदाधिकारी/प्रतिनिधि	43	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
10.	27 जुलाई, 2020	नागरिक संगठनों के पदाधिकारी/प्रतिनिधि	70	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
11.	14 अगस्त, 2020	नागरिक संगठनों के पदाधिकारी/प्रतिनिधि	85	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
12.	25 अगस्त, 2020	नागरिक संगठनों के पदाधिकारी/प्रतिनिधि	38	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
13.	26 अगस्त, 2020	सीएसओ के अधिकारी/पदाधिकारी	35	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
14.	16 सितंबर, 2020	नागरिक संगठनों के पदाधिकारी/प्रतिनिधि	30	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)

5. अन्य

कोविड-19 के दौरान आंगनवाड़ी सेवाओं की डिलिवरी

आंगनवाड़ी सेवाओं का वितरण के लिए कोविड-19 के दौरान की गई पहलों पर एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली द्वारा 7 अगस्त, 2020 को इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ किया गया: कोविड-19 के बीच भारत सरकार द्वारा आंगनवाड़ी सेवाओं के पदाधिकारियों के लिए शुरू की गई विभिन्न नई पहलों पर चर्चा करना; ऐसी पहलों के दौरान विभिन्न पदाधिकारियों की भूमिका एवं जिम्मेदारियों पर चर्चा करना; व इन पहलों के प्रभावी प्रत्युत्तर के लिए कार्यनीति विकसित करना। कार्यक्रम में

37 (सैंतीस) पदाधिकारियों ने भाग लिया।

कौशल विकास और कोविड-19 के दौरान प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं के समाधान को संबोधित करना

सिविल सोसायटी संगठनों के पदाधिकारियों के लिए प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने पर छह ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: प्रतिभागियों को लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों की स्थिति से अवगत कराना; व उन्हें प्रवासी श्रमिकों के परिवारों के लिए भारत सरकार/संस्थाओं की स्वरोजगार योजनाओं के अवसरों की जानकारी देना; लॉकडाउन के दौरान बाल श्रम की रोकथाम एवं बच्चों की सुरक्षा।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	29 मई, 2020	सिविल सोसायटी संगठन के पदाधिकारी	26	मुख्यालय
2.	25-26 जून, 2020	सिविल सोसायटी संगठन के पदाधिकारी	34	मुख्यालय
3.	18 अगस्त, 2020	सिविल सोसायटी संगठन के पदाधिकारी	38	मुख्यालय कोविड-19 के दौरान कुशल कामगारों के लिए अवसर एवं बाधाएं
4.	28 अगस्त, 2020	सिविल सोसायटी संगठन के पदाधिकारी	43	मुख्यालय
5.	16 सितंबर, 2020	सिविल सोसायटी संगठन के पदाधिकारी	20	क्षेत्रीय केंद्र (मोहाली)
6.	06 अक्टूबर, 2020	सिविल सोसायटी संगठन और सरकारी संगठन के पदाधिकारी	35	मुख्यालय

संकट के बाद की स्थिति में स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों द्वारा आजीविका कमाने एवं बाल संरक्षण के मुद्दों

पर गैर सरकारी संगठनों की भूमिका पर निम्नलिखित दो ऑनलाइन कार्यक्रम संस्थान द्वारा आयोजित किए गए:

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	02-03 जुलाई, 2020	सिविल सोसायटी संगठन के पदाधिकारी	28	मुख्यालय
2.	06 अगस्त, 2020	सिविल सोसायटी संगठन के पदाधिकारी	42	बाल संरक्षण के संदर्भ में मुख्यालय

दत्तक ग्रहण

कोविड-19 के दौरान दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया एवं उनके द्वारा सहे गए मुद्दों पर विभिन्न हितधारकों की भूमिका एवं जिम्मेदारियों पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 28 अक्टूबर, 2020 को निपसिड मुख्यालय में इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किया गया: दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को सुगम बनाने में शामिल पदाधिकारियों की भूमिका एवं जिम्मेदारियों पर चर्चा करना; कोविड-19 के समय में उनके सामने आने वाले चुनौतियों पर चर्चा करना; व इन चुनौतियों का निराकरण करने के उपाय खोजना। कार्यक्रम में 29 (उनतीस) अधिकारियों ने भाग लिया।

कोविड-19 के दौरान निधि जुटाने की प्रणाली

सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधियों के लिए कोविड-19 के संदर्भ में निधि जुटाने की प्रणाली पर कुल चार ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: महामारी के कारण समाज में उत्पन्न संकट के प्रति उन्हें संवेदनशील बनाना; उन्हें निधि जुटाने की तकनीकों के बारे में बताना; कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करना; व उन्हें संकट के दौरान समुदाय की मदद करने के लिए गैर सरकारी संगठनों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों से अवगत कराना।



क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	21 अगस्त, 2020	नागरिक संगठनों के प्रतिनिधि	43	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
2.	28 अगस्त, 2020	नागरिक संगठनों के प्रतिनिधि	39	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
3.	21 सितंबर, 2020	नागरिक संगठनों के प्रतिनिधि	52	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)
4.	14 दिसंबर, 2020	नागरिक संगठनों के प्रतिनिधि	28	क्षेत्रीय केंद्र (गुवाहाटी)

नागरिक सामाजिक संगठनों के लिए परियोजना निर्माण पर 20 जनवरी, 2021 को क्षेत्रीय केंद्र, गुवाहाटी में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य उद्देश्य थे: परियोजना निर्माण, निधि जुटाने एवं संसाधन प्रबंधन की तकनीक में प्रतिभागियों के ज्ञान एवं समझ को बढ़ाना; परियोजना की निगरानी, मूल्यांकन और निरंतरता के लिए लागत, अनुमान एवं तंत्र तैयार करने का कौशल विकसित करना; प्रतिभागियों को अपने वित्तीय मामलों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए तैयार करना; व स्वैच्छिक संगठनों के कानूनी ढांचे से परिचित कराना। कार्यशाला में 28 (अट्ठाइस) अधिकारियों ने भाग लिया।

कोविड-19 महामारी के दौरान ईसीसीई एवं बाल संरक्षण को मजबूत करने पर आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारियों के लिए मास्टर प्रशिक्षकों पर कुल आठ प्रशिक्षण कार्यक्रम इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए: प्रतिभागियों को बाल संरक्षण एवं बच्चों के अधिकारों के बारे में जागरूक करना; बचपन की सही देखभाल एवं विकास के लिए विभिन्न कमियों को पहचानने में प्रतिभागियों को सक्षम बनाना; व कोविड-19 महामारी के दौरान ईसीसीई गतिविधियों के आयोजन के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सतत जानकारी प्रदान करने के लिए मास्टर प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए आंगनवाड़ी सेवा योजना कार्यकर्ताओं के कौशल को बढ़ाना।

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजनकर्ता
1.	17 जुलाई, 2020	ए डब्ल्यू एस के पदाधिकारी एवं माता-पिता	45	मुख्यालय
2.	31 जुलाई, 2020	ए डब्ल्यू एस के पदाधिकारी एवं माता-पिता	55	मुख्यालय
3.	20 अगस्त, 2020	आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारी	51	घरों पर बच्चों के समर्थन हेतु अवसरों के संदर्भ में मुख्यालय
4.	23-24 फरवरी, 2021	आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारी	22	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
5.	2-3 मार्च, 2021	आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारी	25	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
6.	4-5 मार्च, 2021	आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारी	24	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
7.	12-13 मार्च, 2021	आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारी	22	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)
8.	16-17 मार्च, 2021	आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारी	24	क्षेत्रीय केंद्र (इंदौर)

15 सितंबर, 2020 को मुख्यालय में कोविड-19 के दौरान बाल संरक्षण में पंचायती राज संस्था की भूमिका पर एक

ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सरकारी एवं पंचायती संस्था के 35 (पैंतीस) प्रतिभागियों ने भाग लिया।



प्रशिक्षण कार्यक्रम, परामर्श बैठकें एवं कार्यशालाएं

शोध, मूल्यांकन
अध्ययन एवं
अन्य परियोजनाएं



पूर्ण हो चुके शोध/प्रलेखन परियोजनाएं

1. विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों (एसएए) के निदेशक/प्रभारी के लिए प्रशिक्षण पुस्तिका

अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बच्चों के प्रबंधन के मकसद से एक विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण (एसएए) की स्थापना की गई है। जे जे अधिनियम राज्य सरकारों को प्रत्येक जिले में अपने एक या अधिक संस्थाओं या स्वैच्छिक संगठनों, को विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरणों के रूप में मान्यता देने का अधिकार देता है, जैसा भी राज्य सरकार, या केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) द्वारा समय-समय पर जारी एव केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित दत्तक ग्रहण के लिए विभिन्न दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बच्चों को गोद लेने के लिए निर्धारित किया जाए। बाल संरक्षण सेवा योजना राज्य एवं गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित ऐसे विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण की सहायता करती है, जहां छह साल से कम उम्र के गोद लेने योग्य बच्चों को आवासीय देखभाल प्रदान की जाती है। अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बच्चों को आवासीय देखभाल प्रदान करने में उनके प्रभावी प्रदर्शन के लिए विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों के निदेशक/प्रभारी के लिए यह प्रशिक्षण पुस्तिका आवश्यक है। सीएआरए दिशानिर्देशों के अनुसार अभिकरण के कामकाज के समन्वय की प्रमुख जिम्मेदारी विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण के निदेशक/प्रभारी की होती है। वे अन्य हितधारकों के साथ समन्वय के लिए भी काम करते हैं।

प्रशिक्षण पुस्तिका के उद्देश्यों में किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और आदर्श नियमावली, 2016 के तहत बाल अधिकारों एवं प्रावधानों के बारे में प्रतिभागियों को जानकारी देना; बाल संरक्षण सेवा योजना एवं इसकी सेवा वितरण संरचना से प्रतिभागियों को अवगत कराना; दत्तक ग्रहण की अवधारणा एवं प्रक्रियाओं के बारे में बेहतर समझ विकसित करना; उन्हें बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और मनो-सामाजिक जरूरतों के बारे में जागरूक करना; बाल विकास के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में प्रतिभागियों को सक्षम बनाना; उन्हें एएएए-सीसीएल लिंकेज और कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण में हितधारकों की भूमिका के बारे में बताना; एसएए में बनाए रखने के लिए बाल देखभाल मानकों और कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण की अदालती प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा करना; विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रबंधन के बारे में जानकारी प्रदान करना -क्या करें और क्या न करें; और पालक देखभाल में दत्तक ग्रहण पूर्व की अवधारणा और प्रक्रिया पर उनकी जानकारी को बढ़ाना।

2. राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अंगीकार की गई बाल संरक्षण सेवा योजना की अच्छी पद्धतियां: एक संकलन

मुश्किल हालातों में रह रहे बच्चों के लिए उचित, सुरक्षित एवं सकारात्मक माहौल देने के लिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से 2009-10 से एक केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना-बाल संरक्षण सेवा योजना (सीपीएस, पूर्व में आईसीपीएस) शुरू की है। यह केंद्र द्वारा प्रायोजित अम्बेला समेकित बाल विकास योजना का एक घटक है। योजना का मुख्य उद्देश्य मुश्किल हालातों में रह रहे बच्चों को वैधानिक एवं सेवा वितरण संरचनाओं का सुरक्षा जाल प्रदान करना है। इसका उद्देश्य निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करके मुश्किल स्थिति एवं कार्यों के प्रति जोखिम को भी कम करना है, जो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शोषण, परित्याग एव बच्चों को माता-पिता से अलग करने का कारण बनता है: (क) गुणवत्तापूर्ण बाल संरक्षण सेवाओं तक बेहतर पहुंच; (ख) भारत में बाल अधिकारों, परिस्थितियों और बच्चों की शारीरिक और सामाजिक सुरक्षा की हकीकत के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना; (ग) बाल संरक्षण के लिए जिम्मेदारियां और जवाबदेही को स्पष्ट करना; (घ) कठिन परिस्थितियों में बच्चों को वैधानिक और सहायक सेवाएं देने के लिए सभी स्तरों पर कार्यात्मक संरचनाएं स्थापित करना; और (ङ) परिचालन साक्ष्य-आधारित निगरानी और मूल्यांकन। उपर्युक्त को ध्यान में रखकर, इन मुख्य उद्देश्यों के साथ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अंगीकृत बाल संरक्षण सेवा योजना पर कुछ पद्धतियां के प्रलेखन की आवश्यकता महसूस की गई: जे जे अधिनियम और पॉक्सो अधिनियम के साथ-साथ बाल संरक्षण सेवा योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अंगीकृत अच्छी पद्धतियों की पहचान करना; व बाल संरक्षण सेवाओं के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए समय-समय पर एमडब्ल्यूसीडी/राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई पहलों को दस्तावेजबद्ध करना।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाई गई नवीन पद्धतियों के कई उदाहरण हैं, जिन्होंने दत्तक ग्रहण, पालक देखभाल, प्रायोजन, संस्थागत देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं एवं बाल संरक्षण से जुड़े मुद्दों जैसे बालक जेंडर अपराध, बाल तस्करी, बाल मजदूरी, बाल विवाह, लापता बच्चों को ढूँढने के संदर्भ में कठिन परिस्थितियों वाले बच्चों के लिए बेहतर नतीजे दिखाए हैं। इन अच्छी पद्धतियों को अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चलाया जा सकता है। इस प्रकार, अच्छी पद्धतियों

को दस्तावेजबद्ध करने का मुख्य मकसद नीति निर्माताओं, हितधारकों, संगठनों, संस्थाओं और बाल संरक्षण सेवा योजना के तहत काम करने वाले अन्य संबद्ध विभागों को उनके प्रदर्शन में सुधार करने और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाना है।

3. विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों के सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण नियमावली

अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बच्चों की देखभाल, सुरक्षा और विकास के उद्देश्य से जिला स्तर पर विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण (एसएए) की स्थापना की गई है। राज्य सरकार या केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) या केंद्र सरकार के दत्तक ग्रहण से संबंधित विभिन्न दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, सीपीएस राज्य और एनजीओ को एसएए चलाने में सहायता करता है जहां छह साल से कम उम्र के गोद लेने वाले बच्चों को आवासीय देखभाल प्रदान की जाती है। पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता संभावित माता-पिता को दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया से अवगत कराने के लिए उनकी काउंसलिंग और इसके लिए उनकी तैयारी जानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनमें अपने परिवार को बनाने का एक वैकल्पिक तरीका, बच्चे को गोद लेने की प्राथमिकता, एक अनजान बच्चे को गोद लेने के लिए भावनात्मक तत्परता, बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि और आनुवंशिक कारकों के बारे में चिंता, पालन-पोषण और अनुशासन के प्रति दृष्टिकोण, बच्चे के साथ गोद लेने के तथ्य को साझा करना, गोद लिए गए बच्चे के बड़े होने पर, उसके द्वारा अपने पिछले जीवन की खोज और बातचीत के दौरान उभरने वाले कोई अन्य मुद्दा शामिल है। यह प्रशिक्षण पुस्तिका एक अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बच्चों की देखभाल के संबंध में उनके प्रभावी प्रदर्शन के लिए विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण के सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए आवश्यक है। एसएए की प्रमुख जिम्मेदारी है कि वह गोद लेने की सलाह प्रदान करके, बचपन की विकास गतिविधियों की निगरानी करके, बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जरूरतों को सुनिश्चित करके, सामान्य व्यवहार संबंधी समस्या का प्रबंधन और विशेष जरूरतों वाले बच्चों का प्रबंधन करके बच्चों की देखभाल करे।

यह पुस्तिका प्रशिक्षकों एवं प्रतिभागियों के बीच बातचीत पर आधारित है। यह प्रतिभागियों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के लिए सहभागी एवं परस्पर संवाद के सत्रों के उपयोग पर अधिक जोर देती है। इसे एक संदर्भ दस्तावेज के रूप में तैयार किया गया है एवं जहां आवश्यक हो, प्रशिक्षकों और समन्वयकों के लिए युक्तियों, खेल एवं अभ्यास, जो सत्रों एवं

सामग्री-विशिष्ट जानकारी को सुविधाजनक बनाने में मदद कर सकते हैं, के साथ कार्य को पूरा करने में प्रशिक्षक की सहायता करने के लिए इसे बनाया गया है, जो प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक करने में प्रशिक्षकों/संयोजकों/संसाधन व्यक्तियों की सहायता करेंगे। विभिन्न राज्यों के प्रशिक्षक/संयोजक को प्रतिभागियों की ऐसे माध्यम से मदद करने के लिए राज्य विशिष्ट सूचना एकत्रित करनी होगी जो उन्हें उनकी भूमिका को निभाने में मदद करेगा।

4. बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण के बारे में गैर सरकारी संगठनों के बीच जागरूकता की सीमा का अध्ययन

बड़ी संख्या में एनजीओ पहले से ही बाल अधिकारों और बाल संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में बच्चे पीड़ित हैं एवं कम जागरूकता, जानकारी, नाकाफी प्रशिक्षण एवं एनजीओ सेवाओं की कमी के चलते जरूरी सेवाओं को हासिल करने में असमर्थ हैं। यह अध्ययन "बाल अधिकारों और बाल संरक्षण के बारे में गैर सरकारी संगठनों के बीच जागरूकता की सीमा" को दर्शाने का प्रयास करता है, जो अध्ययन के उद्देश्यों के संदर्भ में कमियों की पहचान करने में मदद करेगा। अध्ययन को क्रॉस-सेक्शनल अध्ययन के लिए तैयार किया गया था जिसके उद्देश्य थे: बाल संरक्षण, बाल अधिकारों एवं बाल यौन शोषण से संबंधित कानूनों पर गैर सरकारी संगठनों की जागरूकता का मूल्यांकन करना; बाल संरक्षण, बाल अधिकार एवं बाल यौन शोषण पर राज्य एवं जिला स्तर के गैर सरकारी संगठनों के सेवा प्रदाताओं की भूमिका और जिम्मेदारियों का पता लगाना; और यौन शोषण के शिकार बच्चों के लिए गैर सरकारी संगठनों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं की पहचान करना। देश में कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण, उन्नीस राज्यों में भेजी गई प्रश्नावली की मदद से ईमेल के माध्यम से विभिन्न गैर सरकारी संगठनों से डेटा एकत्र किया गया था। डेटा संग्रह में केवल राज्य स्तर और जिला स्तर पर पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों ने अपनी जानकारी साझा की।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्षों को तीन खंडों में विभाजित किया गया और निम्नानुसार चर्चा की गई:

(क) विभिन्न कानूनों और सरकारी पहलों के बारे में उत्तर देने वालों की जानकारी। यह निष्कर्ष निकाला गया कि अधिकांश उत्तर देने वालों (93.1%) को बाल अधिकारों के मुद्दों की पहले से जानकारी है, जबकि अनुस्थापन प्रशिक्षण सत्र आयोजित करके उत्तर देने वालों के बीच बाल संरक्षण/प्रावधानों/कानूनों के बारे में अधिक जागरूकता एवं जानकारी फैलाने की

आवश्यकता महसूस की गई। हालांकि, अधिकांश उत्तर देने वालों को जिला स्तर पर सीडब्ल्यूसी, जेजेबी, बाल गृह, संप्रक्षेप गृह और किशोर न्यायालय के कामकाज के बारे में पता था।

(ख) बाल संरक्षण एवं बाल अधिकारों पर गैर सरकारी संगठनों की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता। इससे यह निष्कर्ष निकला कि बच्चों की देखभाल के क्षेत्र में नवीनतम विकास दंड (डेवलपमेंट) सीखने के लिए गैर सरकारी संगठनों द्वारा अपने कर्मियों के लिए अधिक सघन प्रशिक्षण/सत्र/बैठक/कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए।

(ग) गैर सरकारी संगठनों में बच्चों विशेष रूप से बाल यौन शोषण से बचे बच्चों के लिए पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता पर जोर दिया गया।

उपर्युक्त निष्कर्षों के दृष्टिगत, नीति निर्माताओं के लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत किए गए थे कि प्रशिक्षण इकाइयों का निर्माण करने की आवश्यकता है, जो देश भर में गैर सरकारी संगठनों की भूमिकाओं, कार्यों और जिम्मेदारियों के बारे में प्रोटोकॉल को सर्वव्यापी बनाने में सहायक होंगे। गैर सरकारी संगठनों द्वारा अपेक्षित संसाधनों के लिए धन इकट्ठा करने के लिए सीएसआर को गैर सरकारी संगठनों के साथ शामिल किया जा सकता है। बाल अधिकारों और संरक्षण के लिए काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों के उत्थान के लिए सकारात्मक विकृत व्यक्ति बैठकों/प्रशिक्षणों के माध्यम से अन्य गैर सरकारी संगठनों के अधिकारियों के साथ अपनी सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों एवं अनुभवों को साझा कर सकते हैं।

5. कर्नाटक में बाल अधिकार एवं संरक्षण में हितधारकों की सफलता की कहानियों को दस्तावेजबद्ध करना

बाल संरक्षण का आशय हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार और उपेक्षा से सुरक्षा से है— ये सभी मानवता के संदर्भ में बाल अधिकारों का घोर उल्लंघन हैं। भारत सरकार ने बाल अधिकारों एवं संरक्षण के मुद्दों का समाधान करने वाली विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों और कानूनों को लागू किया है। सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों/सांविधिक निकायों, विशेष रूप से बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्ड, विशेष किशोर पुलिस एकक, जिला बाल संरक्षण एकक, श्रम/शिक्षा विभाग, रेलवे, जेल और स्वैच्छिक संगठनों के बाल अधिकारों और संरक्षण के हितधारक और अन्य बाल अधिकारों और संरक्षण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और उनमें से कई ने बाल श्रम के बचाव में विशेष रूप से बाल तस्करी/बाल शोषण की रोकथाम,

दत्तक ग्रहण, पालक देखभाल, प्रायोजन, मामलों के त्वरित निपटान और पुनर्वास में सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाया है। लेकिन देश भर में अधिकांश हितधारक बाल अधिकारों और संरक्षण के लिए अन्य स्थानों में अपनाई गई इन सर्वोत्तम पद्धतियों से अनभिज्ञ हैं। इसके दृष्टिगत, बच्चों के लिए हस्तक्षेप और पुनर्वास सेवाओं को मजबूत करने के लिए “कर्नाटक राज्य में बाल अधिकार और संरक्षण में विभिन्न हितधारकों की सफलता की कहानियाँ” को दस्तावेजबद्ध करने की आवश्यकता महसूस की गई है। दस्तावेजबद्ध करने का उद्देश्य कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों तथा देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए हस्तक्षेप और पुनर्वास में शामिल प्रक्रियाओं को दस्तावेज बद्ध करना था। दस्तावेज बद्ध करने की प्रकृति अनिवार्य रूप से खोजपूर्ण है, जो विभिन्न हितधारकों द्वारा देखे जाने वाले बाल अधिकारों के मामलों के विश्लेषण और सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों के संरक्षण पर आधारित है, जिसमें सांविधिक निकाय, विशेष रूप से बाल कल्याण समितियाँ, किशोर न्याय बोर्ड, विशेष किशोर पुलिस एकक, जिला बाल संरक्षण एकक, श्रम विभाग, चाइल्डलाइन, आदि शामिल हैं। कर्नाटक राज्य के सभी जिलों के हितधारकों के पास उपलब्ध केस प्रोफाइल को दस्तावेजबद्ध करने के उद्देश्य से एकत्र किया गया और इसका विश्लेषण किया गया।

कर्नाटक में बाल अधिकारों एवं बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए काम कर रहे हितधारकों की 48 सफलता की कहानियों की विवेचना दर्शाती है कि बच्चे समाज के सबसे संवेदनशील वर्गों में से हैं जिन्हें छोटी उम्र से ही सुरक्षा देने की आवश्यकता है। बच्चों की सुरक्षा मामले में कार्यान्वयन अभी भी पीछे है। दस्तावेज के प्रमुख निष्कर्षों से पता चला कि:

1. बच्चों के लिए काम करने वाले हितधारकों को बाल अधिकारों के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है, और बच्चों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए बच्चों से संबंधित कार्यक्रम और नीतियाँ/कानून जरूरी हैं।
2. बाल अधिकार और संरक्षण को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए और स्कूली बच्चों को बच्चे और बच्चों की सामुदायिक गतिविधियों के बारे में जानकारी के प्रचार-प्रसार में शामिल किया जाना चाहिए।
3. बच्चों का सशक्तिकरण और भागीदारी दुर्व्यवहार की रोकथाम में महत्वपूर्ण हैं। इसलिए, ऐसी जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है जो स्कूलों में सटीक, सुलभ एवं आयु-अनुकूल हो।

6. पश्चिम बंगाल के माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों की स्थिति का विश्लेषण

पश्चिम बंगाल में, माओवादी गतिविधियां हमेशा से परेशानी का सबब बनी रही है, पश्चिम मेदिनीपुर, पुरुलिया एवं बांकुरा के माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में महिलाओं पर हमला किया जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में बच्चों को उनके परिवार के अंदर और बाहर दोनों जगह बहुत कम/कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं होती है। ऐसी स्थिति में, बच्चों को एक अच्छा जीवन, पोषण, आवास, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं एवं आवश्यक सेवाओं से वंचित रहने की संभावना रहती है। भारत के कुछ क्षेत्रों में माओवादी गतिविधियों के कारण बच्चों को बुनियादी सेवाओं की कमी या वंचित रहने की समस्या जीवन के प्रारंभिक चरणों में बच्चों की पर्याप्त वृद्धि और विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार लोगों के लिए चिंता का बड़ा विषय बन गया है। क्षेत्र में माओवाद के कारण विकट परिस्थितियों में जीवन बिता रहे बच्चों को देखभाल एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए मौजूदा क्षमता और संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग की दिशा में समन्वित प्रयास करने की नितांत आवश्यकता है। यह अध्ययन माओवाद प्रभावित क्षेत्र में बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं की पहुंच का मूल्यांकन करने के लिए किया गया था। अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार थे: पश्चिम बंगाल के माओवाद प्रभावित क्षेत्र में बच्चों की शारीरिक, सामाजिक और मानसिक स्थिति और इसके प्रभाव का पता लगाना; पश्चिम बंगाल के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों की पोषण स्थिति, टीकाकरण की स्थिति, रुग्णता और मृत्यु दर, स्कूल नामांकन, उपस्थिति में नियमितता, स्कूल छोड़ने वालों आदि के संदर्भ में बच्चों की स्थिति का विश्लेषण करना; महिलाओं और बच्चों के लिए केंद्र प्रायोजित और राज्य प्रायोजित योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन, सेवाओं की गुणवत्ता, लक्षित लाभार्थियों के कवरेज की सीमा और पश्चिम बंगाल के प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों की स्थिति पर इसके प्रभाव जैसी विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन का आकलन करना; और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों की सामाजिक-भावात्मक और समायोजन और व्यवहार संबंधी समस्या को समझना। यह अध्ययन पश्चिम बंगाल के दो सबसे अधिक प्रभावित जिलों यथा पुरुलिया और पश्चिम मेदिनीपुर तक ही सीमित था। चयनित चार परियोजनाओं में से प्रत्येक जिले से, तीन ग्रामीण परियोजनाएं थीं और एक आदिवासी परियोजना थी, अर्थात् पुरुलिया जिले में बलरामपुर (ग्रामीण) और बाघमुंडी (ग्रामीण) परियोजना और पश्चिम मेदिनीपुर जिला अध्ययन में डाटा संग्रहण हेतु मेदिनीपुर सदर (ग्रामीण) और बिनपुर-1 (आदिवासी) परियोजना। माओवादी गतिविधियों के कारण

सर्वाधिक प्रभावित आईसीडीएस ब्लॉकों को इस उद्देश्य के लिए चुना गया था। इन माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए आईसीडीएस सेवाओं के स्वास्थ्य वितरण पर विभिन्न सूचकों पर डेटा के लिए कुल 40 आंगनवाड़ी केंद्रों को शामिल किया गया था। एक महीने में आंगनवाड़ी केंद्रों के खुलने की औसत संख्या, एक दिन के लिए खुलने वाले केंद्रों की औसत संख्या, एसएनपी के वितरण, विकास निगरानी, सार्वजनिक उपक्रम, घर के दौरे, टीकाकरण आदि जैसी सेवाओं की नियमितता की जानकारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से एकत्र की गई थी। इन आंगनवाड़ी केंद्रों से बच्चों के पोषण स्तर एवं स्वास्थ्य की स्थिति का भी मूल्यांकन किया गया।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों से पता चला कि: समेकित बाल विकास सेवा योजना को देखभालकर्ताओं और समुदायों की मजबूत क्षमता और बुनियादी सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से छह साल से कम उम्र के बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम छोटे बच्चों, गर्भवती एवं नर्सिंग माताओं एवं महिलाओं/ किशोरियों को ध्यान में रखकर चाइल्डकेयर, प्रारंभिक विकास एवं ज्ञान, स्वास्थ्य और पोषण, पानी एवं पर्यावरण स्वच्छता के लिए बुनियादी सेवाओं को शामिल करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है।

7. दक्षिणी क्षेत्र में किशोर न्याय प्रणाली के तहत बाल कल्याण समितियों के कामकाज का अध्ययन

बच्चे भारत की जनसंख्या का 42% से अधिक हैं। हालांकि, विभिन्न कारणों से, बच्चों को समाज की सबसे कमजोर कड़ी में से एक माना जाता है। यह असुरक्षित समूहों जैसे सड़क पर रहने वाले बच्चों, तस्करी किए गए बच्चों, दुर्व्यवहार के शिकार बच्चों, परिवार में जोखिमग्रस्त बच्चों, परित्यक्त बच्चों, निराश्रित बच्चों, अनाथ बच्चों, मानसिक रूप से बीमार बच्चों, लापता बच्चों, मादक पदार्थों के सेवन में लिप्त बच्चों, मुसीबत एवं आपदाओं से पीड़ित बच्चों, कामकाजी बच्चों, दिव्यांग बच्चों, एचआईवी/एड्स से प्रभावित/संक्रमित बच्चों आदि के समाज में निरंतर बने रहने से पता चलता है। उपर्युक्त के दृष्टिगत, निपसिड ने दक्षिणी राज्यों कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता के लिए निर्देश देने के लिए बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) के संरचनात्मक और कार्यात्मक पहलुओं का अध्ययन करने का निर्णय लिया। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य इन पांच राज्यों में सीडब्ल्यूसी के कामकाज की समीक्षा करना था। इन सात राज्यों में कार्यरत 100 सीडब्ल्यूसी में से 30 सीडब्ल्यूसी को अध्ययन के लिए चुना

गया था। सीडब्ल्यूसी के कामकाज के बारे में संबंधित सीसीआई के पदाधिकारियों के कामकाज, सीडब्ल्यूसी के कामकाज की कमियों और चुनौतियों की पहचान और प्रभावी ढंग से काम करने के लिए संभावित उपायों की तलाश करने के दृष्टिगत, बच्चों को संभालने में अपनाई जा रही जेजे अधिनियम प्रक्रिया के अनुसार सीडब्ल्यूसी की मौजूदा संरचना और कामकाज, सीडब्ल्यूसी अध्यक्षों/सदस्यों की भूमिका और जिम्मेदारियों जैसे विभिन्न मुद्दों पर जानकारी एकत्र की गई थी। अध्ययन के उद्देश्य थे: दक्षिण भारत में सीडब्ल्यूसी के वर्तमान कामकाज को दस्तावेजबद्ध करना; बच्चों के पुनर्वास के लिए सीडब्ल्यूसी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं और हस्तक्षेप को समझना; सीडब्ल्यूसी द्वारा कार्यान्वित वैकल्पिक देखभाल विकल्पों और बच्चों के अनुकूल प्रणालियों का पता लगाना; और सीडब्ल्यूसी सदस्यों के सामने अपनी भूमिका निभाने में आने वाली कमियों और चुनौतियों की पहचान करना। अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार थे:

1. अध्ययन सिफारिश करता है कि सीडब्ल्यूसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी स्थान बच्चों के लिए सुरक्षित हों। वे व्हिसलब्लोअर की भूमिका निभा सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर स्वतः कार्यवाई शुरू कर सकते हैं।
2. उन्हें मानव, सामग्री और सूचनात्मक संसाधनों के संदर्भ में क्षमता निर्माण और सहायता के साथ-साथ कानूनों और योजनाओं पर जानकारी से युक्त होने की आवश्यकता है।
3. आईसीपीएस के तहत सीडब्ल्यूसी को प्रभावी कामकाज के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, जिसमें शामिल हैं: बैठने की उचित व्यवस्था, मानदेय का भुगतान समय पर करना, डेटा एंट्री ऑपरेटर एवं सहायक उपलब्ध कराना, ईडब्ल्यूई सदस्यों के नाम और संपर्क नंबर बोर्डों पर डालना, सुझाव बॉक्स, आदि।
4. सूचना सहायता प्राप्त करने के लिए सीडब्ल्यूसी के लिए एक राज्य स्तरीय संसाधन केंद्र होगा।
5. सीडब्ल्यूसी को प्रशिक्षण देने के अलावा, वित्तीय मुद्दों के समाधान के साथ-साथ बच्चों के अनुकूल बुनियादी सुविधाएं और उनके कामकाज में सहायता की जानी चाहिए।
6. बच्चों को संस्था से भेजने के बाद उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करने में सहायता के रूप में महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेज और आवश्यक चीजें प्रदान की जाएंगी।
7. बच्चों को संस्थाओं में ज्यादा रखने से बचने के लिए उन्हें गैर-संस्थागत सेवाओं जैसे प्रायोजन और पालक देखभाल/रिश्तेदारों द्वारा देखभाल को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
8. बच्चे को दूसरे राज्य में स्थानांतरित करते समय, ईडब्ल्यूईएस बच्चे को सलाह देंगी और बच्चे के सर्वोत्तम हित का ध्यान रखेंगी।



प्रशिक्षण कार्यक्रम, परामर्श बैठकें एवं कार्यशालाएं

फील्ड प्रदर्शन एवं
परामर्श सेवाएं



फील्ड प्रदर्शन सेवाएं

1. फील्ड प्रदर्शन सेवाएं

संस्थान अपने मुख्यालय एवं क्षेत्रीय केंद्रों पर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य परामर्श के लिए फील्ड प्रदर्शन सेवाएं चलाता है और अपनी रुचि के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकाशन भी निकालता है।

बाल निर्देशन केंद्र (सीजीसी)

निपसिड में बाल निर्देशन केंद्र (नैदानिक एवं चिकित्सीय सेवा) ने बच्चों एवं परिवारों के भावनात्मक कल्याण के मिशन के साथ उच्च गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना जारी रखा है। मुख्यालय में बाल निर्देशन केंद्र को वर्ष 2015 में प्रदान की गई सेवाओं के लिए आईएसओ प्रमाणन दिया गया है जिसे फिर से नवीनीकृत किया गया और आईएसओ 9001-2015 के उच्च संस्करण में अद्यतन किया गया। प्रमाणन बच्चे की (12 वर्ष की आयु तक) संज्ञानात्मक क्षमताओं, सामाजिक अनुकूलन, व्यवहार, कौशल, प्रतिभा, रुचियों एवं लर्निंग, व्यक्तित्व विशेषताओं के व्यापक निदान एवं मूल्यांकन के लिए प्रदान की जाने वाली गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की पुष्टि करता है, और बच्चे के साथ-साथ परिवार के भावनात्मक कल्याण को मजबूत एवं पुनर्स्थापित करने के लिए माता-पिता को सशक्त बनाता है।

निपसिड के सभी क्षेत्रीय केंद्रों में बाल निर्देशन केंद्र काम कर रहे हैं। केंद्र का उद्देश्य संबंधित क्षेत्र में बच्चों एवं परिवारों के भावनात्मक कल्याण को पुनर्स्थापित एवं मजबूत करना है। बाल विकास पेशेवर, बाल परामर्शदाताओं, मनोवैज्ञानिक, व्यावसायिक चिकित्सक एवं वाक् चिकित्सक की एक योग्य टीम द्वारा मूल्यांकन और परामर्श सेवाएं प्रदान की जाती हैं। सीजीसी उन बच्चों की विशेष जांच और निदान की पेशकश करता है, जो सीखने, व्यवहार, ध्यान देने एवं विकास संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं।

बाल केंद्रित परिवार सकेन्द्रित सेवाएं

बाल निर्देशन केंद्र बच्चों को एक सुरक्षित माहौल देता है एवं यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे स्वेच्छा से मूल्यांकनों में भाग लें। माता-पिता को भी मूल्यांकन में शामिल किया जाता है क्योंकि वे बच्चे की क्षमता का पता लगाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। किसी बच्चे का व्यापक मूल्यांकन एक बहु-विषयक टीम द्वारा किया जाता है जिसके लिए बच्चे और परिवार के साथ 10-12 सत्र करना अनिवार्य है। एक दिन में एक से अधिक मूल्यांकन सत्र की योजना बनाकर परिवार के केंद्र के दौरे को कम करने का प्रयास किया जाता है ताकि यह बच्चों के लिए मुनासिब हो एवं केंद्र में बार-बार आने के कारण

माता-पिता और एवं की जीवनचर्या बाधित न हो। टीम बच्चे और उसके परिवार को बच्चे के जीवन में आने वाली बाधाओं की पहचान करने में मदद करती है व सीमाओं के बावजूद बच्चे के जीवन को आसान बनाने के लिए उचित समाधान ढूंढती है।

बाल निर्देशन केंद्र निम्नलिखित व्यापक नैदानिक मूल्यांकन प्रदान करता है:



कोविड-19 महामारी के दौरान सीजीसी का कामकाज

बाल निर्देशन केन्द्र को कोविड महामारी की वजह से 20 मार्च, 2020 से बच्चों एवं परिवारों के लिए अपनी प्रत्यक्ष नैदानिक सेवाओं को स्थगित करना पड़ा। माता-पिता की सुविधा के अनुसार बच्चों एवं परिवारों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे स्काइप, व्हाट्सएप वीडियो कॉल, जूम, गूगल मीट आदि के माध्यम से परामर्श सेवा प्रदान की गई। वर्ष के दौरान, केंद्र में 91 नए मामले दर्ज किए गए और इसके अतिरिक्त 267 बच्चों ने विभिन्न हस्तक्षेपों के लिए फॉलोअप को बनाए रखा।

वर्ष 2020-21 के दौरान, कोविड-19 महामारी के बीच, बच्चों और माता-पिता के लिए कुल 2095 परामर्श ऑनलाइन आयोजित किए गए। मुख्यालय एवं उसके क्षेत्रीय केंद्रों पर कुल 409 नए मामले दर्ज किए गए। 2818 मामलों में परामर्श के साथ फॉलोअप मामलों का निपटारा किया गया।

किसी भी रोग से ग्रस्त बच्चों के लिए नैदानिक और सहायक सेवाओं के लिए सीजीसी का उपयोग किया जा सकता है। जिस सामान्य समस्या के लिए कई माता-पिता ने मुख्यालय और क्षेत्रीय केंद्रों में बाल निर्देशन केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की, उसका कारण बच्चे में शैक्षणिक अंतराल था। बहरहाल, शैक्षणिक अंतराल के कारण व्यापक एवं मिश्रित थे एवं हर

बच्चे में भिन्न थे। विशिष्ट तंत्रिका-विकास संबंधी विकार भी थे जैसे कि सीखने की विशिष्ट अक्षमता (एसएलडी), महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक सीमाएं जैसे कि बौद्धिक दिव्यांगता(आईडी) लर्निंग सूचना को प्रोसेस करने की बच्चे की सहज क्षमता को प्रभावित करती है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (एएसडी), डिस्टॉर्शन इन सोशल-इमोशनल डेवलपमेंट (डीएसईडी), एवं अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर (एडीएचडी) जैसे अन्य विकारों ने भी सहरुणताओं के रूप में बच्चे की शैक्षणिक क्षमता को प्रभावित किया।

नैदानिक सेवाओं को परामर्श और सहायक सेवाओं द्वारा पूरा किया गया। सभी हस्तक्षेपों का फोकस परिवार को सक्षम बनाने पर था ताकि वे बच्चे की उम्र और विकासात्मक प्रोफाइल के परिवेश को समझ सकें। परिवारों को मनो-शिक्षा और सहायक भावनात्मक परामर्श दिया गया। मनो-शिक्षा ने परिवार को बच्चे की तंत्रिका-जैविक समस्याओं व बच्चे की विशेष जरूरतों और चिंताओं का समझने में मदद की। उपयुक्त उपमाओं के द्वारा इन पर व्याख्यात्मक ढंग से चर्चा की गई ताकि माता-पिता उन्हें क्रियात्मक रूप से समझ सकें। लगभग सभी परिवारों ने सघन अभिभावक परामर्श सत्रों में भाग लिया।

निपसिड के सीजीसी में बच्चों के लिए मानसिक स्वास्थ्य परामर्श

बाल निर्देशन केंद्र	2020-21 के मामले नए मामले	फॉलोअप मामले	परामर्श
निपसिड मुख्यालय, नई दिल्ली	91	267	900
क्षेत्रीय केंद्र, बेंगलुरु	35	200	120
क्षेत्रीय केंद्र, मोहाली	163	1551	275
क्षेत्रीय केंद्र, गुवाहाटी	50	800	800
क्षेत्रीय केंद्र, लखनऊ	50	सीसीआई में संपर्क सेवाएं	
क्षेत्रीय केंद्र, इंदौर	20	इंदौर से नए मामले सूचित किए गए। पश्चिमी भारत के पांच राज्यों में सीजीसी के विस्तार का कार्य चल रहा है।	
कुल नए मामले	409 मामले	2818	2095

किशोर निर्देशन सेवा केंद्र

किशोर निर्देशन सेवा केंद्र (एजीएससी) किशोरों के सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के विज्ञान के साथ काम करता है। केंद्र का उद्देश्य एक व्यापक किशोर निर्देशन कार्यक्रम, जिसमें परामर्श और सहायक हस्तक्षेप शामिल हैं, के माध्यम से, 12-19 वर्ष के बच्चों में स्वस्थ मनोसामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। केंद्र द्वारा दी जाने वाली नैदानिक सेवाओं में व्यापक नैदानिक मूल्यांकन, करियर मूल्यांकन एवं मार्गदर्शन और सहायक परामर्श और संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा के रूप में सहायक कार्य शामिल हैं। यह काम नैदानिक मनोवैज्ञानिकों और किशोर परामर्शदाताओं की एक टीम द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2020-21 के दौरान एजीएससी में नामांकित किशोरों के 100 नए मामले सामने आए। वर्ष के दौरान लगभग 250 फॉलोअप मामलों में भी काउंसलिंग की गई और विभिन्न मूल्यांकनों और उपचारों के लिए 900 से अधिक परामर्श प्रदान

किए गए। किशोरों के साथ हस्तक्षेप में स्व-जागरूकता वाली गतिविधियाँ शामिल थीं जैसे कि किसी की ताकत, सीखने की शैली और करियर की रुचियों का पता लगाना, आत्म-सम्मान का निर्माण करना, संघर्ष करने की सही रणनीति सीखना, अध्ययन कौशल, पारस्परिक संबंधों में मतभेदों को हल करना आदि जैसे विषयों पर भी ध्यान दिया गया था। संस्थान के बाल निर्देशन केंद्र के मनोचिकित्सक के साथ किशोरों के दीर्घकालिक मनो-चिकित्सीय हस्तक्षेप नियमित फॉलोअप सत्रों के माध्यम से जारी रहे। स्कूल में बदमाशी, नशीले पदार्थों के संपर्क में आने और व्यवहार संबंधी कठिनाइयों जैसे मुद्दों का समाधान करने के लिए कुछ किशोरों के साथ हस्तक्षेप कार्य भी किया गया था। इसके अलावा, महामारी के दौरान समस्याओं की गंभीरता में वृद्धि के कारण, सीजीसी में समय के साथ चिकित्सा सहायता के लिए मनोचिकित्सक के लिए काफी ज्यादा रेफरल देखा गया। ये परामर्श बड़ी संख्या में परिवार की सुविधा और आराम के अनुसार ऑनलाइन मोड जैसे गूगल मीट और जूम जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से प्रदान किए गए।



प्रशिक्षण कार्यक्रम, परामर्श बैठकें एवं कार्यशालाएं

निपसिड में चल
रहे पाठ्यक्रम





निपसिड में चल रहे पाठ्यक्रम

बाल निर्देशन एवं परामर्श में एक वर्षीय उन्नत डिप्लोमा

संस्थान बाल निर्देशन एवं परामर्श में उन्नत डिप्लोमा नाम से एक पूर्णकालिक एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाता है। वर्तमान में बाल निर्देशन एवं परामर्श में उन्नत डिप्लोमा का सोलहवां बैच चल रहा है, जिसमें सामाजिक कार्य/मनोविज्ञान/बाल विकास में स्नातकोत्तर डिग्री वाले 32 छात्र हैं।

बाल निर्देशन एवं परामर्श में उन्नत डिप्लोमा (पंद्रहवां बैच, 2019-20)

कोविड 19 महामारी के कारण, बाल निर्देशन एवं परामर्श में उन्नत डिप्लोमा (पंद्रहवां बैच, 2019-20) की पढ़ाई ऑनलाइन मोड से करनी पड़ी। चूंकि पाठ्यक्रम की प्रकृति प्रायोगिक है और बच्चों एवं परिवारों को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, कृत्रिम प्रयोग वैकल्पिक रूप से उनके लिए ऑनलाइन बनाए गए। समानांतर रूप से, उनमें से कुछ कोविड के लिए बनाए गए ऑनलाइन परामर्श सहायता प्लेटफार्मों में लगाए गए थे। किशोरों के लिए संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, प्ले थेरेपी, करियर योजना और सेक्सुअलिटी एजुकेशन और डिजाइनिंग ट्रेनिंग के क्षेत्र में प्रायोगिक कार्यशालाएं आयोजित की गईं। उन्हें निर्देशित अभ्यास देने के लिए चयनित स्कूल मंचों के माध्यम से किशोरों के साथ ऑनलाइन करियर वार्ता आयोजित करने के

लिए तैयार किया गया था। दसवीं से बारहवीं कक्षा तक के 300 से अधिक किशोरों तक पहुंचने के लिए छात्रों द्वारा लगभग 14 करियर वार्ताएं आयोजित की गईं।

बाल निर्देशन एवं परामर्श में उन्नत डिप्लोमा (सोलहवां बैच, 2020-21)

बाल निर्देशन एवं परामर्श में उन्नत डिप्लोमा (2020-21) के सोलहवें बैच के लिए प्रवेश की प्रक्रिया 22 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई थी। नियमित 30 छात्रों के अलावा, सरकार के निर्देशों के अनुसार ईडब्ल्यूएस श्रेणी के दो छात्रों ने वर्तमान बैच में प्रवेश लिया। वर्ष 2020-21 का शैक्षणिक सत्र एवं अंतिम सत्र की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। छात्रों के लिए इंटर्नशिप नवंबर-दिसंबर 2021 के लिए निर्धारित है। जीजीएसआईपीयू के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, पाठ्यक्रम को मुख्य रूप से ऑनलाइन मोड से चलाया जा रहा है। इस प्रकार स्कूलों और क्लिनिकों में प्रत्यक्ष प्रायोगिक कार्य की कमी को पूरा करने के लिए अभ्यास कार्य या पूर्व सत्र गतिविधियां आयोजित करके कक्षाओं को प्रायोगिक बनाने के लिए विशेष प्रयास किए गए ताकि बच्चे चर्चा और गहन चिंतन के लिए कक्षा का अनुभव प्राप्त करने में समर्थ हो सकें।



प्रशिक्षण कार्यक्रम, परामर्श बैठकें एवं कार्यशालाएं

**शैक्षणिक गतिविधियों
में संकाय सदस्यों की
भागीदारी एवं सहयोग**



बाहरी कार्यक्रमों की शैक्षणिक गतिविधियों में संकाय सदस्यों की भागीदारी एवं सहयोग

निपसिड मुख्यालय और क्षेत्रीय केंद्रों के संकाय सदस्य विभिन्न बैठकों और कार्यक्रमों में एमडब्ल्यूसीडी की मदद करने में काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव, और राज्यों के महिला एवं बाल विकास विभागों के मुख्य सचिवों के साथ विभिन्न बैठकों में निपसिड के संकाय सदस्यों ने भाग लिया, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

सचिव, एमडब्ल्यूसीडी के साथ बैठक

1. 28 अक्टूबर 2020 को एमडब्ल्यूसीडी के सचिव की अध्यक्षता में एक भारत और श्रेष्ठ भारत (ईबीएसबी) को बढ़ावा देने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए खिलौना-आधारित शिक्षण पर एक वीसी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण विभाग), निपसिड, जो सचिव, एमडब्ल्यूसीडी द्वारा गठित समिति के सदस्य थे, और अन्य संकाय सदस्यों ने भाग लिया।
2. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण विभाग) निपसिड स्कूली शिक्षा मंत्रालय के तहत बचपन की देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेम और स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के फ्रेमवर्क के लिए संयुक्त कार्य बल के सदस्य थे।
3. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण विभाग) निपसिड महिला एवं बाल विकास निदेशालय और मिशन शक्ति, ओडिशा सरकार के राज्य ईसीसीई परिषद के साधारण निकाय और कार्यकारी के सदस्य थे।
4. 20 नवंबर, 2020 को शास्त्री भवन में श्री राम मोहन मिश्रा, सचिव, एमडब्ल्यूसीडी की अध्यक्षता में आयोजित "पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम" पर आधारित "महिलाओं के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम" तैयार करने पर चर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई। संयुक्त निदेशक, प्रभारी (महिला विकास विभाग) निपसिड ने उक्त विषय पर एक प्रस्तुति दी।

क्षेत्रीय केंद्र, बंगलुरु के संकाय सदस्यों की कर्नाटक सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के मुख्य सचिव के साथ बैठक।

1. 12 मई, 2020 को कर्नाटक सरकार, बंगलुरु के मुख्य सचिव द्वारा "आईसीडीएस के पूरक पोषण कार्यक्रम के

तहत वितरित भोजन की गुणवत्ता में सुधार" पर बैठक आयोजित की गई।

2. 19 फरवरी, 2021 को अतिरिक्त मुख्य सचिव और विकास आयुक्त-नियोजन, कार्यक्रम निगरानी एवं सांख्यिकी विभाग, कर्नाटक सरकार की अध्यक्षता में 'कुपोषण और एनीमिया मुक्त कर्नाटक - कार्यनीतियाँ और नीति' पर एक बैठक आयोजित की गई।
3. 12 अगस्त, 2020 को महिला एवं बाल विकास निदेशालय, बंगलुरु में मुख्य सचिव, कर्नाटक, सरकार द्वारा पीएमवीवीवाई की राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति की बैठक बुलाई गई।
4. 28 जुलाई, 2020 को सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, कर्नाटक सरकार की अध्यक्षता में कर्नाटक राज्य बाल संरक्षण सोसायटी की कार्यकारी परिषद की बैठक हुई।

एमडब्ल्यूसीडी की महत्वपूर्ण बैठकें

- मार्च-अप्रैल, 2021 के दौरान विज्ञान भवन, नई दिल्ली में संपन्न विभिन्न वेबिनार के आयोजन में संकाय सदस्यों ने मदद की। वेबिनार के विषयों में शामिल हैं: महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण- वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन और महिला गृहों के साथ बातचीत; महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध (सीएडब्ल्यूसी); वन स्टॉप सेंटरों के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को सुगम बनाना; और एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर के माध्यम से बच्चों की सुरक्षा, कल्याण और विकास।

बाहरी कार्यक्रमों की शैक्षणिक गतिविधियों में संकाय का सहयोग

- निपसिड मुख्यालय और उसके क्षेत्रीय केंद्रों के संकाय सदस्यों ने 2020-21 के दौरान विभिन्न संगठनों / संस्थानों / विश्वविद्यालयों / अस्पतालों / महाविद्यालयों / राज्यों के विभागों / सीएसओ के साथ इन क्षेत्रों में सहयोग किया: सलाहकार समिति की बैठकों में भाग लेना; संबंधित डोमेन में तकनीकी विशेषज्ञों के रूप में; प्रशिक्षण आयोजित करना; और विभिन्न ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में संसाधन व्यक्तियों के रूप में भाग लेना, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:



संगठनों / संस्थानों / विश्वविद्यालयों / अस्पतालों / महाविद्यालयों / राज्य के विभागों / सीएसओ के साथ निपसिड के संकाय सदस्यों का सहयोग

विश्वविद्यालय

- शूलिनी विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश
- तेजपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय
- राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और न्यायिक अकादमी, असम
- मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय
- जम्मू विश्वविद्यालय
- कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलोर
- मिजोरम विश्वविद्यालय
- डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय
- पंजाब कृषि विश्वविद्यालय
- महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा
- उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल
- महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा
- खाजा मोइनूद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

महाविद्यालय

- लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई कन्या महाविद्यालय, असम
- जीएस लोहिया कन्या महाविद्यालय, तिनसुकिया, असम
- पीजी और पुनर्वास विज्ञान होली क्रॉस अनुसंधान विकास महाविद्यालय, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु
- माउंट कार्मेल महाविद्यालय, बेंगलुरु
- महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, पुडुचेरी

स्कूल

- केन्द्रीय विद्यालय, हैदराबाद
- केन्द्रीय विद्यालय खानापारा
- केन्द्रीय विद्यालय अलीगंज, लखनऊ
- केन्द्रीय विद्यालय गोमती नगर, लखनऊ

मंत्रालय, निदेशालय और राज्य विभाग

- स्कूल शिक्षा मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय, मंगलुरु
- दिव्यांगों का पुनर्वास और रोजगार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सुंदरनगर, हिमाचल प्रदेश
- एसपीएमयू, पोषण अभियान, असम
- सामुदायिक खाद्य एवं पोषण विस्तार इकाई, गुवाहाटी
- खाद्य एवं पोषण बोर्ड, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार
- यूपीएससीपीसीआर, उत्तर प्रदेश सरकार
- आईसीडीएस, उत्तर प्रदेश सरकार
- 181, महिला हेल्पलाइन, दिसपुर, असम
- महिला एवं बाल विकास विभाग और मिशन शक्ति, ओडिशा सरकार
- राज्य पोषण मिशन, उत्तर प्रदेश
- एचसीएम राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर
- कामरूप मेट्रो की जिला बाल संरक्षण इकाई
- गुजरात राज्य बाल संरक्षण सोसायटी
- ओडिशा राज्य बाल संरक्षण सोसायटी
- कर्नाटक राज्य बाल संरक्षण सोसायटी
- बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी), लखनऊ

- सामाजिक कल्याण निदेशालय, असम
- सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास निदेशालय, चंडीगढ़
- बाल विकास निदेशालय और पुष्टाहार निदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
- सामाजिक सुरक्षा निदेशालय और महिला एवं बाल विकास विभाग, पंजाब
- महिला एवं बाल विकास विभाग और मिशन शक्ति, ओडिशा सरकार
- महिला एवं बाल विकास विभाग, कर्नाटक सरकार
- योजना, कार्यक्रम निगरानी और सांख्यिकी विभाग, कर्नाटक सरकार
- दीक्षा-समेकित सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण (आईजीओटी) पोर्टल, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार



मंत्रालय, निदेशालय और राज्य विभाग

संस्थान

- सिम्हा टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान
- भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी
- भारतीय महिला अध्ययन संघ पूर्वोत्तर क्षेत्र
- इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन
- राज्य पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, रोहतक
- राष्ट्रीय लोकोमोटर दिव्यांगता संस्थान (एनआईएलडी), कोलकाता
- श्रीमती वीएचडी केंद्रीय गृह विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
- हिंद आयुर्विज्ञान संस्थान, उत्तर प्रदेश
- राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर, राजस्थान
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (एनआईएमएचएएनएस)
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी)
- राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, एनईआर, गुवाहाटी
- भारतीय पोषण संस्थान, मुंबई
- राज्य ग्रामीण विकास संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

नागरिक सामाजिक संगठन

- सुमैत्री (अवसाद एवं आत्मघात हेतु संकट हस्तक्षेप केंद्र) दिल्ली
- पोषण और सामुदायिक कार्य संसाधन (एनसीएआरई) केंद्र
- विकास नीति एवं पद्धति केन्द्र, हैदराबाद
- समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास केंद्र
- ब्रेस्टफीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया
- हैप्पी ग्रुप, शिलांग
- बेंगलोर का अल्ट्रासा इंटरनेशनल
- न्यूयॉर्क सिटी ऑटिज़्म इनिशिएटिव,
- अन्य
- मनोरोग चिकित्सा, नशामुक्ति और पुनर्वसन अथमा अस्पताल, त्रिची, तमिलनाडु
- सेठ जीएसएमसी और केईएम अस्पताल, मुंबई



प्रशिक्षण कार्यक्रम, परामर्श बैठकें एवं कार्यशालाएं

महिला एवं बाल
प्रलेखन केन्द्र



महिला एवं बाल प्रलेखन केन्द्र

संस्थान में एक महिला एवं बाल प्रलेखन केन्द्र (डीसीडब्ल्यूसी) है जो महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों की पुस्तकों, पत्रिकाओं, जर्नल्स, दस्तावेजों, रिपोर्टों और अन्य सामग्रियों का बेहतरीन संग्रह रखता है। संस्थान के पुस्तकालय में पुस्तकों का एक विस्तृत संग्रह है जिसका संदर्भ अक्सर संस्थान के संकाय सदस्य एवं कर्मचारियों एवं बाल निर्देशन एवं परामर्श में उन्नत डिप्लोमा के छात्र भी देते हैं,।

प्रलेखन केंद्र संदर्भ सेवाएं प्रदान करता है जिसमें उपयोगकर्ता उसके अनुकूल तरीके से रिपोर्ट, दस्तावेज, शोध सार, सांख्यिकी इत्यादि के रूप में जानकारी प्राप्त कर सकता है। सुविधा का उपयोग संकाय के सदस्यों के साथ-साथ शिक्षाविदों, विद्वानों और अन्य महाविद्यालयों के छात्रों द्वारा किया जाता है। पुस्तकालय में पुस्तकों के डेटाबेस और डीसीडब्ल्यूसी में दस्तावेजों को सूचीबद्ध करने और आसान खोज के लिए लिबसिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से संचालित किया जाता है।

यह केंद्र महिलाओं और बच्चों से संबंधित सूचनाओं का भंडार है और संस्थान के संकाय के सदस्यों के साथ-साथ बाल निर्देशन और परामर्श में उन्नत डिप्लोमा के छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए रिपोर्ट, शोध लेख, कानून, दिशानिर्देश इत्यादि को नियमित रूप से शामिल जाता है। संस्थान का पुस्तकालय भी प्रगतिशील पुस्तकालय नेटवर्क (डीईएलएनईटी) का सदस्य है और पुस्तकालय आपस में पुस्तकें लोन पर ले सकते हैं।

कोविड-19 महामारी के दौरान विशेष पहल : जहां एक ओर संस्थान ने विभिन्न महाविद्यालयों के पदाधिकारियों के साथ-साथ शिक्षकों और छात्रों के साथ विभिन्न ऑनलाइन प्रशिक्षण और जागरूकता सत्र आयोजित किए, वहीं दूसरी ओर, शिक्षाविदों के लिए ईमेल के माध्यम से संदर्भ आसानी से उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। महामारी के दौरान, केंद्र को शैक्षणिक और प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए विभिन्न संस्थाओं से सामग्री के लिए विभिन्न अनुरोध प्राप्त हुए और डीसीडब्ल्यूसी टीम ने ईमेल के माध्यम से इसे उपलब्ध कराने की दिशा में तत्परता से काम किया। लॉकडाउन में ढील के दौरान कुछ महाविद्यालयों के पी.एच.डी. विद्वान संदर्भ कार्य के लिए केंद्र में आए।

डीसीडब्ल्यूसी द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान प्रलेखन और सूचना के प्रसार के क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य किए गए:

1. डीसीडब्ल्यूसी से सूचना का संग्रह, प्रलेखन और प्रसार

वर्ष 2020-21 के दौरान डीसीडब्ल्यूसी ने अलग-अलग स्रोतों से लगभग 200 दस्तावेज एकत्र किए। पुस्तकालय ने 10

विदेशी जर्नल, 26 भारतीय जर्नल, 20 पत्रिकाओं और 21 समाचार पत्रों की भी सदस्यता ली है।

प्रलेखन केंद्र 'डीसीडब्ल्यूसी नियमित गतिविधियां' नामक परियोजना के तहत मासिक/त्रैमासिक आधार पर निम्नलिखित प्रकाशन प्रकाशित करता है:

- **डीसीडब्ल्यूसी शोध बुलेटिन** (तिमाही प्रकाशन)

इस परियोजना के तहत, प्रलेखन केंद्र महत्वपूर्ण शोध अध्ययनों का संग्रह करता है एवं प्रलेखन का काम करता है और ग्रंथ सूची के विवरण के साथ उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए इन शोध अध्ययनों के छोटे सार तैयार करता है। इस सार को तीन व्यापक विषय क्षेत्रों के तहत वर्गीकृत किया गया है: क) बाल विकास पर शोध सार; ख) बाल संरक्षण पर शोध सार; और ग) महिलाओं और जेंडर मुद्दों पर शोध सार।

पाठकों के बीच व्यापक प्रसार के लिए महिलाओं और बच्चों पर प्रलेखन केंद्र के लिए समर्पित स्लॉट पर प्रकाशन के सभी अंक निपसिड वेबसाइट <www.nipccd.nic.in> पर अपलोड किए गए हैं। ये शोध सार संकाय सदस्यों को शोध के क्षेत्र में नवीनतम जानकारी देने में मदद करते हैं। यह शोध बुलेटिन बाल विकास और बाल संरक्षण के क्षेत्र में नवीनतम विकास की जानकारी देने के लिए बाल निर्देशन और परामर्श में उन्नत डिप्लोमा के छात्रों के बीच भी परिपत्रित किया जाता है।

- **डीसीडब्ल्यूसी न्यूज क्लिप्स:** यह मासिक प्रकाशन विभिन्न सामाजिक मुद्दों को कवर करने वाले देश के विभिन्न क्षेत्रों के 21 समाचार पत्रों (नौ हिंदी समाचार पत्रों सहित) से समाचार पत्रों की कतरनों का संकलन है, जिन्हें व्यापक शीर्षों और उपशीर्षों के तहत विषयवार स्कैन करके व्यवस्थित किया जाता है। इसके बाद, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और संस्थान के संबंधित अधिकारियों के साथ दैनिक समाचार साझा किए जाते हैं।

डेटाबेस

- **दस्तावेजों का डेटाबेस:** सभी नए दस्तावेज लिबसिस लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के माध्यम से दस्तावेजों के कम्प्यूटरीकृत डेटाबेस में दर्ज किए जाते हैं। सॉफ्टवेयर सूचना तक आसान पहुंच प्रदान करता है और कीवर्ड का उपयोग करके कम्प्यूटरीकृत सूची आसानी से तैयार की जा सकती है।
- **संगठनों का डेटाबेस :** इस डेटाबेस में सरकारी विभागों,

स्वायत्त संगठनों, अनुसंधान संस्थानों, गृह विज्ञान महाविद्यालयों, स्कूल/सामाजिक कार्य विभागों, मेडिकल कॉलेजों, स्वैच्छिक संगठनों, जनसंख्या अनुसंधान केंद्रों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों आदि के बारे में एकत्रित और अद्यतन जानकारी शामिल है। यह डेटाबेस नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।

वर्तमान जागरूकता सेवा (जर्नल का नियमित पाक्षिक अद्यतन) और इंटरनेट के नए दस्तावेज

- डीसीडब्ल्यूसी जर्नल के नवीनतम अंकों के कवर पेज और सामग्री को भी स्कैन करता है और वर्तमान पाक्षिक के दौरान निपसिड पुस्तकालय द्वारा सब्सक्राइब किए गए जर्नल के अंकों के बारे में पाठकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए मुख्यालय और क्षेत्रीय केंद्रों पर अपने उपयोगकर्ताओं को ई-मेल करता है।
- डीसीडब्ल्यूसी इंटरनेट से नवीनतम दस्तावेजों/रिपोर्टों/महत्वपूर्ण परिपत्रों को डाउनलोड करता है और इसे निपसिड संकाय के साथ साझा करता है।

ई-आर्काइव

- भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अनुरूप, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने निपसिड को एक ऐसा ई-आर्काइव पोर्टल विकसित करने का काम सौंपा है, जो एक पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी के रूप में काम कर सके। <www.nipccd-earchive.wcd.nic.in> पर लॉगिन करके ई-आर्काइव पोर्टल पर आसानी से पहुंचा जा सकता है।

ई-आर्काइव पोर्टल की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- स्वास्थ्य, पोषण, बाल विकास, बाल संरक्षण एवं कल्याण, महिला अधिकारिता, शिक्षा, स्वच्छता और आरोग्यता, पंचायती राज, अल्पसंख्यक मामले, अन्य विधान, संसद प्रश्न, और अन्य सहित सुपरिभाषित वर्गीकरण के अनुसार संसाधन सामग्री का वर्गीकरण।
- कीवर्ड सर्च और उन्नत खोज के विकल्प के साथ इनेबल है।
- ऑडियो और वीडियो सामग्री जिसे सर्च करना आसान है, को भी इनेबल किया गया है।
- इस ई-आर्काइव पोर्टल पर कुल 2000 दस्तावेज अपलोड

किए गए हैं।

पोर्टल का स्क्रीनशॉट नीचे दिखाया गया है:

ई-आर्काइव पोर्टल में सामग्री को 12 विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है जो महिला एवं बाल विकास, और संबद्ध मंत्रालयों के साथ-साथ विभागों से संबंधित हैं। प्रशिक्षण मॉड्यूल, पंचवर्षीय योजनाओं, अनुसंधान, कार्यशालाओं/सेमिनारों की रिपोर्ट, आईईसी सामग्री आदि जैसी सामग्री की आसान सूचीकरण के लिए वर्गीकरण इन सभी क्षेत्रों को आगे वर्गीकृत करता है। यह सब आसान खोज विकल्पों के साथ किया गया है ताकि उपयोगकर्ता को कम समय में अपना दस्तावेज खोजने में मदद मिल सके। यह ई-आर्काइव पोर्टल उन पदाधिकारियों के साथ भी साझा किया जाता है जो निपसिड में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेते हैं।

प्रकाशन



संस्थान ने अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान निम्नलिखित प्रकाशन निकाले:

1. वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 (अंग्रेजी)
2. वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 (हिंदी)
3. संस्थान के उपनियम (द्विभाषी)
4. संस्थान का संविधान (द्विभाषी)
5. शोध रिपोर्ट (द्विभाषी)



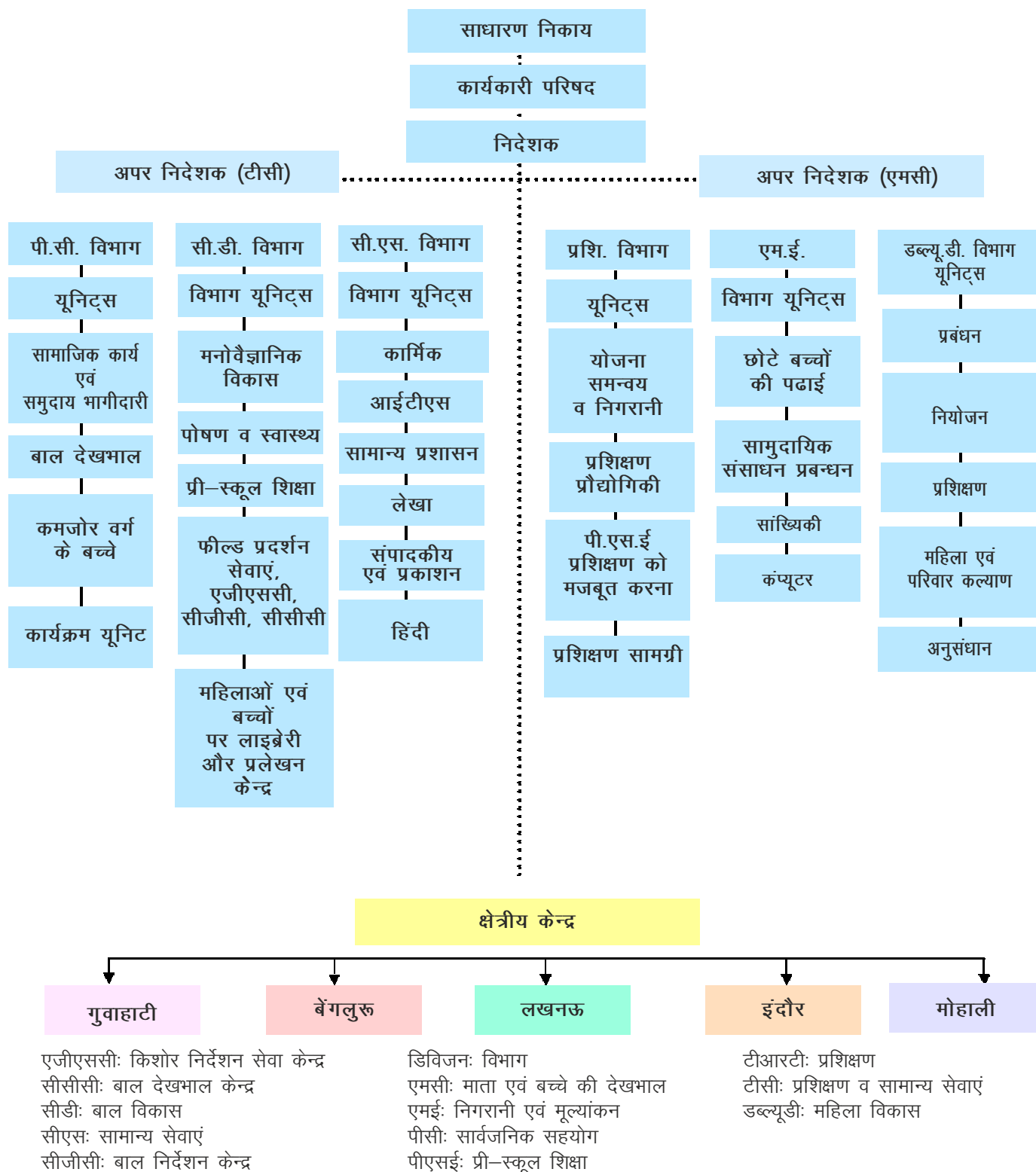
प्रशिक्षण कार्यक्रम, परामर्श बैठकें एवं कार्यशालाएं

अनुलग्नक



अनुलग्नक— 1

संस्थान का संगठनात्मक चार्ट





अनुलग्नक- 2

2020-21 के दौरान दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व (31. 03. 2021 का)

समूह	कर्मचारियों की संख्या				सीधी भर्ती								पदोन्नति							
					आरक्षित रिक्तियों की संख्या			नियुक्तियों की संख्या					आरक्षित रिक्तियों की संख्या			नियुक्तियों की संख्या				
	योग	वीएस	एसएस	ओएस	वीएस	एसएस	ओएस	योग	एसएस	ओएस	एसएस	एसएस	ओएस	एसएस	योग	एसएस	ओएस	एसएस		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
समूह 'क'	35	-	-	01	-	-	-	शून्य	-	-	-	-	-	-	03	-	-	-		
समूह 'ख'	45	-	-	01	-	-	-	शून्य	-	-	-	-	-	-	शून्य	-	-	-		
समूह 'ग'	57	-	01	-	-	-	-	शून्य	-	-	-	-	-	-	शून्य	-	-	-		
समूह 'घ'	32	-	-	02	-	-	-	शून्य	-	-	-	-	-	-	शून्य	-	-	-		
(समूह 'ग' में अपग्रेड किया गया)																				
योग	169	-	01	04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03	-	-	-		

वीएच: दृष्टि दिव्यांग
 एचएच: श्रव्य दिव्यांग
 ओएच: अस्थि दिव्यांग



अनुलग्नक— 3

**कार्यस्थल पर महिलाओं का यौनिक उत्पीड़न
(रोकथाम, निषेधता एवं निवारण) अधिनियम,
2013 (31.03.2021 को)**

क्र. सं.	विषय	योग
क)	वर्ष के दौरान प्राप्त यौनिक उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या	शून्य
ख)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	शून्य
ग)	नब्बे दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या	शून्य
घ)	यौनिक उत्पीड़न के खिलाफ आयोजित कार्यशालाओं या जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	09
ङ)	नियोक्ता या जिला अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही की प्रकृति	शून्य



प्रशिक्षण कार्यक्रम, परामर्श बैठकें एवं कार्यशालाएं

ऑडिट रिपोर्ट एवं वार्षिक लेखा



लेखा परीक्षा रिपोर्ट

साधारण निकाय

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान,

5, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास

नई दिल्ली

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्टें

- हमने राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (जिसे इसके बाद संस्थान कहा गया है) के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के तुलन पत्र तथा उसके साथ संलग्न संस्थान के आय और व्यय लेखे और प्राप्ति तथा भुगतान लेखे की लेखा परीक्षा की है। लेखे तथा महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों और अन्य विस्तृत जानकारी का सार संलग्न है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

- संस्थान का प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। ये विवरण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानकों समेत सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप संस्थान की वित्तीय स्थिति और वित्तीय निष्पादन का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इनकी जिम्मेदारी में संस्थान की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य गड़बड़ियों को रोकने और इनका पता लगाने के लिए लेखाकरण रिकॉर्डों का उचित रखरखाव; उपयुक्त लेखाकरण नीतियों का चयन और अनुप्रयोग, तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निर्णय लेना और अनुमान लगाना, उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा तैयार करना, इसे लागू करना और इसका रखरखाव करना शामिल है जो कि लेखाकरण रिकॉर्डों की शुद्धता और पूर्णता का सुनिश्चय करने के लिए कारगर ढंग से चल रहे हैं और उन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और इनके प्रस्तुतिकरण के लिए संगत हैं जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण सामने रखते हैं और किसी भी तरह की धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयानी से मुक्त होते हैं।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

- हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करने की है। हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। हम लेखा परीक्षा की आयोजना और निष्पादन यह उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए करते हैं कि वित्तीय विवरण भौतिक गलत बयानी से रहित हों जो कि इन मानकों की अपेक्षा है।

लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशि और प्रकटीकरण के बारे में लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत बयानी के खतरों, चाहे वह धोखे के कारण हो या गलती से, का आकलन शामिल है। जोखिम वाले मूल्यांकनों में लेखा परीक्षक विचार करते हैं कि आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण संस्थान द्वारा तैयार वित्तीय विवरणों के अनुसार हों, जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकें ताकि परिस्थितियों के अनुकूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें, लेकिन व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं। इस पर एक राय है कि क्या संस्थान ने वित्तीय रिपोर्टिंग और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता पर कोई पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली तैयार की है। लेखा परीक्षा में संस्थान के प्रबंधन द्वारा इस्तेमाल की गई लेखा विधि नीतियों की उपयुक्तता और किए गए महत्वपूर्ण आकलनों की तर्कसंगतता के साथ साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है।

हमारा मानना है कि इस लेखा परीक्षा में हमारी राय का उचित आधार प्रस्तुत करने के लिए हमने जो लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त किए हैं वे पर्याप्त और उचित हैं।

इन वित्तीय विवरणों में क्षेत्रीय केन्द्र, गुवाहाटी, क्षेत्रीय केन्द्र, बेंगलुरु, क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ और क्षेत्रीय केन्द्र, इंदौर, क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली के हमारे द्वारा परीक्षित लेखे शामिल हैं।

राय

4. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरण अपेक्षित जानकारी देते हैं तथा संस्थान के मामलों में 31 मार्च 2021 तक तथा इस तिथि तक समाप्त वर्ष के लिए आय से व्यय की अधिकता के मामले में आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथापि:
- i) उचित लेखा शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाए गए 1.82 लाख रुपये का गैर-समायोजन किया गया है ।
 - ii) पीडब्ल्यूडी रायपुर को पिछले वर्ष के दौरान दी गई 38.04 लाख रुपये की अग्रिम राशि का गैर-समायोजन किया गया है ।
 - iii) सीपीडब्ल्यूडी को पहले वर्षों में दिए गए रुपये 2,54,84,868 और रुपये 96,031 / - की अग्रिम राशि का गैर-समायोजन किया गया ।
 - iv) पिछले वर्षों में रखे गए रुपये 5.51 लाख की परिसम्पत्तियों के पूंजीकरण के लिए प्रावधान का गैर-समायोजन ।
5. **इसके अलावा हम यह सूचित करते हैं कि :**
- i) हमने सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की मांग हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए की है जो कि हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए आवश्यक थे ।
 - ii) हमारे विचार में और जहां तक इन बही खातों की जांच से हमें प्रतीत हुआ है कि संस्थान ने ये बही खाते उचित प्रकार से रखे हुए हैं ।
 - iii) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र तथा आय और व्यय लेखा का विवरण और प्राप्ति और भुगतान लेखा बहियों के अनुरूप है ।
 - iv) हमारे विचार में जहां अन्यथा प्रकटीकरण किया गया है उसके अतिरिक्त उपर्युक्त वित्तीय विवरण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लागू लेखा मानकों का अनुसरण करते हैं ।

कृते विजय रस्तोगी एंड कंपनी
सनदी लेखापाल
फर्म की पंजीकरण
संख्या 011807एन



लेखा परीक्षकों की टिप्पणी पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

मद संख्या	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	संस्थान की टिप्पणी
1.	उच्चतम लेखा शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाए गए 1.82 लाख रुपये का गैर-समायोजन	यह मामला विचाराधीन है। न्यायालय के निर्णय के आधार पर संस्थान द्वारा उचित कार्यवाही कर ली जाएगी।
2.	पीडब्ल्यूडी रायपुर को पिछले वर्ष के दौरान दी गई 38.04 लाख रुपये की अग्रिम राशि का गैर-समायोजन	लोक निर्माण विभाग रायपुर के पास जमा 38.04 लाख रुपये की राशि क्षेत्रीय केन्द्र रायपुर के पूर्व - निर्माण खर्चों के लिए जमा की गयी थी। यह राशि कार्य समाप्त होने के बाद पीडब्ल्यूडी रायपुर से खर्च का विवरण प्राप्त हो जाने के बाद समायोजित कर ली जाएगी।
3.	सीपीडब्ल्यूडी को पहले के वर्षों में दी गई 22.94 लाख रुपये एवं पिछले वर्ष 96.031 रुपये की अग्रिम राशि का गैर-समायोजन किया गया।	संस्थान के मुख्यालय और इसके क्षेत्रीय केन्द्रों की मरम्मत और रखरखाव संबंधी कार्य मोटे तौर पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा आधार पर किया जाता है। संस्थान कार्य के आधार पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पास राशि जमा करता है और राशि का निपटान कार्य पूरा होने के अनुसार किया जाता है बहुत बार भिन्न भिन्न कार्यों के लिए एक ही समय पर एक से ज्यादा बार अग्रिम दे दिया जाता है। अतः अग्रिम देने और इसका निपटान करने की प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है तथापि सीपीडब्ल्यूडी को आंबटित कार्य शीघ्र पूरा करने और अग्रिम का निपटारा करने के मामले पर कार्रवाई की जाएगी।
4.	परिसम्पत्तियों के पूंजीकरण के लिए प्रावधान 5.51 लाख रुपये और भवन की मरम्मत और रखरखाव के लिए पिछले वर्षों में रखे गए प्रावधान का गैर-समायोजन	परिसम्पत्तियों के पूंजीकरण के लिए रखे गये रुपये 5.51 लाख के प्रावधान पर विचार किया जाएगा और इसे चालू वित्त वर्ष के दौरान निपटा लिया जाएगा।
5.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से प्राप्त डेबिट बैलेस रुपये 96.71 लाख में से पुराना बकाया क्रेडिट बैलेस रुपये 23.57 लाख का समायोजन किया गया और बाकी शेष रुपये 73.14 लाख कोर कार्यक्रम गतिविधियों शीर्षक के अधीन बूकित किया गया है। लेखा अनुभाग हेतु उदघृत नोट संख्या 7।	मंत्रालय के आन्तरिक लेखा परीक्षक की सलाह के अनुसार मंत्रालय से संबंधित विभिन्न देनदारों (अनुसूची 9) और विभिन्न लेनदारों (अनुसूची 3) का समायोजन किया गया और रुपये 73.14. 417. की अतिरिक्त राशि को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आई ए डब्ल्यू के लेखा परीक्षक की सलाह के अनुसार वर्ष के दौरान कोर कार्यक्रम गतिविधियों के तहत व्यय बुक किया गया।
6.	हौसला 2018 से संबंधित अग्रिम राशि रुपये 104.26 लाख और हौसला 2019 की राशि रुपये 60.06 लाख अभी भी मंत्रालय से पाने के लिये लंबित है।	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के स्तर पर इस मामले की समीक्षा की जा रही है।
7.	नगर निगम की वर्ष 2017 से 2019 तक की अवधि हेतु भूमि किराया भुगतान के लिए पूर्वावधि व्यय हेतु रुपये 29.63 लाख बूकित किया गया	संस्थान की ओर से एस डी एम सी को भूमि के किराया और सम्पत्ति कर में छूट के लिए एक पत्र जारी किया गया। इस मामले पर भी चर्चा हुई। प्रारंभ में व्यय उक्त चर्चा में छूट देने के लिए सहमत हुए। बाद में एस डी एम सी ने वर्ष 2017 से 2019 तक के वार्षिक भूमि के किराये और सम्पत्ति कर के गैर भुगतान के कारण उपस्थित होने के लिए एक नोटिस जारी किया। तदनुसार सहायक प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित हुए और एस डी एम से जुर्माना / ब्याज माफ करने तथा सभी वर्षों के भूमि के किराये और सम्पत्ति कर भुगतान करने का आश्वासन दिया।
8.	रुपये 105.98 लाख के उपयोग कर्ता शुल्क की देनदारी पिछले तीन साल से संस्थान द्वारा वहन की जा रही है और यह राशि सिंडिकेट (केनरा) बैंक में जमा है।	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देश अनुसार उपयोग करता शुल्क के पृथकरण के लिए एक अलग बजट बैंक खाता खोला गया है और उपयोग कर्ता शुल्क जैसे छात्रावास शुल्क, बाल मार्गदर्शन केन्द्र शुल्क इत्यादि समय समय पर मुख्यालयों के साथ-साथ सभी क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा उक्त खाते में स्थानांतरित कर दिये गये हैं।

ह/-
(पी आर नाथ)
लेखा अधिकारी

ह/-
(संघमित्रा बारिक)
संयुक्त निदेशक (सा.से)

ह/-
(तृप्ति गुरहा)
निदेशक

लेखाओं के भाग के रूप में अनुसूची

अनुसूची-20

लेखाओं की महत्वपूर्ण नीतियों और टिप्पणियों से सम्बन्धित भाग

A. परिचय:

निपसिड के नाम से प्रसिद्ध राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, महिला एवं बाल विकास के समग्र क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्य एवं अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रलेखन को बढ़ावा देने के लिए समर्पित प्रमुख संगठन है। संस्थान की स्थापना वर्ष 1966 में नई दिल्ली में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत किया गया है, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अन्तर्गत कार्यरत एक स्वायत्तशासी निकाय है। देश की क्षेत्र-विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्थान ने इन वर्षों के दौरान पांच क्षेत्रीय केन्द्र- गुवाहाटी (1978), बेंगलुरु (1980), लखनऊ (1982), इन्दौर (2001) तथा मोहाली (2019) – स्थापित किए हैं।

संस्थान अम्ब्रेला आईसीडीएस के अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए एक शीर्ष संस्थान के रूप में कार्य करता है। एक नोडल संसाधन एजेंसी के रूप में संस्थान को नई समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण एवं क्षमता-निर्माण की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं एवं बच्चों के अनैतिक व्यापार की रोकथाम तथा बाल अधिकार जैसे दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्क (एसएएआरसी) देशों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संस्थान को नोडल संस्थान के रूप में भी निर्दिष्ट किया है।

B. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. सामान्य

वित्तीय ब्योरे तैयार करने का आधार

- (i) संस्थान के वित्तीय ब्योरे, अगर अन्यथा उल्लिखित न हों तो लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली के आधार पर और ऐतिहासिक लागत करार के अन्तर्गत एवं चल रहे कार्य के आधार पर प्रस्तुत और तैयार किये जाते हैं।
- (ii) संस्थान के लेखे, जहां तक लागू हो सकता है, भारत सरकार के 26 मई 1999 के पत्र द्वारा भेजे गए निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार तैयार किये जाते हैं और जिसे बाद में कार्यकारी परिषद की 09.2.2016 को हुई अड़सठवीं बैठक में संशोधित किया गया और दिनांक 31.3.2016 के कार्यालय आदेश संख्या एनआई/लेखा/2/5/2015-16 के द्वारा अधिसूचित किया गया।
- (iii) वित्तीय ब्योरों में दिल्ली स्थित मुख्यालय तथा गुवाहाटी, बेंगलुरु, लखनऊ, इंदौर तथा मोहाली स्थित क्षेत्रीय केन्द्रों के वित्तीय ब्योरे शामिल होते हैं।

अनुमानों का इस्तेमाल

वित्तीय ब्योरे तैयार करने के लिए वित्तीय ब्योरों की तारीख तक परिसम्पत्तियों और देयताओं (आकस्मिक देयताओं समेत) और रिपोर्टाधीन अवधि की आय और व्यय की रिपोर्ट की गई राशियों में विचारित आकलनों और पूर्वानुमानों के लिए प्रबंधन आवश्यक होता है। प्रबंधन को यह विश्वास है कि वित्तीय ब्योरों को तैयार करने में इस्तेमाल किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और तर्क संगत हैं।

2. राजस्व मान्यता

- (i) संगठन की निधियों का मुख्य स्रोत महिला एवं बाल मंत्रालय से प्राप्त होने वाला अनुदान होता है। पूंजीगत व्यय (वर्ष में इस्तेमाल की गई सीमा तक) के लिए अंशदान के तौर पर प्राप्त अनुदान को पूंजीगत निधि के रूप में माना जाता है। राजस्व खर्च को पूरा करने के लिए प्राप्त अनुदान को उस वर्ष की आय के रूप में लिया जाता है जिस वर्ष इसे वसूल किया गया, इसमें वो प्रोद्भूत आय शामिल नहीं है जिसे मंजूरी वर्ष के अंतिम दिन दी गई हो और जिसे प्राप्त करना और वसूल करना निश्चित हो।
- (ii) संस्थान के बचत बैंक खाते पर प्राप्त ब्याज का परिकलन प्राप्ति आधार पर किया जाता है। कक्षा के कमरे और छात्रावास प्रभार,

उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों से प्राप्त शुल्क, सीजीसी और एजीएससी सेवाओं के लिए प्राप्त शुल्क, संस्थागत प्रभार और पंजीकरण प्रभारों के रूप में सहभागियों से प्राप्त शुल्क को उपभोक्ता प्रभारों के रूप में लिया जाता है।

(iii) निःशुल्क प्राप्त वस्तुओं का अव्ययित शेष, बचत बैंक खाते पर प्राप्त ब्याज और विविध प्राप्तियां अगर अन्यथा उल्लिखित न हो, आगामी वर्ष में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को वापस लौटाई जाएंगी।

(iv) सीपीएफ/जीपीएफ निधियों के निवेश पर ब्याज का परिकलन प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।

3. अचल परिसम्पत्तियां एवं मूल्यहास

(I) अचल परिसम्पत्तियां लागत, निम्न संचयी मूल्यहास और हानि, अगर कोई हो तो के आधार पर नियत की जाती हैं। जब तक परिसम्पत्तियां इस्तेमाल हेतु तैयार नहीं हो जातीं तब तक लागत को प्रत्यक्ष रूप से अधिग्रहण हेतु पूंजीकृत कर लिया जाता है, जैसा भी प्रबंधन चाहे।

(ii) प्रायोजित परियोजना निधियों से अर्जित परिसम्पत्तियां संस्थान की परिसम्पत्ति मानी जाती हैं।

(iii) विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त निःशुल्क परिसम्पत्तियों को संस्थान की परिसम्पत्ति माना जाता है और पूंजीगत संचय के लिए तदनु रूप जमा द्वारा लागत के अनुसार उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है।

(iv) वर्ष के दौरान किसी भी परिसम्पत्ति का पुनर्मूल्यन नहीं किया गया है।

(b) मूल्यहास

(i) अचल सम्पत्तियों पर मूल्यहास आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मूल्यहासित पद्धति के आधार पर निर्धारित दरों के अनुसार लगाया जाता है।

(ii) दस हजार रुपये से कम लागत की परिसम्पत्तियों और पुस्तकों व पत्र-पत्रिकाओं पर इनकी खरीद के वर्ष में ही मूल्यहास प्रभारित किया जाता है। वर्ष 2003-2004 से उपर्युक्त परिसम्पत्तियों पर 100 प्रतिशत की दर से मूल्यहास प्रभारित किया जा रहा है।

(iii) प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार संगठनों से उपहार स्वरूप प्राप्त विभिन्न परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास वर्ष 2003-04 से 20 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जाता है।

4. निवेश

दीर्घावधि निवेशों का मूल्य लागत के अनुसार दर्शाया जाता है।

5. कर्मचारी लाभ

(I) अल्पावधि लाभ

वेतन, भत्ते जैसे अल्पावधि लाभों का भुगतान कर्मचारियों को उनके द्वारा दी गई सेवाओं के बदले किया जाता है, इसको कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं की अवधि के दौरान हुए खर्च के रूप में माना जाता है।

(ii) निश्चित अंशदान योजना

अंशदायी भविष्य निधि और नई पेंशन योजना जैसी निश्चित अंशदान योजनाओं के लिए संस्थान का अंशदान जब और जैसे खर्च हुआ हो, आय और व्यय लेखे में प्रभारित कर दिया जाता है।

(iii) निश्चित लाभ योजना

संस्थान कर्मचारियों को उपदान का लाभ भी प्रदान करता है जो कि भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से दिया जाता है। जैसा कि कार्यकारी परिषद ने 31 मार्च 2004 को हुई अपनी बैठक में अनुमोदित किया था, उपदान, पेंशन और छुट्टी के बदले नकद भुगतान के संबंध में वर्ष के अंत तक की देयताएं संस्थान द्वारा किए गए वास्तविक मूल्यांकन के द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

**c. लेखाओं की टिप्पणियां**

1. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए विभिन्न गतिविधियों हेतु निम्नलिखित बजट शीर्षों के अंतर्गत रु. 5,012.73 धनराशि अनुदान के रूप में जारी की है।

(i) वेतन	रु. 2,306.37 लाख
(ii) राजस्व सामान्य	रु. 1,400.00 लाख
(iii) गैर एनईआर सामान्य	रु. 1,173.01 लाख
(iv) गैर एनईआर पूंजीगत	शून्य
(v) एनईआर सामान्य	रु. 124.00 लाख
(vi) एनईआर पूंजीगत	रु. 9.35 लाख

2. पूर्वावधि व्यय और आय का ब्योरा निम्न प्रकार है:**(i) पूर्वावधि व्यय:**

बजट शीर्ष	पूर्वावधि व्यय
(a) जीआईए वेतन	रु.141.31 लाख
(b) जीआईए गैर पूर्वोत्तर क्षेत्र सामान्य	शून्य
(a) पूर्वावधि आय:	शून्य

3. संस्थान किसी भी व्यय की देयता की प्रतिप्राप्ति उस समय देता है जब उसके भुगतान के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन मिल जाता है और तदनुसार उसी समय टीडीएस की कटौती भी की जाती है। इस प्रकार संस्थान ने वर्ष 2020-21 के दौरान किए खर्च के प्रावधानों पर टीडीएस की कटौती नहीं की।

4. संस्थान की कुछ अचल परिसम्पत्तियों का वर्ष 2003 और 2004 में पुनर्मूल्यन किया गया, हालांकि बही खातों की मूल्यांकन रिपोर्टों के अनुसार पुनर्मूल्यन की गई परिसम्पत्तियों का समाधान वर्ष के दौरान किया गया और परिसम्पत्तियों के मूल्यों में अन्तर को तदनुसार मूल्यहास में समतुल्य समायोजनों के साथ समायोजित कर दिया गया था।

5. ग्रामीण महिला विकास एवं सशक्तिकरण (स्व-शक्ति) परियोजना के सेन्ट्रल प्रोजेक्ट यूनिट (सीपीएसयू) का कार्य 01.07.2002 से निपसिड को सौंपा गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ हुए अनुबंध के अनुसार सीपीएसयू से संबंधित बैंक खातों की देखभाल निपसिड करेगा। निपसिड महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के पश्चात् सीपीएसयू को निधि देगा। अब जबकि सीपीएसयू यूनिट दिसम्बर 2005 से बंद है और रुपये 36,72,425.05 सीपीएसयू के बैंक में अव्ययित पड़े हैं। इस राशि को खाता बंद होने पर महिला एवं बाल विकास से मंजूरी मिलने के पश्चात् निपसिड के खाते में डाल दिया जाएगा।

6. चालू परिसम्पत्तियां शीर्ष के अंतर्गत तुलन पत्र में “उचंचत खाते” के रूप में दिखाए गए 1.82 लाख रुपये भूतपूर्व कैशियर एच.सी. चांगडा द्वारा किए गए गबन को दर्शाते हैं। यह मामला अभी भी विचाराधीन है।

7. विविध लेनदार (अनुसूची-3) एवं विविध देनदार (अनुसूची-9) के अंतर्गत शेष राशियां अधिकांशतः सरकारी विभागों को देय/प्राप्य राशियां हैं जिनकी विविध देनदार पुष्टि की जानी बाकी है। इसी प्रकार, ऋण एवं अग्रिम (अनुसूची-8) से शेष राशियों एवं चालू देयताओं (अनुसूची-4) की अभी पुष्टि नहीं हुई है एवं संबंधित विभाग से आवश्यक समायोजन हेतु अनुमोदन अभी मिलना है।



8. आकस्मिक देयताएं: संस्थान के एक पूर्व-कर्मचारी ने अपनी बर्खास्तगी के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया है। माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा जारी निर्देशों के अंतर्गत संबंधित प्राधिकरण में 4.91 लाख रुपये जमा किए गए जिन्हें वार्षिक लेखाओं की अनुसूची-8 के अंतर्गत आकस्मिक देयताओं में जमा के रूप में दर्शाया गया है। न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अंतरिम भुगतान के रूप में डॉ. तेजिंदर कौर को रु 20 लाख का भुगतान किया गया है, जिसे आकस्मिक अग्रिम के अन्तर्गत बकाया के रूप में दर्शाया गया है।
9. संस्थान ने प्राप्त पूंजी अनुदानों से खरीदी गई परिसम्पत्तियों के मूल्य में कमी की है तथा इसको पूंजीगत निधि के रूप में माना है। तथापि, मानव संसाधन मंत्रालय के दिनांक 19 मार्च, 2002 के पत्र संख्या 1703/जेएस एवं एफए (एचआरडी)/2/2002 से प्राप्त अनुदेशों का पालन करने हेतु संस्थान ने परिसम्पत्तियों की लागत पर मूल्यह्रास पर प्रभार लगाना आरंभ कर दिया (लेखाकरण नीति 3 के संदर्भ में)। मूल्यह्रास आय एवं व्यय के द्वारा नहीं होता क्योंकि खरीद के वर्ष में इसके द्वारा प्राप्त अनुदान से सभी परिसम्पत्तियों की पूरी लागत पहले ही कम की जा चुकी है। उपर्युक्त केवल प्रकट करने के लिए ही है एवं इसको परिसम्पत्तियों (अनुसूची संख्या 7 एवं 13) एवं पूंजीगत निधि (अनुसूची 1 एवं 5) से कटौती के रूप में दर्शाया गया है।
10. सीपीएफ/जीपीएफ के अंतर्गत निवेश केवल सरकारी प्रतिभूतियों और ऋण संबंधी प्रतिभूतियों में ही किया गया। संस्थान ने भारत सरकार के नियमों के अनुरूप इक्विटी में कोई निवेश नहीं किया।
11. कराधान
आयकर अधिनियम 1961 के तहत कर योग्य आय न होने के कारण आयकर के लिए कोई प्रावधान रखना जरूरी नहीं समझा गया।
12. संस्थान प्रत्येक वर्ष अनुमानित आधार पर कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों की देयता के लिए उत्तरदायी होता है और वर्ष 2020-21 के दौरान सेवा निवृत्ति लाभों के लिए 4,993.41 लाख रुपये की राशि का प्रावधान रखा गया है।
13. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं जरूरी समझा गया उन्हें पुनः वर्गीकृत किया गया, उनमें सुधार किया गया और उन्हें पुनः व्यवस्थित किया गया है।
14. अनुसूची '1' से अनुसूची '21' तक की अनुसूची तुलनपत्र का अभिन्न हिस्सा हैं और आय तथा व्यय लेखे और प्राप्ति तथा भुगतान लेखे विधिवत प्रमाणित किए गए हैं।

ह/-
(पी.आर नाथ)
लेखा अधिकारी

ह/-
(सघमित्रा बारिक)
संयुक्त निदेशक (सा.से.)

ह/-
(तृप्ति गुरहा)
निदेशक

ह/-
कृते विजय रस्तोगी एंड कम्पनी
सनदी लेखापाल
फर्म की पंजीकरण संख्या 011807एन
एम. नं. 090086



राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च, 2020 का तुलन पत्र

कायिक / पूंजीगत निधियां एवं देयताएं	अनुसूची संख्या	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
देयताएं			
पूंजीगत निधि/अर्जित परिसम्पत्तियां	1	30,60,87,936.59	33,73,71,423.85
व्यय से आय की अधिकता	2	(42,21,72,567.05)	(45,64,22,651.44)
विविध लेनदार परियोजनाएं	3	1,74,01,479.75	1,97,10,227.77
चालू देयताएं और प्रावधान	4	59,44,79,788.00	61,53,85,610.82
निःशुल्क प्राप्त वस्तुओं की राशि	5	28,02,355.02	35,05,284.02
सेवा निवृत्ति लाभों की देयताएं	6	21,06,99,686.24	21,45,77,293.94
जोड़		70,92,98,678.55	73,41,27,188.96

परिसम्पत्तियां			
अचल परिसम्पत्तियां	7	30,87,936.59	33,73,71,423.85
ऋण और अग्रिम	8	5,89,60,439.99	5,99,49,558.99
विविध देनदान परियोजनाएं	9	1,66,72,502.00	2,50,58,404.89
सीपीएफ, जीपीएफ तथा अन्य निवेश	10	21,15,49,686.24	215377293.94
सेवा डाक टिकटों का इति शेष	11	95,533.00	58,619.95
निःशुल्क प्राप्त वस्तुओं का इति शेष	12	28,02,355.02	35,05,284.02
नकद और बैंक में नकदी	13	11,29,48,630.71	9,26,25,008.32
उद्यत		1,81,595.00	1,81,595.00
जोड़		70,92,98,678.55	73,41,27,188.96

उपरोक्त अनुसूचियां तुलनपत्र का अभिन्न हिस्सा हैं।

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के संबंध में
विजय कुमार रस्तोगी एवं कंपनी,
सनदी लेखपालों के लिए और उनकी ओर से
फर्म की पंजीकरण संख्या 011807एन

ह/-
(पी.आर. नाथ)
लेखा अधिकारी

ह/-
(संघमित्रा बारिक)
संयुक्त निदेशक (सा.से)

ह/-
(तृप्ति गुरहा)
निदेशक

ह/-
(सी.ए. विजय कुमार रस्तोगी)
प्रोग्राइटर
एम. नं. 090086



राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च, 2021 का तुलन पत्र

राशि रु. में

कार्यिक/पूँजीगत निधियां एवं देयताएं	अनुसूची संख्या	चालू वर्ष मुख्यालय	चालू वर्ष क्षेत्र. गुवाहाटी	चालू वर्ष क्षेत्र. बेंगलुरु	चालू वर्ष क्षेत्र. लखनऊ	चालू वर्ष क्षेत्र. इन्दौर	चालू वर्ष क्षेत्र. मोहाली	जोड़
देयताएं								
पूँजीगत निधि अर्जित परिसम्पत्तियां	1	2,26,27,042.43	2,43,93,052.12	1,36,44,657.80	1,59,68,064.24	3,15,02,931.00	19,79,52,189.00	30,60,87,936.59
व्यय से आय की अधिकता	2	(44,33,67,820.01)	(4,50,217.38)	48,79,037.80	54,39,946.20	1,20,38,204.34	(7,11,718.00)	(42,21,72,567.05)
विविध लेनदार परियोजनाएं	3	1,70,23,530.31	3,60,440.34	—	17,509.10	—	—	1,74,01,479.75
चालू देयताएं और प्रावधान	4	58,07,23,575.00	35,18,744.00	26,48,746.00	17,45,791.00	30,11,888.00	28,31,044.00	59,44,79,788.00
निःशुल्क प्राप्त वस्तुओं की राशि	5	27,08,242.24	2,899.91	22,125.58	62,135.29	6,952.00	—	28,02,355.02
सेवा निवृत्ति लाभों की देयताएं	6	20,88,51,763.80	4,95,681.80	1,69,549.11	9,43,301.89	2,39,389.64	—	21,06,99,686.24
जोड़		38,85,66,333.77	2,83,20,600.79	2,13,64,116.29	2,41,76,747.72	4,67,99,364.98	20,00,71,515.00	70,92,98,678.55
परिसम्पत्तियां								
अचल परिसम्पत्तियां	7	2,26,27,042.43	2,43,93,052.12	1,36,44,657.80	1,59,68,064.24	3,15,02,931.00	19,79,52,189.00	30,60,87,936.59
ऋण और अग्रिम	8	3,75,96,319.98	10,95,439.00	49,49,516.01	34,53,937.00	1,18,65,228.00	—	5,89,60,439.99
विविध देनदान परियोजनाएं	9	1,65,89,269.00	—	74,183.00	—	9,050.00	—	1,66,72,502.00
सीपीएफ, जीपीएफ तथा अन्य निवेश	10	20,97,01,763.80	4,95,681.80	1,69,549.11	9,43,301.89	2,39,389.64	—	21,15,49,686.24
सेवा डाक टिकटों का इति शेष	11	90,820.00	527.00	1,810.00	2,376.00	—	—	95,533.00
निःशुल्क प्राप्त वस्तुओं का इति शेष	12	27,08,242.24	2,899.91	22,125.58	62,135.29	6,952.00	—	28,02,355.02
नकद और बैंक में नकदी	13	9,90,71,281.32	23,33,000.96	25,02,274.79	37,46,933.30	31,75,814.34	21,19,326.00	11,29,48,630.71
उचंत्		1,81,595.00	—	—	—	—	—	1,81,595.00
जोड़		38,85,66,333.77	2,83,20,600.79	2,13,64,116.29	2,41,76,747.72	4,67,99,364.98	20,00,71,515.00	70,92,98,678.55

विशेष लेखाविधि नीतियां तथा टिप्पणियां लेखाओं का एक भाग हैं।

20

उपरोक्त अनुसूचियां तुलनपत्र का अभिन्न हिस्सा हैं।

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के संबंध में
विजय कुमार रस्तोगी एवं कंपनी,
सनदी लेखपालों के लिए और उनकी ओर से
फर्म की पंजीकरण संख्या 011807एन

ह/-
(पी.आर. नाथ)
लेखा अधिकारी

ह/-
(संघमित्रा बारिक)
संयुक्त निदेशक (सा.से)

ह/-
(तृप्ति गुरहा)
निदेशक

ह/-
(सी.ए. विजय कुमार रस्तोगी)
प्रोप्राइटर
एम. नं. 090086



राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

राशि रु. में

आय	अनुसूची संख्या	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुदान	14	47,77,70,318.77	531887113
क्षेत्रीय केन्द्रों की गई निधियां	15	14,48,86,641.00	171372109.7
जोड़ (क)		62,26,56,959.77	70,32,59,222.68
व्यय			
स्थापना व्यय	16	33,64,74,509.00	32,53,39,399.00
कोर कार्यक्रम गतिविधियां	17	3,57,80,966.41	8,10,58,252.40
अन्य प्रशासनिक व्यय	18	7,12,64,758.97	8,13,45,362.28
क्षेत्रीय केन्द्रों की गई निधियां	19	14,48,86,641.00	17,13,72,109.00
जोड़ (B)		58,84,06,875.38	65,91,15,122.68
व्यय से आय की अधिकता आय से व्यय की अधिकता (A-B)		3,42,50,084.39	4,41,44,100.00

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के संबंध में
विजय कुमार रस्तोगी एवं कंपनी,
सनदी लेखपालों के लिए और उनकी ओर से
फर्म की पंजीकरण संख्या 011807एन

ह/-
(पी.आर. नाथ)
लेखा अधिकारी

ह/-
(संघमित्रा बारिक)
संयुक्त निदेशक (सा.से)

ह/-
(तृप्ति गुरहा)
निदेशक

ह/-
(सी.ए. विजय कुमार रस्तोगी)
प्रोग्राइटर
एम. नं. 090086



राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

राशि रु. में

आय	अनुसूची संख्या	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
अनुदान / आर्थिक सहायता	14	47,77,70,318.77	—	—	—	—	—	47,77,70,318.77
क्षेत्रीय केन्द्रों दी गई निधियां	15	—	3,53,34,219.00	3,50,39,492.00	2,83,21,750.00	3,05,99,240.00	1,55,91,940.00	14,48,86,641.00
जोड़ (क)		47,77,70,318.77	3,53,34,219.00	3,50,39,492.00	2,83,21,750.00	3,05,99,240.00	1,55,91,940.00	62,26,56,959.77
व्यय								
स्थापना व्यय	16	24,96,69,196.00	2,67,45,860.00	1,91,25,987.00	1,94,23,899.00	1,39,89,637.00	75,19,930.00	33,64,74,509.00
कोर कार्यक्रम गतिविधियां	17	2,59,77,001.41	20,60,341.00	37,07,001.00	7,90,939.00	13,73,996.00	18,71,688.00	3,57,80,966.41
अन्य प्रशासनिक व्यय	18	2,97,77,485.95	82,53,738.00	1,12,57,165.00	65,88,770.60	89,35,345.42	64,52,254.00	7,12,64,758.97
क्षेत्रीय केन्द्रों दी गई निधियां	19	14,48,86,641.00	—	—	—	—	—	14,48,86,641.00
जोड़ (ख)		45,03,10,324.36	3,70,59,939.00	3,40,90,153.00	2,68,03,608.60	2,42,98,978.42	1,58,43,872.00	58,84,06,875.38
व्यय से आय की अधिकता (A-B)		2,74,59,994.41	—	9,49,339.00	15,18,141.40	63,00,261.58	—	3,62,27,736.39
आय से व्यय की अधिकता (B-A)		—	17,25,720.00	—	—	—	2,51,932.00	19,77,652.00
निवल शेष		2,74,59,994.41	(17,25,720.00)	9,49,339.00	15,18,141.40	63,00,261.58	(2,51,932.00)	3,42,50,084.39

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के संबंध में
विजय कुमार रस्तोगी एवं कंपनी,
सनदी लेखपालों के लिए और उनकी ओर से
फर्म की पंजीकरण संख्या 011807एन

ह/-
(पी.आर. नाथ)
लेखा अधिकारी

ह/-
(संघमित्रा बारिक)
संयुक्त निदेशक (सा.से)

ह/-
(तृप्ति गुरहा)
निदेशक

ह/-
(सी.ए. विजय कुमार रस्तोगी)
प्रोप्राइटर
एम. नं. 090086



राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए परियोजनाओं की प्राप्ति एवं भुगतान

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
प्राप्तियां							
आदि शेष							
नकदी	3,625.00	50,260.00	—	—			53,885.00
बैंक शेष: बैंक 1	6,31,80,301.92	3,55,692.96	36,21,503.08	1,50,446.90	31,62,325.76	15,74,766.00	7,20,45,036.62
बैंक शेष: बैंक 2				28,76,242.43			28,76,242.43
डाक टिकट	50,984.95	3,666.00	255.00	3,714.00			58,619.95
उपयोगकर्ता शुल्क खाता	1,05,98,256.68						1,05,98,256.68
आईओबी के साथ निपसिड	35,51,587.59						35,51,587.59
सीपीएसयू अकाउंट							
फंड इन ट्रांजिट (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय)							
फंड इन ट्रांजिट (आरसीएस)							
		35,00,000.00					35,00,000.00
जोड़	7,73,84,756.14	39,09,618.96	36,21,758.08	30,30,403.33	31,62,325.76	15,74,766.00	9,26,83,628.27
अनुदान							
वेतन	23,06,37,000.00	—	—	—	—		23,06,37,000.00
सामान्य राजस्व	14,00,00,000.00						14,00,00,000.00
गैर-एनईआर सामान्य राजस्व	11,73,01,000.00						11,73,01,000.00
गैर-एनईआर पूंजीगत	—						—
एनईआर सामान्य रेवेन्यू	1,24,00,000.00						1,24,00,000.00
एनईआर पूंजीगत	9,35,000.00						9,35,000.00
जोड़	50,12,73,000.00	—	—	—	—	—	50,12,73,000.00
क्षेत्रीय केन्द्रों के खाते							
मुख्यालय से प्राप्त निधियां	—	3,65,00,000.00	3,71,00,000.00	3,00,00,000.00	3,08,00,000.00	1,60,00,000.00	15,04,00,000.00
जोड़	—	3,65,00,000.00	3,71,00,000.00	3,00,00,000.00	3,08,00,000.00	1,60,00,000.00	15,04,00,000.00
प्राप्त ब्याज							
एसबी खाते से	20,03,994.26	—	—	—	—	—	—
आईओबी के साथ सीपीएसयू	1,20,837.46	1,03,576.00	59,645.60	70,655.67	77,546.00	85,362.00	24,00,779.53
परियोजना बैंक खाते से							1,20,837.46
उपयोगकर्ता शुल्क एसबी खाते से	2,75,397.41						2,75,397.41
भुगतान किए गए एसबी खाते	1,13,901.00	—					1,13,901.00
पर अर्जित ब्याज (भुगतान किया गया)							
जोड़	22,86,328.13	1,03,576.00	59,645.60	70,655.67	77,546.00	85,362.00	26,83,113.40
उपयोगकर्ता प्रभार							
शुल्क एवं अंशदान (एडीसीजीसी शुल्क)	—						—
सीजीसी सेवाओं के लिए	6,000.00	99,200.00	21,825.00	7,325.00	3,125.00	5,175.00	1,42,650.00
प्राप्त शुल्क							
एसीएससी सेवाओं के लिए	3,900.00		—				3,900.00
प्राप्त शुल्क							
सेमिनार/पाठ्यक्रम/कार्यक्रम/शुल्क							
कक्षा के कमरे एवं छात्रावास प्रभार	66,900.00	1,12,400.00	23,300.00	31,400.00	3,300.00	8,100.00	2,45,400.00
संस्थागत प्रभार			—				—
सदस्यता शुल्क/वार्षिक शुल्क	3,000.00		—				3,000.00
विविध प्राप्तियां	4,12,665.00	33,671.00	67,870.00	2,01,994.00	120.00	1,200.00	7,17,520.00
पुस्तकालय की पुस्तकों की वसूली			—	62.00			62.00
परिसम्पत्तियों का निपटान			—				—
भवन का किराया (लाइसेंस शुल्क)	2,20,985.00	88,813.00	90,661.00	47,222.00		43,671.00	4,91,352.00



विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
बिजली प्रभार		1,69,608.00	—	—		50,865.00	2,20,473.00
जल प्रभार	33,926.00	13,465.00	73,902.00	1,306.00		8,779.00	1,31,378.00
पूर्वावधि की प्राप्तियां			—				—
मुख्यालय एवं क्षेत्रीय केंद्रों से प्राप्त	20,61,907.00						20,61,907.00
जोड़	28,09,283.00	5,17,157.00	2,77,558.00	2,89,309.00	6,545.00	1,17,790.00	40,17,642.00
समायोजन एवं अन्तरण							
गृह निर्माण अग्रिम	—	—	—	—	—		—
त्यौहार अग्रिम	—	—	—	—	—		—
वेतन अग्रिम	—	—	—	—	—		—
स्थायी अग्रिम	10,000.00			10,000.00	2,000.00		22,000.00
आकस्मिक अग्रिम	12,14,754.00	4,40,657.00	29,571.00	3,33,845.00	57,630.00	2,16,053.00	22,92,510.00
टीए/एलटीसी/चिकित्सा अग्रिम	3,23,000.00	57,000.00	3,66,400.00	1,01,860.00	5,630.00	69,747.00	9,23,637.00
सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम	52,46,308.00		—	—			52,46,308.00
डीएवीपी को अग्रिम			—	—			—
एनबीसीसी को अग्रिम			—	—			—
सीएमयू संस्थानों को अग्रिम (पुराना)			—	—			—
सीएमयू संस्थानों को अग्रिम			—	—			—
1.04.2013			—	—			—
एडीसीजीसी—प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए प्राप्ति			—	—			—
एडीसीजीसी—विद्यार्थी कल्याण निधि			—	—			—
एडीसीजीसी—विश्वविद्यालय			—	—			—
नामांकन शुल्क			—	—			—
आकस्मिक देयताएं			—	—			—
अंशदायी भविष्य निधि		3,85,000.00	—	—			3,85,000.00
धरोहर राशि			—	—		2,25,000.00	2,25,000.00
निवेश — मौरिस पेट पुरस्कार	8,00,000.00		—	—			8,00,000.00
जीएसएलआई का पूर्ण और अंतिम भुगतान	19,55,186.00		—	—			19,55,186.00
सामान्य भविष्य निधि	2,34,17,596.00	30,33,000.00	27,45,300.00	34,38,750.00		2,00,000.00	3,28,34,646.00
सामान्य भविष्य निधि (प्रतिनियुक्ति)	—		—	—			—
प्रतिनियुक्त कर्मचारी से प्राप्त एचआरए	—		—	—			—
समूह बचत लिंक बीमा (जीएसएलआई)	1,27,500.00	17,875.00	14,075.00	13,100.00		6,625.00	1,79,175.00
एलआईसी—एसएस योजना		2,35,329.00	46,548.00	1,57,275.00			4,39,152.00
मौरिस पाटे पुरस्कार (ईएक्सपी)	1,29,362.00		—	—			1,29,362.00
एनपीएस	16,94,752.00	5,62,742.00	3,80,401.00	4,26,482.00		3,21,097.00	33,85,474.00
पार्टी को भुगतान			69,18,643.00		—	39,40,320.00	1,08,58,963.00
पेशेवर कर		43,648.00	58,800.00				1,02,448.00
लाइसेंस शुल्क की वसूली							—
प्रतिनियुक्त कर्मचारी संस्थान द्वारा प्रतिभूति जमा			1,000.00				1,000.00
आवास की प्रतिभूति जमा			1,200.00				1,200.00
परियोजना स्टाफ की प्रतिभूति जमा			20,000.00				20,000.00
विद्यार्थियों की प्रतिभूति जमा	5,000.00		—				5,000.00
वापसी योग्य प्रतिभूति जमा	4,39,000.00	2,39,610.00	—	26,728.00	2,419.00	50,000.00	7,57,757.00
स्टेल चेक खाता			—				—
टी डी एस पार्टी	7,55,616.00	2,15,034.00	2,60,914.00	1,40,113.00	2,39,389.00	49,607.00	16,60,673.00
टी डी एस वेतन	90,39,157.00	16,85,300.00	13,06,592.00	9,62,720.00	9,43,582.00	5,83,425.00	1,45,20,776.00
जीएसटी — सीजीएसटी	1,30,454.00		50,199.00	16,914.00	62,231.00	6,391.00	2,66,189.00
जीएसटी — एसजीएसटी	1,30,454.00	35,373.00	50,199.00	16,914.00	62,231.00	6,391.00	3,01,562.00
जीएसटी — आईजीएसटी			23,128.00	3,375.00		48,012.00	74,515.00
अप्रदत्त नकदी लेखा							—
टीएडडीए अग्रिम की वापसी			77,318.00				77,318.00
जीजीएसआईपीयू से प्राप्त एडीसीजीसी	59,820.00						59,820.00
पीएम केयर डोनेशन				45,817.00		14,915.00	60,732.00
प्रतिनियुक्ति		4,170.00					4,170.00
कुल	4,54,77,959.00	69,54,738.00	1,23,50,288.00	56,93,893.00	3,75,112.00	57,37,583.00	7,75,89,573.00
परियोजना प्राप्तियों का योगफल	—	—	—	—	—	—	—



विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
प्राप्तियों का सकल जोड़	62,92,31,326.27	4,79,85,089.96	5,34,09,249.68	3,90,84,261.00	3,54,21,528.76	2,35,15,501.00	82,86,46,956.67
मुगतान							
स्थापना व्यय							
वेतन एवं पारिश्रमिक	10,74,15,961.00	2,57,69,731.00	1,82,85,453.00	1,85,16,091.00	1,11,51,272.00	67,23,096.00	18,78,61,604.00
छुट्टी यात्रा रियायत	1,37,461.00	20,897.00	—	11,525.00	37,125.00	—	2,07,008.00
बाल शिक्षा भत्ता	8,10,000.00	3,51,000.00	2,43,000.00	4,32,000.00	2,43,000.00	1,08,000.00	21,87,000.00
चिकित्सा प्रभारों की प्रतिपूर्ति	93,69,093.00	1,07,325.00	6,00,132.00	3,43,198.00	2,01,536.00	5,685.00	1,06,26,969.00
छुट्टी के वेतन और पेंशन का अंशदान	—	—	—	—	—	—	—
सी.पी.एफ. में संस्थान का अंशदान	2,59,560.00	—	—	—	—	—	2,59,560.00
एनपीएस 2004 में सरकार का अंशदान	13,73,655.00	5,62,742.00	3,23,469.00	4,26,482.00	5,60,760.00	3,21,097.00	35,68,205.00
बोनस	—	—	—	—	—	—	—
यात्रा एवं दैनिक भत्ता	1,46,007.00	22,960.00	—	1,05,905.00	1,98,990.00	1,33,136.00	6,06,998.00
समयोपरि भत्ता	29,620.00	—	—	—	—	—	29,620.00
उत्सव अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—
गृह निर्माण अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	11,95,41,357.00	2,68,34,655.00	1,94,52,054.00	1,98,35,201.00	1,23,92,683.00	72,91,014.00	20,53,46,964.00
पेंशन एवं सेवा निवृत्ति लाभ							
पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	16,55,83,969.00	—	—	—	—	—	16,55,83,969.00
—उपादान, सारांशीकरण, आदि	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	16,55,83,969.00	—	—	—	—	—	16,55,83,969.00
कोर कार्यक्रम गतिविधियां							
प्रशिक्षण	27,18,073.00	2,28,750.00	4,05,324.00	1,22,090.00	5,21,467.00	3,95,574.00	43,91,278.00
बैठक/संगोष्ठी/कार्यशाला	7,21,890.00	8,754.00	2,60,817.00	84,577.00	99,878.00	2,39,024.00	14,14,940.00
अनुसंधान/मूल्यांकन	11,84,111.00	3,26,027.00	20,53,032.00	1,58,721.00	3,34,508.00	1,13,709.00	41,70,108.00
आईसीडीएस कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण	10,00,450.00	95,463.00	25,719.00	1,50,313.00	5,53,329.00	2,08,693.00	20,33,967.00
अन्य परियोजनाएं	65,53,871.00	14,01,347.00	9,68,249.00	5,68,359.00	5,32,274.00	9,14,688.00	1,09,38,788.00
केन्द्रीय मॉनिटरिंग इकाई (सीएमयू)	—	—	—	—	—	—	—
ई-आर्काइव	—	—	—	—	—	—	—
ई-लर्निंग मॉड्यूल	2,19,709.00	—	—	—	—	—	2,19,709.00
वेबसाइटों आदि के माध्यम से सूचना का प्रसार	—	—	—	—	—	—	—
प्रकाशन	—	—	—	—	—	—	—
परामर्श-सेवा	—	—	—	—	—	—	—
प्रलेखन	—	—	—	—	—	—	—
स्टाफ का प्रशिक्षण, विकास एवं क्षमता निर्माण	—	—	—	—	—	—	—
प्रशि. कार्यक्रम. ईडब्ल्यूआर के लिए	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	1,23,98,104.00	20,60,341.00	37,13,141.00	10,84,060.00	20,41,456.00	18,71,688.00	2,31,68,790.00
अन्य प्रशासनिक व्यय							
विज्ञापन एवं प्रचार	—	56,985.00	—	23,144.00	—	—	80,129.00
वार्षिक भूमि किराया और सम्पत्ति कर	39,50,775.00	1,38,969.00	1,94,971.00	—	—	—	42,84,715.00
लेखा परीक्षा शुल्क	1,47,500.00	—	—	—	—	—	1,47,500.00
लेखापरीक्षा पर व्यय	2,960.00	—	—	—	—	—	2,960.00
आकस्मिक व्यय	35,56,698.00	2,77,485.00	1,28,757.00	5,27,648.60	17,19,003.42	35,162.00	62,44,754.02
विद्युत एवं जल प्रभार	61,72,611.00	12,13,099.00	4,99,594.00	9,32,225.00	6,39,043.00	19,91,107.00	1,14,47,679.00
फनीचर एवं उपस्कर किराए पर लेना	—	—	—	—	—	—	—
वाहनों की भर्ती	3,75,459.00	—	—	—	—	11,000.00	3,86,459.00
आतिथ्य	27,017.00	3,964.00	1,452.00	895.00	2,473.00	—	35,801.00
बीमा	77,535.00	22,448.00	—	65,427.00	—	—	1,65,410.00
वर्दियां	1,05,000.00	55,000.00	—	45,000.00	—	—	2,05,000.00
कम्प्यूटर और सहायक उपकरण	55,034.00	—	—	40,922.00	1,37,392.00	—	2,33,348.00



विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
का रखरखाव	3,78,819.00	6,33,904.00	—	—	8,41,968.00	—	18,54,691.00
कंप्यूटर नेटवर्क एवं वेबसाइट का रखरखाव	4,79,560.00	59,713.00	1,40,488.00	2,21,408.00	1,87,118.00	8,79,752.00	19,68,039.00
उपस्कारों का रखरखाव	53,335.00	50,335.00	18,419.00	21,181.00	3,827.00	1,160.00	1,48,257.00
पीरियॉडिकल्स	4,84,589.95	94,229.00	58,866.00	3,74,298.00	45,495.00	1,34,215.00	11,91,692.95
डाक-शुल्क, दूरसंचार एवं सम्प्रेषण	10,60,559.00	1,76,173.00	86,721.00	1,07,719.00	2,24,773.00	58,200.00	17,14,145.00
मुद्रण और लेखन सामग्री	—	—	—	—	—	—	—
भवन का किराया	—	47,088.00	3,000.00	—	—	—	50,088.00
फर्नीचर, जुड़नार और साज-सज्जा की मरम्मत और रखरखाव	1,19,32,228.00	40,68,537.00	67,19,342.00	24,07,674.00	50,03,453.00	33,33,525.00	3,34,64,759.00
संस्थान के भवन और परिसर, छात्रावास की मरम्मत और रखरखाव	10,14,567.00	67,978.00	—	81,904.00	52,401.00	8,133.00	12,24,983.00
वाहन चालन एवं रखरखाव	—	—	—	—	—	—	—
आकस्मिक देयताएं	—	—	—	—	—	—	—
आंतरिक रसीद	—	—	—	—	—	—	—
यात्रा और दैनिक भत्ते	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	2,98,74,246.95	69,65,907.00	78,51,610.00	48,49,445.60	88,56,946.42	64,52,254.00	6,48,50,409.97
सकल योगफल	4,22,72,350.95	90,26,248.00	1,15,64,751.00	59,33,505.60	1,08,98,402.42	83,23,942.00	8,80,19,199.97
अचल परिसम्पत्तियों का क्रय	—	—	—	—	—	—	—
भूमि	—	—	—	—	—	—	—
भवन	—	—	—	—	—	—	—
कंप्यूटर और सहायक उपकरण	7,72,438.00	—	3,03,566.00	10,50,000.00	1,45,156.00	12,400.00	22,83,560.00
कंप्यूटर नेटवर्क स्थापित करना	—	—	—	—	—	—	—
इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन	—	—	—	—	—	—	—
फर्नीचर एवं सहायक उपकरण	54,720.00	3,17,170.00	12,53,157.00	6,09,350.00	—	2,48,520.00	24,82,917.00
पुस्तकालय पुस्तकें एवं जर्नल	10,34,880.00	50,218.00	2,000.00	—	—	—	10,87,098.00
कार्यालय उपकरण	7,23,099.00	1,89,655.00	5,01,785.00	18,900.00	—	1,47,140.00	15,80,579.00
सॉफ्टवेयर और वेबसाइट / पोर्टल का विकास	—	—	—	—	—	—	—
ट्यूबवेल एवं जल आपूर्ति प्रणाली	—	6,08,738.00	—	—	—	—	6,08,738.00
वाहन	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	25,85,137.00	11,65,781.00	20,60,508.00	16,78,250.00	1,45,156.00	4,08,060.00	80,42,892.00
अग्रिम राशियों का भुगतान	—	—	—	—	—	—	—
आकस्मिक अग्रिम	3,71,802.00	4,40,117.00	29,571.00	2,80,005.00	2,89,500.00	2,16,053.00	16,27,048.00
टीए/एलडीसी/चिकित्सा अग्रिम	2,03,435.00	57,000.00	3,66,400.00	1,01,860.00	36,500.00	45,000.00	8,10,195.00
स्थायी अग्रिम	5,000.00	—	—	6,000.00	2,000.00	—	13,000.00
वेतन अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—
गृह निर्माण अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—
त्यौहार अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—
सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम	52,46,308.00	10,68,398.00	46,77,600.00	9,00,000.00	53,00,000.00	—	171,92,306.00
डीएवीपी को अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—
एनबीसीसी को अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—
पीडब्ल्यूडी, रायपुर को अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—
बीएसएनएल को अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	58,26,545.00	15,65,515.00	50,73,571.00	12,87,865.00	56,28,000.00	2,61,053.00	196,42,549.0
उपयोगकर्ता प्रभार	—	—	—	—	—	—	—
शुल्क एवं अंशदान (एडीसीजीसी शुल्क)	—	—	—	—	—	—	—
सीजीसी सेवाओं के लिए प्राप्त शुल्क	—	1,07,725.00	22,400.00	40,150.00	1,975.00	—	1,72,250.00
एसीएससी सेवाओं के लिए प्राप्त शुल्क	—	—	—	—	—	—	—
सेमिनार/पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुल्क	—	9,500.00	—	—	—	—	9,500.00
कक्षा के कमरे एवं छात्रावास प्रभार	—	1,28,600.00	36,450.00	2,78,100.00	3,300.00	—	4,46,450.00
संस्थागत प्रभार	—	—	—	—	—	—	—
सदस्यता शुल्क/वार्षिक शुल्क	—	—	—	—	—	—	—
विविध प्राप्तियां	2,58,000.00	31,649.00	27,870.00	6,61,641.00	16,326.00	—	9,95,486.00
पुस्तकालय की पुस्तकों की वसूली	—	—	—	29,355.00	—	—	29,355.00



विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
परिसम्पत्तियों का निपटान भवन का किराया (लाइसेंस शुल्क) बिजली प्रभार जल प्रभार पूर्वावधि की प्राप्तियां	—	88,813.00 1,69,608.00 13,465.00	— 1,03,434.00 74,514.00	73,775.00 2,077.00	690.00 1,148.00 27.00	—	— 2,66,712.00 1,70,756.00 90,083.00 —
जोड़	2,58,000.00	5,49,360.00	2,64,668.00	10,85,098.00	23,466.00	—	21,80,592.00
उपयोगकर्ता प्रभार लेखा में बैंक ब्याज की वापसी	39,05,772.00	1,09,507.00	4,97,905.89	1,92,466.10	77,546.00	47,83,196.99	
अन्य							—
एडीसीजीसी — प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए प्राप्ति	—						—
एडीसीजीसी — विद्यार्थी कल्याण निधि	—						—
एडीसीजीसी — विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क	—						—
एडीसीजीसी — शुल्क वापसी	—						—
देय धनराशियां	—		—				—
अंशदायी भविष्य निधि		3,85,000.00					3,85,000.00
धरोहर राशि				12,000.00		1,05,000.00	1,17,000.00
जीएसएलआई का पूर्ण और अंतिम भुगतान	14,37,478.00	17,875.00	14,075.00				14,69,428.00
सामान्य भविष्य निधि	2,34,17,596.00	30,33,000.00	27,45,300.00	34,38,750.00	9,65,600.00	2,00,000.00	3,38,00,246.00
सामान्य भविष्य निधि (प्रतिनियुक्ति)							
न्यायालय कुर्की की वसूली				13,100.00	10,450.00	6,625.00	1,59,000.00
समूह बचत लिंकड बीमा (जीएसएलआई)	1,28,825.00	2,35,329.00	46,548.00	1,57,275.00	60,394.00		4,99,546.00
निवेश मोरिस पेट पुरस्कार	8,50,000.00						8,50,000.00
अन्य प्रत्यक्ष भुगतान		4,170.00					4,170.00
एनपीएस	16,94,752.00	5,62,742.00	3,80,401.00	4,26,482.00	5,59,776.00	3,21,097.00	39,45,250.00
डीएवीपी को अग्रिम पार्टी को भुगतान			69,18,643.00			37,68,141.00	1,06,86,784.00
पूर्वप्रदत्त व्यय							
प्रधानमंत्री राहत कोष							
पेशेवर कर		43,648.00	58,800.00		32,080.00		1,34,528.00
प्रतिनियुक्त कर्मचारी की वसूली							
शुल्क और सदस्यता							
जीपीएफ पर ब्याज			1,200.00				7,369.00
आवास की प्रतिभूति जमा	6,169.00						55,095.00
संस्थान द्वारा प्रतिभूति जमा					55,095.00		55,095.00
प्रतिभूति जमा की वापसी	3,22,000.00	1,70,000.00		44,000.00	60,000.00		5,96,000.00
परियोजना स्टाफ से प्रतिभूति			15,000.00				15,000.00
विद्यार्थियों को वापस की गई प्रतिभूति	1,55,000.00						1,55,000.00
मुख्यालय खाता							
टी.डी.एस. पार्टी	8,68,509.00	2,23,760.00	2,72,276.00	1,40,113.00	2,38,774.00	56,178.00	17,79,610.00
टी.डी.एस. वेतन	90,39,157.00	16,79,780.00	13,06,754.00	9,62,720.00	9,43,582.00	5,74,140.00	1,45,06,133.00
जीएसटी — सीजीएसटी	1,65,128.00	22,596.00	52,104.00	18,467.00	60,391.00	8,632.00	3,27,318.00
जीएसटी — एसजीएसटी	1,65,128.00	22,596.00	52,104.00	18,467.00	60,391.00	8,632.00	3,27,318.00
जीएसटी — आईजीएसटी			24,584.00	3,375.00		48,746.00	76,705.00
अप्रदत्त नकदी			—				—
पीएम केयर डोनेशन				45,817.00	33,928.00	14,915.00	94,660.00
यात्रा भत्ताधमंगाई भत्ता			1,03,918.00				1,03,918.00
जोड़	3,82,49,742.00	64,00,496.00	1,19,91,707.00	52,80,566.00	30,80,461.00	51,12,106.00	7,01,15,078.00
क्षेत्रीय केन्द्रों के खाते							
क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	3,65,00,000.00	—	—	—	—	—	3,65,00,000.00
क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	3,71,00,000.00	—	—	—	—	—	3,71,00,000.00
क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	3,00,00,000.00	—	—	—	—	—	3,00,00,000.00
क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	3,08,00,000.00	—	—	—	—	—	3,08,00,000.00



विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	1,60,00,000.00						1,60,00,000.00
जोड़	15,04,00,000.00	—	—	—	—		15,04,00,000.00
निवेश मौरिस पेट पुरस्कार का निवेश अन्य निवेश (यदि कोई)	— —	—	—	—	—		— —
जोड़	—	—	—	—	—		—
परियोजना भुगतानों का योगफल	14,46,352.00	—	—	42,000.00	—	—	14,88,352.00
पारगमन निधि एवं इति शेष							
पारगमन निधि	—	—					—
फंड इन ट्रांसिट (आरसीएस)	—	—					—
डाक टिकटें	90,820.00	527.00	1,810.00	2,376.00	—	—	95,533.00
बैंक शेष	8,25,77,196.18	23,33,000.96	25,02,274.79	—	31,75,814.34	21,19,326.00	9,27,07,612.27
बैंक शेष	—	—	—	37,46,933.30	—	—	37,46,933.30
नकदी	—	—					—
चेक इन ट्रांजिट	—	—					—
अव्ययित शेष	—	—					—
आईओबी के पास निपसिड	36,72,425.05						36,72,425.05
सीपीएसयू लेखा	—						—
उपयोगकर्ता प्रभार लेखा	1,28,21,660.09						1,28,21,660.09
जोड़	9,91,62,101.32	23,33,527.96	25,04,084.79	37,49,309.30	31,75,814.34	21,19,326.00	11,30,44,163.71
भुगतानों का सकल जोड़	62,92,31,326.27	4,79,85,089.96	5,34,09,249.68	3,90,84,261.00	3,54,21,528.76	2,35,15,501.00	82,86,46,956.67

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के संबंध में
विजय कुमार रस्तोगी एवं कंपनी,
सनदी लेखपालों के लिए और उनकी ओर से
फर्म की पंजीकरण संख्या 011807एन

ह/-
(पी.आर. नाथ)
लेखा अधिकारी

ह/-
(संघमित्रा बारिक)
संयुक्त निदेशक (सा.से)

ह/-
(तृप्ति गुरहा)
निदेशक

ह/-
(सी.ए. विजय कुमार रस्तोगी)
प्रोग्राइटर
एम. नं. 090086



राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए परियोजनाओं की प्राप्ति एवं भुगतान

राशि रु. में

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
प्राप्तियां							
सी.ए.आर.ए. चाइल्डलाइन परियोजना एनवाईकेएस- जनजातीय युवा विनिमय कार्यक्रम 15-21 फरवरी 2020				—			—
म.बा.वि.मं. — बाल संरक्षण हेतु राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र राष्ट्रीय बाल कोष				—			—
म.बा.वि.मं. — बीबीबीपी कार्यशाला 05 अक्टूबर, 2018		—					—
सशुल्क कार्यक्रम—मानवाधिकार आयोग	—						—
सशुल्क कार्यक्रम—अन्तरराष्ट्रीय योगा दिवस	—						—
सशुल्क कार्यक्रम—राज्य सरकार		—					—
कुल	—	—	—	—	—	—	—
भुगतान							
विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
सी.ए.आर.ए. बाल निर्देशन केन्द्र चाइल्डलाइन परियोजना सशुल्क कार्यक्रम — दत्तकग्रहण पर राज्य स्तरीय ओ.आर.टी कार्यक्रम 17.3.2018		—		—			—
सशुल्क कार्यक्रम — दत्तकग्रहण पंजीकरण पर राज्य स्तरीय ओ.आर.टी कार्यक्रम 19.3.2018				—			—
आईएसएसएनआईपी (आईवाईसी एफ पर एमओ एंड एफएलएच डब्ल्यू का प्रशिक्षण)				—			—
सशुल्क कार्यक्रम — सी.ए.आर.ए. पंजीकरण ओ.आर.टी. 16-17 जनवरी 2017				—			—
निपसिड टी/सी सोसायटी लिमिटेड सशुल्क कार्यक्रम—राज्य सरकार		—				—	—
सशुल्क कार्यक्रम—हौसला 2018-19	12,86,647.00			42,000.00			12,86,647.00
एनवाईकेएस- जनजातीय युवा विनिमय कार्यक्रम 15-21 फरवरी 2020							42,000.00
एनएचआरसी	1,59,705.00						1,59,705.00
जोड़	14,46,352.00	—	—	42,000.00	—	—	14,88,352.00

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के संबंध में
विजय कुमार रस्तोगी एवं कंपनी,
सनदी लेखपालों के लिए और उनकी ओर से
फर्म की पंजीकरण संख्या 011807एन

ह/-
(पी.आर. नाथ)
लेखा अधिकारी

ह/-
(संघमित्रा बारिक)
संयुक्त निदेशक (सा.से)

ह/-
(तृप्ति गुरहा)
निदेशक

ह/-
(सी.ए. विजय कुमार रस्तोगी)
प्रोप्राइटर
एम. नं. 090086



राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च, 2021 तक आर्जित परिसम्पत्तियों हेतु पूंजीगत निधियों / अनुदानों की अनुसूची

अनुसूची 1

राशि रु. में

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
फर्नीचर, साज सज्जा एवं जुड़नार आदि शेष वर्ष के दौरान जोड़ा गया घटाया गया: वर्ष के दौरान बढ़े खाते में डाला गया	2,57,86,498.74 54,720.00 —	88,24,953.67 3,17,170.00 —	37,79,558.87 12,53,157.00 1,38,674.80	39,51,546.92 6,09,350.00 —	56,54,709.51 — —	84,360.00 2,48,520.00 —	4,80,81,627.71 24,82,917.00 1,38,674.80
जोड़	2,58,41,218.74	91,42,123.67	48,94,041.07	45,60,896.92	56,54,709.51	3,32,880.00	5,04,25,869.91
उपकरण आदि शेष वर्ष के दौरान जोड़ा गया घटाया गया: वर्ष के दौरान बढ़े	1,81,39,453.83 7,23,099.00 —	93,50,146.73 1,89,655.00 —	35,34,046.07 5,01,785.00 1,59,743.40	65,87,495.62 18,900.00 —	33,41,598.00 55,604.00 —	4,10,928.00 1,47,140.00 —	4,13,63,668.25 16,36,183.00 1,59,743.40
जोड़	1,88,62,552.83	95,39,801.73	38,76,087.67	66,06,395.62	33,97,202.00	5,58,068.00	4,28,40,107.85
भूमि आदि शेष वर्ष के दौरान जोड़ा गया घटाया गया: वर्ष के दौरान बढ़े खाते में डाला गया	5,74,769.10 —	2,82,295.31 —	24,24,500.00 —	1,49,490.50 —	40.00 —	— —	32,49,094.91 —
जोड़	5,74,769.10	2,82,295.31	24,24,500.00	1,49,490.50	40.00	—	32,49,094.91
पुस्तकें एवं जर्नल आदि शेष वर्ष के दौरान जोड़ा गया घटाया गया: वसूली गई पुस्तकों की कीमत	1,23,23,027.04 10,34,880.00 1,173.00	24,02,418.72 50,218.00 —	7,85,594.74 2,000.00 —	20,22,108.76 — 62.00	93,261.00 —	—	1,76,26,410.26 10,87,098.00 1,235.00
जोड़	1,33,56,734.04	24,52,636.72	7,87,594.74	20,22,046.76	93,261.00	—	1,87,12,273.26
वाहन आदि शेष वर्ष के दौरान जोड़ा गया घटाया गया: वर्ष के दौरान बढ़े खाते में डाला गया जमा/घटाया गया: वर्ष के दौरान किए गए समायोजन	36,35,229.54 — — —	13,62,451.00 — — —	— — — —	17,46,027.11 — — —	3,71,150.00 — — —	— — — —	71,14,857.65 — — —
जोड़	36,35,229.54	13,62,451.00	—	17,46,027.11	3,71,150.00	—	71,14,857.65
भवन आदि शेष वर्ष के दौरान जोड़ा गया (पूंजीगत) जमा/घटाया गया: वर्ष के दौरान किए गए समायोजन	1,18,43,175.41 — —	7,46,80,301.00 — —	4,02,74,153.00 — —	4,10,63,515.20 — —	6,92,52,102.00 — —	25,79,50,000.00 — —	49,50,63,246.61 — —
जोड़	1,18,43,175.41	7,46,80,301.00	4,02,74,153.00	4,10,63,515.20	6,92,52,102.00	25,79,50,000.00	49,50,63,246.61
कम्प्यूटर और सहायक उपकरण आदि शेष वर्ष के दौरान जोड़ा गया घटाया गया: वर्ष के दौरान बढ़े	1,41,53,801.00 7,72,438.00 —	21,69,212.00 — —	24,33,456.00 3,03,566.00 4,58,776.00	12,61,799.30 10,50,000.00 —	13,19,030.00 1,45,156.00 —	25,000.00 12,400.00 4,58,776.00	2,13,62,298.30 22,83,560.00 —



अनुसूची 1

राशि रु. में

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
खाते में डाला गया							
जोड़	1,49,26,239.00	21,69,212.00	22,78,246.00	23,11,799.30	14,64,186.00	37,400.00	2,31,87,082.30
ट्यूबवेल एवं जल आपूर्ति प्रणाली आदि शेष	—	7,67,350.00	—	—	70,600.00	—	8,37,950.00
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	—	6,08,738.00	—	—	—	—	6,08,738.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान बड़े खाते में डाला गया	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	—	13,76,088.00	—	—	70,600.00	—	14,46,688.00
कम्प्यूटर नेटवर्क स्थापित करना आदि शेष	5,55,803.00	—	—	—	—	—	5,55,803.00
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: वर्ष के दौरान बड़े खाते में डाला गया	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	5,55,803.00	—	—	—	—	—	5,55,803.00
सॉफ्टवेयर और वेबसाइट/पोर्टल का विकास आदि शेष	31,15,483.00	—	46,380.00	—	—	—	31,61,863.00
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: वर्ष के दौरान पूंजीगत	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	31,15,483.00	—	46,380.00	—	—	—	31,61,863.00
आईसीडीएस परियोजना फर्नीचर एवं सहायक उपकरण आदि शेष	27,07,577.21	1,12,200.00	—	3,28,649.72	—	—	31,48,426.93
जोड़ा गया: वर्ष के दौरान किए गए समायोजन	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: बड़े खाते डाली गई वस्तुएं	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	27,07,577.21	1,12,200.00	—	3,28,649.72	—	—	31,48,426.93
विश्व बैंक परियोजना फर्नीचर एवं सहायक उपकरण आदि शेष	19,70,834.70	—	—	—	—	—	19,70,834.70
जोड़ा गया: वर्ष के दौरान किए गए समायोजन	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: बड़े खाते डाली गई वस्तुएं	—	0	—	—	—	—	—
जोड़	19,70,834.70	—	—	—	—	—	19,70,834.70
आरडब्ल्यूईपी-स्वशक्ति परियोजनाएं फर्नीचर एवं सहायक उपकरण आदि शेष	7,69,068.38	—	—	—	—	—	7,69,068.38
जोड़ा गया: वर्ष के दौरान खरीद	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: वर्ष के दौरान बड़े खाते में डाला गया	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	7,69,068.38	—	—	—	—	—	7,69,068.38
आईसीडीएस का प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश आदि शेष	—	—	—	6,850.00	—	—	6,850.00



अनुसूची 1

राशि रु. में

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	—	—	—	6,850.00	—	—	6,850.00
उद्दिष्टा परियोजना फर्नीचर एवं सहायक उपकरण आदि शेष	12,87,198.22	17,76,420.00	16,66,019.00	3,63,843.80	1,90,674.00	—	52,84,155.02
जोड़ा गया: वर्ष के दौरान किए गए समायोजन	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया	—	—	—	—	—	—	—
जमा/घटाया गया: वर्ष के दौरान किए गए समायोजन	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	12,87,198.22	17,76,420.00	16,66,019.00	3,63,843.80	1,90,674.00	—	52,84,155.02
चाइल्डलाइन परियोजनाएं फर्नीचर एवं सहायक उपकरण आदि शेष	—	1,12,717.00	—	—	—	—	1,12,717.00
जोड़ा गया: वर्ष के दौरान खरीद	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	—	1,12,717.00	—	—	—	—	1,12,717.00
चल रहा कार्य भवन आदि शेष	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली के भवन को स्थानान्तरित	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
सकल जोड़ आदि शेष	9,68,02,782.01	10,18,40,465.43	5,47,61,707.68	5,74,81,326.93	8,02,93,164.51	25,84,70,288.00	64,96,49,734.56
जोड़ा गया: वर्ष के दौरान खरीद	25,85,137.00	11,65,781.00	20,60,508.00	16,78,250.00	2,00,760.00	4,08,060.00	80,98,496.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया	1,173.00	—	7,57,194.20	62.00	—	—	7,58,429.20
जमा/घटाया गया: वर्ष के दौरान किए गए समायोजन	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	9,93,86,746.01	10,30,06,246.43	5,60,65,021.48	5,91,59,514.93	8,04,93,924.51	25,88,78,348.00	65,69,89,801.36
अवमूल्यन आदि शेष	6,96,83,203.58	7,54,22,241.56	4,12,73,551.37	4,16,02,470.69	4,54,02,401.51	3,88,94,442.00	31,22,78,310.71
जमा: वर्ष के दौरान अवमूल्यन	70,75,327.00	31,90,952.75	18,72,168.00	15,89,042.00	35,87,380.00	2,20,31,717.00	3,93,46,586.75
जमा/घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन	1,173.00	—	(7,25,355.69)	—	(62.00)	1,212.00	(7,23,032.69)
जोड़	7,67,59,703.58	7,86,13,194.31	4,24,20,363.68	4,31,91,450.69	4,89,90,993.51	6,09,26,159.00	35,09,01,864.77
नेट ब्लॉक	2,26,27,042.43	2,43,93,052.12	1,36,44,657.80	1,59,68,064.24	3,15,02,931.00	19,79,52,189.00	30,60,87,936.59

ह/-
(पी.आर. नाथ)
लेखा अधिकारी

ह/-
(संधिमित्रा बारिक)
संयुक्त निदेशक (सा.से)



राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च, 2021 तक व्यय पर आय की अधिकता की अनुसूची

अनुसूची 2

राशि रु. में

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
आदि शेष जमा: व्यय से आय की अधिकता	(47,08,27,814.42) 2,74,59,994.41	12,75,502.62	39,29,698.80 9,49,339.00	39,21,804.80 15,18,141.40	57,37,942.76 63,00,261.58	(4,59,786.00)	(45,64,22,651.44) 3,62,27,736.39
घटाया गया: आय से व्यय की अधिकता जमा: समायोजन			17,25,720.00			2,51,932.00	19,77,652.00
सकल जोड़	(44,33,67,820.01)	(4,50,217.38)	48,79,037.80	54,39,946.20	1,20,38,204.34	(7,11,718.00)	(42,21,72,567.05)

ह/-
(पी.आर. नाथ)
लेखा अधिकारी

ह/-
(संघमित्रा बारिक)
संयुक्त निदेशक (सा.से.)



राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च, 2021 तक विविध लेनदार की अनुसूची

अनुसूची 3

राशि रु. में

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
विश्व बैंक से सहायता प्राप्त आईसीडीएस परियोजना आदि शेष घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	83,379.70 —	—	—	—	—	—	83,379.70 — —
जोड़	83,379.70	—	—	—	—	—	83,379.70
मौरिस पेट पुरस्कार आदि शेष जमा: प्राप्त ब्याज घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	7,76,407.32 — 1,29,362.00	— — —	— — —	— — —	— — —	—	7,76,407.32 — 1,29,362.00
जोड़	9,05,769.32	—	—	—	—	—	9,05,769.32
अन्य चाइल्डलाइन प्रायोजित कार्यक्रम आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय जमा: अनुसूची 9 को अंतरित जमा: अनुसूची 9 से अंतरित	— — — — —	14,521.50 —	— —	2,365.10 —	— — —	—	16,886.60 — — — —
जोड़	—	14,521.50	—	2,365.10	—	—	16,886.60
स्टेप तथा नौरोड के बीच सम्पर्क विकसित करने पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आदि शेष घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	19,152.50 19,152.50	—	—	—	—	—	19,152.50 19,152.50
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
आईसीडीएस प्रकाश का मुद्रण आदि शेष घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	96,751.04 96,751.04	—	—	—	—	—	96,751.04 96,751.04
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति आदि शेष घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	13,831.41 13,831.41	—	—	—	—	—	13,831.41 13,831.41
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
प्रबंध सूचना प्रणाली के सांख्यिकीय कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि शेष घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	39,282.45 39,282.45	—	—	—	—	—	39,282.45 39,282.45
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
महिला एवं बाल विकास विभाग के दस्तावेजों का मुद्रण	—	—	—	—	—	—	—



अनुसूची 3

राशि रु. में

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
आदि शेष घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	6,01,397.68 6,01,397.68 —	—	—	—	—	—	6,01,397.68 6,01,397.68 —
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
क्षेत्रीय केन्द्र में उदीशा (राज्य) आदि शेष घटाया गया : अनुसूची 9 से अंतरित घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	— — —	12,663.08	— — —	— — —	— — —	—	12,663.08 — —
जोड़	—	12,663.08	—	—	—	—	12,663.08
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय— वात्सल्य मेला 14-30 नवम्बर 2013 आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	6,965.00 — 6,965.00	— — —	— — —	— — —	— — —	—	6,965.00 — 6,965.00
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय— राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 14.11.2012 आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	35,071.00 — 35,071.00	— — —	— — —	— — —	— — —	—	35,071.00 — 35,071.00
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय— बाल संरक्षण हेतु राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन	1,03,84,000.00 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	—	1,03,84,000.00 — —
जोड़	1,03,84,000.00	—	—	—	—	—	1,03,84,000.00
सीजीसी में उच्च डिप्लोमा विश्वविद्यालय प्रवेश शुल्क आदि शेष वर्ष के दौरान प्राप्त घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	—	— — —
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
एनवाईकेएस- जनजातीय युवा विनिमय कार्यक्रम 15-21 फरवरी 2020 आदि शेष वर्ष के दौरान प्राप्त घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	— — —	— — —	— — —	42,000.00 — 42,000.00	— — —	—	42,000.00 — 42,000.00
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
अहिंसा में मैसेंजर शुभारम्भ— महिला हिंसा को रोकने के लिए आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	65,784.00 — 65,784.00	— — —	— — —	— — —	— — —	—	65,784.00 — 65,784.00



अनुसूची 3

राशि रु. में

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
एनएचएम असम आदि शेष	—	77,264.00	—	—	—	—	77,264.00
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	—	77,264.00	—	—	—	—	77,264.00
महिला एवं बाल विकास विभाग 15 राज्यों के बजट में जेंडर पर विश्लेषण	—	—	—	—	—	—	—
आदि शेष	5,527.00	—	—	—	—	—	5,527.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय/लौटाया गया	5,527.00	—	—	—	—	—	5,527.00
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
सीपीएसयू आरडब्ल्यूईपी परियोजना आदि शेष	—	—	—	—	—	—	—
वर्ष के दौरान प्राप्त	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: निम्न को सीपीएसयू में अंतरित किया गया	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
अम्बेडकर विश्वविद्यालय (सीईसीसीईडी) आदि शेष	—	18,633.00	—	—	—	—	18,633.00
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	—	18,633.00	—	—	—	—	18,633.00
म.बा.वि.मं.—कार्यशाला का आयोजन सीआईएनयू एस/आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच में	—	—	—	—	—	—	—
आदि शेष	4,999.40	—	—	—	—	—	4,999.40
घटाया गया: वर्ष के दौरान लौटाया गया/समायोजन	4,999.40	—	—	—	—	—	4,999.40
वर्ष के दौरान व्यय	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
सशुल्क कार्यक्रम—क्षमता निर्माण—भूटान सरकार आदि शेष	62,968.00	—	—	—	—	—	62,968.00
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	62,968.00	—	—	—	—	—	62,968.00
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसिस आदि शेष	—	—	—	6,394.00	—	—	6,394.00
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	—	—	—	6,394.00	—	—	6,394.00
पार्टी को भुगतान आदि शेष	3,52,004.00	0	—	—	—	—	3,52,004.00



अनुसूची 3

राशि रु. में

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	1,60,42,955.00 1,60,42,955.00 —	20,84,485.00 20,84,485.00 —	— — —	22,89,921.00 22,89,921.00 —	— — —	— — —	2,04,17,361.00 2,04,17,361.00 —
जोड़	3,52,004.00	#REF!	—	—	—	—	3,52,004.00
सशुल्क प्रोग्राम-आरएमके भारती आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	1,07,719.00 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1,07,719.00 — —
जोड़	1,07,719.00	—	—	—	—	—	1,07,719.00
सशक्तिकरण नीति पर क्षेत्रीय कार्यशाला-सशुल्क कार्यक्रम आदि शेष घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	1,161.00 1,161.00 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1,161.00 1,161.00 —
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
यूनेसको परियोजना आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	13,751.22 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	13,751.22 — —
जोड़	13,751.22	—	—	—	—	—	13,751.22
सशुल्क कार्यक्रम-एनएमईडब्ल्यू एमएसके पर परामर्श आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	8.06.2017 5,405.00 — 5,405.00	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	5,405.00 — — 5,405.00
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
कारा कार्यक्रम आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय अनुसूची 9 से अंतरित	— — — —	— — — —	— — — —	5,893.00 — — —	— — — —	— — — —	5,893.00 — — —
जोड़	—	—	—	5,893.00	—	—	5,893.00
म.बा.वि.वि. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं हेतु हैंडबुक-वर्ष 2003-04 आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय/ समायोजन वर्ष के दौरान व्यय	21,697.00 — 21,697.00 —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	21,697.00 — 21,697.00 —
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
सीपीएसयू निधि अंतरित आदि शेष घटाया गया: सीपीएसयू के नीचे अंतरित	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
असम सरकार का कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—



अनुसूची 3

राशि रु. में

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय घटाया गया: अनुसूची 9 से अंतरित	—	1,09,832.00 — — —			— — —		1,09,832.00 — — —
जोड़	—	1,09,832.00		—	—	—	1,09,832.00
आईएसएसएनआईपी (यूपी) आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय		— — —	— — —	— — —	— — —		— — —
जोड़	—	—	—	—	—		—
म.बा.वि.मं.—आईसीपीएस/ स्टेप 2012-13 पर परामर्श आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	3,88,749.00 — 3,88,749.00	— — —	— — —	— — —	— — —		3,88,749.00 — 3,88,749.00
जोड़	—	—	—	—	—		—
स्वयंसिद्धा परियोजनाएं आदि शेष जमा: नीचे स्वयंसिद्धा परियोजना से विलय/अनुसूची 9 से नीचे अंतरित घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	8,48,549.06 — —	— — —	— — —	— — —	— — —		8,48,549.06 — —
जोड़	8,48,549.06	—	—	—	—		8,48,549.06
सशुल्क कार्यक्रम—एमएमए.डब्ल्यू /एस पर कैरियर परामर्श 9-10 नवम्बर 17 आदि शेष वर्ष के दौरान प्राप्त घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	21,483.00 — —	— — —	— — —	— — —	— — —		21,483.00 — —
जोड़	21,483.00	—	—	—	—		21,483.00
म.बा.वि.मं.—आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का एक दिवसीय समारोह 27.02.14 आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	6,51,613.00 — 6,51,613.00	— — —	— — —				6,51,613.00 — 6,51,613.00
जोड़	—	—	—	—	—		—
राज्य सुपरवाइजर्स का कार्यक्रम आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	— — —	1,27,526.76 — —	— — —	— — —	— — —		1,27,526.76 — —
जोड़	—	1,27,526.76		—	—	—	1,27,526.76
म.बा.वि.मं.—भोपाल में आईसीपीएस पर (दूसरी) क्षेत्रीय परामर्श बैठक 29-30 सितम्बर 2014 आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	60,000.00 —	— —	— —	— —	— —		60,000.00 —



अनुसूची 3

राशि रु. में

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	60,000.00						60,000.00
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
एफएनबी कार्यक्रम आदि शेष	—	—	—	—	—	—	—
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: आर.एम.के. को लौटाया गया	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
उद्दिष्टा परियोजना (आईसीडीएस कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण) आदि शेष	3,001.35	—	—	—	—	—	3,001.35
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	—	—	—	—	—	—	—
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	3,001.35	—	—	—	—	—	3,001.35
म.बा.वि.मं.—राष्ट्रीय बाल पुरस्कार एवं आरजीएमएसए 14.11/2014 आदि शेष	1,00,090.00	—	—	—	—	—	1,00,090.00
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	0	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	1,00,090.00	—	—	—	—	—	1,00,090.00
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
उत्तर प्रदेश सरकार कार्यक्रम आदि शेष	—	—	—	2,857.00	—	—	2,857.00
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	—	—	—	—	—	—	—
जमा: अनुसूची 9 से अंतरित	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	—	—	—	2,857.00	—	—	2,857.00
यूनिसेफ परियोजना आदि शेष	2,47,563.96	—	—	—	—	—	2,47,563.96
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	2,47,563.96	—	—	—	—	—	2,47,563.96
सीपीएसयू (आर.डब्ल्यू.डी.ई.पी. परियोजना) आदि शेष	35,09,908.24	—	—	—	—	—	35,09,908.24
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	1,20,837.46	—	—	—	—	—	1,20,837.46
जमा: उपरोक्त सीपीएसयू निधि से अंतरित	—	—	—	—	—	—	—
जमा: उपरोक्त सी.पी.एस.यू. आरडब्ल्यूईपी परियोजना से अंतरित	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: अनुसूची 9 से अंतरित— आर.डब्ल्यू.डी.ई.पी. एस.एस.पी. एल.टी.ए. परियोजना	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	36,30,745.70	—	—	—	—	—	36,30,745.70
म.बा.वि.मं. —23.5.2012 को							



अनुसूची 3

राशि रु. में

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
सीएमसी एनएमईडब्ल्यू की बैठक आदि शेष	671.00	—	—	—	—	—	671.00
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	671.00	—	—	—	—	—	671.00
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
मंत्रालय: उच्च उपलब्धियों की पुस्तिका का मुद्रण एवं वितरण आदि शेष	45,740.00	—	—	—	—	—	45,740.00
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	45,740.00	—	—	—	—	—	45,740.00
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
अल्पसंख्यक महिलाओं हेतु नेतृत्व विकास के लिए मॉड्यूल आदि शेष	10,593.00	—	—	—	—	—	10,593.00
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	10,593.00	—	—	—	—	—	10,593.00
डब्ल्यू एच ओ – ईसीडी पर सहयोगी परियोजना 2012 आदि शेष	40,038.00	—	—	—	—	—	40,038.00
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	40,038.00	—	—	—	—	—	40,038.00
म.बा.वि.मं.—अखिल भारतीय स्लोगन लेखन प्रतियोगिता 23-24 जनवरी 2013 आदि शेष	4,391.00	—	—	—	—	—	4,391.00
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	4,391.00	—	—	—	—	—	—
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
म.बा.वि.मं.— लखनऊ में आईसीपीएस पर चौथी क्षेत्रीय परामर्श बैठक 16-17 अक्टूबर 2014 आदि शेष	1,02,223.00	—	—	—	—	—	1,02,223.00
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	1,02,223.00	—	—	—	—	—	—
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
सशुल्क कार्यक्रम—अन्तरराष्ट्रीय योगा दिवस 2019 आदि शेष	—	—	—	—	—	—	—
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	55,039.00	—	—	—	—	—	55,039.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	55,039.00	—	—	—	—	—	55,039.00
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
सशुल्क कार्यक्रम —राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आदि शेष	4,71,670.00	—	—	—	—	—	4,71,670.00



अनुसूची 3

राशि रु. में

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	— 1,59,705.00						— 1,59,705.00
जोड़	3,11,965.00	—	—	—	—	—	3,11,965.00
म.बा.वि.मं.—बीबीबीपी कार्यशाला 05 अक्टूबर, 2018 आदि शेष	31,702.00	—	—	—	—		31,702.00
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	— 31,702.00	— —	— —	— —	— —		— 31,702.00
जोड़	—	—	—	—	—		—
सकल जोड़	1,70,23,530.31	3,60,440.34	—	17,509.10	—	—	1,74,01,479.75

ह/-
(पी.आर. नाथ)
लेखा अधिकारी

ह/-
(संघमित्रा बारिक)
संयुक्त निदेशक (सा.से)



राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च, 2021 तक चालू देयताओं एवं प्रावधानों की अनुसूची

अनुसूची 4

राशि रु. में

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
प्रतिभूति जमा आदि शेष	11,49,118.00	1,71,562.00	1,08,600.00	1,26,788.00	2,75,000.00		18,31,068.00
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	4,39,000.00	2,39,610.00	22,200.00	26,728.00	13,447.00	50,000.00	7,90,985.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान लौटाया गया	3,22,000.00	1,70,000.00	16,200.00	44,000.00	60,000.00		6,12,200.00
		—					
जोड़	12,66,118.00	2,41,172.00	1,14,600.00	1,09,516.00	2,28,447.00	50,000.00	20,09,853.00
विद्यार्थियों की प्रतिभूति राशि आदि शेष	3,49,500.00	—	—	—	—		3,49,500.00
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	5,000.00	—	—	—	—		5,000.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान लौटाया गया	1,55,000.00	—	—	—	—		1,55,000.00
जोड़	1,99,500.00	—	—	—	—		1,99,500.00
धरोहर राशि आदि शेष	—	—	20,000.00	72,000.00	—		92,000.00
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	—	—	—	—	—	2,25,000.00	2,25,000.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान लौटाया गया	—	—	—	12,000.00	—	1,05,000.00	1,17,000.00
जोड़	—	—	20,000.00	60,000.00	—	1,20,000.00	2,00,000.00
राजस्व अनुदान की अव्ययित राशि आदि शेष — वेतन	30,13,241.00	—	—	—	—		30,13,241.00
आदि शेष — सामान्य राजस्व	—	—	—	—	—		—
आदि शेष — सामान्य	26,99,394.77	—	—	—	—		26,99,394.77
जमा: वर्ष के दौरान वेतन के अन्तर्गत	2,82,80,317.00	—	—	—	—		2,82,80,317.00
जमा: वर्ष के दौरान राजस्व के अन्तर्गत	—	—	—	—	—		—
जमा: वर्ष के दौरान सामान्य के अन्तर्गत	—	—	—	—	—		—
जमा: वर्ष के दौरान एनईआर सामान्य के अन्तर्गत	—	—	—	—	—		—
घटाया गया: अनुसूची 14 को अंतरित	—	—	—	—	—		—
वेतन	30,13,241.00						30,13,241.00
सामान्य राजस्व	26,99,394.77						26,99,394.77
जोड़	2,82,80,317.00	—	—	—	—	—	2,82,80,317.00
पूँजीगत अनुदान की अव्ययित राशि							
आदि शेष — एनईआर	81,571.00						81,571.00
आदि शेष — नॉन एनईआर	3,08,51,073.00						3,08,51,073.00
जमा: पूँजीगत अनुदान प्राप्त एनईआर	9,35,000.00						9,35,000.00
जमा: पूँजीगत अनुदान प्राप्त गैर-एनईआर	—						—
घटाया गया: किए गए खर्च एनईआर	11,65,781.00						11,65,781.00



अनुसूची 4

राशि रु. में

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
घटाया गया: चल रहा कार्य एनबीसीसी को अग्रिम के माध्यम से घटाया गया: किए गए खर्च गैर एनईआर जमा: वर्ष के दौरान एनईआर के अन्तर्गत जमा: वर्ष के दौरान नॉन एनईआर के अन्तर्गत	70,81,925.00 2,37,69,148.00						— 70,81,925.00 — 2,37,69,148.00
जोड़	2,37,69,148.00	—	—	—	—	—	2,37,69,148.00
एसबी खातों पर अर्जित ब्याज आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त घटाया गया: वर्ष के दौरान भुगतान	26,12,078.65 20,03,994.26 39,05,772.00	27,476.00 1,03,576.00 1,07,147.00	4,38,260.29 59,645.60 4,97,905.89	1,21,810.43 70,655.67 1,92,466.10	12,866.00 77,546.00 90,412.00	60,460.00 85,362.00	32,72,951.37 24,00,779.53 47,93,702.99
जोड़	7,10,300.91	23,905.00	—	—	—	1,45,822.00	8,80,027.91
उपयोगकर्ता प्रभार — फीस एकत्रीकरण आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त घटाया गया: वर्ष के दौरान भुगतान	41,46,087.00 76,800.00 —	59,400.00 2,11,600.00 2,45,825.00	18,225.00 45,125.00 58,850.00	2,79,525.00 38,725.00 3,18,250.00	3,250.00 6,425.00 8,525.00	2,21,825.00 13,275.00	47,28,321.00 3,78,675.00 6,31,450.00 —
जोड़	42,22,887.00	25,175.00	4,500.00	—	1,150.00	2,35,100.00	44,88,812.00
उपयोगकर्ता प्रभार — अन्य तथा प्राप्तियां आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त घटाया गया: वर्ष के दौरान भुगतान जमा/घटा वर्ष के समायोजन	11,53,494.00 3,52,792.00 —	450.00 1,35,949.00 1,33,927.00	— 2,32,433.00 2,05,818.00 13,385.00	5,16,264.00 2,50,584.00 7,66,848.00	90.00 120.00 210.00	97,844.00 1,04,515.00	17,68,142.00 10,76,393.00 11,06,803.00 13,385.00
जोड़	15,06,286.00	2,472.00	40,000.00	—	—	2,02,359.00	17,51,117.00
जीएसएलआई का पूर्ण और अंतिम भुगतान आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त घटाया गया: वर्ष के दौरान भुगतान	17,124.00 19,55,186.00 14,37,478.00	— — —	13,385.00 — — (13,385.00)	— — —	— — —	—	30,509.00 19,55,186.00 14,37,478.00 (13,385.00)
जोड़	5,34,832.00	—	—	—	—	—	5,34,832.00
भुगतान योग्य खाते आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन	1,64,186.00 5,12,220.00 5,74,406.00	— — —	8,69,881.00 9,77,521.00 8,69,881.00	6,69,834.00 2,47,874.00 6,72,775.00	34,98,910.00 55,79,472.00 64,31,359.00	11,72,639.00 39,40,320.00 37,68,141.00	63,75,450.00 1,12,57,407.00 1,23,16,562.00
जोड़	1,02,000.00	—	9,77,521.00	2,44,933.00	26,47,023.00	13,44,818.00	53,16,295.00
भुगतान योग्य वेतन आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान बकाया	77,08,130.00 6,67,91,280.00	22,07,828.00 21,19,033.00	17,75,942.00 14,54,005.00	18,24,334.00 1,56,03,301.00	1,30,966.00 1,01,05,614.00	4,84,091.00 72,21,388.00	1,41,31,291.00 10,32,94,621.00



अनुसूची 4

राशि रु. में

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन	6,72,27,408.00	22,07,828.00	17,75,942.00	1,60,96,293.00	1,01,15,780.00	69,92,472.00	10,44,15,723.00
					1,20,800.00		1,20,800.00
जोड़	72,72,002.00	21,19,033.00	14,54,005.00	13,31,342.00	—	7,13,007.00	1,30,10,189.00
सेवा निवृत्तियों के लिए प्रावधान एवं सेवान्त लाभ देयता लेखा (नॉन प्लान) आदि शेष	53,43,43,334.00	—	—	—	—	—	53,43,43,334.00
घटाया गया: पिछले वर्ष का प्रावधान समायोजित	53,43,43,334.00	—	—	—	—	—	53,43,43,334.00
जमा: वर्ष के दौरान प्रावधान	49,93,40,780.00	—	—	—	—	—	49,93,40,780.00
		—	—	—	—	—	—
जोड़	49,93,40,780.00	—	—	—	—	—	49,93,40,780.00
सीपीएफ की वसूली आदि शेष	—	—	—	—	—	—	—
जमा: वर्ष के दौरान वसूली	3,71,65,682.00	—	—	—	—	—	3,71,65,682.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्रेषित	3,71,65,682.00	—	—	—	—	—	3,71,65,682.00
		—	—	—	—	—	—
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
जीपीएफ की वसूली आदि शेष	—	—	—	—	—	—	—
जमा: वर्ष के दौरान वसूली	2,34,17,596.00	—	—	34,38,750.00	—	2,00,000.00	2,70,56,346.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्रेषित	2,34,17,596.00	—	—	34,38,750.00	—	2,00,000.00	2,70,56,346.00
जमा/घटाया गया: वर्ष के दौरान किए गए समायोजन	—	—	—	—	1,20,000.00	—	1,20,000.00
		—	—	—	—	—	—
जोड़	—	—	—	—	1,20,000.00	—	1,20,000.00
भवन की मरम्मत एवं रखरखाव का प्रावधान (नॉन प्लान) आदि शेष	—	2,50,940.00	—	—	—	—	2,50,940.00
जमा: वर्ष के दौरान	—	10,68,398.00	—	—	—	—	10,68,398.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन	—	2,50,940.00	—	—	—	—	2,50,940.00
		—	—	—	—	—	—
जोड़	—	10,68,398.00	—	—	—	—	10,68,398.00
परिसम्पत्तियों को पूंजीगत करने का प्रावधान आदि शेष	5,50,924.00	—	—	—	—	—	5,50,924.00
जमा: वर्ष के दौरान	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: वर्ष के दौरान पूंजीगत	—	—	—	—	—	—	—
जोड़ा गया: पिछले वर्ष के समायोजन	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
जोड़	5,50,924.00	—	—	—	—	—	5,50,924.00
अन्य प्रत्यक्ष रसीद/भुगतान आदि शेष	—	—	—	—	—	—	—
जमा: वर्ष के दौरान	59,820.00	—	—	—	—	—	59,820.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान भुगतान	—	—	—	—	—	—	—
जोड़ा गया: पिछले वर्ष	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—



अनुसूची 4

राशि रु. में

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
जोड़	59,820.00	—	—	—	—	—	59,820.00
अवैतनिक नकदी आदि शेष	—	—	—	—	—	—	—
जमा: वर्ष के दौरान	—	—	—	—	—	10,775.00	10,775.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन	—	—	—	—	—	10,775.00	10,775.00
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
जीएसटी टीडीएस आदि शेष	—	—	—	—	—	—	—
सीजीएसटी	34,674.00	5,860.00	7,204.00	1,553.00	—	3,633.00	52,924.00
एसजीएसटी	34,674.00	5,860.00	7,204.00	1,553.00	—	3,633.00	52,924.00
आईजीएसटी	—	—	1,456.00	—	—	3,188.00	4,644.00
जमा: वर्ष के दौरान वसूली	—	—	—	—	—	—	—
सीजीएसटी	1,30,454.00	11,230.00	50,199.00	16,914.00	62,231.00	6,391.00	2,77,419.00
एसजीएसटी	1,30,454.00	11,230.00	50,199.00	16,914.00	62,231.00	6,391.00	2,77,419.00
आईजीएसटी	—	12,913.00	23,128.00	3,375.00	—	48,012.00	87,428.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्रेषित	—	—	—	—	—	—	—
सीजीएसटी	1,65,128.00	16,802.00	52,104.00	18,467.00	60,391.00	8,632.00	3,21,524.00
एसजीएसटी	1,65,128.00	16,802.00	52,104.00	18,467.00	60,391.00	8,632.00	3,21,524.00
आईजीएसटी	—	11,588.00	24,584.00	3,375.00	—	48,746.00	88,293.00
सीजीएसटी	—	288.00	5,299.00	—	1,840.00	1,392.00	8,819.00
एसजीएसटी	—	288.00	5,299.00	—	1,840.00	1,392.00	8,819.00
आईजीएसटी	—	1,325.00	—	—	—	2,454.00	3,779.00
जोड़	—	1,901.00	10,598.00	—	3,680.00	5,238.00	21,417.00
स्टाफ से आवास की प्रतिभूति जमा	—	—	—	—	—	—	—
आदि शेष	6,169.00	—	—	—	—	—	6,169.00
वर्ष के दौरान वसूली	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: वर्ष के दौरान लौटाया गया	6,169.00	—	—	—	—	—	6,169.00
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
जीसीएलआई की वसूली	—	—	—	—	—	—	—
आदि शेष	—	—	—	—	—	—	—
वर्ष के दौरान प्राप्त	—	17,875.00	—	13,100.00	—	—	30,975.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्रेषित	—	17,875.00	—	13,100.00	—	—	30,975.00
जमा / घटाया गया: वर्ष के दौरान किए गए समायोजन	—	—	—	—	800.00	—	800.00
जोड़	—	—	—	—	800.00	—	800.00
टी डी एस वेतन आदि शेष	—	—	—	—	9,668.00	—	9,668.00
वर्ष के दौरान वसूली	90,39,157.00	16,85,300.00	13,06,592.00	9,62,720.00	10,14,959.00	4,81,564.00	1,44,90,292.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्रेषित	90,39,157.00	16,79,780.00	13,06,592.00	9,62,720.00	10,17,127.00	4,81,564.00	1,44,86,940.00
जोड़	—	5,520.00	—	—	7,500.00	—	13,020.00
टी डी एस पार्टी आदि शेष	1,12,893.00	39,894.00	39,046.00	—	505.00	11,986.00	2,04,324.00



अनुसूची 4

राशि रु. में

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
वर्ष के दौरान वसूली घटाया गया: वर्ष के दौरान प्रेषित	7,55,616.00 8,68,509.00	2,15,034.00 2,23,760.00	2,60,914.00 2,72,438.00	1,40,113.00 1,40,113.00	1,68,012.00 1,65,229.00	1,51,468.00 1,48,754.00	16,91,157.00 18,18,803.00
जोड़	—	31,168.00	27,522.00	—	3,288.00	14,700.00	76,678.00
सीजीसी में उच्च डिप्लोमा— विद्यार्थी कल्याण निधि आदि शेष वर्ष के दौरान प्राप्त घटाया गया: वर्ष के दौरान भुगतान	87,000.00 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	87,000.00 — —
जोड़	87,000.00	—	—	—	—	—	87,000.00
एलआईसी एसएस योजना की वसूली आदि शेष वर्ष के दौरान प्राप्त घटाया गया: वर्ष के दौरान भुगतान	— — —	— 2,35,329.00 2,35,329.00	— — —	— 1,57,275.00 1,57,275.00	— — —	— — —	— 3,92,604.00 3,92,604.00
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
पीएम केयर आदि शेष वर्ष के दौरान प्राप्त वर्ष के दौरान कम भुगतान	— — —	— — —	— — —	— 45,817.00 45,817.00	— — —	— — —	— 45,817.00 45,817.00
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
उपयोगकर्ता प्रभार देयता लेखा आदि शेष वर्ष के दौरान प्राप्त घटाया गया: वर्ष के दौरान भुगतान	1,05,98,256.68 23,37,677.41 1,14,274.00	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1,05,98,256.68 23,37,677.41 1,14,274.00
जोड़	1,28,21,660.09	—	—	—	—	—	1,28,21,660.09
सकल जोड़	58,07,23,575.00	35,18,744.00	26,48,746.00	17,45,791.00	30,11,888.00	28,31,044.00	59,46,00,588.00

ह/—
(पी.आर. नाथ)
लेखा अधिकारी

ह/—
(संघमित्रा बारिक)
संयुक्त निदेशक (सा.से.)



राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च 2021 तक विभिन्न स्रोतों से निःशुल्क प्राप्त वस्तुओं की अनुसूची

विवरण	मुख्यालय	अनुसूची 5					जोड़
		क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	
यूनिसेफ सहायता आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया	18,71,223.71 — —	3,37,708.40 — —	7,92,428.94 — —	2,25,327.00 — —	1,94,864.00 — —		34,21,552.05 — —
जोड़	18,71,223.71	3,37,708.40	7,92,428.94	2,25,327.00	1,94,864.00	—	34,21,552.05
एफ सी डब्ल्यू टी सी आदि शेष घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया	6,854.68 —	— —	— —	8,585.71 —	— —		15,440.39 —
जोड़	6,854.68	—	—	8,585.71	—	—	15,440.39
अन्य स्रोतों से प्राप्त निरुशुल्क वस्तुएं आदि शेष घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया	3,508.38 —	2,893.85	1,50,613.00 58,886.00	16.75	—		1,57,031.98 58,886.00
जोड़	3,508.38	2,893.85	91,727.00	16.75	—	—	98,145.98
एम ओपी एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त पुस्तकें आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	— —	— —	— —	15,225.75 —	— —		15,225.75 —
जोड़	—	—	—	15,225.75	—	—	15,225.75
आई एल ओ परियोजनाएं आदि शेष	2,25,680.00	—	—	—	—		2,25,680.00
जोड़	2,25,680.00	—	—	—	—	—	2,25,680.00
आर.डब्ल्यू.डी.ई.पी. परियोजना आदि शेष घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया	42,406.40 —	—	—	—	—		42,406.40 —
जोड़	42,406.40	—	—	—	—	—	42,406.40
यूएन. सहायता प्राप्त परियोजनाएं आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया	61,936.00 —	—	—	—	—		61,936.00 —
जोड़	61,936.00	—	—	—	—	—	61,936.00
आई एफ ए डी आदि शेष	1,20,646.00	—	—	—	—		1,20,646.00
जोड़	1,20,646.00	—	—	—	—	—	1,20,646.00



अनुसूची 5

राशि रु. में

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
चाइल्ड लाइन सहायता आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान खरीद	— —	— —	— —	1,21,919.00 —	— —	— —	1,21,919.00 —
जोड़	—	—	—	1,21,919.00	—	—	1,21,919.00
विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि शेष वर्ष के दौरान प्राप्त	77,835.00 —	— —	— —	— —	— —	— —	77,835.00 —
जोड़	77,835.00	—	—	—	—	—	77,835.00
केयर इंडिया – एनआरपी से प्राप्त निःशुल्कवस्तुएं आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	2,42,34,032.00 —	— —	— —	— —	— —	— —	2,42,34,032.00 —
जोड़	2,42,34,032.00	—	—	—	—	—	2,42,34,032.00
सकल जोड़	2,66,44,122.17	3,40,602.25	8,84,155.94	3,71,074.21	1,94,864.00	—	2,84,34,818.57
अवमूल्यन का आदि शेष जमा/घटाया गया: परिशोधन /समायोजन वर्ष के दौरान अवमूल्यन	2,32,58,819.93 — 6,77,060.00	3,36,977.27 — 725.07	9,13,045.43 (57,725.77) 6,710.70	2,93,404.92 — 15,534.00	1,86,173.00 — 1,739.00	— — —	2,49,88,420.55 (57,725.77) 7,01,768.77
जोड़	2,39,35,879.93	3,37,702.34	8,62,030.36	3,08,938.92	1,87,912.00	—	2,56,32,463.55
सकल जोड़	27,08,242.24	2,899.91	22,125.58	62,135.29	6,952.00	—	28,02,355.02

ह/-
(पी.आर. नाथ)
लेखा अधिकारी

ह/-
(संघमित्रा बारिक)
संयुक्त निदेशक (सा.से)



राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च, 2021 तक सेवा निवृत्ति लाभों की देयताओं की अनुसूची

अनुसूची 6

राशि रु. में

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
सी पी एफ आदि शेष	1,22,09,474.59	—	—	—	—	—	1,22,09,474.59
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	10,96,632.56	3,85,000.00	—	—	—	—	14,81,632.56
घटाया गया: वर्ष के दौरान भुगतान	—	3,85,000.00	—	—	—	—	3,85,000.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	1,33,06,107.15	—	—	—	—	—	1,33,06,107.15
जी पी एफ आदि शेष	20,13,53,899.00	78,272.20	2,97,238.35	3,82,591.06	2,55,818.74	—	20,23,67,819.35
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	4,59,94,180.65	30,53,157.60	27,58,484.76	31,62,034.83	16,42,027.00	—	5,66,09,884.84
घटाया गया: वर्ष के दौरान भुगतान	5,18,02,423.00	26,35,748.00	28,86,174.00	26,01,324.00	16,58,456.10	—	6,15,84,125.10
जमा/घटाया गया: परिशोधन /समायोजन	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	19,55,45,656.65	4,95,681.80	1,69,549.11	9,43,301.89	2,39,389.64	—	19,73,93,579.09
नई पेंशन योजना आदि शेष	—	—	—	—	—	—	—
जमा: कर्मचारियों का अंशदान	16,94,752.00	5,62,742.00	3,80,401.00	4,26,482.00	5,59,776.00	3,21,097.00	39,45,250.00
जमा: सरकार का अंशदान	13,73,655.00	5,62,742.00	3,23,469.00	4,26,482.00	5,60,760.00	3,21,097.00	35,68,205.00
घटाया गया: एन एस डी एल को अंतरित राशि	30,68,407.00	11,25,484.00	7,03,870.00	8,52,964.00	11,20,536.00	6,42,194.00	75,13,455.00
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
सकल जोड़	20,88,51,763.80	4,95,681.80	1,69,549.11	9,43,301.89	2,39,389.64	—	21,06,99,686.24

ह/-
(पी.आर. नाथ)
लेखा अधिकारी

ह/-
(संघमित्रा बारिक)
संयुक्त निदेशक (सा.से.)



राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च, 2021 तक अचल परिसम्पत्तियों की अनुसूची

अनुसूची 7

राशि रु. में

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
फर्नीचर, साज सज्जा एवं जुड़नार आदि शेष जोड़ा गया: वर्ष के दौरान खरीद घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया जमा/उपकरण खाते से अंतरित	2,57,86,498.74 54,720.00 —	88,24,953.67 3,17,170.00 —	37,79,558.87 12,53,157.00 1,38,674.80	39,51,546.92 6,09,350.00 —	56,54,709.51 — —	84,360.00 2,48,520.00 —	4,80,81,627.71 24,82,917.00 1,38,674.80
जोड़	2,58,41,218.74	91,42,123.67	48,94,041.07	45,60,896.92	56,54,709.51	3,32,880.00	5,04,25,869.91
उपकरण आदि शेष जोड़ा गया: वर्ष के दौरान खरीद घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया	1,81,39,453.83 7,23,099.00 —	93,50,146.73 1,89,655.00 —	35,34,046.07 5,01,785.00 1,59,743.40	65,87,495.62 18,900.00 —	33,41,598.00 55,604.00 —	4,10,928.00 1,47,140.00 —	4,13,63,668.25 16,36,183.00 1,59,743.40
जोड़	1,88,62,552.83	95,39,801.73	38,76,087.67	66,06,395.62	33,97,202.00	5,58,068.00	4,28,40,107.85
भूमि आदि शेष जोड़ा गया: वर्ष के दौरान खरीद घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया	3,54,769.10 —	2,82,295.31 —	24,24,500.00 —	1,49,490.50 —	40.00 —	— —	32,49,094.91 —
जोड़	3,54,769.10	2,82,295.31	24,24,500.00	1,49,490.50	40.00	—	32,49,094.91
पुस्तकें एवं जर्नल आदि शेष जोड़ा गया: वर्ष के दौरान खरीद घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया घटाया गया: वसूली गई पुस्तकों की कीमत	1,23,23,027.04 10,34,880.00 — 1,173.00	24,02,418.72 50,218.00 —	7,85,594.74 2,000.00 —	20,22,108.76 — 62.00	93,261.00 — —	— — —	1,76,26,410.26 10,87,098.00 1,235.00
जोड़	1,33,56,734.04	24,52,636.72	7,87,594.74	20,22,046.76	93,261.00	—	1,87,12,273.26
वाहन आदि शेष जोड़ा गया: वर्ष के दौरान खरीद घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया जमा/घटाया गया: वर्ष के दौरान किए गए समायोजन	36,35,229.54 — — —	13,62,451.00 — — —	— — — —	17,46,027.11 — — —	3,71,150.00 — — —	— — — —	71,14,857.65 — — —
जोड़	36,35,229.54	13,62,451.00	—	17,46,027.11	3,71,150.00	—	71,14,857.65
भवन आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान (पूँजीगत) जमा/घटाया गया: वर्ष के दौरान किए गए समायोजन	1,18,43,175.41 — —	7,46,80,301.00 — —	4,02,74,153.00 — —	4,10,63,515.20 — —	6,92,52,102.00 — —	25,79,50,000.00 — —	49,50,63,246.61 — —
जोड़	1,18,43,175.41	7,46,80,301.00	4,02,74,153.00	4,10,63,515.20	6,92,52,102.00	25,79,50,000.00	49,50,63,246.61



अनुसूची 7

राशि रु. में

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
कम्प्यूटर और सहायक उपकरण आदि शेष जोड़ा गया: वर्ष के दौरान खरीद घटाया गया: वर्ष के दौरान बढ़े खाते में डाला गया	1,41,53,801.00 7,72,438.00 —	21,69,212.00 — —	24,33,456.00 3,03,566.00 4,58,776.00	12,61,799.30 10,50,000.00 —	13,19,030.00 1,45,156.00 —	25,000.00 12,400.00 —	2,13,62,298.30 22,83,560.00 4,58,776.00
जोड़	1,49,26,239.00	21,69,212.00	22,78,246.00	23,11,799.30	14,64,186.00	37,400.00	2,31,87,082.30
ट्यूबवेल एवं जल आपूर्ति प्रणाली आदि शेष जोड़ा गया: वर्ष के दौरान खरीद घटाया गया: वर्ष के दौरान बढ़े खाते में डाला गया	— — —	7,67,350.00 6,08,738.00 —	— — —	— — —	70,600.00 — —	— — —	8,37,950.00 6,08,738.00 —
जोड़	—	13,76,088.00	—	—	70,600.00	—	14,46,688.00
कम्प्यूटर नेटवर्क स्थापित करना आदि शेष जोड़ा गया: वर्ष के दौरान खरीद घटाया गया: वर्ष के दौरान बढ़े खाते में डाला गया	5,55,803.00 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	5,55,803.00 — —
जोड़	5,55,803.00	—	—	—	—	—	5,55,803.00
सॉफ्टवेयर और वेबसाइट / पोर्टल का विकास (प्लान) आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान घटाया गया: वर्ष के दौरान पूंजीगत	31,15,483.00 — —	— — —	46,380.00 — —	— — —	— — —	— — —	31,61,863.00 — —
जोड़	31,15,483.00	—	46,380.00	—	—	—	31,61,863.00
आईसीडीएस परियोजना फर्नीचर एवं सहायक उपकरण आदि शेष जोड़ा गया: वर्ष के दौरान किए गए समायोजन घटाया गया: बढ़े खाते डाली गई वस्तुएं	27,07,577.21 — —	1,12,200.00 — —	— — —	3,28,649.72 — —	— — —	— — —	31,48,426.93 — —
जोड़	27,07,577.21	1,12,200.00	—	3,28,649.72	—	—	31,48,426.93
विश्व बैंक परियोजना फर्नीचर एवं सहायक उपकरण आदि शेष जोड़ा गया: वर्ष के दौरान किए गए समायोजन घटाया गया: बढ़े खाते डाली गई वस्तुएं	19,70,834.70 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	19,70,834.70 — —
जोड़	19,70,834.70	—	—	—	—	—	19,70,834.70
आरडब्ल्यूईपी-स्वशक्ति परियोजनाएं फर्नीचर एवं सहायक उपकरण आदि शेष जोड़ा गया: वर्ष के दौरान खरीद घटाया गया: वर्ष के दौरान बढ़े खाते में डाला गया	7,69,068.38 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	7,69,068.38 — —



अनुसूची 7

राशि रु. में

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
जोड़	7,69,068.38	—	—	—	—	—	7,69,068.38
आईसीडीएस का प्रशिक्षण उत्तरप्रदेश आदि शेष वर्ष के दौरान जोड़ा गया घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया	— —	— —	— —	6,850.00 —	— —	—	6,850.00 —
जोड़	—	—	—	6,850.00	—	—	6,850.00
उद्दिष्टा परियोजना फर्नीचर एवं सहायक उपकरण आदि शेष जोड़ा गया: वर्ष के दौरान किए गए समायोजन घटाया गया: बट्टे खाते डाली गई वस्तुएं	12,87,198.22 — —	17,76,420.00 — —	16,66,019.00 — —	3,63,843.80 — —	1,90,674.00 — —	—	52,84,155.02 — —
जोड़	12,87,198.22	17,76,420.00	16,66,019.00	3,63,843.80	1,90,674.00	—	52,84,155.02
चाइल्डलाइन परियोजनाएं फर्नीचर एवं सहायक उपकरण आदि शेष जोड़ा गया: वर्ष के दौरान खरीद	— —	1,12,717.00 —	— —	— —	— —	—	1,12,717.00 —
जोड़	—	1,12,717.00	—	—	—	—	1,12,717.00
चल रहा कार्य आदि शेष घटाया गया क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली के भवन को स्थानान्तरित	— —	— —	— —	— —	— —	—	— —
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
सकल जोड़ आदि शेष जोड़ा गया: वर्ष के दौरान खरीद घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया जमा/घटाया गया: वर्ष के दौरान किए गए समायोजन	9,68,02,782.01 25,85,137.00 1,173.00 —	10,18,40,465.43 11,65,781.00 —	5,47,61,707.68 20,60,508.00 7,57,194.20 —	5,74,81,326.93 16,78,250.00 62.00	8,02,93,164.51 2,00,760.00 —	25,84,70,288.00 4,08,060.00 —	64,96,49,734.56 80,98,496.00 7,58,429.20 —
जोड़	9,93,86,746.01	10,30,06,246.43	5,60,65,021.48	5,91,59,514.93	8,04,93,924.51	25,88,78,348.00	65,69,89,801.36
अवमूल्यन आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान अवमूल्यन जमा/घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन	6,96,83,203.58 70,75,327.00 1,173.00	7,54,22,241.56 31,90,952.75	4,12,73,551.37 18,72,168.00 (7,25,355.69)	4,16,02,470.69 15,89,042.00 (62.00)	4,54,02,401.51 35,87,380.00 1,212.00	3,88,94,442.00 2,20,31,717.00	31,22,78,310.71 3,93,46,586.75 (7,23,032.69)
जोड़	7,67,59,703.58	7,86,13,194.31	4,24,20,363.68	4,31,91,450.69	4,89,90,993.51	6,09,26,159.00	35,09,01,864.77
नेट ब्लॉक	2,26,27,042.43	2,43,93,052.12	1,36,44,657.80	1,59,68,064.24	3,15,02,931.00	19,79,52,189.00	30,60,87,936.59

ह/-
(पी.आर. नाथ)
लेखा अधिकारी

ह/-
(संधिमित्रा बारिक)
संयुक्त निदेशक (सा.से)



राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च, 2021 तक ऋण एवं अग्रिमों की अनुसूची

अनुसूची 8

राशि रु. में

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
त्यौहार अग्रिम (नॉन प्लान) आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान भुगतान घटाया गया: वर्ष के दौरान वसूली	4,500.00 — —				—		4,500.00 — —
जोड़	4,500.00	—	—	—	—	—	4,500.00
बीएसएनएल को अग्रिम आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान भुगतान घटाया गया: वर्ष के दौरान वसूली/समायोजन	— — — —	— — —	— — —	2,85,569.00 — 43,345.00	— — —		2,85,569.00 — 43,345.00
जोड़	—	—	—	2,42,224.00	—	—	2,42,224.00
टीए/एलटीसी/चिकित्सा अग्रिम आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान भुगतान घटाया गया: वर्ष के दौरान वसूली	2,57,843.00 2,03,435.00 3,23,000.00	— 57,000.00 57,000.00	— 3,66,400.00 3,66,400.00	— 1,01,860.00 1,01,860.00	25,000.00 36,500.00 61,500.00	24,747.00 45,000.00 69,747.00	3,07,590.00 8,10,195.00 9,79,507.00
जोड़	1,38,278.00	—	—	—	—	—	1,38,278.00
डीएवीपी के पास जमा खाता आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान भुगतान घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन	8,43,118.00 — —	— — —	— — —	— — —	— — —		8,43,118.00 — —
जोड़	8,43,118.00	—	—	—	—	—	8,43,118.00
सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम प्लान आदि शेष वर्ष के दौरान भुगतान जमा: सीपीडब्ल्यूडी से वसूली योग्य घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन	2,54,84,868.00 52,46,308.00 — 52,46,308.00	2,50,940.00 10,68,398.00 — 2,50,940.00	34,83,320.00 46,77,600.00 — 32,86,755.00	42,02,430.00 9,00,000.00 — 19,19,643.00	63,41,152.00 53,00,000.00 — —	— — —	3,97,62,710.00 1,71,92,306.00 — 1,07,03,646.00
जोड़	2,54,84,868.00	10,68,398.00	48,74,165.00	31,82,787.00	1,16,41,152.00	—	4,62,51,370.00
जीसीएलआई की वसूली आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान भुगतान घटाया गया: वर्ष के दौरान वसूली	2,616.70 1,28,825.00 1,27,500.00	— — —	— 14,075.00 14,075.00	300.00 — —	— — —	6,625.00 6,625.00	2,916.70 1,49,525.00 1,48,200.00
जोड़	3,941.70	—	—	300.00	—	—	4,241.70
आकस्मिक अग्रिम आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान भुगतान घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन	1,16,50,296.89 3,71,802.00 74,79,234.00	15,540.00 4,40,117.00 4,40,657.00	— — —	53,840.00 2,80,005.00 3,33,845.00	13,966.00 2,89,500.00 3,00,900.00	— 2,16,053.00 2,16,053.00	1,17,33,642.89 15,97,477.00 87,70,689.00



अनुसूची 8

राशि रु. में

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
जोड़	45,42,864.89	15,000.00	—	—	2,566.00	—	45,60,430.89
संस्थान द्वारा प्रतिभूति जमा आदि शेष	2,11,505.00	—	45,780.00	2,900.00	1,03,424.00	—	3,63,609.00
जमा: वर्ष के दौरान भुगतान	—	—	—	—	55,095.00	—	55,095.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान वसूली	—	—	—	—	11,900.00	—	11,900.00
जोड़	2,11,505.00	—	45,780.00	2,900.00	1,46,619.00	—	4,06,804.00
एक दिवसीय एसआरपी आदि शेष आदि शेष	—	—	2,971.01	—	—	—	2,971.01
जोड़	—	—	2,971.01	—	—	—	2,971.01
पीडब्ल्यूडी रायपुर को अग्रिम आदि शेष	38,04,500.00	—	—	—	—	—	38,04,500.00
जमा: वर्ष के दौरान भुगतान	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: वर्ष के दौरान वसूली	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	38,04,500.00	—	—	—	—	—	38,04,500.00
एलआईसी आदि शेष	—	—	—	—	—	—	—
वर्ष के दौरान भुगतान जोड़ें	—	—	—	—	—	—	—
कर्मचारियों से कम वसूली योग्य	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
पूर्वप्रदत्त व्यय आदि शेष	65,898.00	2,29,114.00	—	15,533.00	10,280.00	—	3,20,825.00
जमा: वर्ष के दौरान भुगतान	58,137.00	12,041.00	—	25,726.00	70,891.00	—	1,66,795.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन	65,898.00	2,29,114.00	—	15,533.00	10,280.00	—	3,20,825.00
जोड़	58,137.00	12,041.00	—	25,726.00	70,891.00	—	1,66,795.00
सीएमयू संस्थानों को अग्रिम आदि शेष	11,727.55	—	—	—	—	—	11,727.55
जमा: वर्ष के दौरान भुगतान	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	11,727.55	—	—	—	—	—	11,727.55
सीएमयू संस्थानों को अग्रिम 1/3/2014 आदि शेष	12,72,286.87	—	—	—	—	—	12,72,286.87
जमा: वर्ष के दौरान भुगतान	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	12,72,286.87	—	—	—	—	—	12,72,286.87
आकस्मिक दायित्व के लिए जमा आदि शेष	—	—	—	—	—	—	—
जमा: वर्ष के दौरान जमा	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: वर्ष के दौरान वसूली/समायोजन	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	—	—	—	—	—	—	—



अनुसूची 8

राशि रु. में

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
दीर्घावधि अग्रिमों पर अर्जित ब्याज आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान जमा घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन							
जोड़							
आकस्मिक देयताओं के विरुद्ध जमा आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान जमा घटाया गया: वर्ष के दौरान वसूली/समायोजन	4,90,751.00						4,90,751.00
जोड़	4,90,751.00						4,90,751.00
स्कीम ऑफ असिस्टेंट— ए हैंडबुक का मुद्रण आदि शेष	68,841.00	—	—	—	—		68,841.00
जोड़	68,841.00	—	—	—	—	—	68,841.00
भवन हेतु सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान भुगतान घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन	96,030.97 —	—	—	—	— —		96,030.97 — —
जोड़	96,030.97	—	—	—	—	—	96,030.97
सीपीडब्ल्यूडी अग्रिम (नॉन प्लान) आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान भुगतान घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन	5,64,970.00 — —	— — —	— — —	— — —	— — —		5,64,970.00 — —
जोड़	5,64,970.00	—	—	—	—	—	5,64,970.00
स्थायी अग्रिम आदि शेष वर्ष के दौरान भुगतान घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन	5,000.00 5,000.00 10,000.00		— 26,600.00 —	4,000.00 6,000.00 10,000.00	4,000.00 2,000.00 2,000.00	— —	13,000.00 39,600.00 22,000.00
जोड़	—	—	26,600.00	—	4,000.00	—	30,600.00
बचत खाते का अर्जित ब्याज ओपी बैलेंस जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन							
सकल जोड़	3,75,96,319.98	10,95,439.00	49,49,516.01	34,53,937.00	1,18,65,228.00	—	5,89,60,439.99

ह/-
(पी.आर. नाथ)
लेखा अधिकारी

ह/-
(संघमित्रा बारिक)
संयुक्त निदेशक (सा.से)



राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च, 2021 तक विविध देनदार परियोजनाओं की अनुसूची

अनुसूची 9

राशि रु. में

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
एनसीएफ आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान व्यय घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	— — —	— — —	890.00 — —	— — —	— — —	— — —	890.00 — —
जोड़	—	—	890.00	—	—	—	890.00
मंत्रालय :राज्यों के प्लान के सम्बंध में डब्ल्यूसीडी विभाग की बैठक 12 अप्रैल 2013 आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान व्यय घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	5,612.00 — 5,612.00	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	5,612.00 — 5,612.00
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
स्टेप परियोजनाएं आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान व्यय घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	— — —	— — —	— — —	— — —	9,050.00 — —	— — —	9,050.00 — —
जोड़	—	—	—	—	9,050.00	—	9,050.00
मंत्रालय : सीएमसी की मीटिंग 14-07-2010 आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान व्यय घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	6,595.00 — 6,595.00	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	6,595.00 — 6,595.00
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
सशुल्क कार्यक्रम—एनसीएफ हौसला 2018 आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान व्यय घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त जमा/घटाया गया: निम्न शीर्ष /अनुसूची 3 को अंतरित	1,04,03,036.00 23,600.00 — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	1,04,03,036.00 23,600.00 — —
जोड़	1,04,26,636.00	—	—	—	—	—	1,04,26,636.00
महिला विकास प्रभाग की परियोजना आदि शेष घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	2,98,957.49 2,98,957.49	— —	— —	— —	— —	— —	2,98,957.49 —
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
मंत्रालय : राज्यों के सचिवों की मीटिंग आईसीपीएस के सम्बंध में 15-23 जून 09 आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान व्यय घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	38,852.00 — 38,852.00	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	38,852.00 — 38,852.00



अनुसूची 9

राशि रु. में

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
जेंडर बजट विश्लेषा सेल आदि शेष	30,665.00	—	—	—	—	—	30,665.00
जमा: वर्ष के दौरान व्यय	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	30,665.00	—	—	—	—	—	—
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
म.बा.वि.मं. — म.बा.वि.मं. की वार्षिक रिपोर्ट का मुद्रण 2001-02	19,67,306.00	—	—	—	—	—	19,67,306.00
आदि शेष	19,67,306.00	—	—	—	—	—	19,67,306.00
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त /समायोजित वर्ष के दौरान व्यय	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
म.बा.वि.मं.—महिलाओं एवं बच्चों के कार्यबल पर रिपोर्ट का मुद्रण आदि शेष	9,984.00	—	—	—	—	—	9,984.00
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	9,984.00	—	—	—	—	—	9,984.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त /समायोजित वर्ष के दौरान व्यय	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
कम्प्यूटर एप्लिकेशन पर विश्व अनुदान आयोग का कार्यक्रम आदि शेष	25,585.00	—	—	—	—	—	25,585.00
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	25,585.00	—	—	—	—	—	25,585.00
सशुल्क कार्यक्रम —एनसीएफ हौसला 2019	47,43,705.00	—	—	—	—	—	47,43,705.00
आदि शेष	12,63,047.00	—	—	—	—	—	12,63,047.00
जमा: वर्ष के दौरान व्यय	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	60,06,752.00	—	—	—	—	—	60,06,752.00
म.बा.वि.मं.—स्टेप पर विभाग का प्रथम क्षेत्रीय सम्मेलन 18.10.2013	22,009.00	—	—	—	—	—	22,009.00
आदि शेष	—	—	—	—	—	—	—
जमा: वर्ष के दौरान व्यय	22,009.00	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
म.बा.वि.मं.—अनुसूचित जाति की महिलाओं के मुद्दों पर सम्मेलन 30-31 मई 2011	1,89,392.00	—	—	—	—	—	1,89,392.00
आदि शेष	—	—	—	—	—	—	—
जमा: वर्ष के दौरान व्यय	1,89,392.00	—	—	—	—	—	1,89,392.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
म.बा.वि.मं.—सीएसओ पर राष्ट्रीय परामर्श बैठक—25.11.2011	—	—	—	—	—	—	—



अनुसूची 9

राशि रु. में

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान व्यय घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन	4,680.00 — 4,680.00						4,680.00 — 4,680.00
जोड़	—	—	—	—	—		—
म.बा.वि.वि. सीडीसीएफईओवीओ एसएस पर क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु में 30.3.05 को आयोजित कार्यशाला आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान व्यय घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन	73,892.00 — 73,892.00	— — —	— — —	— — —	— — —		73,892.00 — —
जोड़	—	—	—	—	—		—
राज्य सरकार के कार्यक्रम आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान व्यय घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन	— — —	— — —	74,183.00 — —	— — —	— — —	— — —	74,183.00 — —
जोड़	—	—	74,183.00	—	—	—	74,183.00
बच्चों के कल्याण एवं विकास हेतु म.बा.वि.वि. की योजना आदि शेष घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त /समायोजित वर्ष के दौरान व्यय	15,833.40 15,833.40	— —	— —	— —	— —		15,833.40 15,833.40
जोड़	—	—	—	—	—		—
म.बा.वि.वि. एवं बा.वि. के प्रभावी राज्य सचिवों का सम्मेलन— 19-20 अप्रैल 2012 आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान व्यय घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	95,481.00 — 95,481.00	— — —	— — —	— — —	— — —		95,481.00 — 95,481.00
जोड़	—	—	—	—	—		—
बाल निर्देशन में उच्च डिप्लोमा व्यावहारिक परीक्षा हेतु प्राप्ति आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान व्यय	40,500.00 —	— —	— —	— —	— —		40,500.00 —
जोड़	40,500.00	—	—	—	—		40,500.00
म.बा.वि.मं. अनुसूचित जाति की महिलाओं/बच्चों की समस्या का पता लगाना 18-19 जनवरी 2011 आदि शेष घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	3,18,715.00 —	— —	— —	— —	— —		3,18,715.00 —
जोड़	3,18,715.00	—	—	—	—		3,18,715.00
म.बा.वि.मं. — राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास की पत्रकारों के साथ बैठक — 23.09.2011							



अनुसूची 9

राशि रु. में

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
आदि शेष घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	2,590.00 2,590.00	— —	— —	— —	— —	—	2,590.00 2,590.00
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
मंत्रालय : राज्यों के प्लान के सम्बंध में डब्ल्यूसीडी विभाग की बैठक 12 अप्रैल 2013 आदि शेष	11,900.00	—	—	—	—	—	11,900.00
जमा: वर्ष के दौरान व्यय	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	11,900.00	—	—	—	—	—	11,900.00
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
आर.डब्ल्यू.डी.ई.पी. एस.एस.पी. एल.टी.ए. परियोजना लेखा आदि शेष	—	—	—	—	—	—	—
जमा: वर्ष के दौरान व्यय	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: अनुसूची 3 को अंतरित — सीपीएसयू	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
म.बा.वि.वि. समवर्ती मूल्यांकन (स्टेप) आदि शेष	40,828.00	—	—	—	—	—	40,828.00
वर्ष के दौरान व्यय	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	40,828.00	—	—	—	—	—	—
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
म.बा.वि.मं.— पोषण पर हेल्पलाइन आदि शेष	3,04,962.00	—	—	—	—	—	3,04,962.00
जमा: वर्ष के दौरान व्यय	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	3,04,962.00	—	—	—	—	—	3,04,962.00
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
म.बा.वि.मं. — महिलाओं के सशक्तिकरण का राष्ट्रीय मिशन आदि शेष	3,370.00	—	—	—	—	—	3,370.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	3,370.00	—	—	—	—	—	3,370.00
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
म.बा.वि.मं. — राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 14 नवम्बर 2010 आदि शेष	1,31,133.00	—	—	—	—	—	1,31,133.00
जमा: वर्ष के दौरान व्यय	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	1,31,133.00	—	—	—	—	—	1,31,133.00
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
म.बा.वि.मं. — महिला हेल्पलाइन पर राष्ट्रीय परामर्श बैठक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 5.8.14 आदि शेष	24,130.00	—	—	—	—	—	24,130.00
जमा: वर्ष के दौरान व्यय	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	24,130.00	—	—	—	—	—	24,130.00



अनुसूची 9

राशि रु. में

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
आदि शेष वर्ष के दौरान व्यय वर्ष के दौरान रसीद जोड़ें घटाया गया अनुसूची 3 में स्थानांतरित							
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
म.बा.वि.मं.—राष्ट्रीय रिसोर्स प्लेटफॉर्म (एनआरपी) आदि शेष	44,03,833.00						— 44,03,833.00
जमा: वर्ष के दौरान व्यय	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	44,03,833.00	—	—	—	—	—	44,03,833.00
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
म.बा.वा.म.—एनएमईडब्ल्यू कार्यक्रम आदि शेष		—	—	—	—	—	—
वर्ष के दौरान व्यय		—	—	—	—	—	—
वर्ष के दौरान कम प्राप्त		—	—	—	—	—	—
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संबंधित—पोक्सो अधिनियम 2012 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सम्मेलन आदि शेष	92,891.00	—	—	—	—	—	92,891.00
जमा: वर्ष के दौरान व्यय	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त/समायोजित वर्ष के दौरान व्यय	92,891.00	—	—	—	—	—	92,891.00
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
भुगतान कार्यक्रम—एनसीडब्ल्यू के लिए महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दे 10-11.07'15 कार्यक्रम महिलाओं को प्रभावित करते हैं आदि शेष							
वर्ष के दौरान व्यय							
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त							
यूजीसी—एसटीएसएसएसएफयूएन आई में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम परियोजना प्रपत्र 5-24 जनवरी 04							
आदि शेष	89,796.00	—	—	—	—	—	89,796.00
जमा: वर्ष के दौरान व्यय	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	89,796.00	—	—	—	—	—	89,796.00
म.बा.वि.मं.—पीसीएम पर कार्य योजना मसौदे पर राष्ट्रीय परामर्श बैठक 18.7.2013 आदि शेष	2,666.00	—	—	—	—	—	2,666.00
जमा: वर्ष के दौरान व्यय	—	—	—	—	—	—	—



अनुसूची 9

राशि रु. में

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	2,666.00	—	—	—	—	—	2,666.00
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
म.बा.वि.मं.—राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार आदि शेष	22.01.2014 5,52,840.00	—	—	—	—	—	5,52,840.00
जमा: वर्ष के दौरान व्यय	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	5,52,840.00	—	—	—	—	—	5,52,840.00
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
म.बा.वि.मं.—अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 08.03.2014 आदि शेष	8,326.00	—	—	—	—	—	8,326.00
जमा: वर्ष के दौरान व्यय	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	8,326.00	—	—	—	—	—	8,326.00
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
म.बा.वि.मं.—निर्भया निधि पर कार्यबल की बैठक 27.5.13 आदि शेष	6,820.00	—	—	—	—	—	6,820.00
जमा: वर्ष के दौरान व्यय	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	6,820.00	—	—	—	—	—	6,820.00
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
म.बा.वि.मं.—विज्ञान भवन में उच्च स्तरीय समिति की बैठक 24.7.2012 आदि शेष	142.00	—	—	—	—	—	142.00
जमा: वर्ष के दौरान व्यय	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	142.00	—	—	—	—	—	142.00
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
म.बा.वि.वि.—म.बा.वि.वि. की वार्षिक रिपोर्ट का मुद्रण आदि शेष	8,825.00	—	—	—	—	—	8,825.00
जमा: अनुसूची-8 से अंतरित	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	8,825.00	—	—	—	—	—	8,825.00
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
एस.एस.एस. (वित्त बचत योजना) आदि शेष	—	—	—	—	—	—	—
जमा: वर्ष के दौरान व्यय	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	—	—	—	—	—	—	—
जमा: वर्ष के दौरान व्यय अनुसूची 3 से जमा हस्तांतरित	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
म.बा.वि.मं.—पंचायती राज एमएस डब्ल्यू में महिलाओं की भूमिका 03.03.2013 आदि शेष	39,524.00	—	—	—	—	—	39,524.00
जमा: वर्ष के दौरान व्यय	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	39,524.00	—	—	—	—	—	39,524.00



अनुसूची 9

राशि रु. में

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
म.बा.वि.मं.—स्टेप योजना पर प्रथम क्षेत्रीय सम्मेलन 19-20 मार्च 2015 आदि शेष	15,656.00	—	—	—	—	—	15,656.00
जमा: वर्ष के दौरान व्यय	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	15,656.00	—	—	—	—	—	15,656.00
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
म.बा.वि.वि. एवं बा.वि. के प्रभावी राज्य सचिवों पर सम्मेलन— 02.03.2013 आदि शेष	12,848.00	—	—	—	—	—	12,848.00
जमा: वर्ष के दौरान व्यय	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	12,848.00	—	—	—	—	—	12,848.00
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
म.बा.वि.मं. — सीएमयू 2010-11 आदि शेष	9,30,402.00	—	—	—	—	—	9,30,402.00
जमा: वर्ष के दौरान व्यय	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	9,30,402.00	—	—	—	—	—	9,30,402.00
जमा/घटाया गया: वर्ष के दौरान किए गए समायोजन	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
सकल जोड़	1,65,89,269.00	—	74,183.00	—	9,050.00	—	1,66,72,502.00

ह/-
(पी.आर. नाथ)
लेखा अधिकारी

ह/-
(संघमित्रा बारिक)
संयुक्त निदेशक (सा.से)



राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च, 2021 तक सीपीएफ, जीपीएफ तथा अन्य लेखाओं के अन्तर्गत निवेश की अनुसूची

विवरण	मुख्यालय	अनुसूची 10					जोड़
		क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	
जी पी एफ (निवेश) आदि शेष	16,62,86,633.58	—	—	—	—	—	16,62,86,633.58
जमा: निवेश की गई राशि	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: परिपक्व निवेश	2,92,08,656.00	—	—	—	—	—	2,92,08,656.00
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्ति योग्य राशि	67,34,498.71	—	—	—	—	—	67,34,498.71
घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन	98,04,538.71	—	—	—	—	—	98,04,538.71
घटाया गया: निवेश को भुनाने पर हुआ घाटा	—	—	—	—	—	—	—
जोड़ा गया: पिछले वर्ष के समायोजन	—	—	—	—	—	—	—
जमा/घटाया गया: परिशोधन / समायोजन	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	13,40,07,937.58	—	—	—	—	—	13,40,07,937.58
सी पी एफ (निवेश) आदि शेष	1,04,42,018.86	—	—	—	—	—	1,04,42,018.86
जमा: निवेश की गई राशि	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: परिपक्व निवेश	30,92,994.00	—	—	—	—	—	30,92,994.00
घटाया गया: जीपीएफ से	—	—	—	—	—	—	—
भुनाया गया प्राप्ति योग्य	16,98,881.15	—	—	—	—	—	16,98,881.15
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्ति योग्य राशि	26,11,881.15	—	—	—	—	—	26,11,881.15
घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: निवेश को भुनाने पर हुआ घाटा	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	64,36,024.86	—	—	—	—	—	64,36,024.86
बैंक में नकदी	—	—	—	—	—	—	—
जीपीएफ (इति शेष)	6,15,37,719.07	4,95,681.80	1,69,549.11	9,43,301.89	2,39,389.64	—	6,33,85,641.51
सीपीएफ (इति शेष)	68,70,082.29	—	—	—	—	—	68,70,082.29
जोड़	6,84,07,801.36	4,95,681.80	1,69,549.11	9,43,301.89	2,39,389.64	—	7,02,55,723.80
मौरिस पेट पुरस्कार (निवेश) आदि शेष	8,00,000.00	—	—	—	—	—	8,00,000.00
जमा: निवेश की गई राशि	8,50,000.00	—	—	—	—	—	8,50,000.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय भुनाया गया	8,00,000.00	—	—	—	—	—	8,00,000.00
जोड़	8,50,000.00	—	—	—	—	—	8,50,000.00
जोड़	20,97,01,763.80	4,95,681.80	1,69,549.11	9,43,301.89	2,39,389.64	—	21,15,49,686.24

ह/-
(पी.आर. नाथ)
लेखा अधिकारी

ह/-
(संधमित्रा बारिक)
संयुक्त निदेशक (सा.से)



राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च, 2021 तक डाक टिकटों और सेवा टिकटों के इति शेष की अनुसूची

विवरण	मुख्यालय	अनुसूची 11					जोड़
		क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	
आदि शेष	50,984.95	3,666.00	255.00	3,714.00	—	—	58,619.95
जोड़ा गयारु वर्ष के दौरान खरीद	90,820.00	5,680.00	10,002.00	2,376.00	—	—	1,08,878.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान उपयोग किया गया	50,984.95	8,819.00	8,447.00	3,714.00	—	—	71,964.95
							—
सकल जोड़	90,820.00	527.00	1,810.00	2,376.00	—	—	95,533.00

ह/-
(पी.आर. नाथ)
लेखा अधिकारी

ह/-
(संघमित्रा बारिक)
संयुक्त निदेशक (सा.से.)



राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च 2021 तक विभिन्न स्रोतों से प्राप्त निःशुल्क वस्तुओं के इति शेष अनुसूची

अनुसूची 12

राशि रु. में

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
एफसीडब्ल्यूटीसी आदि शेष घटाया गया: वर्ष के दौरान निपटाया गया	6,854.68 —	— —	— —	8,585.71 —	— —	—	15,440.39 —
जोड़	6,854.68	—	—	8,585.71	—	—	15,440.39
यूनिसेफ आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया	18,71,223.71 — —	3,37,708.40 — —	7,92,428.94 — —	2,25,327.00 — —	1,94,864.00 — —	—	34,21,552.05 — —
जोड़	18,71,223.71	3,37,708.40	7,92,428.94	2,25,327.00	1,94,864.00	—	34,21,552.05
अन्य स्रोतों से प्राप्त निःशुल्क वस्तुएं आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त घटाया गया: वर्ष के दौरान निपटाया गया	3,508.38 —	2,893.85 —	1,50,613.00 58,886.00	—	—	—	1,57,015.23 — 58,886.00
जोड़	3,508.38	2,893.85	91,727.00	—	—	—	98,129.23
पुस्तकालय हेतु अन्य स्रोतों से प्राप्त पुस्तकें आदि शेष	—	—	—	16.75	—	—	16.75
जोड़	—	—	—	16.75	—	—	16.75
एमपीओ से प्राप्त पुस्तकें आदि शेष	—	—	—	15,225.75	—	—	15,225.75
जोड़	—	—	—	15,225.75	—	—	15,225.75
आई एल ओ परियोजनाएं आदि शेष	2,25,680.00	—	—	—	—	—	2,25,680.00
जोड़	2,25,680.00	—	—	—	—	—	2,25,680.00
आरडब्ल्यूईपी-स्वशक्ति परियोजनाएं आदि शेष घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया	42,406.40 —	—	—	—	—	—	42,406.40 —
जोड़	42,406.40	—	—	—	—	—	42,406.40
यू.एन. सहायता प्राप्त परियोजनाएं आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया	61,936.00 — —	— —	— —	— —	— —	—	61,936.00 — —
जोड़	61,936.00	—	—	—	—	—	61,936.00
चाइल्डलाइन सहायता आदि शेष	—	—	—	1,21,919.00	—	—	1,21,919.00



अनुसूची 12

राशि रु. में

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
जमा: वर्ष के दौरान खरीद				—			—
जोड़	—			1,21,919.00	—	—	1,21,919.00
आई एफ ए डी आदि शेष	1,20,646.00	—	—	—	—		1,20,646.00
जोड़	1,20,646.00	—	—	—	—	—	1,20,646.00
विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि शेष	77,835.00	—	—	—	—		77,835.00
जोड़	77,835.00	—	—	—	—	—	77,835.00
केयर इंडिया से प्राप्त निःशुल्क वस्तुएं—एनआरपी आदि शेष	2,42,34,032.00	—	—	—	—		2,42,34,032.00
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	—	—	—	—	—		—
जोड़	2,42,34,032.00	—	—	—	—	—	2,42,34,032.00
निःशुल्क प्राप्त वस्तुओं का सकल जोड़	2,66,44,122.17	3,40,602.25	8,84,155.94	3,71,074.21	1,94,864.00	—	2,84,34,818.57
अवमूल्यन							
आदि शेष	2,32,58,819.93	3,36,977.27	9,13,045.43	2,93,404.92	1,86,173.00	—	2,49,88,420.55
जमा/घटाया गया: परिशोधन /समायोजन	—	—	(57,725.77)	—	—		(57,725.77)
वर्ष के दौरान अवमूल्यन	6,77,060.00	725.07	6,710.70	15,534.00	1,739.00		7,01,768.77
कुल अवमूल्यन	2,39,35,879.93	3,37,702.34	8,62,030.36	3,08,938.92	1,87,912.00	—	2,56,32,463.55
सकल जोड़	27,08,242.24	2,899.91	22,125.58	62,135.29	6,952.00	—	28,02,355.02

ह/-
(पी.आर. नाथ)
लेखा अधिकारी

ह/-
(संघमित्रा बारिक)
संयुक्त निदेशक (सा.से)



राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च, 2021 तक ऋण और बैंक में शेष की अनुसूची

अनुसूची 13

राशि रु. में

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
बैंक शेष							
1. बैंक	8,25,77,196.18	23,33,000.96	25,02,274.79	37,46,933.30	31,75,814.34	21,19,326.00	9,64,54,545.57
2. बैंक	—	—	—	—	—	—	—
नकदी	—	—	—	—	—	—	—
पारगमन निधि	—	—	—	—	—	—	—
इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) के पास निपसिड—सीपीएसयू लेखा	36,72,425.05	—	—	—	—	—	36,72,425.05
सिंडिकेट बैंक के पास उपयोगकर्ता प्रभार खाते 90492010122763	1,28,21,660.09	—	—	—	—	—	1,28,21,660.09
सकल जोड़	9,90,71,281.32	23,33,000.96	25,02,274.79	37,46,933.30	31,75,814.34	21,19,326.00	11,29,48,630.71

ह/-
(पी.आर. नाथ)
लेखा अधिकारी

ह/-
(संघमित्रा बारिक)
संयुक्त निदेशक (सा.से)



राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुदान/आर्थिक सहायता की अनुसूची
अनुदान/आर्थिक सहायता की अनुसूची

अनुसूची 14

राशि रु. में

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
अनुदान							—
वेतन	23,06,37,000.00	—	—	—	—		23,06,37,000.00
सामान्य राजस्व	14,00,00,000.00						14,00,00,000.00
गैर-एनईआर सामान्य	11,73,01,000.00						11,73,01,000.00
एनईआर सामान्य	1,24,00,000.00						1,24,00,000.00
कुल अनुदान	50,03,38,000.00						50,03,38,000.00
जमारा पिछले वर्ष की अव्ययित राशि							
पूर्व वेतन	30,13,241.00						30,13,241.00
पूर्व सामान्य रेवेन्यू	26,99,394.77						26,99,394.77
पूर्व गैर-एनईआर सामान्य	—						—
पूर्व एनईआर सामान्य	—						—
उप जोड़	50,60,50,635.77						50,60,50,635.77
घटाया गया: अनुदान की अव्ययित राशि							—
वेतन	2,82,80,317.00						2,82,80,317.00
सामान्य राजस्व	—						—
गैर-एनईआर सामान्य	—						—
एनईआर सामान्य	—						—
उप जोड़	2,82,80,317.00						2,82,80,317.00
जोड़	47,77,70,318.77	—	—	—	—	—	47,77,70,318.77

ह/-
(पी.आर. नाथ)
लेखा अधिकारी

ह/-
(संघमित्रा बारिक)
संयुक्त निदेशक (सा.से)



राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुदान/आर्थिक सहायता की अनुसूची केन्द्रों को दी गई/क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा प्राप्त निधियों की अनुसूची

अनुसूची 15							राशि रु. में
विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
मुख्यालय से प्राप्त निधियां		3,53,34,219.00	3,50,39,492.00	2,83,21,750.00	3,05,99,240.00	1,55,91,940.00	14,48,86,641.00
		3,65,00,000.00	3,71,00,000.00	3,00,00,000.00	3,08,00,000.00	1,60,00,000.00	
घटारु निर्मित संपत्ति		—	—	—	—	—	—
बिलडिंग		—	—	—	—	—	—
वाहन		—	—	—	—	—	—
फर्नीचर/फिकस्चर		3,17,170.00	12,53,157.00	6,09,350.00	—	2,48,520.00	24,28,197.00
कार्यालय उपकरण		1,89,655.00	5,01,785.00	18,900.00	55,604.00	1,47,140.00	9,13,084.00
कंप्यूटर एवं बाह्य उपकरण		—	3,03,566.00	10,50,000.00	1,45,156.00	12,400.00	15,11,122.00
पुस्तकालय की पुस्तकें		50,218.00	2,000.00	—	—	—	52,218.00
नलकूप एवं जल आपूर्ति प्रणाली		6,08,738.00	—	—	—	—	6,08,738.00
पूँजीकरण के लिए प्रावधान		—	—	—	—	—	—
पूँजी कार्य में प्रगति		—	—	—	—	—	—
सहायता में अनुदान का अव्ययित शेष		—	—	—	—	—	—
उप-योग	—	11,65,781.00	20,60,508.00	16,78,250.00	2,00,760.00	4,08,060.00	55,13,359.00
जोड़	—	3,53,34,219.00	3,50,39,492.00	2,83,21,750.00	3,05,99,240.00	1,55,91,940.00	14,48,86,641.00

ह/-
(पी.आर. नाथ)
लेखा अधिकारी

ह/-
(संघमित्रा बारिक)
संयुक्त निदेशक (सा.से)



राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुदान / आर्थिक सहायता की अनुसूची
स्थापना व्यय की अनुसूची

अनुसूची 16							राशि रु. में
विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
वेतन एवं भत्ते	10,69,79,833.00	2,56,80,936.00	1,79,63,516.00	1,81,23,137.00	1,28,05,357.00	69,52,012.00	18,85,04,791.00
वेतन एवं पारिश्रमिक	1,37,461.00	20,897.00	—	11,525.00	30,361.00	—	2,00,244.00
छुट्टी यात्रा रियायत	8,10,000.00	3,51,000.00	2,43,000.00	4,32,000.00	2,43,000.00	1,08,000.00	21,87,000.00
बाल शिक्षा भत्ता	93,69,093.00	1,07,325.00	6,00,132.00	3,24,850.00	1,51,169.00	5,685.00	1,05,58,254.00
चिकित्सा प्रभावों की प्रतिपूर्ति	—	—	—	—	—	—	—
छुट्टी के वेतन का अंशदान	13,73,655.00	5,62,742.00	3,19,339.00	4,26,482.00	5,60,760.00	3,21,097.00	35,64,075.00
नई पेंशन योजना में सरकार का योगदान	2,59,560.00	—	—	—	—	—	2,59,560.00
सीपीएफ में संस्थान का योगदान	—	—	—	—	—	—	—
बोनस	—	—	—	—	—	—	—
ईपीएफ में संस्थान का योगदान	1,46,007.00	22,960.00	—	1,05,905.00	1,98,990.00	1,33,136.00	6,06,998.00
यात्रा एवं दैनिक भत्ता	29,620.00	—	—	—	—	—	29,620.00
समयोपरि भत्ता	—	—	—	—	—	—	—
पूर्वावधि व्यय	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	11,91,05,229.00	2,67,45,860.00	1,91,25,987.00	1,94,23,899.00	1,39,89,637.00	75,19,930.00	20,59,10,542.00
पेंशन एवं सेवा निवृत्ति लाभ	16,55,66,521.00	—	—	—	—	—	16,55,66,521.00
सेवा निवृत्ति एवं सेवान्त लाभों पर व्यय	(3,50,02,554.00)	—	—	—	—	—	(3,50,02,554.00)
सेवा निवृत्ति लाभों पर व्यय के लिए प्रावधान	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	13,05,63,967.00	—	—	—	—	—	13,05,63,967.00
सकल जोड़	24,96,69,196.00	2,67,45,860.00	1,91,25,987.00	1,94,23,899.00	1,39,89,637.00	75,19,930.00	33,64,74,509.00

ह/-
(पी.आर. नाथ)
लेखा अधिकारी

ह/-
(संघमित्रा बारिक)
संयुक्त निदेशक (सा.से)



राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुदान/आर्थिक सहायता की अनुसूची
कोर कार्यक्रम गतिविधियों की अनुसूची

अनुसूची 17

राशि रु. में

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
प्रशिक्षण कार्यक्रम	89,82,553.00	2,28,750.00	3,75,559.00	59,961.00	2,51,876.00	3,95,574.00	—
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	73,14,417.41	—	—	—	—	—	1,02,94,273.00
देनदार/लेनदार के पुराने कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—
सेमिनार/कार्यशालाएं/ बैठकें	7,21,890.00	8,754.00	2,70,128.00	6,973.00	13,000.00	2,39,024.00	12,59,769.00
अनुसंधान/मूल्यांकन	11,84,111.00	3,26,027.00	20,95,470.00	1,28,645.00	3,78,303.00	1,13,709.00	42,26,265.00
प्रशिक्षण प्रकाशन	—	—	—	—	—	—	—
प्रलेखन	—	—	—	—	—	—	—
अन्य परियोजनाएं	65,53,871.00	14,01,347.00	9,40,125.00	5,82,433.00	5,53,969.00	9,14,688.00	1,09,46,433.00
प्रशिक्षण विकास एवं स्टाफ का	—	—	—	—	—	—	—
क्षमता निर्माण	—	—	—	—	—	—	—
वेबसाइट के माध्यम से सूचना	—	—	—	—	—	—	—
का प्रचार	—	—	—	—	—	—	—
आईसीडीएस कार्यकर्ताओं का	10,00,450.00	95,463.00	25,719.00	12,927.00	1,76,848.00	2,08,693.00	15,20,100.00
प्रशिक्षण	—	—	—	—	—	—	—
आईसीडीएस की केन्द्रीय	—	—	—	—	—	—	—
मॉनिटरिंग इकाई	—	—	—	—	—	—	—
ई-आर्काइव	—	—	—	—	—	—	—
निपसिड का ई-लर्निंग मॉड्यूल	2,19,709.00	—	—	—	—	—	2,19,709.00
जोड़	2,59,77,001.41	20,60,341.00	37,07,001.00	7,90,939.00	13,73,996.00	18,71,688.00	2,84,66,549.00

ह/-
(पी.आर. नाथ)
लेखा अधिकारी

ह/-
(संघमित्रा बारिक)
संयुक्त निदेशक (सा.से)



राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुदान /आर्थिक सहायता की अनुसूची
अन्य प्रशासनिक व्यय

अनुसूची 18

राशि रु. में

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
विज्ञापन एवं प्रचार प्रभार	—	56,985.00	—	12,462.00	—	—	69,447.00
वार्षिक भूमि किराया और सम्पत्ति कर	39,50,757.00	1,38,969.00	1,94,971.00	—	—	—	42,84,697.00
लेखापरीक्षा पर व्यय	2,960.00	—	—	—	—	—	2,960.00
लेखा परीक्षा शुल्क	1,05,600.00	—	—	—	—	—	1,05,600.00
आकस्मिक व्यय (विविध)	35,56,698.00	2,79,845.00	1,36,269.00	5,56,780.60	16,83,044.42	35,162.00	62,47,799.02
बिजली एवं जल प्रभार	61,72,611.00	12,13,099.00	5,01,066.00	9,32,004.00	6,66,926.00	19,91,107.00	1,14,76,813.00
फर्नीचर एवं उपस्कर किराए पर लेना	—	—	—	—	—	—	—
वाहनों की भर्ती	3,75,459.00	—	—	—	4,620.00	11,000.00	3,91,079.00
सत्कार व्यय	27,017.00	3,964.00	1,452.00	895.00	1,948.00	—	35,276.00
बीमा	77,535.00	18,709.00	—	65,427.00	9,492.00	—	1,71,163.00
वर्दियां	1,05,000.00	55,000.00	—	45,000.00	—	—	2,05,000.00
कंप्यूटर, सहायक सामग्री और सॉफ्टवेयर का रखरखाव	55,034.00	—	—	40,922.00	1,29,361.00	—	2,25,317.00
कंप्यूटर नेटवर्क/वेबसाइट का रखरखाव	3,78,819.00	8,44,615.00	—	—	1,45,768.00	—	13,69,202.00
उपस्कारों के रखरखाव का प्रभार	4,79,560.00	59,713.00	1,56,548.00	2,56,440.00	1,76,476.00	8,79,752.00	20,08,489.00
पत्रिकाएं	53,335.00	60,436.00	17,858.00	15,607.00	3,497.00	1,160.00	1,51,893.00
डाक, टेलीफोन और संचार प्रभाग	4,29,646.95	94,229.00	54,628.00	3,25,271.00	55,055.00	1,34,215.00	10,93,044.95
मुद्रण और लेखन सामग्री प्रभार	10,60,659.00	1,76,173.00	96,621.00	93,396.00	2,14,371.00	58,200.00	16,99,420.00
पूर्वावधि की प्राप्तियां	—	—	—	—	—	—	—
भवन का किराया	—	—	—	—	—	—	—
राजस्व की हानि	—	—	—	—	—	—	—
फर्नीचर, जुड़नार और साज-सज्जा की मरम्मत और रखरखाव	—	47,088.00	3,000.00	—	—	—	50,088.00
संस्थान के भवन और परिसर, छात्रावास की मरम्मत और रखरखाव	1,19,32,228.00	51,36,935.00	1,00,94,752.00	41,69,994.00	57,99,502.00	33,33,525.00	4,04,66,936.00
वाहन चालन और रखरखाव	10,14,567.00	67,978.00	—	74,572.00	45,285.00	8,133.00	12,10,535.00
जोड़	2,97,77,485.95	82,53,738.00	1,12,57,165.00	65,88,770.60	89,35,345.42	64,52,254.00	7,12,64,758.97

ह/-
(पी.आर. नाथ)
लेखा अधिकारी

ह/-
(संघमित्रा बारिक)
संयुक्त निदेशक (सा.से.)



राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुदान/आर्थिक सहायता की अनुसूची
क्षेत्रीय केन्द्रों को दी गई निधियों की अनुसूची

अनुसूची 19							राशि रु. में
विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	जोड़
क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	3,53,34,219.00	—	—	—	—	—	—
क्षेत्रीय केन्द्र, बेंगलुरु	3,50,39,492.00	—	—	—	—	—	—
क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	2,83,21,750.00	—	—	—	—	—	—
क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर	3,05,99,240.00	—	—	—	—	—	—
क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली	1,55,91,940.00	—	—	—	—	—	—
जोड़	14,48,86,641.00	—	—	—	—	—	14,48,86,641.00

ह/-
(पी.आर. नाथ)
लेखा अधिकारी

ह/-
(संघमित्रा बारिक)
संयुक्त निदेशक (सा.से)



राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए सीपीएफ का प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

राशि रु. में

प्राप्तियां	चालू वर्ष मुख्यालय	चालू वर्ष क्षे.के. गुवाहाटी	चालू वर्ष क्षे.के. बेंगलुरु	चालू वर्ष क्षे.के. लखनऊ	चालू वर्ष क्षे.के. इन्दौर	चालू वर्ष जोड़
आदि शेष	17,67,455.73	—	—	—	—	17,67,455.73
कर्मचारी अंशदान-मुख्यालय	3,85,000.00	—	—	—	—	3,85,000.00
कर्मचारी अंशदान-क्षे.के. गुवाहाटी	—	—	—	—	—	—
एसबी खातों पर प्राप्त ब्याज	1,40,217.56	—	—	—	—	1,40,217.56
निवेश पर अर्जित ब्याज	13,56,535.00	—	—	—	—	13,56,535.00
निवेश नकदीकरण	30,92,994.00	—	—	—	—	30,92,994.00
जीपीएफ निवेश के लिए नकदीकरण	—	—	—	—	—	—
मुख्यालय सदस्यों के लिए संस्थान का अंशदान	1,27,880.00	—	—	—	—	1,27,880.00
जोड़	68,70,082.29	—	—	—	—	68,70,082.29

राशि रु. में

प्राप्तियां	चालू वर्ष मुख्यालय	चालू वर्ष क्षे.के. गुवाहाटी	चालू वर्ष क्षे.के. बेंगलुरु	चालू वर्ष क्षे.के. लखनऊ	चालू वर्ष क्षे.के. इन्दौर	चालू वर्ष जोड़
स्टाफ को अग्रिम फाइनल आहरण	—	—	—	—	—	—
पार्ट फाइनल आहरण	—	—	—	—	—	—
निधियों का निवेश	—	—	—	—	—	—
जीपीएफ की भुगतान-योग्य देयता उन्मोचित	—	—	—	—	—	—
आकस्मिक व्यय बैंक में इति शेष	—	—	—	—	—	—
	68,70,082.29	—	—	—	—	68,70,082.29
जोड़	68,70,082.29	—	—	—	—	68,70,082.29

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के संबंध में
विजय कुमार रस्तोगी एवं कंपनी,
सनदी लेखपालों के लिए और उनकी ओर से
फर्म की पंजीकरण संख्या 011807एन

ह/-
(पी.आर. नाथ)
लेखा अधिकारी

ह/-
(संघमित्रा बारिक)
संयुक्त निदेशक (सा.से)

ह/-
(तृप्ति गुरहा)
निदेशक

ह/-
(सी.ए. विजय कुमार रस्तोगी)
प्रोप्राइटर
एम. नं. 090086



राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए सीपीएफ का आय एवं व्यय लेखा

राशि रु. में

विवरण आय	चालू वर्ष मुख्यालय	चालू वर्ष क्षे.के. गुवाहाटी	चालू वर्ष क्षे.के. बेंगलुरु	चालू वर्ष क्षे.के. लखनऊ	चालू वर्ष क्षे.के. इन्दौर	चालू वर्ष जोड़
निवेश पर ब्याज	13,56,535.00	—	—	—	—	13,56,535.00
वास्तविक	—	—	—	—	—	—
जमा: देय परन्तु प्राप्त नहीं	15,67,201.15	—	—	—	—	15,67,201.15
जमा: वर्ष के दौरान प्रोद्भूत	24,84,001.15	—	—	—	—	24,84,001.15
घटाया गयारू पूर्वावधि	—	—	—	—	—	—
जमा: जीएफ लेखा से	—	—	—	—	—	—
प्राप्ति योग्य	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: निवेश की	—	—	—	—	—	—
निवलरू वर्ष के लिए	4,39,735.00	—	—	—	—	4,39,735.00
एसबी खाते से ब्याज	1,40,217.56	—	—	—	—	1,40,217.56
आय से व्यय की अधिकता	—	—	—	—	0.00	—
कुल आय	5,79,952.56	—	—	—	—	5,79,952.56

राशि रु. में

व्यय	मुख्यालय	क्षे.के. गुवाहाटी	क्षे.के. बेंगलुरु	क्षे.के. लखनऊ	क्षे.के. इन्दौर	जोड़
ब्याज का भुगतान किया गया	—	—	—	—	—	—
मुख्यालय के सदस्य	—	—	—	—	—	—
क्षे.के. बेंगलुरु के सदस्य	—	—	—	—	—	—
क्षे.के. गुवाहाटी के सदस्य	3,25,171.00	—	—	—	—	3,25,171.00
क्षे.के. इन्दौर के सदस्य	—	—	—	—	—	—
क्षे.के. लखनऊ के सदस्य	—	—	—	—	—	—
आकस्मिक व्यय	—	—	—	—	—	—
घटाया गयारू निवेश का	—	—	—	—	—	—
नकदीकरण	—	—	—	—	—	—
व्यय से आय की अधिकता	2,54,781.56	—	—	—	—	2,54,781.56
कुल व्यय	5,79,952.56	—	—	—	—	5,79,952.56

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के संबंध में
विजय कुमार रस्तोगी एवं कंपनी,
सनदी लेखपालों के लिए और उनकी ओर से
फर्म की पंजीकरण संख्या 011807एन

ह/-
(पी.आर. नाथ)
लेखा अधिकारी

ह/-
(संघमित्रा बारिक)
संयुक्त निदेशक (सा.से)

ह/-
(तृप्ति गुरहा)
निदेशक

ह/-
(सी.ए. विजय कुमार रस्तोगी)
प्रोप्राइटर
एम. नं. 090086



राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च, 2021 को सीपीएफ का तुलन पत्र

राशि रु. में

	मुख्यालय	क्ष.के. गुवाहाटी	क्ष.के. बेंगलुरु	क्ष.के. लखनऊ	क्ष.के. इन्दौर	क्ष.के. मोहाली	जोड़
देयताएं सदस्यों का खाता (अंशदान एवं ब्याज) आदि शेष	43,86,090.00	—	—	—	—	—	43,86,090.00
जमा: सदस्यों से प्राप्त	3,85,000.00	—	—	—	—	—	3,85,000.00
घटाया गया: सदस्यों को भुगतान किया गया	—	—	—	—	—	—	—
जमा: संस्थान का अंशदान	—	—	—	—	—	—	—
जमा: प्रदत्त ब्याज	3,25,171.00	—	—	—	—	—	3,25,171.00
जमा/घटाया गया: वर्ष के दौरान किए गए समायोजन	1,31,680.00	—	—	—	—	—	1,31,680.00
जोड़	52,27,941.00	—	—	—	—	—	52,27,941.00
निवेश पर अर्जित ब्याज आदि शेष — मुख्यालय	81,59,815.88	—	—	—	—	—	81,59,815.88
आदि शेष — क्ष.के. गुवाहाटी	—	—	—	—	—	—	—
जमा: व्यय से आय की अधिकता	2,54,781.56	—	—	—	—	—	2,54,781.56
जमा/घटाया गया: समायोजन	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: आय से व्यय की अधिकता	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	84,14,597.44	—	—	—	—	—	84,14,597.44
सकल जोड़	1,36,42,538.44	—	—	—	—	—	1,36,42,538.44
परिसम्पत्तियां निवेश आदि शेष	81,66,569.00	—	—	—	—	—	81,66,569.00
जमा: वर्ष के दौरान निवेश	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: वर्ष के दौरान नकदीकरण	30,92,994.00	—	—	—	—	—	30,92,994.00
घटाया गया: जीपीएफ से प्राप्ति योग्य निवेश का नकदीकरण	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: निवेश को भुनाने पर हुआ घाटा	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	50,73,575.00	—	—	—	—	—	50,73,575.00
निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज आदि शेष	24,84,001.15	—	—	—	—	—	24,84,001.15
जमा: प्रोद्भूत ब्याज	15,67,201.15	—	—	—	—	—	15,67,201.15
घटाया गया: जीएफ लेखा से प्राप्ति योग्य ब्याज पृथक रूप से दिखाया जाएगा	—	—	—	—	—	—	—
जमा: ब्याज देय परन्तु प्राप्त नहीं	—	—	—	—	—	—	—
जमा: जीएफ लेखा से प्राप्ति योग्य ब्याज	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया: पूर्वावधि	24,84,001.15	—	—	—	—	—	24,84,001.15
जमा / घटाया गया: वर्ष के दौरान किए गए समायोजन	—	—	—	—	—	—	—



राशि रु. में

	मुख्यालय	क्ष.के. गुवाहाटी	क्ष.के. बेंगलुरु	क्ष.के. लखनऊ	क्ष.के. इन्दौर	क्ष.के. मोहाली	जोड़
इति शेष	15,67,201.15	—	—	—	—	—	15,67,201.15
नकद और बैंक में नकदी	68,70,082.29	—	—	—	—	—	68,70,082.29
इति शेष	68,70,082.29	—	—	—	—	—	68,70,082.29
संस्थान का अंशदान प्राप्ति योग्य आदि शेष	1,27,880.00						1,27,880.00
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्ति योग्य राशि	1,31,680.00						1,31,680.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजित	1,27,880.00						1,27,880.00
इति शेष	1,31,680.00	—	—	—	—	—	1,31,680.00
जीएफ लेखा से प्राप्ति निवेश का नकदीकरण आदि शेष							
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्ति योग्य राशि							
जमा/घटाया गया: समायोजन							
जोड़		—	—	—	—	—	
निवेश पर ब्याज आदि शेष							—
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्ति योग्य राशि							
घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजित							
जोड़				—	—	—	— — —
क्ष.के. गुवाहाटी से प्राप्ति आदि शेष							
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्ति योग्य राशि							
घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजित							
जोड़	—	—	—		—	—	—
सकल जोड़	1,36,42,538.44	—	—	—	—	—	1,36,42,538.44

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के संबंध में
विजय कुमार रस्तोगी एवं कंपनी,
सनदी लेखपालों के लिए और उनकी ओर से
फर्म की पंजीकरण संख्या 011807एन

ह/-
(पी.आर. नाथ)
लेखा अधिकारी

ह/-
(संघमित्रा बारिक)
संयुक्त निदेशक (सा.से)

ह/-
(तृप्ति गुरहा)
.निदेशक

ह/-
(सी.ए. विजय कुमार रस्तोगी)
प्रोप्राइटर
एम. नं. 090086



राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए जीपीएफ की प्राप्तियां एवं भुगतान

राशि रु. में

प्राप्तियां	चालू वर्ष मुख्यालय	चालू वर्ष क्षे.के.गुवाहाटी	चालू वर्ष क्षे.के.बेंगलुरु	चालू वर्ष क्षे.के.लखनऊ	चालू वर्ष क्षे.के. इन्दौर	चालू वर्ष क्षे.के. मोहाली	चालू वर्ष जोड़
आदि शेष	3,50,67,265.42	78,272.20	2,97,238.35	3,82,591.06	2,55,818.74	—	3,60,81,185.77
सदस्यों का अंशदान	2,36,42,596.00	30,33,000.00	27,45,300.00	31,41,650.00	9,65,600.00	—	3,35,28,146.00
क्षेत्रीय केन्द्रों से प्राप्त निधियां							
गुवाहाटी	18,00,000.00	—	—	—	—	—	18,00,000.00
बेंगलुरु	12,00,000.00	—	—	—	—	—	12,00,000.00
लखनऊ	12,00,000.00	—	—	—	—	—	12,00,000.00
इन्दौर	10,00,000.00	—	—	—	—	—	10,00,000.00
निवेश नकदीकरण	2,92,08,656.00	—	—	—	—	—	2,92,08,656.00
सीपीएफ से सम्बन्धित निवेश का नकदीकरण	—	—	—	—	—	—	—
निवेश पर ब्याज	1,50,86,159.00	—	—	—	—	—	1,50,86,159.00
सीपीएफ से सम्बन्धित निवेश पर ब्याज	—	—	—	—	—	—	—
एसबी खाते पर ब्याज	16,09,704.65	20,157.60	13,184.76	20,384.83	18,142.00	—	16,81,573.84
सीपीएफ खाते से प्राप्त	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	10,98,14,381.07	31,31,429.80	30,55,723.11	35,44,625.89	12,39,560.74		12,07,85,720.61



राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए का प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

राशि रु. में

भुगतान	चालू वर्ष मुख्यालय	चालू वर्ष क्षे.के. गुवाहाटी	चालू वर्ष क्षे.के. बेंगलुरु	चालू वर्ष क्षे.के. लखनऊ	चालू वर्ष क्षे.के. इन्दौर		जोड़
सदस्यों को अग्रिम	11,26,000.00		2,65,000.00	3,88,000.00		—	17,79,000.00
फाइनल आहरण	1,50,84,939.00	1,78,748.00	2,36,174.00	3,02,332.00		—	1,58,02,193.00
पार्ट फाइनल आहरण	1,92,70,488.00	6,57,000.00	11,85,000.00	7,10,000.00	—	—	2,18,22,488.00
निधियों का निवेश	—		—	—	—	—	—
फाइनल भुगतान पर दिया गया ब्याज	8,47,061.00					—	8,47,061.00
मुख्यालय/क्षेत्रीय केन्द्रों को अंतरित राशि							—
गुवाहाटी	15,49,842.00	18,00,000.00				—	33,49,842.00
बेंगलुरु	32,20,038.00	—	12,00,000.00	—	—	—	44,20,038.00
लखनऊ	55,96,983.00	—	—	12,00,000.00	—	—	67,96,983.00
इन्दौर	13,14,950.00	—	—	—	10,00,000.00	—	23,14,950.00
आकस्मिक व्यय	—	—	—	992.00	171.10	—	1,163.10
मुख्यालय को अंतरित ब्याज	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया निवेश का नकदीकरण	—	—	—	—	—	—	—
क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा मुख्यालय को अंतरित राशि						—	—
गुवाहाटी	—	—	—	—	—	—	—
बेंगलुरु	—	—	—	—	—	—	—
लखनऊ	—	—	—	—	—	—	—
इन्दौर	—	—	—	—	—	—	—
अंतरित सीपीएफ के निवेश का नकदीकरण	—						—
अंतरित सीपीएफ के निवेश पर ब्याज	2,66,361.00						2,66,361.00
सीपीएफ को अंतरित ब्याज की राशि		—	—	—	—	—	—
बैंक में इति शेष	6,15,37,719.07	4,95,681.80	1,69,549.11	9,43,301.89	2,39,389.64	—	6,33,85,641.51
जोड़	10,98,14,381.07	31,31,429.80	30,55,723.11	35,44,625.89	12,39,560.74		12,07,85,720.61

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के संबंध में
विजय कुमार रस्तोगी एवं कंपनी,
सनदी लेखपालों के लिए और उनकी ओर से
फर्म की पंजीकरण संख्या 011807एन

ह/-
(पी.आर. नाथ)
लेखा अधिकारी

ह/-
(संघमित्रा बारिक)
संयुक्त निदेशक (सा.से)

ह/-
(तृप्ति गुरहा)
निदेशक

ह/-
(सी.ए. विजय कुमार रस्तोगी)
प्रोप्राइटर
एम. नं. 090086



राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए जीपीएफ का आय एवं व्यय लेखा

राशि रु. में

विवरण	चालू वर्ष मुख्यालय	चालू वर्ष क्षे.के. गुवाहाटी	चालू वर्ष क्षे.के. बेंगलुरु	चालू वर्ष क्षे.के. लखनऊ	चालू वर्ष क्षे.के. इन्दौर	चालू वर्ष क्षे.के. मोहाली	चालू वर्ष जोड़
आय							
प्राप्त ब्याज		—					
क. निवेश से							
वास्तविक	1,50,86,159.00	—	—	—	—	—	1,50,86,159.00
जमा: वर्ष के दौरान प्रोद्भूत	67,34,498.71	—	—	—	—	—	67,34,498.71
घटाया गया रु समायोजित रु	98,04,538.71	—	—	—	—	—	98,04,538.71
पूर्वावधि							
जमा: बही प्रविष्टि के माध्यम		—	—	—	—	—	—
से प्राप्त ब्याज		—	—	—	—	—	—
घटाया गया रु सीपीएफ का	1,43,974.00	—	—	—	—	—	1,43,974.00
अंतरित ब्याज	—	—	—	—	—	—	—
जमा: सीपीएफ खाते से प्राप्ति	—	—	—	—	—	—	—
योग्य	—	—	—	—	—	—	—
वर्ष के लिए निवल	1,18,72,145.00	—	—	—	—	—	1,18,72,145.00
ख. एसबी खाते से ब्याज							
वास्तविक	16,09,704.65	20,157.60	13,184.76	20,384.83	18,142.00	—	16,81,573.84
जमा: वर्ष के दौरान प्रोद्भूत	—	—	—	—	—	—	—
घटाया गया रु पूर्वावधि	—	—	—	—	—	—	—
निवल	16,09,704.65	20,157.60	13,184.76	20,384.83	18,142.00	—	16,81,573.84
निवेश के नकदीकरण पर मुनाफा	—	—	—	—	—	—	—
आय से व्यय की अधिकता	—	11,35,761.40	6,55,551.24	12,55,536.17	6,40,314.10	—	36,87,162.91
							—
							—
कुल आय	1,34,81,849.65	11,55,919.00	6,68,736.00	12,75,921.00	6,58,456.10	—	1,72,40,881.75



राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए जीपीएफ का आय एवं व्यय लेखा

राशि रु. में

विवरण	चालू वर्ष मुख्यालय	चालू वर्ष क्षे.के. गुवाहाटी	चालू वर्ष क्षे.के. बेंगलुरु	चालू वर्ष क्षे.के. लखनऊ	चालू वर्ष क्षे.के. इन्दौर	चालू वर्ष क्षे.के. मोहाली	चालू वर्ष जोड़
व्यय							
खरीदे गए निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज	—	—	—	—	—	—	—
सदस्यों को भुगतान किया गया ब्याज	—	—	—	—	—	—	—
मुख्यालय के कर्मचारी	90,66,423.00	—	—	—	—	—	90,66,423.00
क्षे.के. बेंगलुरु के कर्मचारी	—	—	6,68,736.00	—	—	—	6,68,736.00
क्षे.के. गुवाहाटी के कर्मचारी	—	11,55,919.00	—	—	—	—	11,55,919.00
क्षे.के. इन्दौर के कर्मचारी	—	—	—	—	6,58,285.00	—	6,58,285.00
क्षे.के. लखनऊ के कर्मचारी	—	—	—	12,74,929.00	—	—	12,74,929.00
आकस्मिक व्यय	—	—	—	992.00	171.10	—	1,163.10
घटाया गया निवेश का नकदीकरण	—	—	—	—	—	—	—
व्यय से आय की अधिकता	44,15,426.65	—	—	—	—	—	44,15,426.65
कुल व्यय	1,34,81,849.65	11,55,919.00	6,68,736.00	12,75,921.00	6,58,456.10		1,72,40,881.75

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के संबंध में
विजय कुमार रस्तोगी एवं कंपनी,
सनदी लेखपालों के लिए और उनकी ओर से
फर्म की पंजीकरण संख्या 011807एन

ह/-
(पी.आर. नाथ)
लेखा अधिकारी

ह/-
(संघमित्रा बारिक)
संयुक्त निदेशक (सा.से)

ह/-
(तृप्ति गुरहा)
निदेशक

ह/-
(सी.ए. विजय कुमार रस्तोगी)
प्रोप्राइटर
एम. नं. 090086



राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च, 2021 को जीपीएफ तुलन पत्र

राशि रु. में

	मुख्यालय	क्षे.के. गुवाहाटी	क्षे.के. बेंगलुरु	क्षे.के. लखनऊ	क्षे.के. इन्दौर	क्षे.के. मोहाली	जोड़
देयताएं							
क. अंशदान							
आदि शेष	2,57,16,158.00	54,15,671.00	35,91,946.70	48,06,145.00	89,91,777.00	—	4,85,21,697.70
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	2,36,42,596.00	30,33,000.00	27,45,300.00	31,41,650.00	9,65,600.00	—	3,35,28,146.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान भुगतान	3,54,81,427.00	8,35,748.00	16,86,174.00	14,00,332.00	—	—	3,94,03,681.00
जमा: वर्ष के दौरान समायोजन	35,25,761.00	3,24,544.00	—	22,22,930.00	8,28,990.00	—	69,02,225.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन	22,22,930.00	19,04,905.00	66,44,617.00	63,44,371.00	12,50,239.00	—	1,83,67,062.00
इति शेष	1,51,80,158.00	60,32,562.00	(19,93,544.30)	24,26,022.00	95,36,128.00	—	3,11,81,325.70
ख. कर्मचारियों के अंशदान पर ब्याज							
आदि शेष	10,03,87,407.00	1,15,32,736.00	1,09,89,535.00	1,27,60,136.00	13,69,115.00	—	13,70,38,929.00
जोड़ा गया: वर्ष के दौरान प्राप्त/अंतरित	90,66,423.00	11,55,919.00	6,68,736.00	12,74,929.00	6,58,285.00	—	1,28,24,292.00
जोड़ा गया: वर्ष के दौरान किए गए समायोजन	—	—	—	—	5,462.00	—	5,462.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन	8,47,061.00	9,707.00	60,956.00	81,602.00	64,711.00	—	10,64,037.00
जोड़	10,86,06,769.00	1,26,78,948.00	1,15,97,315.00	1,39,53,463.00	19,68,151.00	—	14,88,04,646.00
उप जोड़ क+ख	12,37,86,927.00	1,87,11,510.00	96,03,770.70	1,63,79,485.00	1,15,04,279.00	—	17,99,85,971.70
निवेश पर अर्जित ब्याज आदि शेष							
जमा: व्यय से आय की अधिकता	5,21,55,968.30	(1,25,51,443.80)	(99,63,298.65)	(1,04,65,016.94)	(24,91,403.26)	—	1,66,84,805.65
घटाया गया: आय से व्यय की अधिकता	44,15,426.65	—	—	—	—	—	44,15,426.65
जोड़ा गया: वर्ष के दौरान किए गए समायोजन	—	11,35,761.40	6,55,551.24	12,55,536.17	6,40,314.10	—	36,87,162.91
घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	5,65,71,394.95	(1,36,87,205.20)	(1,06,18,849.89)	(1,17,20,553.11)	(31,37,179.36)	—	1,74,07,607.39
क्षेत्रीय केन्द्र से प्राप्त राशि आदि शेष							
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	2,29,71,978.70	(43,18,691.00)	(43,20,944.70)	(67,18,673.00)	(76,13,670.00)	—	—
घटाया गया: वर्ष के दौरान अन्तरित	52,00,000.00	—	—	—	—	—	52,00,000.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान अन्तरित	1,16,81,813.00	—	—	—	—	—	1,16,81,813.00
जोड़ा गया: वर्ष के दौरान किए गए समायोजन	—	18,00,000.00	12,00,000.00	12,00,000.00	10,00,000.00	—	52,00,000.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान किए गए समायोजन	—	19,14,612.00	67,05,573.00	64,25,973.00	13,14,950.00	—	1,63,61,108.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन	13,02,831.00	3,24,544.00	—	22,22,930.00	8,28,990.00	—	46,79,295.00
जोड़	1,51,87,334.70	(45,28,623.00)	11,84,628.30	(37,15,630.00)	(81,27,710.00)	—	—
सीपीएफ खाते का अंतरण योग्य राशि							
निवेश नकदीकरण	1,22,387.00	—	—	—	—	—	1,22,387.00
सीपीएफ निवेश पर ब्याज	1,43,974.00	—	—	—	—	—	1,43,974.00
घटाया गया: सीपीएफ खाते का अंतरित	2,66,361.00	—	—	—	—	—	2,66,361.00



राशि रु. में

	मुख्यालय	क्षे.के.गुवाहाटी	क्षे.के.बेंगलुरु	क्षे.के. लखनऊ	क्षे.के. इन्दौर	क्षे.के. मोहाली	जोड़
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
सकल जोड़	19,55,45,656.65	4,95,681.80	1,69,549.11	9,43,301.89	2,39,389.64	—	19,73,93,579.09
परिसम्पत्तियां							
निवेश				—			
आदि शेष	15,64,82,094.87	—	—	—	—		15,64,82,094.87
जमा: वर्ष के दौरान निवेश	—	—	—	—	—		—
घटाया गया: वर्ष के दौरान नकदीकरण	2,92,08,656.00	—	—	—	—		2,92,08,656.00
जोड़ा गया सीपीएफ लेखा के लिए शामिल नकदीकरण	—	—	—	—	—		—
घटाया गया: निवेश को भुनाने पर हुआ घाटा	—						—
जमा/घटाया गया: समायोजन	—						—
जोड़	12,72,73,438.87	—	—	—	—	—	12,72,73,438.87
सीपीएफ खाते से प्राप्ति योग्य क. निवेश नकदीकरण	—	—	—	—	—		—
आदि शेष	—	—	—	—	—		—
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्ति योग्य राशि	—	—	—	—	—		—
घटाया गया: समायोजन	—						—
जोड़	—	—	—	—	—		—
ख. निवेश पर ब्याज							
आदि शेष	—						—
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्ति योग्य राशि	—						—
घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजित	—						—
जोड़	—	—	—	—	—		—
बैंक में नकदी	6,15,37,719.07	4,95,681.80	1,69,549.11	9,43,301.89	2,39,389.64		6,33,85,641.51
जोड़	6,15,37,719.07	4,95,681.80	1,69,549.11	9,43,301.89	2,39,389.64	—	6,33,85,641.51
निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज							
आदि शेष	98,04,538.71	—	—	—	—		98,04,538.71
जमा: वर्ष के दौरान प्रोद्भूत	67,34,498.71	—	—	—	—		67,34,498.71
जमा: सीपीएफ लेखा से प्राप्ति योग्य ब्याज	—						—
घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन	98,04,538.71	—	—	—	—		98,04,538.71
जमा: खरीदारी पर प्रोद्भूत ब्याज	—						—
घटाया गया: सीपीएफ लेखा को देय ब्याज	—						—
इति शेष	67,34,498.71	—	—	—	—	—	67,34,498.71
सकल जोड़	19,55,45,656.65	4,95,681.80	1,69,549.11	9,43,301.89	2,39,389.64	—	19,73,93,579.09

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के संबंध में
विजय कुमार रस्तोगी एवं कंपनी,
सनदी लेखपालों के लिए और उनकी ओर से
फर्म की पंजीकरण संख्या 011807एन

(पी.आर. नाथ)
लेखा अधिकारी

(संघमित्रा बारिक)
संयुक्त निदेशक (सा.से)

(तृप्ति गुरहा)
निदेशक

(सी.ए. विजय कुमार रस्तोगी)
प्रोप्राइटर / एम. नं. 090086



निपसिड मुख्यालय

5, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली - 110016
फोन : 26963002, 26963204



निपसिड क्षेत्रीय केन्द्र, बेंगलुरु,

18 न्यू टाउन चैलाहंका (फेडरल मोगल गेट नं 1 के सामने)
बेंगलुरु - 560064 | फोन : 080-29520255



निपसिड क्षेत्रीय केन्द्र, गुवाहाटी

जवाहर नगर, खानपाड़ा, गुवाहाटी - 781022,
फोन : 0361-2301519



निपसिड क्षेत्रीय केन्द्र, इंदौर

बड़ा बर्गदा, हथौड रोड, गौमतगिरी, एमपीएसईबी ऑफिस के सामने,
इन्दौर - 452005 फोन : 453112



निपसिड क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ

पी ओ गुड्डम्बा, कुर्सी रोड, (स्पोर्ट्स कालेज के साथ) लखनऊ - 226026,
फोन : 9129888415, 9129888418, 9129888419



निपसिड क्षेत्रीय केन्द्र, मोहाली

गुरुद्वारे के सामने, 79 साहिबजादा अजित सिंह नगर,
मोहाली - 140308 फोन : - 0172-2972935 से 44 तक



राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

(यह संस्थान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के तत्वावधान में कार्यकरत एक स्वायत्तशासी निकाय है)

5, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली-110016